राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 52वां दिवस [संख्या 30

बुधवार

दिनांक 5 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[समाज कल्याण, राजस्व, स्वायत्त शासन गृह, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, नागरिक रसद, कृषि, उपनिवेशन, जन-स्वास्थ्य, नगर विकास न्यास–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

वृद्धावस्था पेन्शन

622. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) की अनुपस्थिति में **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) द्वारा पूछा गया : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर के श्री मांगीलाल तेली पुत्र श्री रामगोपाल तेली ने वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए एक प्रार्थना-पत्र अलवर समाज-कल्याण विभाग में दिया था ? यह प्रार्थना-पत्र किस तारीख को विभाग में प्राप्त हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इसी श्री मांगीलाल तेली के पुत्र श्री मंगतूराम ने भी जन्म से ही नेत्रहीन होने के कारण अपाहिज होने की पेन्शन के लिए समाज-कल्याण विभाग को आवेदन-पत्र दिया था ? यह प्रार्थना-पत्र किस तारीख को विभाग म प्राप्त हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्रार्थियों की दरख्वास्तें जिलाधीश, अलवर द्वारा इस कारण खारिज कर दी गईं कि वृद्ध का बेटा मौजूद है और अंधे के बाप मौजूद हैं ? यदि हां, तो ये दरख्वास्तें कब खारिज की गईं ?

(4) क्या यह सही है कि समाज-कल्याण विभाग की ओर से दिनांक 28-5-70 को पत्र संख्या 780 द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना-पत्र निदेशक, समाज-कल्याण विभाग को अन्तिम निर्णय के लिए भेज दिया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मामलों के सम्बन्ध में राज्य मंत्री महोदय को एक पत्र रामानन्द अग्रवाल, विधायक की ओर से लिखा गया और मंत्रीजी ने अपने पत्र दिनांक 28-11-70 द्वारा इन दोनों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रार्थियों को पेन्शन दिया जाना उचित माना था ।

(6) क्या यह सही है कि उक्त दोनों प्रार्थियों की पेन्शन अभी तक स्वीकार नहीं हुई है ?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : (1) जी हां, श्री मांगीलाल तेली पुत्र श्री रामगोपाल तेली, अलवर का वृद्धावस्था पेन्शन हेतु एक प्रार्थना-पत्र जिला कार्यालय समाज-कल्याण विभाग, अलवर में दिनांक 9-6-69 को प्राप्त हुआ था ।

(2) जी हां, श्री मंगतूराम तेली पुत्र श्री मांगीलाल का भी अपाहिज पेन्शन हेतु एक प्रार्थना-पत्र उक्त श्री मांगीलाल के प्रार्थना-पत्र के साथ ही दिनांक 9-6-69 को प्राप्त हुआ था ।

(3) जी नहीं, खारिज नहीं की गई।

(4) जी हां ।

(5) जी हां।

(6) इस मामले में जिलाधीश, अलवर एवं जिला समाज-कल्याण अधिकारी, अलवर द्वारा स्पष्टीकरण चाहने हेतु असल फाइल मुख्यावास को भेजने के कारण विलम्ब जरूर हो गया था, किन्तु जिला अधिकारी, अलवर एवं जिलाधीश को उक्त परिस्थितियों में दोनों व्यक्तियों की दरख्वास्तें पेश करने की तारीख से पेन्शन स्वीकृत करने के लिए लिखा जा रहा है ।

श्री केदारनाथ : यह कब से मन्जूर हुई है पेन्शन ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दरख्वास्त जिस तारीख को पेश हुई है उस तारीख से मंजूर हो जायेगी और इस केस में जुलाई, 1970 से ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पोकरण तहसील के ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित करने की सिफारिश

623. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पोकरण तहसील के ग्राम सनावड़ा को पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर, तहसीलदार की सिफारिश अकाल घोषित करने के लिए होते हुए भी अभावग्रस्त घोषित गांवों की सूची में नहीं लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम अभावग्रस्त घोषित करने की सभी शर्तें पूरी करने पर भी अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ? जिसके कारण वहां वसूली की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इससे अधिक वर्षा वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? अगर हां, तो इस ग्राम को घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, यह अकाल विभाग से सम्बन्धित हैं। इसका उत्तर वे अपने समय पर देंगे इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अकाल ही लिखा था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री केदारनाथ ।

गंगानगर शहर ड्रेनेज स्कीम

624. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर शहर में ड्रेनेज स्कीम का काम कब शुरू हुआ ?

(2) इस स्कीम को अमल में लाने पर कुल कितना खर्चा होगा ?

(3) अब तक कितना खर्च किया गया है ?

(4) शेष राशि के लिए क्या व्यवस्था की हुई है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण शहर की ड्रेनेज स्कीम के लिए स्पेशल असिस्टेन्स देने पर विचार कर रही है ?

उप मंत्री, स्वायत शासन (श्री खेतसिंह) :

(1) वर्ष 1967 में ।

(2) करीब 70 लाख रुपया ।

(3) 9 लाख रुपया ।

(4) अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ।

(5) प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री केदारनाथ : क्या कोई लोन प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है ?

श्री खेतसिंह : एल० आई० सी० से लोन प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री केदारनाथ : क्या सरकार ने सिक्योरिटी दे दी है ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं । फाइनन्स डिपार्टमेंट की कान्करेन्स नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 625 ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

तहसील कोलायत में भूमिहीन हरिजनों को भूमि का आवंटन

627. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में राजस्व तहसीलदार द्वारा जून, 1969 में बीकानेर जिले के 10 भूमिहीन हरिजनों को कितनी भूमि एलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सही है आज तक उस भूमि का मुकम्मल कब्जा भूमिहीन किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर 2 बार तकावी ऋण भी दिया जा चुका है ?

(4) क्या यह सही है कि इस संबंध में बार बार प्रार्थना करने पर भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) तहसील कोलायत में तहसीलदार द्वारा

(श्री रामकिशोर व्यास)

सन् 1969 में 12 हरिजनों को 316 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया।

(2) जिस खसरा में भूमि का आवंटन किया गया था उसमें मौके पर रकबा न होने के कारण इन आसामियान को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं, केवल 8 व्यक्तियों को एक बार तकावी ऋण दिया है।

(4) जी नहीं, इस संबंध में समय समय पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्री दौलतराम सारण : 69 में एलॉट कर दी गई और मौके पर भूमि नहीं मिली तो इसका क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास : इसको सैटिल करने के लिए सैटलमेंट का रेकार्ड और गिरदावरी निकलवाई है।

श्री दौलतराम सारण : पहले से ही कब्जे में थी यह जमीन ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिवाय चक में दर्ज की गई थी तो डिफरेन्स था सैटिलमेंट के रेकार्ड में और खसरे में।

श्री दौलतराम सारण : तो उन लोगों को परेशान किया है। गलत भूमि एलॉट कर दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री नथमल चोहला।

कस्बा फतेहपुर म सार्वजनिक चौकों पर अवैध तामीर

628. **श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के अन्तर्गत कस्बा फतेहपुर के वार्ड नम्बर 18 में बहुत से व्यक्तियों ने आम रास्ता व सार्वजनिक चौकों पर नाजायज एन्क्रोचमेंट करके नगरपालिका की बिना स्वीकृति के पुख्ता तामीर कर ली है ? यदि हां, तो किस किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा तामीर कार्य कई व्यक्तियों के बन्द करने के बावजूद भी तामीर कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ऐसे अनधिकृत कार्य करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, आदेशों की अवहेलना करके।

(3) नगरपालिका द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नथमल चोहला : सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री खेतसिंह : सूची में चार नाम हैं, पढ़कर सुना देता हूं।

श्री नथमल चोहला : दो नाम और नहीं है। 6 हैं।

श्री खेतसिंह : अगर और नाम हैं तो बता दें तो जानकारी मिल जायगी ।

श्री नथमल चोहला : इसके बारे में म्युनिसिपेलिटी कार्यवाही नहीं करेगी तो राज्य सरकार क्या करेगी ?

श्री खेतसिंह : धारा 203 के तहत कार्यवाही स्वयं म्युनिसिपेलिटी अवश्य करेगी । तो उसके बाद में उस प्रश्न पर विचार करगे ।

श्री नथमल चोहला : सार्वजनिक रास्ता है और बहुत बड़ा रास्ता है ।

श्री खेतसिंह : मैंने माना है कि सार्वजनिक रास्ता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 629

श्री किशनलाल वर्मा ।
(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिस खां ।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के मामले

630. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समितियों के सचिवों द्वारा गबन किये जाने की शिकायत है ? यदि हां, तो किस किस समिति के किस किस नाम के सचिव के खिलाफ कब से शिकायत है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखे जाने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे सचिवों का वेतन भी रोक दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस नाम के किस किस समिति के सचिवों का कब कब से वेतन रोका गया है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन सचिवों के खिलाफ गबन के केस हैं, उनको सस्पेन्ड भी किया गया है ? और क्या यह भी सही है कि उनका चार्ज लोन इन्सपेक्टर्स ने स्वयं ही सम्भाला है और अन्य साथियों को भी दिलाया है ? यदि हां, तो ऐसे किस किस समिति के कौन कौन नाम के सचिव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ समितियों के सचिव वसूली का रुपया लेकर चले गये है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और किस किस समिति का कितना कितना रुपया लेकर चले गये हैं ? और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि कर्जा लौटाने के पश्चात् भी समितियों को समय पर कर्जा नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां, यह सही है कि भरतपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में उनके सचिवों के द्वारा गबन किये जाने कि शिकायतें हैं । जिन जिन समितियों में गबन हुए हैं उनकी सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है ।

Page No 6

(श्रीरामदेवसिंह)

(2) जी नहीं, किसी भी सचिव का वेतन नहीं रुका हुआ है।

(3) जी हां, 9 सचिवों को निलम्बित किया गया है, इन सचिवों को निलम्बित कर इनका चार्ज किसी ऋण निरीक्षक ने स्वयं नहीं सम्भाला है। निलम्बित सचिवों में से केवल 6 का चार्ज निलम्बित करने के समय अन्य सचिवों को दिलाया गया है। चार्ज जिन व्यक्तियों को दिलाया गया है उनकी सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(4) जी हां, यह सही है कि 28 समितियों के सचिव समितियों से वसूली की धन राशि लेकर चले गये हैं। समितिवार गबनशुदा राशि का विवरण परिशिष्ट (ग) पर अंकित है। समस्त सचिवों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है कि समितियों के द्वारा कर्जा लौटाने के बाद भी समितियों को समय पर कर्जा नहीं मिलता है, जिन समितियों के सदस्यों द्वारा ऋण का चुकारा कर दिया जाता है, समितियों द्वारा मांग-पत्र भेजने तथा बैंक के पास राशि उपलब्ध होने पर ऋण मिल जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मजलिस खां : जिन सचिवों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है वह कब तक पूरी कर दी जायगी?

श्री रामदेवसिंह : उसमें समय लगेगा, लेकिन कार्यवाही जारी है।

श्री मजलिस खां : क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री रामदेवसिंह : उनकी जगह दूसरे सचिव लगाये जायेंगे।

श्री मजलिस खां : उनकी लोन एप्लीकेशन्स कौन लोग तैयार करेंगे?

श्री रामदेवसिंह : लोन एप्लीकेशन वही तैयार करेंगे।

प्रश्न संख्या 631

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 632

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 633

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 634

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

होटल निर्माण हेतु भू-खण्डों का आवंटन

635. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जयपुर में विश्वविद्यालय के निकट रिहायशी भवनों के लिए सुरक्षित भूमि का एक बहुत बड़ा भू-खंड एक होटल के लिए आर० के० होटल्स को दिया गया है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से और किस मूल्य पर ? इस भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है ?

(2) क्या इस विक्रय के संबंध में कोई सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और किस प्रकार से ?

(3) क्या अन्य व्यक्तियों ने भी कोई बोली लगाई थी ? यदि हां, तो किन किन ने और कितनी कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि क्रेता की ओर से होटल के लिए राज्य सरकार से इसके पूर्व आवेदन-पत्र के द्वारा मांग की गई थी ? यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या क्रेता से कोई इकरारनामा लिखवाया गया है ? यदि हां, तो कृपया उसकी नकल प्रस्तुत करें ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर स्थित 8-72 एकड़ भूमि के एक भू-खण्ड की नीलामी 31-7-70 को 5 स्टार होटल बनाने हेतु की गई थी जो 8.25 लाख की थी......

श्री भैरोंसिंह : एक बार फिर रिपीट कर दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : (1) जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर स्थित 8-72 एकड़ भूमि के एक भू-खंड की नीलामी 31-7-70 को 5 स्टार होटल बनाने हेतु की गई थी जो 8-25 लाख की थी । इस भूमि की उच्चतम बोली के साढ़े छः प्रतिशत वार्षिक किराये पर 99 वर्षीय लीज पर दिया जाना है ।

(2) आम जनता की सूचना के लिए 18-6-70 को जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से निम्नांकित पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी गई थी:–

1. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।
2. दी हिन्दू, मद्रास ।
3. टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली ।
4. टाइम्स ऑफ इंडिया, बोम्बे ।
5. नव ज्योति हैराल्ड, जयपुर ।
6. स्टेट्समैन, कलकत्ता ।
7. वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद ।

(3) जी हां, बोली लगाने वाले मैसर्स आर० के० होटल्स, बी० सी० वरमन, मैसर्स कृष्णा माइनर एण्ड ट्रेडर्स एवं यू० पी० होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स थे जिनकी उच्चतम बोली क्रमशः 8,25,000), 8,16,000), 8,05,000) एवं 2, 65,000) थी ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(4) जी हां। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) आर० के० होटल्स एवं राज्य सरकार के बीच करार की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह जितनी भूमि नीलाम की है, उसका असैसमेंट किस आधार पर किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कितनी भूमि नीलाम की यह उत्तर में बताया है। जो प्लान उस एरिया का बना है उसी के आधार पर इसके लिये भूमि निर्धारित की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आर० के० होटल्स की एप्लीकेशन आने पर कार्यवाही की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन दे सकता था। सरकारी नियमों के अनुसार एप्लीकेशन दी जा सकती थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है। क्या यह सही है कि एप्लीकेशन आने पर ही आपने इनीसिएटिव लिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, यह तो मैंने कहा ही है।

श्री भैरोंसिंह : 8.72 एकड़ जमीन नीलाम की है। उसकी सरकारी बोली कितनी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 1 लाख रुपये की बोली लगाई गई।

श्री भैरोंसिंह : यह असैसमेंण्ट किससे करवाया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : असैसमेण्ट की आवश्यकता नहीं। अधिक से अधिक बोली 8 लाख 25 हजार की बोली पूरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो नीलामी का विज्ञापन निकाला है, उसमें सरकारी बोली का रेफरेंस नहीं है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आवश्यक नहीं है। टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि आर० के० होटल्स को जो जमीन दी गई है उसे राज्य सरकार कुछ और सुविधाएं देने को कमिटेड है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई विशेष सुविधा राज्य सरकार देने के लिए कमिटेड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री भैरोंसिंह : क्या नीलामी की बोली की रकम जो उसे जमा करानी चाहिए थी नियमों के अनुसार वह जमा करादी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नीलामी की रकम जमा हो गई मेरे ख्याल में।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अर्नेस्ट मनी जमा हो गई है। 8 लाख के हिसाब से साढ़े 6% सालाना इण्ट्रेस्ट होता है वह लिया जाएगा। वह 53 हजार रुपये होता है, जो एक साल का जमा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एडवर्टाइजमेन्ट में डिटेल्स को नहीं बताया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बताया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एडवर्टाइजमेण्ट में बताया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बताता हूं। (अल्प विराम)

प्रश्न सं० 636

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

चन्दे से वसूल की गई राशि का गबन

637. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील डीडवाना के पालोट आदि गांवों में से पीने की पाइप लाइन लगाने के सम्बन्ध में जनता से एक लाख के करीब रुपये चन्दे से वसूल करके हजम कर लेने के बाबत कोई शिकायत सरकार को मिली थी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) पुलिस द्वारा की गई जांच से इसमें कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह कार्यवाही कब तक की जा सकेगी ?

(4) जनता से वसूल की गई राशि का क्या किया गया ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, इस तरह की एक शिकायत राज्य सरकार को दिनांक 7-10-70 को की गई थी जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग के एक उप-अधीक्षक द्वारा करवाई गई। यह उचित समझा गया कि इस बाबत अभियोग दर्ज कर लिया गया।

(2) मामले में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमा नं० 27, दिनांक 23-4-71, धारा 420/406, आई० पी० सी०, पी० एस०, डीडवाना अभी जेर तफतीश है। तफतीश पूर्ण हो जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।

(3) इस सम्बन्ध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है।

(4) इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मुकदमे का अनुसंधान जारी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस मुकदमे में मुल्जिम कौन कौन हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश पूरी न हो तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रारम्भिक जांच तो पूरी हो गई। उसमें कौन कौन मुल्जिम पाये गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रारम्भिक जांच में यही पाया गया है कि चन्दा वसूल किया गया है। हिसाब नहीं मिल रहा है।

श्री हरजीराम बुरडक : बैंक में किसने जमा कराया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक सरपंच हैं। कई जगह कई प्रकार की जानकारी हुई है। वास्तव में पूरा हिसाब ही नहीं मिला है। उसमें समय लगेगा।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच में कई बैंकों की रसीदें भी पेश की गई थीं। रुपया किसने उठाया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें समय लगता है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह जांच करने के लिए गये। इनको गांव में घूम कर रसीदें लेनी चाहिए थीं। लेकिन ये वित्त मन्त्री मथुरादास माथुर के लोग हैं। इन्होंने नागौर तक पीछा किया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस अनुसन्धान से यह नहीं पाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष जी, यह जो बता रहे हैं इसमें कौन कौन से आदमियों का हाथ होना पाया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बता सकना कठिन है।

श्री दौलतराम सारण : मुकदमा कौन कौन सी धाराओं में है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो मैंने बता दिया है।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्राइम ब्रान्च के अधिकारी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बृजवल्लभ बोहरा।

तहसील लाडपुरा के ग्रामों में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

638. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील लाड़पुरा के ग्राम बनयानी, अरण्ड के खेडा, केथून में कितने व्यक्ति ट्रेसपासर हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिस जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, उसमें चरागाह भूमि कितनी है और अन्य कितनी ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) तहसील लाड़पुरा के ग्राम बनयानी अरण्ड खेड़ा तथा केथून क्रमश, 110, 50, व 181 व्यक्तियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामवार सूची लम्बी है, जो सचिवालय में देखी जा सकती है।

(2) जिस भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया गया है उसमें से चरागाह भूमि 403 बीघा 18 बिस्वा है व अन्य भूमि 745 बीघा 5 बिस्वा है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : इसकी सूची मुझे मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नाम पढ़ दीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, सूची बहुत लम्बी है ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, अनधिकृत कब्जा कर लिया है, वह नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो 1971 तक का कर दिया जावेगा ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : चरागाह क्यों नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चरागाह नहीं होगा ।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े आदमी जो सरकारी नौकर हैं, उन लोगों ने जमीन ले ली है । और जो गरीब हैं उनको कोई पूछता नहीं है ।

प्रश्न संख्या 639

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री आईदान सिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

तहसील सांचोर में भूमि का आंवटन

640. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच सालों में भूमिहीन काश्तकारों को तहसील सांचोर में कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है तथा किस किस साल में कितनी कितनी की गई है ? उसमें सालवर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति को भूमि आवंटन का क्या प्रतिशत रहा ?

(2) उपरोक्त आवंटित भूमि को क्या सारी सनदें अब तक जारी कर दी गई हैं ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो कितनी सनदें आवंटित भूमि की सालवार जारी करना बकाया है ? वे सनदें कब तक जारी कर दी जावेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पांच वर्षों में आवंटित भूमि का भूमिहीन काश्तकारों को अब तक पूरा कब्जा नहीं दिया गया है ? अगर हां, तो कितने ऐसे काश्तकारों को अब तक आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ? उसमें कितने काश्तकार अनुसूचित जाति व जन-जाति के हैं ?

(4) अब ऐसे तमाम भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जावेगा ?

(5) सिर्फ अनुसूचित जाति व जन-जाति के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन के आदेश जारी होने के बाद से अब तक कितने ऐसे लोगों को भूमि आवंटित की गई है ? वास्तविक कब्जा कितने ऐसे लोगों को दिया गया है तथा सभी ऐसे लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा कब तक सुपुर्द कर दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी नहीं आ पाई है, इसलिए इसको स्थगित किया जाये ।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी नहीं आ पाई है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट।

(प्रश्न संख्या 640 स्थगित किया गया)

श्री जुझारसिंह।

रामगंज मण्डी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

641. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मण्डी निर्वाचन क्षेत्र में किन किन स्थानों पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया हुआ है व किन किन व्यक्तियों को कितने कितने मील का ठेका दिया हुआ है व किस रेट पर?

(2) क्या यह सही है कि कैथून-घाणा हेडा रोड की मरम्मत बहुत अर्से से नहीं हुई है व उस पर से मोटरों का आना जाना मुश्किल हो गया है? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

उप-मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) सूची संलग्न है।

(2) मरम्मत कराई गई है। सड़क की दशा साधारण है। यातायात चालू है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जुझार सिंह: यातायात चालू है, लेकिन दशा ठीक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण: उसकी दशा खेतसिंह से ज्यादा खराब है?

श्री खेतसिंह: 1970-71 में काफी पैसा खर्च किया गया है।

कोटा डिवीजन में इस सड़क पर जो 18 मील आते हैं उन पर सालाना मरम्मत पर 32,155), 1969-70 स्पेशल रिपियर्स पर 36,155), 1960-71 में 42,447) और 10,279) खर्च हुए हैं। इसका मतलब है कि काफी धन राशि खर्च हुई है और ऐसी हालत में सड़क की काफी मरम्मत हो गई है लेकिन फिर भी कुछ और मरम्मत की आवश्यकता है जो इस वर्ष की जायगी।

श्री जुझार सिंह: रुपया खर्च करना ही काफी नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि कोटा से 18 मील और उसके आगे 18 मील की सड़क खराब है, उसके बारे में क्या सोचते हैं?

श्री खेतसिंह: झालावाड़ डिवीजन के अन्दर जो आपने बताया, उसके अन्दर भी मील 18 से 30 तक 1969-70 में 15,295.53 रु० खर्च किए गए हैं और स्पेशल रिपयर्स म 3,194)। इसी तरह से 1970-71 में 15,885) किए हैं और इन दोनों वर्षों म इसकी मरम्मत की है और इस वर्ष भी और मरम्मत कराने का विचार है।

श्री जुझारसिंह: सिर्फ पैसों का हिसाब दे रहे है। मेरा निवेदन है कि पैसा खर्च हो जाने के बाद भी मरम्मत नहीं हुई और इस सिलसिले में कई बार निवेदन किया है वहां की सड़क के बारे में। दूसरे विधायक भी इन्ट्रेस्टेड हैं। हमने काल एटन्शन नोटिस भी दिया था और उसकी हालत खराब है। आप सड़क की स्थिति नहीं बता रहे हैं।

श्री खेतसिंह: पैसा खर्च करने से रिपेयर्स होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने बताया

(श्री खेतसिंह)

है कि खर्चा करते हुए भी मरम्मत नहीं हुई इसकी जानकारी की जायगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने यह सड़के देखी हैं इतना कह सकता हूं कि जितनी रकम आपने खर्च की है उसका एक प्रतिशत भी खर्चा नहीं किया है। उस पर तो जीप भी नहीं चल सकती, क्या जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया है कि करायेंगे।

श्री खेतसिंह : अवश्य करायेंगे ।

श्री जुझारसिंह : एक प्रश्न और है । मने रामगंज मंडी क्षेत्र के बारे में पूछा है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस क्षेत्र में रिपेयर वर्क नहीं चल रहे हैं ? आपने उन सड़कों के नाम नहीं दिये हैं जो मैंने प्रश्न में मांगे हैं। वहां पर रामगंजमंडी-इटावा सड़क पर रिपेयर चल रही है, उसके बारे में क्या सूचना है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास सूचना है कि कार्य समाप्त कर दिया गया है ।

श्री जुझार सिंह : आपसे मैंने दो तीन दिन पहले भी पूछा था तो उस समय भी आपने सूचना नहीं दी और ए० एस० आइ० कंपनी इस सड़क का काम कर रही है। जब से ए० एस० आई० ने ठेका लेना शुरू किया है उसके बाद कौन कौनसी सड़क की मरम्मत बनाने का ठेका दिया है ? उस समय भी रामगंज मंडी का नाम नहीं लिया गया था, ये कहते हैं कि काम खतम हो गया, उसमें भी नाम नहीं लिया था ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ए० एस० आई० ने सड़क का ठेका लेना कब से शुरू किया ?

श्री अध्यक्ष : काम संपन्न नहीं हुआ ?

श्री जुझारसिंह : अभी चल रहा है ।

श्री खेतसिंह : आपने प्रश्न के अन्दर उन्हीं सड़कों के नाम पूछे थे जिन पर काम चल रहे हैं ।

श्री जुझारसिंह : मैंने एक स्पेसीफिक सवाल पूछा था । उस समय तक इस सड़क का नाम नहीं मेन्शन किया गया । जो काम खतम हो गया है तो दो दिन पहले उसका नाम देना चाहिए था ।

श्री खेतसिंह : परसों का सवाल मेरे पास नहीं है , न जवाब है । मैं नहीं कह सकता, मुझे मालूम नहीं है । प्रश्न पर डिपेंड करता है । क्या जानकारी मांगी गई है ? वही जानकारी देने का मैं जिम्मेवार हूं, जो आपने मांगी है ।

श्री जुझार सिंह : मैं उस क्षेत्र से आया हूं, मुझे परसों के प्रश्न का भी मालूम है । आज भी मालूम है । मेरी जानकारी के अनुसार परसों तक इसका नाम नहीं लिया था।

श्री अध्यक्ष : आपके पास एक प्रश्न है, मंत्री महोदय के पास कई प्रश्न हैं, स्मृति कहां रह सकती है ?

श्री जुझार सिंह : इनके पास काम है। मुझे इनकी कॉन्सपीयरेसी की जानकारी है। जानबूझ कर उसको छिपाने की कोशिश करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : देवीदत्त गाड़िया ।

Page No 14

ग्राम किशनगंज में डकैती

642. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के ग्राम किशनगंज में कुछ माह पूर्व एक तेली परिवार में डकैती पड़ी थी और डाकुओं द्वारा दो महिलाओं की हत्या कर तथा तीसरी को सख्त घायल करके हजारों रुपयों का माल लूट कर चले गये थे ? यदि हां, तो यह घटना किस तारीख को हुई व किस किस महिला की हत्या हुई और कितने रुपयों की व सामान आदि की डकैती हुई ?

(2) क्या पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर इस मामले की जांच की ? अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ समय से इस डकैती कांड के मामले को लेकर पुलिस ने किशनगंज में एक कैंप लगा रखा है ? यदि हां, तो अब तक किस किस व्यक्ति को कैंप में बुलाया गया व कितने कितने रोज रोके रखा और किस किस के साथ मारपीट की गई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, यह सही है । यह वारदात दिनांक 19/20-2-71 को ग्राम किशनगंज में घटित हुई जिसमें कुल 9,318 रुपए का माल गया था । इस वारदात में तीन औरतों मुसम्मात तीजू, धूली व नटी तेलन के साथ बदमाशान ने मारपीट की थी जिसके कारण मुसम्मात धूली की मौके पर ही मृत्यु हो गई । मुसम्मात तीजू को जख्मी हालात में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर तीन चार घंटे बाद उसकी मौत हो गई तथा मुसम्मात नटी की चोटें मामूली होने के कारण उसकी चोटों का इलाज किया जाकर उसे वापस घर भेजा गया जो अब बिल्कुल ठीक है ।

(2) जी हां, पुलिस इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही फौरन मौके पर पहुंच गई तथा मुकद्दमा नं० 3/1971 धारा 460/380/302 आई० पी० सी० पुलिस थाना किशनगंज दर्ज किया जाकर फौरन कार्यवाही शुरू कर दी । इस मामले से संबंधित मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । मुकद्दमें की तफतीश जारी है तथा माल मुलजिमान की पतारसी के लिए पुलिस के भरसक प्रयत्न जारी हैं ।

(3) पुलिस द्वारा ग्राम किशनगंज में ठहर कर काफी आसामियान से तफतीश की गई । दौरान तफतीश 119 आदमियों को वास्ते जांच किशनगंज तलब किया था। सूची संलग्न है, किसी आदमी को भी अनावश्यक नहीं रोका गया और न ही किसी के साथ मारपीट की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि यह डकैती और हत्याकांड की घटना जो आपने 20-2-71 को बताई है, पुलिस ने एक माह बाद जांच प्रारम्भ की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 19 और 20 की रात को घटना हुई है, सूचना मिलते ही तत्काल दूसरे दिन पुलिस पहुंच गई और कार्यवाही प्रारम्भ की । यह कहना कि एक महिना बाद जांच शुरू की, यह गलत है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने बताया है कि जांच पड़ताल हेतु कैंप लगाकर जिन जिन व्यक्तियों को बुलाया, उनकी सबसे पहली तारीख 15-3-71 है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सबसे पहले तफतीश शुरू कर, दौरान तफतीश जिस जिसके बारे में मालूम हुआ उनको बुलाया, तफतीश अब भी जारी है और भी व्यक्तियों को बुलाना पड़ सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जिस मुसम्मात नटी को चोट आई थी और ज्यादा घायल न होने के कारण बच गई, पुलिस ने उसी महिला को कैंप में बुला कर जांच पड़ताल की है और उसके साथ मारपीट की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 119 को बुलाया है, मसम्मात नटी को भी बुलाया होगा। एक एक को तो मैंने नहीं देखा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है कि जिनके घर पर डकैती पड़ी और दो महिलाओं की हत्या हो गई, एक बच गई, उसी महिला को कैंप में बुलाकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है और आप 119 का बता रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार 175 व्यक्तियों को कैंप में बुलाया है। किसी को दो दिन किसी को 5 दिन ठहराया और बुरी तरह से मारा।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार के सामने नहीं आई है। यह कहना गलत है। जांच के लिए उनको बुलाया गया है, पूछताछ की गई है, जिनके खिलाफ कोई बात नहीं थी उनको छोड़ दिया गया और माननीय सदस्य यदि आपकी जानकारी में है कि किसी को पीटा गया है, कुछ भी उसके साथ किया गया है तो आप लिस्ट दे दें जांच कराई जायगी और जिस ने भी ऐसा व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस महिला का नाम मुसम्मात नटी है, उसके परिवार की दूसरी महिला और हैं, उनके साथ में पुलिस ने मारपीट की है—इसकी आप जांच करा लीजिये....

श्री हीरालाल देवपुरा : ठीक है, नाम बता दिया है—उसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

रविन्द्रनाथ टैगोर इंगलिश स्कूल को रियायती दर पर भू आवंटन

643. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनता कालोनी में एक 10 हजार गज का प्लाट श्री सी० एल० गुप्ता द्वारा संचालित रविन्द्रनाथ टैगोर इंगलिश स्कूल को चार रुपये फी गज की रियायती दर से दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कीमत कब जमा हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि बिना कीमत जमा कराये कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो कीमत कब जमा हुई और कब्जा कब दिया गया ? ट्रस्ट ने किस तारीख को अपनी बैठक में अलाटमेन्ट का निर्णय लिया ?

(**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**)

(3) क्या इस प्लाट का पक्का पट्टा दे दिया गया है? शर्तों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इसी कॉलोनी में आदर्श विद्यामन्दिर नामक संस्था पहिले से ही चलती है उसको प्लाट क्यों नहीं एलोट किया गया है? दोनों स्कूलों में बच्चों की संख्या उस समय क्या थी?

(श्री खेतसिंह के खड़े होने पर) आप देंगे उत्तर?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं। मंत्री, रवीन्द्र नाथ टैगोर स्कूल समिति को लगभग 8,433.33 वर्गगज भूमि का आवंटन रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल के भवन निर्माणार्थ के लिए जनता कालोनी की सुरक्षित दर 6 रु० प्रति वर्गगज की आधी 3 रु० प्रति वर्ग गज की दर से दिनांक 24-6-69 के आवंटन-पत्र से दी गई। 25,299.99 की कुल राशि के सन्दर्भ में आंशिक 6,000 रुपये 19-7-69 को जमा कराए गए।

(2) न्यास की बैठक दिनांक 17 मई, 1969 के अन्तर्गत आवंटन का निर्णय लिया गया है। कब्जा पूर्ण राशि के अभाव में नहीं दिया गया एवं आंशिक राशि 6,000 रुपये दिनांक 19-7-69 को जमा हुए।

(3) जी नहीं। शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। यह संस्था आदर्श नगर में चलती थी एवं 29-12-69 को इस संस्था द्वारा सूचित किया गया कि एक प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर जनता कालोनी में प्रारम्भ कर दिया है। चूंकि आदर्श विद्या मंदिर का प्रथम आवेदन न्यास को दिनांक 31-12-69 को प्राप्त हुआ जिससे पूर्व 17-5-69 को ही टैगोर स्कूल को भू-आवंटन का निर्णय ले लिया गया, अत: दोनों स्कूलों की तुलना कर आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 17-5-69 को न्यास ने प्लॉट एलॉटमेंट का निर्णय लिया-क्या यह सही है? (विराम) क्या यह सही है कि न्यास ने ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास नहीं किया? (विराम) आप देख लेना। क्या यह सही है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर की संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी जिस समय प्लाट एलाट किया गया? यह सही है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर इन्स्टीट्यूशन का कोई मैनेजिंग बोर्ड नहीं बनाया हुआ है? क्या यह सही है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर विद्यालय जनता कालोनी में कोई नहीं चलता है?

श्री खेतसिंह: जितने प्रश्न पूछने हों, आप एक साथ पूछ लीजिये। मैं उनका साथ ही जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप दे दीजिये उत्तर, एक आध का दे दीजिये। आप बैठे रहे, मैं क्या करूं।

श्री खेतसिंह: मैं मानता हूं, जो आवंटन किया गया है वह नियमित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या इस अनियमित जमीन का एलॉटमेंट, जिसका कब्जा नहीं दिया गया है, कैंसिल करेंगे?

Page No 17

श्री खेतसिंह : जी हां, यह सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ? श्री शंकरलाल !

श्री हरिदेव जोशी : क्या हो गया ?

जैतारण के न्यारियों द्वारा ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र

644. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैतारण के न्यारियों को स्वर्णकारों के लिये निर्धारित ऋण की राशि केवल इसलिये नहीं मिल पाई क्योंकि उनके प्रार्थना-पत्र निश्चित अवधि में पाली जिलाधीश के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये थे ? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र किन किन व्यक्तियों को किन किन तारीखों में प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन आवेदकों ने अपने प्रार्थना-पत्र समय के भीतर भेज दिये थे लेकिन जिलाधीश कार्यालय को प्राप्ति देरी से हुई ? किन-किन प्रार्थना-पत्रों में किन किन कारणों से कितनी देरी हुई ?

(3) क्या सरकार इन प्रार्थियों को अब ऋण दिलाने हेतु उदार नीति अपनाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) जी हां । वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विस्थापित स्वर्णकारों को ऋण आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31-3-66 निश्चित की गई थी । अतः उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

श्री शंकरलाल : इन न्यारियों के प्रार्थना-पत्र जैतारण में कब प्रविष्ट किये गये थे, आपने तारीख दी है, लेकिन प्रविष्ट कब किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे पास जो स्टेटमेंट तैयार होकर आया है वह बताया है ।

श्री शंकरलाल : डाक व्यवस्था के कारण अगर पहुंचने में देरी हो गई, तो आपने जांच की है या नहीं कि कब भेजे गये थे वहां ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाक व्यवस्था से क्या फर्क पड़ सकता है, 14 मई, 1966 13 मई, 1966 आदि । दो चार दिन का फर्क पड़ सकता है । इसमें क्या करें ?

श्री शंकरलाल : तहसील में बाहर से पेश की गई है इसलिए जिलाधीश कार्यालय में देरी से पहुंची । देरी से प्रार्थना-पत्र पहुंचे इसलिए ऋण नहीं दिया जाय, यह उचित नहीं है । यह कानूनी मसला नहीं है, कोई मुकद्दमे की तारीख नहीं है । अगर पहुंचने में देरी हुई है तो भी राज्य सरकार दे सकती है अगर चाहे ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह राज्य सरकार के अधीन नहीं है, भारत सरकार

(श्री रामकिशोर व्यास)

के अधीन है। उन्होंने तिथि निश्चित की थी कि इस तारीख के पहले दरख्वास्त आ जाय तो ऋण दिया जाय। हमने वैसे लिखा भी था कि इसमें अवधि बढ़ा दी जाय और लोगों को सुविधा दी जाय। लेकिन जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ?

श्री शंकरलाल : भारत सरकार को और लिखा जा सकता है, निवेदन कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ? श्री लाभचन्द वैद ?

जड़िया देवी विश्रामालय से सुजानगढ़ सड़क

645. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों के सिलसिले में रतनगढ़ कस्बे में स्टेशन पर के बस स्टैण्ड यानि जड़िया देवी विश्रामालय से सुजानगढ़ जाने वाली सड़क को मिलाने के लिये एक एप्रोच रोड का निर्माण किया गया था ?

(2) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इस सड़क पर बीच पड़ने से सुजानगढ़ सरदार शहर व फतेहपुर से रतनगढ़ आने जाने वाली अनेक बसों के लिए आबादी से बाहर होते हुये यह एक सीधा रूट होगा और अनेक बसों का जो ट्रेफिक रतनगढ़ में इनके आवागमन से बना रहता है कम हो जायगा और नगर में इसकी वजह से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हो सकेगा।

(3) क्या सरकार इस एप्रोच रोड की उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान रखगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेत सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सन् 1971-72 में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है परन्तु इस सड़क को मेन्टीनेन्स लिस्ट पर लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री से पूछना चाहता हूं, सड़क आधी से ज्यादा खराब हो चुकी है फिर भी 1970-71 में प्रावधान नहीं है तो क्या जब समूची सड़क टूट जायगी तब करेंगे ? तब करने से क्या फायदा होगा ? उसके पहले कर दें तो अच्छा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : फिर किसका मेन्टीनेन्स करेंगे।

श्री खेतसिंह : सड़क को डामर की सड़क बनायें तो 1 लाख 50 हजार रुपये की आवश्यकता होगी, इतना पैसा एकदम खर्च करना.........

श्री मनोहर सिंह : सम्भव है नहीं।

Page No 19

श्री खेतसिंह : . . . इतना सम्भव नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया, मेन्टीनेन्स लिस्ट में लेने पर इसकी मेन्टीनेन्स कर दी जायगी और ज्यों ही धन प्राप्त होगा, उसके काम को आगे ले लेगें।

श्री लाभचन्द वेद : सड़क लम्बी कितनी है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : नाप कर बता दें।

श्री खेतसिंह : सड़क की लम्बाई तीन किलोमीटर है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हंसराज आर्य !

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आरजी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

646. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान कैनाल क्षेत्र के आरजी काश्तकारों को जो सन् 1955 से पहले के काबिज काश्त हैं खातेदारी अधिकार दे दिया गया है जैसा कि ता० 25-3-70 को इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) अब इस कार्य को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

राज्य मंत्री, उप निवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की दिनांक 25-3-70 की घोषणा के अनुसार राजस्थान कैनाल क्षेत्र के सन् 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार अभी तक नहीं दिये गये हैं क्योंकि कथित घोषणा को कानूनन मूर्त रूप देने के लिये तत्सम्बन्धित नियमों का गठन करना अनिवार्य था। इसका गठन करके खातेदारी हकूक देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ 4 (13) राज/उप/67 दिनांक 1 फरवरी, 1971 प्रकाशित की गई है जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) उप-खण्ड प्रथम दिनांक 3 फरवरी, 1971 में किया जा चुका है। नियमों के अनुसार दो माह का नोटिस देकर आवेदन-पत्र मांगे जाने हैं, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद एलॉटमेंट का काम शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा और यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र वह कार्य सम्पन्न किया जावेगा।

(3) प्रश्न संख्या 1 में उत्तर उपलब्ध है।

(3) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में उत्तर उपलब्ध है।

श्री हंसराज आर्य : अब कानून के अनुसार सब तैयारी हो गई है क्या ?

श्री मनफूल सिंह : बिल्कुल तैयार है।

श्री हंसराज आर्य : यह कब तक कर दिया जायगा ?

श्री मनफूल सिंह : दो माह का नोटिस देकर आवेदन-पत्र मांगने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खातेदारी अधिकार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने किस तारीख को लिया, घोषणा करने से पूर्व या पश्चात् ?

श्री मनफूल सिंह : घोषणा करने के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 71 में।

श्री भैरोंसिंह : घोषणा करने के बाद तो फिर पहले मुख्य मंत्री ने घोषणा कैसे कर दी ?

श्री मनफूल सिंह : मैंने निवेदन किया कि 3 फरवरी को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं, 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने वाला, विधिवत् जिस तरीके से निर्णय लिया जाता है, वह किस तारीख को लिया गया। 25-3-70 को इस विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद काफी दिन बाद निर्णय लिया गया है या पूर्व में लिया गया है इससे जो घोषणा की गई ?

श्री मनफूल सिंह : प्रोसेस में था। मीटिंग हुई फिर मीटिंग में निर्णय लिया गया। मूल रूप से 1 फरवरी 1971 को निर्णय हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री पृथ्वी सिंह !

श्री हंसराज आर्य : क्या खातेदारी अधिकार देने के लिए फिर से दर्ख्वास्त ली जायेंगी ?

उप-निवेशन मंत्री (श्री शोभाराम जी) : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : जब राज्य सरकार ने निश्चित अवधि तक काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया तो फिर डुप्लीकेशन करने से क्या फायदा ?

श्री शोभाराम : सीलिंग एरिया के उपरान्त जमीन नहीं रहे, न खातेदारी हक मिले इसलिए।

श्री दौलतराम सारण : यह घोषणा में नहीं था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार को मालूम है कि कितने......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! प्रश्नकर्ता !

श्री हंसराज आर्य : माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कहा, 15 अक्टूम्बर से पहले के काबिज काश्तकारों को ओटोमेटिक खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे, तो फिर एप्लीकेशन लेने से क्या फायदा ?

श्री शोभाराम : बहुत से किसान ऐसे हो सकते हैं जिनके खातेदारी की जमीन हो या मौरूसी जमीन हो--उस जमीन का टोटल करने के बाद सीलिंग की सीमा निर्धारित की जायगी।

श्री हंसराज आर्य : ऐसे किसान चन्द होंगे, उनकी वजह से लाखों किसानों को हक नहीं मिले--यह न्याय की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करने से पहले खातेदारी के हक नहीं दिये जायेंगे--यह कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ?

Page No 21

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि किसानों को जमीन दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

राजस्व मंत्रीजी !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर देना चाहिये । लाखों काश्तकारों से सम्बन्धित है । कहते कुछ हैं करते कुछ है ।

श्री हंसराज आर्य : जमीन दी जावेगी ?

श्री शोभाराम : खातेदार की जमीन रही है । दोनों जगह मिला कर खातेदार के यदि 25 बीघा से कम पड़ती है तो 25 बीघा की पूर्ति की जावेगी और बिलकुल ही नहीं है तो 25 बीघा दी जावेगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पुराने खातेदार को एडजस्ट करके दी जावेगी । इस तरह की नीति लागू करेंगे ? पहले घोषणा की जमीन बेचेंगे । घोषणा की है तो उसको पूरा करें । मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की । आप अब मुकर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनका खून मरा हुआ हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

राजस्व मंत्रीजी ।

मांगली बेटर फार्मिंग सोसाइटी

648. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगली बेटर फार्मिंग सोसाइटी, पंचायत समिति, तालेड़ा, जिला बून्दी जो अवसायन में चल रही है, के रिसीवर द्वारा बून्दी क्लेक्टर को अपने पत्र संख्या 835 दिनांक 21-1-1970 द्वारा कहा गया था कि जिलाधीश, बून्दी समिति की भूमि को अपने कब्जे में ले लें ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के रिसीवर (सहायक रजिस्ट्रार) ने तहसीलदार, बून्दी व जिलाधीश बूंदी को अपने पत्र दिनांक 26-3-1970 व 8-6-1970 द्वारा उपरोक्त भूमि को कुर्क करके व अपने कब्जे में करने को लिखा है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) जी हां, किन्तु सहकारिता विभाग एवं अवसायक द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं भूमि अधिग्रहण किये जाने की परिस्थितियों का विवरण न भिजवाये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध है ।

(2) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार को सहकारी विभाग के द्वारा लिखने के पश्चात् कि समिति अवसायन में आ गयी है और राजस्व विभाग की कुल 848 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया इसके सम्बन्ध में जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिकार्ड कम्पलीट नहीं आया है कि किन किन परिस्थितियों में किया जिसकी असेट्स और लायेबिलिटीज कितनी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : 21-1-70 को जिलाधीश को पत्र लिखने के पश्चात् अवसायन अधिकारी को एक पत्र भी नहीं लिखा कि जानकारी दी जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसी तारीख को लिखा पत्र यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह प्रश्न में है।

श्री रामकिशोर व्यास : आखीर में यह लिखा है कि एक हफ्ते में भेज दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह पत्र बता रहा हूं यह कब लिखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट नहीं है मेरे पास।

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय मंत्री महोदय में आपको कहना चाहूंगा कि यह समिति 58 से अवसायन में चल रही है। 800 बीघा चम्बल कमान्ड में जमीन है। जो सदस्य थे वे उन जमीनों पर काबिज नहीं हैं और दूसरे काबिज हो गये। अब जाकर रिसीवर कायम हुआ है। जिलाधीश को रिसीवर ने लिखा कि फसल को कुर्क कर लिया जाय, लेकिन जिलाधीश ने नहीं किया। अब तक जिलाधीश ने अवसायन अधिकारी को उस विषय में कुछ नहीं लिखा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह जमीन रिसिवर के अन्दर में आ गई है। कब्जा देने के लिये लिखा है। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। जल्दी कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिलाधीश ने भूमि पर कब्जा करने के लिये तहसीलदार को पत्र लिखा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जानकारी नहीं है या यह तथ्य सही नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न के खंड दो में मैंने यह पूछा है, अवसायन अधिकारी ने जिलाधीश बूंदी को लिखा है कि फसल को कुर्क कर लिया जाय, उसमें क्या दिक्कत थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब रिकॉर्ड न हो कि किन शर्तों पर जमीन दी गयी थी तब तक कैसे किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक प्रश्न। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे और विश्वास दिलायेंगे कि इस भूमि पर कब्जा करने के लिये अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतनी ही कार्यवाही करूंगा कि कलेक्टर को लिख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढ़ा।

स्थगित प्रश्न

ट्रकों की खरीद

164. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गईं और आज उसमें से कितने ट्रकें काम में आने योग्य हैं? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक ठेकेदारों को किराये पर दी गई थी? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना किराया वसूल किया गया? जिलेवार व ठेकेदारवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी कराई गई है? अगर हां, तो आज तक किस डिवीजन में मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों का कर का भुगतान भी किया गया है? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिये विभाग ने कर से छूट चाही? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह): इसको पुनः स्थगित करने के लिये प्रार्थना है क्योंकि बहुत विस्तृत इन्फोरमेशन इसमें चाही गयी है जिसमें थोड़ा समय चाहिये।

श्री विजयसिंह: बाकी की सूचना दे दें जो आयी हो। ट्रकों का मामला है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न 388

श्री दौलतराम आगरी।

(अनुपस्थित, : कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष: श्री दौलतराम सारण।

स्थगित प्रश्न

जयपुर की कच्ची बस्तियां

389. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में कौन 2 सी कच्ची बस्तियां हैं? प्रत्येक की आबादी क्या है?

(2) इन बस्तियों के निवासियों के लिए आवास की क्या व्यवस्था की जा रही है? इस संबंध की योजनाओं की कृपया जानकारी देते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) इन बस्तियों के लिये आवास की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी? इसके लिये कितना प्रावधान किया गया है? इन बस्तियों के निवासियों के लिये भू-खण्ड देने की क्या व्यवस्था सोची गई है? किस आधार पर?

(4) क्या इन बस्तियों के निवासियों की ओर से राज्य सरकार अथवा संबन्धित अधिकारियों के पास प्रतिवेदन एवं प्रार्थना-पत्र भी इस संबंध में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस 2 से कब कब?

(5) क्या घाटगेट बाहर जानता एक्स्टेन्शन स्कीम के संबंध में उस क्षेत्र की

Page No 24

(श्री दौलतराम सारण)

कच्ची बस्ती के निवासियों का प्रार्थना-पत्र मिला है ? उस योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) तालिका संलग्न है।

(2) न्यास द्वारा कुछ बस्तियों को विधिवत् बसाया गया है जिनमें विकास कार्यों को भी अधिकांश रूप में पूरा किया गया है और शेष बस्तियों के विधिवत् बसाने की कार्यवाही चल रही है। सदन की मेज पर तालिका 2 रख दी गई है।

(3) सभी बस्तियों की समुचित व्यवस्था हाथों में लेली गई है। इस वर्ष कच्ची बस्तियों के विकास हेतु चार लाख रुपयों का प्रावधान है। भू-खण्ड वहीं के वास्तविक निवासियों को प्राथमिकता देते हुए दिए जाने का निर्णय है।

(4) जी हां। सामूहिक रूप में जनसंघ के मांगपत्र जिलाधीश के माध्यम से एवं अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों के माध्यम से 11-5-70 को नगर न्यास को प्राप्त हुआ।

(5) जी नहीं। योजनाबद्ध रूप में सामुहिक कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है वहां के कथित निवासी आवेदन दे रहे हैं मगर अतिक्रमण किये जाने फलस्वरूप हटाये जाते हैं। फिर भी योजना का स्वरूप मुख्य नगर नियोजक के राय से बनाया जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति अनुसार बनाए जाने का कार्य न्यास द्वारा किया जा रहा है। इसी योजना में 84 हरिजन परिवारों को तो उसी स्थान पर निर्मित भवन बना कर दिए जाने की योजना हाथ में ली जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न 5 के उत्तर में कहा है कि उनके प्रार्थना-पत्र तो मिले हैं, लेकिन प्रार्थना-पत्र विधिवत् नहीं मिले। आपने यह भी कहा कि अनधिकृत कब्जा है। योजना बनायी जा रही है। यह योजना किस स्थिति में है।

श्री खेतसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया घाटगेट दरवाजे के बाहर चर्च है वहां कचरा डाला जाता था। वहां पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जे किये। न्यास ने साफ कराके प्लाट बनाने शुरू किये। अनधिकृत रूप से जिन्होंने कब्जे किये हैं उनको वहां से हटाने की कार्यवाही की जा रही है और पुख्तातौर पर बसे हुए हैं, नाम उनके लिख लिये हैं, उनको बसाने की योजना बनायी जा रही है और यह सारी योजना टाउन प्लानर के कार्यालय में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जयपुर नगर का मास्टर प्लान राज्य सरकार के द्वारा फाइनली एप्रूव नहीं किया गया है, इसलिये अलग 2 बस्तियों की योजनाओं हर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ?

श्री खेतसिंह : जी हां। अब तक मास्टर प्लान सम्पूर्ण रूप से फाइनल नहीं किया है जैसा आपने बताया लेकिन इतनी बात होते हुए भी कुछ बस्तियों का जहां तक ताल्लुक है उनको ठीक तरीके से बसा दिया गया है और व्यवस्था कर दी गयी है। 14 और बस्तियां नगरपालिका ने अपनी हाथ में

(**श्री खेतसिंह**)
ली है उनको विधिवत् बसाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने नगरन्यास मंडल को आदेश दिये हैं कि मास्टर प्लान जब तक फाइनल न हो तक तक इस प्रकार प्लाट्स का अलाटमेन्ट न किया जाय ?

श्री खेतसिंह : ऐसी समस्या····

श्री भैरोंसिंह : पहले इसका जबाव दे दें।

श्री खेतसिंह : आप जैसे नेता प्रोत्सा-हित करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : हम तो घरना विधान सभा के सामने देते हैं। आपके डेढ़ दो लाख के भवन बने हुए हैं उनके सामने भी नम्बर आयेगा। जब तक मास्टर प्लान न हो, क्या नगर न्यास मंडल के द्वारा तब तक अलॉट-मेन्ट नहीं होगा ?

श्री खेतसिंह : मास्टर प्लान तो बन रहा है····

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब दीजिये ।

श्री खेतसिंह : आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। उस कमेटी में आप भी थे। मास्टर प्लान में कच्ची बस्तियां का जहां तक सवाल है, उनको बसाने की कोशिश की जाय इसका प्रयत्न कर रहे हैं तो प्लान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो आपके कहने का मतलब यह है कि जयपुर को कच्ची बस्तियां मास्टर प्लान से कवर नहीं होती है ।

श्री खेतसिंह : कवर होती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है । क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये हैं कि जब तक मास्टर प्लान फाइनली एप्रूव नहीं हो जाता है तब तक स्कीम के तहत प्लाट्स का आवंटन नहीं किया जायेगा और उस आदेश की प्रति हलफनामा के रूप में लालकोठी स्कीम के झगड़े में नत्थी की है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं, वे परस्पर विरोधी बात कर रहे हैं। परस्पर विरोधी इसलिये है कि एक तरफ तो विरोध करते हैं और दूसरी तरफ ताकीद करते है कि जो कच्ची बस्तियों में लोग रहते हैं उनको बसाया जाये । चूंकि राज्य सरकार ने एक नीति निर्धारित कर दी है कि 57 से पहले या 52 से जो लोग वहां पर बसे हैं उनको वहां पर बसाया जायगा । अगर उसके लिए मास्टर प्लान की कोई योजना है और वह अगर उसके विरोध में नहीं है तो बसाने में कोई आपत्ति नहीं है और माननीय सदस्य कई बार जलूस लेकर मेरे घर पर आये हैं और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें परस्पर विरोधी बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी हरकत सामने आ गई ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है........

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार इसका स्पष्टीकरण कर दे कि क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई आदेश प्रसारित किये हैं जब तक मास्टर प्लान एप्रूव नहीं हो, उस समय तक किसी भी योजना के अन्तर्गत जो मास्टर प्लान से कवर होता है, प्लाट का आवंटन नहीं किया जावेगा ?

श्री भीखा भाई : मैंने निवदन किया है, यदि वह उसके कन्फरमेटरी हो या उसके विरोध में नहीं हो और वह मास्टर प्लान के अनुसार ही हो तो इसका कोई कारण नहीं है कि आवंटन न किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई उत्तर नहीं है । आपको संतोष हो गया हो तो ठीक है ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं 120 दफे कह चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : यस यस ।

श्री विजयसिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनके अन्दर पानी, बिजली की क्या व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री विजयसिंह : इसके साथ का ही प्रश्न है कच्ची बस्तियों के लोगों का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कोई स्पष्टीकरण है बिजली और पानी के सम्बंध में ।

श्री भीखा भाई : जहां तक कच्ची बस्ती का सम्बंध है बिजली और पानी की व्यवस्था की जाती है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है, 63 कच्ची बस्तियों की उनमें से केवल चार को आबाद किया गया है । 63 में से केवल 4, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने 63 में से 4 बस्तियां आबाद की हैं तो बाकी की कच्ची बस्तियां को पूर्णतया आबाद कब तक कर दिया जावेगा ।

श्री भीखा भाई : इस काम को जल्दी करने के लिये राज्य सरकार ने 15 दिन के भीतर सेक्रेट्री लेविल पर कच्ची बस्ती की समस्या के सम्बन्ध में मीटिंग बुलाई है और सेक्रेट्री स्तर पर इस काम को पुश अप किया जावेगा ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो आपने काम करने की प्रक्रिया बताई है । मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इन कच्ची बस्तियों को आबाद करने की आपकी योजना है ? कितने पीरियड में आप इन सब कच्ची बस्तियों को बसा देंगे । इसके लिए आपके पास क्या निश्चित योजना है और वह कितन वर्षों की है ।

श्री भीखा भाई : समय निश्चित नहीं है । फिर भी इस काम को जल्दी कराया जायेगा ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि ट्रस्ट की योजनाओं को राज्य सरकार स्वीकृत करती है और तब जाकर ट्रस्ट करने में समर्थ होता है ।

श्री भीखा भाई : साइट प्लान, ले आउट और टेक्नीकल एप्रूवल दी जाती है ।

श्री दौलतराम सारण : आप कब तक इन बस्तियों को आबाद करेंगे और कब

(श्री दौलतराम सारण)

तक प्लाट एलाट करेंगे। आपकी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। आप एक तरफ तो उत्तर देते हैं और आर्डर दूसरी तरह के निकालते हैं। मुझे यह बताया जाय कि इन वस्तियों को आबाद करने की राज्य सरकार की कब तक की योजना है।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार......

श्री अध्यक्ष : अब पांच मिनिट अवशेष हैं.........

श्री भैरोंसिंह :.. इस प्रश्न पर विचार कर रही है और क्या राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि 57 के पहले के आबाद शुदा लोगों को पट्टा देने में प्राथमिकता दी जायेगी और उनका अधिकार माना जायेगा और अब 68 से पूर्व जितने भी लोग बसे हुए हैं उनको भी प्राथमिकता दी जायेगी और उन्हें बसाया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई विचार किया है राज्य सरकार ने?

श्री भीखा भाई : कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया है परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों का मसला यहां पर कई बार उठाया गया है और मंत्री महोदय ने इस सदन में अश्वासन भी दिया है और कहा है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इसकी सारी प्रोसिडिंग्स मौजूद है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वह यह कि लाखों लोगों को जितनी भूमि की आवश्यकता है वह भूमि यू० आई० टी० को उपलब्ध नहीं है तो क्या इस दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि जितनी भी गवर्नमेन्ट की एग्रीकल्चर लेण्ड है उसको जो राज्य सरकार दूसरों को ऐलाट कर रही है। वह एग्रीकल्चर लेण्ड दूसरों को ऐलाट न करे और यह सारी भूमि हाउसिंग स्कीम के लिये यू० आई० टी० के डिस्पोजल पर रख दे। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट के द्वारा जो भूमि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के द्वारा एलॉट की जाती है उसको बंद किया जाना चाहिए और वह सारी भूमि इस परपज के लिये रखी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में क्या आपने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को डिमाण्ड भेजी है? और भेजी है तो कितनी भूमि के लिए भेजी है और क्या निर्णय लिया गया है?

श्री भीखा भाई : जहां तक फोरेस्ट के बारे में है, लिखा गया था और वहां से जमीन मिली है। राजस्व विभाग से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी नहीं की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर 16-9-68 को राजस्व मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था, उनका यह उत्तर है, काफी लम्बा चौड़ा है। उसमें राजस्व मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जयपुर नगर के 12 मील की परिधि में कोई कृषि भूमि आवंटित नहीं की जायेगी। यह आपका एश्योरेन्स है 68 का, इस 68 के एश्योरेन्स के बाद भी 12 मील के एरिया में आप एलॉटमेंट कर रहे हैं। जब गवर्नमेन्ट लेण्ड का एलॉटमेन्ट करेंगे तो कच्ची बस्तियों के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लोगों को जमीन कहां से मिलेगी। यह क्या जरूरी है कि वे 15 गज में ही रहें। उनको सौ सौ गज, डेढ़ सौ गज के प्लाट देने होंगे। वह कहां से आयेंगे। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और हाउसिंग स्कीम और स्लम क्लीयरेंन्स स्कीम को ध्यान में रखकर इस प्रकार की जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैण्ड है उसका एलॉटमेन्ट नहीं किया जायेगा।

श्री भीखा भाई : जो बात आपने पूछी है उसमें मैं यह कह सकता हूं कि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। फिर भी 125 वर्ग गज से कम भूमि का प्लाट नहीं दे रहे हैं। यह तो सब को मिलेगा ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी सब को आप उसी बस्ती में नहीं बसा सकेंगे। कुछ को तो डिसलोकेट होना पड़ेगा और डिसलोकेट होना पड़ेगा तो लैण्ड चाहिये।

श्री भीखा भाई : मैं आगे चल कर यही बात कह रहा हूं......

श्री दौलतराम सारण : कच्ची बस्तियों में रहने वाले कितने परिवार हैं।

श्री भीखा भाई : सूची आप को दे दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : यह संख्या पढ़ने में नहीं आ रही है।

श्री खेतसिंह : दूसरी दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : आप यह तो बतला दीजिये कि टोटल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है।

श्री अध्यक्ष : कुछ तो बतलाइये......

श्री दौलतराम सारण : जनसंख्या, परिवार की संख्या, टोटल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है इसमें तो कुछ तो बताइये ?

श्री खेतसिंह : कम से कम 63 कच्ची बस्तियां हैं जिस वक्त कलेक्टर साहब ने सर्वे किया था 68 में थी। इसके बाद हर वर्ष एक दो कच्ची बस्तियां और जुड़ जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक बात और जाहिर हुई है। जो सूची दी गई है वह पूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कच्ची बस्तियां हैं। यहां पर यह मंत्री महोदय ने कहा है। तो यह सूची कब तक दी जायेगी।

श्री भीखा भाई : जो कच्ची बस्तियां हैं वह सूची दे दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : उपमंत्री महोदय, ने कहा है कि कुल कच्ची बस्तियां 63 हैं और सके अतिरिक्त भी कच्ची बस्तियां हैं। तो वे कितनी हैं और कितने परिवार हैं, कितनी आबादी है और उनको बसाने की क्या योजना है। उसकी सूचना मुझे उपलब्ध करायी जावे।

श्री खेत सिंह : उसका भी सर्वे कराया जा रहा है। कच्ची बस्ती बसने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। बहुत जल्दी बस्ती बस जाती है। अगर माननीय सदस्य चाहे तो एक रात में कच्ची बस्ती बस जाती है।

श्री भैरोंसिंह : अबके आपके बंगले में बसायेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न स्थगित हुए।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय 391।

श्री अध्यक्ष : अब मैं लेने की स्थिति में नहीं हूं। पहले से समय बचाने का सहयोग देते तो......

श्री भैरोंसिह : वह तो हम समझते हैं, आज कौनसा प्रश्न किस सीमा तक आयेगा। ऐसी कोई बात नहीं है।

एक मा० सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पहले भी....

श्री भैरोंसिह : 391 में कुछ नहीं है।

श्री खेतसिंह : वह तो समय पहले ही समाप्त हो गया।

श्री विजय सिंह : आपका समय खतम होने में है अब।

श्री अध्यक्ष : चलिये।

नगर विकास न्यास, जयपुर का अंकेक्षा प्रतिवेदन

391. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को नगर विकास न्यास, जयपुर वर्ष 1969-70 और 1970-71 के हिसाब का अंकेक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा इन अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया इनका विवरण और अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री, नगर विकास न्यास (श्री खेत सिंह) : जी हां। केवल 1969-70 वर्ष के हिसाब का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। वर्ष 1970-71 का अभी अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 1969-70 का अंकेक्षण प्रतिवेन दिनांक 4-11-70 को प्राप्त हुआ है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के एब्सट्रेक्ट्स सम्बन्धित शाखाओं को भेजा जा चुका है तथा अनुपालना की जा रही है। अनुपालना अभी पूर्ण नहीं की जा सकी है अतः अनुपालना की प्रतिलिपि नहीं दी गई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिह : क्या अंकेक्षा प्रतिवेदन पर जिन आपत्तियों का उल्लेख आता है उसको कितने समय में निराकरण किया जाता है। क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हैं ?

श्री खेतसिंह : नियम बन हुये हैं। यह जल्दी से जल्दी होना चाहिये। जो आबजेक्शन आ जाते हैं शाखाओं से ताल्लुक होता उनको वहां भेज दिया जाना चाहिये, जितनी जल्दी हो सके उनको पूर्ण करना चाहिये, लेकिन कई दफा जिन कर्मचारियों से ताल्लुक होता है वे और कहीं पोस्टिंग होते हैं इस लिये थोड़ा सा समय लग जाता है।

श्री भैरोंसिह : जिन लोगों की अनुचित रूप से भू-खंड आवंटन किये गये है और आपके ऑडिट रिपोर्ट में है, क्या उनको राज्य सरकार कैंन्सिल करने का विचार कर रही है ?

श्री खेतसिंह : इसमें सारी कानूनी कार्यवाही की जायगी।

(प्रश्न सं० 399)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गा लाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 405

श्री महेन्द्र सिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुये ।

श्री किशनलाल वर्मा : 629 का उत्तर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री किशनलाल वर्मा : अभी आपने कहा था उत्तर दिला दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : समय रह जाता तो ।

श्री किशनलाल वर्मा : एक मिनिट में हो जाता है यह तो ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट भी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने यह आश्वासन दिया था प्रश्न सं० 609 के लिये मैं जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है ? (विराम)

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर क्या जानकारी दी मुझे ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी बाद में जानकारी ले लूंगा ।

(शेष तारांकित-प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशष्ट 8 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जीप से माल की बरामदगी

625. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5-3-68 के आस-पास एक जीप आर० जे० आर० 1564 कंजर कालोनी, थांड थाना क्षेत्र थान, नगर जिला टोंक में चौकी थांड के पुलिस कर्मचारियों ने पकड़ी थी तथा जीप व जीप के मालिक को चौकी थांड में ले गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस जीप के अन्दर से या पास में से 1 बिस्तरनुमा गांठ पुलिस थांड के सिपाहियों ने पकड़ी थी जिसमें कुछ जेवर व कुछ पत्थर निकले थे ? यदि हां, तो जेवर क्या थे व कितने वजन के थे व किसके थे ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नगर के उक्त समय के एस० एच० ओ० ने जीप मालिक के कहने पर मुकद्दमा जुर्म दफा 420 ता० हि० के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया था ? यदि हां, तो किस व्यक्ति के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जीप आर० जे० आर० 1564 छीपाबडोद के किसी सेठ की है ? यदि हां, तो उक्त जीप के मालिक का नाम क्या है? क्या उक्त जीप को जीप मालिक टैक्सी के रूप में चलाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या यह सही है कि यह जीप छीपाबडोद गांव से करीब रात के 12

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

बजे 5-6 व्यक्तियों को जिसमें कंजर कालोनी धांड के दो कंजर भी थे तथा एक गबरू नामक मीना ग्राम गुराडी तहसील छीपाबड़ौद का भी था, छीपाबड़ौद से धांड के लिये रवाना हुई थी, जिसमें जीप मालिक भी साथ था तथा दो सौ रुपये भाड़े के तय करके रवाना हुई थी ?

(6) क्या यह सही है कि यह जीप व जीप के मालिक कई दफा कंजर कोलोनी धौड में देखे गये थे ? यदि हां, तो कब कब ? जीप मालिक का धांड में कंजर कालोनी में आन के क्या कारण थे तथा उन कंजरों से इनका क्या संबंध है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि अगर सी० आई० डी० के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले की जांच कराई जावे तो हजारों रुपये के चोरी के जेवरों का राज खुलने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) दिनांक 5-3-68 को आर० जे० आर० 1564 के मालिक किशोरीलाल को मय जीप के ओ० पी० धांड़ पर जांच के लिये गये थे, वहां पर मुस्तगीस मानकचन्द जो जीप के साथ था उसने जुर्म 4 ·0 भा० द० सं० की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ?

(2) जी हां, जीप के पास मिले बिस्तर के बण्डल से तीन पत्थर वजनी 10 किलो तथा एक जोड़ी आंवला चांदी, 1 हमेल चांदी कुल वजनी 46।। तोला मिली थी ?

(3) थानागर ने जीप की एक सवारी श्री माणकचन्द पुत्र श्री कुंजबिहारी महाजन निवासी छीपाबड़ौद की रिपोर्ट पर गबरू मीना गुराड़ी के खिलाफ धारा 420 भा० द० सं० का अपराध दर्ज किया गया था ।

(4) जीप का मालिक श्री किशोरी लाल पुत्र श्री कल्याणमल महाजन साकिन छीपाबड़ौद है, टैक्सी के रूप में इस गाड़ी के चलाने का प्रमाण नहीं मिला ।

(5) जी हां । जीप में जीप के मालिक किशोरीलाल, माणकचन्द, गबरू व उसके तीन साथी और जीप ड्राईवर छीपाबड़ौद से रात को 10 बजे रवाना हुए । जीप मालिक ने जीप के खर्चे के 200 रुपये तय किये थे ।

(6) जी नहीं, जीप के मालिक के बारे में इस घटना के पहले कंजर कालोनी धांड में आने जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है । जीप मालिक को अपने निजी कार्य से जयपुर जाना था, इसलिये वो भी गाड़ी के साथ हो लिया । मालिक जीप के कंजरान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं पाये गये ।

(7) इस घटना की जांच मुकामी पुलिस द्वारा समय पर की जा चुकी है । माननीय सदस्य ने इस प्रकार का रेकेट होने की इत्तला दी है अतः सी०आई०डी० को जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

गीजगढ़ से गेरोटा घाटी सड़क की मरम्मत

629. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय म गीजगढ़ से आगे गरोटा की

(श्री किशनलाल वर्मा)
घाटी तक जाने वाली सड़क की हालत मरम्मत न होने से बहुत ही खराब हो गई है।

(2) पहले इस सड़क की मरम्मत का कार्य कब कराया गया था ? क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कराने का कार्य कब कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) गीजगढ़-गेरोटा रोड़ के कुछ मील खराब है।

(2) वार्षिक मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है। जी हां। मरम्मत कार्य 3 मीलों में चल रहा है।

खातेदार-काश्तकारों से मुनाफे के नाम से वसूली

631. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में खातेदार काश्तकारों से लगान के साथ मुनाफा के नाम से भी कोई रकम वसूल की जाती है ? यदि हां, तो किस नियम से तथा जिले में यह मुनाफा प्रति वर्ष कितना वसूल होता है ?

(2) क्या राजस्थान के किसी अन्य जिले में भी मुनाफा के नाम से वसूली की जाती है ? यदि हां, तो किस किस जिले में और कितनी कितनी ?

उत्तर

(1) जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन के कारण उस क्षेत्र के किसान द्वारा जमींदार को देय लगान एवं कर राज्य सरकार में निहित हो गये और जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 की धारा 30 में यह प्रावधान किया गया कि जब तक भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन लगान तय नहीं हो जाता, तब तक किसान जो लगान जमींदार को देता आया है वही लगान राज्य सरकार को देता रहेगा और ऐसा लगान भू-राजस्व की राशि से दूने से अधिक नहीं होगा।

भू-राजस्व से अधिक की राशि को भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित भाषा में "मुनाफा" कहा जाता है, यद्यपि यह लगान ही है।

इसकी वार्षिक राशि 4,60,893) रु० है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सोडाखार का ब्लैक मार्केट

632. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोडा खार की (कपड़े धोने का) राज्य में किन किन साधनों से आयात होती है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके लिये कुछ व्यापारियों को लाईसेन्स दे रखे हैं ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(3) क्या यह सही है कि जनता को अधिक मूल्य में सोडा खार खरीदना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार ने ब्लैक मार्केट को रोकने के कौन से उपाय किये हैं?

उत्तर

(1) आयात नहीं होता है।

(2) नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसीलदार, बानसूर के विरुद्ध शिकायत

633. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील में वहां के तहसीलदार ने पिछले 2 साल में सिवाय चक जमीन पर किस किस गांव में खातेदारी के इन्तकाल मंजूर किये?

(2) क्या इस तहसील के गिरूडी गांव में सिवाय चक जमीन पर तहसीलदार ने श्री रामजीलाल सुनार को खातेदारी का इन्तकाल मंजूर किया? यदि हां, तो इन्तकाल की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि नाजायज कब्जों को रेगुलराइज करके भी तहसीलदार ने कब्जेदारों को खातेदारी हकूक मंजूर किये?

(4) क्या तहसीलदार, बानसूर के खिलाफ इस सम्बन्ध में अलवर कलेक्टर को स्थानीय वकीलों ने शिकायत की और उसकी जांच कराई गई?

(5) सरकार इन गलत कार्यवाहियों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) बानसूर तहसील में वहां के तहसीलदार द्वारा पिछले साल में सिवाय चक आराजी पर जिन 54 ग्रामों में खातेदारी के इन्तकाल मंजूर किय गये उनकी सूची संलग्न है।

(2) तहसील बानसूर के गिरूडी ग्राम में सिवाय चक भूमि पर रामजीलाल सुनार के नाम से कोई इन्तकाल खातेदारी का मंजूर नहीं किया गया। बल्कि ग्राम मंडीजा बसई में रामजीलाल सुनार निवासी गिरूडी के नाम इन्तकाल भूतपूर्व तहसीलदार द्वारा दिनांक 12-6-70 को स्वीकार किया गया।

(3) नाजायज कब्जों को रेगुलराइज करने के लिये राज्य सरकार ने समय समय पर आदेश जारी किये हैं। परिपत्र संख्या एफ 3(59)21 'ख' 64, दि० 8-3-68 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि नियमानुसार नियमन के पश्चात् खातेदारी हक दे दिये जांय। तहसीलदार, बानसूर द्वारा भी ऐसा किया जाना संभव है।

(4) जी हां, जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

(5) शिकायत-पत्र के अनुसार यदि कोई कार्यवाही अनियमित पाई जायेगी तो उसको नियमानुसार ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

देवगढ़ तहसील में सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण

634. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या देवगढ़ तहसील में अकाल के समय दो तीन सड़कें बनाई गई थीं और उन पर पुलियों का निर्माण भी किया गया था ?

(2) क्या वे पुलियां अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या 2 काम बाकी है और उनको पूरा कब कराया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्पेशल फण्ड फोर रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सोल्जर्स

636. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में "स्पेशल फंड फोर रिहेबिलीटेशन आफ एक्स सोल्जर्स" का कोई फंड है ? यदि हां, तो कब स्थापित किया गया एवं इस फण्ड में वर्षवार कितनी 2 राशियां प्राप्त हुई व खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या स्पेशल फंड फोर रिहेबिलिटेशन आफ एक्स सोल्जर्स में से छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ? यदि हां, तो अब तक किस 2 छात्र को किस 2 साल में कितनी 2 राशियां दी गई एव वे छात्र किस 2 स्कूल या कॉलेज में उस वर्ष में किस 2 कक्षा में पढ़ रहे थे ?

(3) क्या ऐसे प्रार्थना-पत्र कुछ व्यक्तियों के अभी तक विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से व कब तक निर्णय होंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान में स्पेशल फंड फोर रिकन्स्ट्रक्शन फंड रिहेबिलिटेशन को फरवरी सन् 1967 में स्थापित किया गया । इसमें राशि जो प्राप्त एवं खर्च की गई, की वर्ष वार सूचि 'क' पर संलग्न है ।

(2) जी हां, सूची 'ख' पर संलग्न है ।

(3) जी हां, मार्च, 1970 से विचाराधीन हैं, निकट भविष्य में निर्णय की सम्भावना है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिला जालोर के नल-कूप

639. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में कृषि विभाग के कुछ नल-कूप हैं ? अगर हां, तो उनकी गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त नल-कूपों पर नल-कूप की खुदाई से अब तक प्रति नल-कूप कितनी धनराशि खर्च हुई है ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उपरोक्त नल-कूपों में से प्रत्येक नल-कूप से अब तक कितनी 2 भूमि पर

(श्री आईदानसिंह)

सिचाई हुई है ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त नल-कूपों में से कितने नल-कूप सड़क से दूर हैं ?

उत्तर

(1) जालौर जिले में 13 राजकीय नल-कूप भू-जल मण्डल द्वारा कृषि हेतु संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी गांववार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त राजकीय नल-कूप 100 नल-कूप योजना के अन्तर्गत ई० टी० ओ० द्वारा बनाय गये थे। जिनकी खुदाई एवं अब तक संचालन का खर्चा उपरोक्त सूची में दर्शाया गया है।

(3) उपरोक्त नल-कूपों द्वारा प्रत्येक नल-कूप पर अब तक जितनी भी भूमि पर सिंचाई हुई है उसका भी गांववार ब्योरा उपरोक्त सूची में दर्शाया गया है।

(4) उपरोक्त नल-कूपों की सड़क से दूरी भी उपरोक्त सूची में दर्शायी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(21-4-71)

ग्राम वणदार में बेरे से बरामद लाश

388. **श्री दौलतराम आर्य** (देसूरी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करीब छः माह पूर्व देसूरी तहसील के ग्राम वणदार में एक जागीरदार के बेरे से संदेहात्मक परिस्थितियों में थानाराम नामक मेघवाल लापता हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक बेरे से बरामद की गई ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी डॉक्टर से उनके पास पोस्टमार्टम होने के चार, पांच दिन बाद ली गई और तफतीश शुरू होने में लापरवाही व ढील बरती गयी ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय जागीरदारों के भय व आंतकों के कारण गवाहान घबराये हुए डर के मारे सही बात बताने की हिम्मत भी नहीं कर सके, और मामले को समय पर न खुलने से समुचित अनुसूचित जाति व जन-जाति में भय व असंतोष व्याप्त हो गया है ?

(4) क्या यह सही है कि मृत थानाराम के भाई ने मंत्री महोदय को सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आवेदन-पत्र देकर प्रार्थना की थी, इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करवाई जावे, पर आज तक इस तरह की कोई जांच नहीं करवाई गई ?

(5) क्या सरकार उस क्षेत्र के पिछड़ी जाति के लोगों पर हो रहे हमलों की रोक थाम हेतु सक्रिय कदम उठायेगी, और इस मामले की पूरी जांच शीघ्र ही करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि मृतक थानाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर से 5 दिन बाद प्राप्त हुई थी। यह बताना मुनासिब

(गृह मंत्री)

होगा कि दिनांक 8-11-70 को श्री गोमराम मेघवाल, नि० ग्राम वणदार ने थाना मगर तालाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसका भाई थानाराम जो पुखसिंह पुरोहित के बेरे पर पालती का काम करता था की लाश बेरा वारणअर में गिरी हुई पड़ी है। इस मामले में तुरन्त ही धारा 174, जा०फौ० के अधीन जांच की गई। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मौत पानी में डूबने से हुई बताई है। स्थानीय पुलिस की अब तक की जांच से यह प्रतीत नहीं होता था कि मृतक की किसी ने हत्या की है। इस मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जाकर मु० नं० 9, दिनांक 25-4-71, धारा 302/201, ता० हि० पंजिबद्ध किया गया है जिसकी तफतीश जारी है। डॉक्टर ने पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट बावजूद ताकीद के समय में नहीं दी। उसके लिए विभागीय जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा है।

(3) इस सम्बन्ध में मुकदमे की तफतीश पूर्ण हो जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट आना शेष है।

(4) प्रार्थना-पत्र के आधार पर गुप्तचार विभाग की अपराध शाखा द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया है। तफतीश कुनिन्दा अभी मौके पर अनुसंधान करने गये हुए हैं।

(5) मुकदमे की तफतीशपूर्ण हो जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार सजग है और पिछड़ी जाति के लोगों पर अकारण हमला या मारपीट रोकने का सदा प्रयास करती रहती है।

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

अजमेरी दरवाजे के बाहर यादगार की इमारत

399. **श्री दुर्गालाल बाड़वार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में अजमेरी दरवाजे बाहर यादगार की इमारत कब और किस प्रयोजन के लिये बनाई गई थी?

(2) क्या यह सच है कि इस बिल्डिग की देखरेख के लिये जयपुर रियासत के जमाने से एक ट्रस्ट बना हुआ था?

(3) वर्तमान में यह इमारत किस काम में आ रही है?

उत्तर

(1) भवन निर्माण सन् 1913 में हुआ था प्रयोजन के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) जी हां।

(3) सिटी ट्राफिक पुलिस व पुलिस कन्ट्रोल रूम के काम में आ रहा है। कुछ भाग सरकारी कार्य पर आने वाले पुलिस अधिकारियों के डाक बंगलों के हेतु प्रयोग होता है।

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन

405. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा)

Page No 37

(श्री महेन्द्रसिंह)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य के किस किस नगर विकास मण्डल द्वारा, राज्य सरकार से स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन करे बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किन किन व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन किया है ? कृपया नाम, पते व पूरे विवरण सहित तालिका प्रस्तुत कर ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इन भू-खण्डों की स्वीकृत दर क्या थी और किन दरों पर यह भू-खण्ड आवंटित किये गये ? यदि दरें कम हैं, तो क्यों ?

(ग) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

(क) अप्रेल सन् 1967 से अब तक सिवाय नगर न्यास, जयपुर के किसी भी न्यास ने स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के संशोधन कर भू-खण्ड आवंटन नहीं किये हैं । नगर न्यास, जयपुर में संबंधित आवंटित भू-खण्डों की तालिका संलग्न है ।

(ख) इन भू-खण्डों को दरें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि भू-खण्ड योजना में संशोधन कर आवंटित किए गए हैं। आवंटन की दरों का उल्लेख तालिका में कर दिया गया है ।

(ग) संलग्न तालिका में आवेदन की तिथि का उल्लेख कर दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को ब्याज मुक्त ऋण

601. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हुए ?

(2) कितने व्यक्तियों (प्रार्थियों) को ऋण स्वीकृत किया गया ? पंचायत समितिवार एवं अनुसूचित जाति तथा जन-जातिवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) वर्ष 70-71 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों के भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण हेतु 3,187 प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण निदेशालय को प्राप्त हुये ।

(2) ऋण 479 व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया जिनमें 261 पंचायत समिति क्षेत्रों के तथा 218 नगरपालिका क्षेत्रों के हैं । अनसूचित जन-जाति हेतु ऋण का कोई प्रावधान नहीं है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिय)

Page No 38

स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान

602. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस स्वयं सेवी संस्थाओं को किस किस प्रवृति के लिये हर साल कितना कितना अनुदान (सहायता) व कर्जा दिया जाता है ? गत पांच वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह भी सच है कि सहायता व कर्जा जिन कार्यों के लिये दिया गया है वह उन्हीं कार्यों में समय पर खर्च किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उसका प्रमाण-पत्र उन संस्थाओं से समय पर आता है या नहीं ? क्या बिना प्रमाण-पत्र के किसी संस्था को दुबारा सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किसको ?

(3) क्या यह भी सच है कि हर संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ? यदि हां, तो गत पांच सालों की ऑडिट रिपोर्ट व कार्य विवरण सदन की मज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) राज्य की स्वयं सेवी संस्थाओं के संचालक मण्डल कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों का चुनाव या नामजद कौन कौन करते हैं, अलग अलग के पदाधिकारियों के नाम सहित सूचियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) समाज कल्याण विभाग के कुल सालाना बजट का कितना प्रतिशत वेतन में जाता है, और कितना प्रतिशत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा खर्च किया जाता है ?

(6) विभाग के बजट का कितने प्रतिशत गाड़ियों की खरीद व मरम्मत, पेट्रोल, मकान किराया टी० ए० व डी० ए०, बिजली, पानी, फर्नीचर, डाक, स्टेशनरी, वर्दियां आदि में खर्च होता है ? अलग अलग आंकड़े राज्य भर के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन प्रवृतियों के लिए गत पांच वर्षों में जो अनुदान दिया गया उसकी सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी है । विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को कोई कर्ज नहीं दिया गया है ।

(2) जी हां ! जो अनुदान जिन कार्यों के लिये दिया जाता है उन्हीं कार्यों पर समय पर नियमानुसार खर्च किया जाता है । संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष गत वर्ष के प्राप्त अनुदान के खर्च का जांचशुदा ऑडिटेड स्टेटमेन्ट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित कराकर विभाग को प्रस्तुत करने पर ही आगामी वर्ष के अनुदान की अन्तिम किश्त का अन्तिम 50 प्रतिशत अनुदान की रकम स्वीकृत की जाती है । प्रथम दो किश्तें नियमानसार पूर्व वर्ष में दिये अनुदान का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पूर्व स्वीकृत किया जाता है जिससे छात्रों को असुविधा नहीं हो । अनुदान का प्रमाणित हिसाब न आने पर भी छात्रों की कठिनाइयों को हल करने के लिये दुबारा अनावर्तक अनुदान

(समाज कल्याण मंत्री)

संस्थाओं को दिया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जी हां, अनुदानित संस्थाओं का नियमानुसार चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिट किया जाता है। महालेखाकार की ऑडिट पार्टी द्वारा भी संस्थाओं का ऑडिट किया जाता है और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। गत पांच वर्षों में प्रदत्त अनुदान एवं उनकी प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विवरण की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं महालेखाकार की ऑडिट पार्टी द्वारा गत पांच वर्षों में समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट बहुत विस्तृत होती है जिन सबकी सूचियां समयाभाव के कारण टंकित कराकर मेज पर रखना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो किसी संस्था के अमुक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो सब संस्थाओं के गत सब वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट विभाग में अवलोकनार्थ उपलब्ध की जा सकती है।

(4) स्वयं सेवी संस्थाओं के संचालन मण्डल, कार्यकारिणी कमेटी के चुनाव एवं नामजदगी विभिन्न संस्थाओं के विधान के अन्तर्गत अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। समस्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के नामों की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो अमुक संस्था के सदस्य की जानकारी सस्थाओं से एकत्रित करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) विभाग का वर्ष 1969-70 का कुल बजट 1,95,93,750 रु० है। इसमें से 2.4 प्रतिशत वेतन शीर्षक में एवं 10 प्रतिशत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा व्यय किया गया।

(6) उक्त वर्ष में विभाग के बजट का 1 प्रतिशत के लगभग गाड़ियों की खरीद मरम्मत, पेट्रोल, मकान किराया, टी० ए० व डी० ए०, बिजली, पानी, फर्नीचर डाक, वर्दियां आदि पर व्यय किया जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रवृति पर राज्य भर के व्यय के आंकड़े की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जयपुर जिले में आराजी भूमि का लगान

603. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में चाही आराजी का लगान गंगानगर जिले की नहरी भूमि की अपेक्षा कई गुना अधिक है और क्या यह सही है कि जयपुर जिले में चाही आराजी का लगान व बारानी आराजी का लगान अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गत वर्ष आयोजित की गई किसान रैली के अवसर पर लगान के समानीकरण किये जाने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और अब इसका पालन किया जावेगा तो कब तक ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

अन्य जिलों में भी कई दरें जयपुर से कम है तथा कई अधिक हैं

(2) भू–कर दरों के समानीकरण का मामला अभी राज्य सरकार में विचाराधीन है।

नागौर जिले में स्वर्णकारों को दिये गये ऋण

604. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर जिले के स्वर्णकारों के लिए किन किन को कितना कितना ऋण व सहायता कब कब दी गई? नाम व पूर्ण पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दिये गये ऋण में से किन किन से कितना कितना वसूल हुआ और कितना कितना शेष है और उसमें अवधिपार कितना कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीलिंग से अधिक जमीन

605. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में किस किस जिले में किस किस के पास सीलिंग से अधिक जमीन है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना, चूरू

606. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना, चूरू द्वारा 1968-69 एवं 1969-70 में कितना ऋण किसको किस काम के लिये दिया गया और उनके कार्य की क्या प्रगति है?

(2) इस परियोजना में कुल कितनी स्कीमें लघु उद्योग की स्वीकार की या निदेशक, उद्योग राजस्थान को उनकी सिफारिश की गई? कुल कितनी योजनायें परियोजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई और परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं में क्या ऐसी वस्तुओं की स्कीमें भी हैं जिनके कि निर्माण पर भारत सरकार द्वारा रेस्ट्रिक्टेड आईटम्स का रिमार्क दे रखा है?

(3) क्या चूरू और लाडनूं में ग्रामीण औद्योगीकरण के कार्यक्रम में लगाई गई ऊन कताई की मिलों का निजी क्षेत्र में विक्रय किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों? निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या निजी क्षेत्र के लिये कोई शर्तें रखी गयी हैं ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(5) दोनों मिलों की कुल लागत अनावर्तक और आवर्तक क्या हैं ? पूरे विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) किस किस साधन से कितना कितना ऋण मिला और इसकी कब कब किश्त चुकाई गई ? हर किश्त कितनी धन-राशि की थी ?

(7) कितनी अवधि तक इन मिलों का संचालन राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया और उस अवधि में कितना धागा कताई हुआ और इससे क्या आमदनी व उस पर क्या व्यय हुआ ?

(8) दोनों मिलों की मशीनरी और प्लॉन्ट की खरीदे कैसे की गई अगर टेन्डर द्वारा की गई तो स्वीकृत टेन्डर शर्तों के स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(9) क्या स्थानीय भेड़ पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु जैसा कि योजना का मूल उद्देश्य था उनसे कच्ची ऊन खरीद की गई ? अगर हां, तो कितनी कितनी, कब कब व किस भाव से ?

(10) क्या टेन्डर द्वारा खरीद की गई सभी मशीनें शर्तों के अनुसार सप्लाई हो गई और क्या वे चालू हालत में हैं ?

(11) सप्लाई की गई मशीनों के लिए कितना कितना द्रव्य का भुगतान किया गया ? अपूर्ण मशीनों के लिए दोनों मिलों में कितना व्यय हुआ ?

(12) क्या दोनों मीलों की व्यवस्था हेतु व्यवस्थापक रखे गये ? यदि हां, तो उनकी योग्यता व अनुभव के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावे।

(13) क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी इन मिलों की जांच के लिए बनी थी ? यदि हां, तो उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(14) क्या इन मिलों के लिये आस्ट्रेलियन, मरीना वूल के टोप्स का कोटा मंजूर हुआ है। यदि हां, तो कब और कितनी ?

(15) क्या इन मिलों में लारी मशीन और पुर्जे पुराने हैं जिन्हें नया बताकर दे दिया गया है और क्या भुगतान अग्रिम किया गया था ? यदि हां, तो कितना ?

(स्थगित किया गया)

राजस्व अपील प्राधिकारी का रिक्त स्थान

607. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थान श्री कौल के रिटायर हो जाने के बाद से ही रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सरकार को विदित है कि जिन जिन लोगों की अपीलें फैसल शुदा पड़ी हैं उनकी इजराय रुकी पड़ी हैं और फैसले व नई अपीलें भी दर्ज नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस स्थान पर कब तक अधिकारी की नियुक्ति कर देगी ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

श्री कौल के रिटायर होने के पश्चात् राजस्व अपील अधिकारी की कोटा के पद पर श्री अब्दुल गफ्फार आर० एस० की नियुक्ति कर दी गई थी। श्री अब्दुल गफ्फार के रिटायर होने के पश्चात् से ही श्री हरीलाल ठाकुर इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा जिले में चोरी, डकैतियों आदि के मामले

608. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिला में गत चार वर्षों में किस किस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कितने कितने रुपयों की डकैतियां व चोरियां हुई कितनी हत्याएं व अपहरण की घटनाएं कितनी लूटमार की घटनाएं हुई और उसमें कितने डकैतियां व चोरी हत्याओं के मामले में अभियुक्त पकड़े गये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिन चोरी, डकैती व हत्याओं की घटनाओं का पुलिस द्वारा पता नहीं लगाया जा सका उनमें क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

उत्तर

(1) कोटा जिले में गत चार वर्षों से जिस जिस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में जितने जितने रुपयों की डकैतियां, चोरियां हुई जितनी हत्यायें, अपहरण और लूटमार की घटनाएं हुई एवं डकैती, चोरी और हत्याओं के मामले में अभियुक्त पकड़े गये उनकी सूचियां संलग्न प्रस्तुत हैं।

(2) पुलिस द्वारा जिन चोरी, डकैती और हत्याओं की घटना का पता नहीं लगाया जा सका उनमें अन्तिम प्रतिवेदन किया जाकर मुखबिर के द्वारा सुराग रसी करवाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स एम्पलोईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर

609. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दी जयपुर स्पिनिंग एन्ड विविंग मिल्स एम्पलोईज को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर का गठन हुआ था? यदि हां, तो कब और गठन के समय सदस्य संख्या व हिस्सा पूंजी क्या थी और अब क्या है?

(2) क्या उक्त समिति का वर्ष 1966-67 का ऑडिट हो चुका है? यदि हां, तो ऑडिट आक्षेपों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) यह ऑडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थीं और इसकी तामिल के लिए विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की?

(4) ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना करने में क्या प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिये था और क्या अपनाया गया?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(5) उक्त ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दी जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स एम्पलोइज को-आपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर का गठन हुआ। इस समिति का पंजीयन दिनांक 21-10-48 को किया गया। पंजीयन के समय समिति की सदस्य संख्या 14 व हिस्सा पूंजी 699 रु० थी वर्तमान में समिति की सदस्य संख्या एवं 885 हिस्सा पूंजी 89,764 रुपये है।

(2) जी हां, समिति का वर्ष 1966-67 का ऑडिट हो चुका है। ऑडिट आक्षेपों की प्रति संलग्न है।

(3) समिति की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 66-67 माह फरवरी, 1969 में प्राप्त हुई थी। ऑडिट रिपोट प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में किये गये आक्षेपों की पूर्ती करने हेतु समिति को लिखा गया है। सहायक रजिस्ट्रार जयपुर के पत्र व ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों पर दिनांक 21-5-69 को विचार भी किया गया और बाद विचार समिति के व्यवस्थापक ने अभी तक आक्षेप पूर्ति कर सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर को नहीं पढ़ाई है। जिसके लिये सहायक रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया गया है।

(4) ऑडिट रिपोट प्राप्त होने पर समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट एवं उसके आक्षेपों पर विचार करने के बाद समिति के मुख्य कार्यकारी को आक्षेपों पूर्ति हेतु आदेश दिय जाते हैं। आक्षेप पूर्ति का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से व्यवस्थापक समिति का है। आक्षेप पूर्ति के के बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध समिति की बैठक में विचारार्थ रखी जाती है उसके बाद 3 प्रतियों में सहायक रजिस्ट्रार को भिजवाई जाती है। सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में आक्षेपों एवं आक्षेपपूर्ति की जांच की जाती है और यदि आक्षेप की पूर्ति हो जाती है तो उसकी सूचना विशेष लेखा परीक्षक को भिजवादी जाती है। इस समिति की दशा में ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रस्तुत हो चुकी है किन्तु समिति का व्यवस्थापक आगे की कार्यवाही करने में असमर्थ रहा है।

(5) सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर को लिख दिया गया है कि आक्षेपों की पूर्ति करवा कर शीघ्र आक्षेप पूर्ति रिपोर्ट मंगवाने की व्यवस्था करें तथा समिति ने भी अपनी ओर से 2 माह की अवधि में पूर्तिकर पूर्ति रिपोर्ट भिजवा देने का आश्वासन दिया है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

बारां सहकारी चावल मिल्स में गबन व घोटाले

610. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां सहकारी चावल मिल में एक लम्बे समय से हजारों रुपयों का गबन व घोटाले की

(देवीदत्त गाड़िया)

जांच चल रही है ? यदि हां, तो अब किस किस अधिकारी द्वारा जांच की गई ? जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बारां मार्केटिंग सोसाइटी के कुछ संचालकों ने इस चावल काण्ड आदि मामलों की जांच की है ? यदि हां, तो उस जांच रिपोर्ट को भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि बारां सहकारी चावल मिल से चोरी गए करीब 34 बोरी चावल बारां पुलिस ने जब्त किए थे और किसी एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया था ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) बारां सहकारी चावल मिल में गबन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा के तकनीकी सहायक से जांच करवाई गई। इसके अतिरिक्त समिति के कुछ संचालकों ने भी इस सम्बन्ध में जांच की है। दोनों जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट (क) एवं (ख) संलग्न है। इसके अतिरिक्त समिति के चावल मिल का निर्माण, धान की खरीद व प्रोसेसिंग के संबंध में इन्वेस्टीगेटिंग ऑडिट भी करवाया जा रहा है।

(2) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट (ख) संलग्न है।

(3) बारां सहकारी चावल मिल की 32 बोरी व एक कट्टा चावल मैसर्स नेमीचन्द चन्द्रमोहन, बारां की दुकान पर श्री चतुर्भुज गुप्ता समिति के कर्मचारी के नाम से बेचे जाते हुये पुलिस ने जब्त किये तथा श्री चतुर्भुज गुप्ता को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में अभी तफतीश की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा जिले में गऊघाट से बडौरा सड़क निर्माण कार्य

611. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला में गऊघाट से बडौरा तक की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? यह सड़क कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(3) कितनी धनराशि अब तक ठेकेदारों को चुका दी गई है ?

(4) कितना काम अब तक पूर्ण हो चुका है ?

उत्तर

(1) कार्य प्रगति पर है।

(2) सड़क निर्माण हेतु 3,00,000) रु० की प्रशासनिक स्वीकृति की गई है। बजट प्रावधान अनुसार कार्य हो सकेगा।

Page No 45

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) ठेकेदार को 68,444) रुपये का भुगतान किया गया है ।

(4) 3 किलोमीटर में मिट्टी डाली गई है, सोलिंग स्टोन सीलिंग एकत्रित की जा रही है ।

रींगस से खाटू श्याम जी सड़क

612. **श्री मदनसिंह** (दाता रामगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रींगस से लेकर खाटू श्याम जी तक सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है ? अगर हां, तो कब तक पूरा कर दिया जावेगा और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रोड़ को पूरा करने के लिये माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया गया था ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि खाटू श्याम जी के स्थान पर देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं, और उनको सड़क के बिना बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस रोड़ के बारे में माननीय मन्त्री जी ने यह पत्र लिखा था कि अर्थाभाव के कारण इस वर्ष कार्य हाथ में नहीं लिया जाकर अगले वर्ष की योजना में लिया जावेगा ? अगर हां, तो क्या स वर्ष की योजना म लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) आपके पत्र दिनांक 21/3/70 के संदर्भ में 11/5/70 को अर्थाभाव के कारण कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की गई थी।

तहसील सांचोर व भीनमाल की सड़कें

613. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर व भीनमाल तहसील, जिला जालोर में अकाल सहायता कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सांचोर-भवातड़ा-रिड़का सड़क, सेवाड़ा सुरक्षा सड़क से चीतलवाना सड़क, आम्बली से डाबल, डेडवा, जाखल, हरियाली सड़क, अरणाय से चोहरा सड़क, सांकड़ से गुंदाउ, खारा सड़क, कूडा से करवांडा, करडा सड़क, करड़ा से पामाणं ब्राव सड़क, सेवाडा से तेतरोल, गढा हेमा ब्राव सड़क, चीतलवाना से होतीगांव महादेवजी के मठ तक सड़क बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इनम से काफी सड़कें अधूरी हैं ? अगर हां, तो कौन सी व कितने कितने प्रतिशत कार्य

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अधूरे हैं ? उपरोक्त सड़कों में पक्की मेटल सड़कें कितनी हैं व उनमें कितना कितना कार्य अधूरा पड़ा है ?

(3) क्या उपरोक्त सड़कों को रूरल कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम के तहत शीघ्र पूरा करने के लिए धनराशि सालाना बजट में रखी जावेगी ? अगर हां, तो किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी एवं किस किस साल में कौनसी सड़कें पूरी करा दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या सरकार पक्की मेटल सड़कें सांकड़ से गुदांऊ, खारा तक, सांकड़ से सुरावा, दुगावा गुजरात सरहद तक, आम्बली सेड़ांवल, डेडवा जाखल, हरियाली तक सेवाड़ा से झाब तक घांघला पत्थर डालकर उस पर रोलर चलाकर पूरा करना सांचोर से आम्बली हाड़ेचा मवातड़ा रिडका तक घांघला पत्थर डालकर उस पर रोलर चलाकर पूरा करना आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या करड़ा झाव सड़क पर देवड़ा ग्राम से झावे तक ग्रेवल सड़क का कुछ अधूरा कार्य पड़ा है ? अगर हां, तो कितना ? क्या उस कार्य को इस वित्तीय वर्ष म पूरा कराने का विचार है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची प्रस्तुत है ?

(3) जी नहीं। धनाभाव के कारण।

(4) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

(5) जी हां। 10 किलो मीटर ग्रेवल रोड़ अधूरी है। जी नहीं। अर्थाभाव के कारण।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

पम्प ड्राइवर द्वारा लेबर कोर्ट में केस

614. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के सहायक अभियन्ता खण्ड 3 के कार्यालय में श्री भगतसिंह नामक कर्मचारी पम्प ड्राइवर के पद पर कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से कार्य कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी ने पम्प ड्राइवरी का वेतन नहीं दिये जाने के कारण एवं विभाग द्वारा हेल्पर का वेतन दिये जाने के विरुद्ध जयपुर लेबर कोर्ट में अपनी युनियन के माध्यम से विभाग के विरुद्ध सन् 1967 में केस दायर किया था?

(3) क्या यह सही है कि लेबर कोर्ट, जयपुर ने दिनांक 12-9-1967 के आस पास उक्त कर्मचारी के पक्ष में निर्णय कर यह आदेश दिया था कि उसको पम्प ड्राइवरी का वेतन दिया जाय ? यदि हां, तो विभाग ने उस निर्णय के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की और उक्त कर्मचारी

Page No 47

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को सन् 1967 से पम्प ड्राइवरी के पद का वेतन दिया गया या नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर लेबर कोर्ट में कोई केस दायर नहीं हुआ।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जिला बून्दी के ग्रामों में चम्बल सिंचाई

615. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) जिला बून्दी की कौन कौन सी तहसील के कितने कितने गांवों में चम्बल से सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों में चम्बल की नहर निकलने के बाद अब तक उससे सिंचाई नहीं हुई है वे भी कमांड एरिया में सम्मिलित किये हुए है ? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसीलों के कितने कितने गांव ऐसे हैं ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के गांवों को कमान्ड एरिया से बाहर घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

तहसील सांचोर में रूरल कन्सट्रेक्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य

616. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर, जिला जालौर में रूरल कंस्ट्रक्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी भू-संरक्षण कार्य कराए जावेंगे ? अगर हां, तो कौन से कार्य कहां-कहां कराए जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर में भू-संरक्षण मेढ बंधी, कणावंधी, गोबर सुधार कार्य काफी गांवों में कराए जा सकते हैं ? अगर हां, तो क्या इस बारे में विभाग द्वारा विस्तृत सर्वे कराई गई है? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग द्वारा अब तहसील सांचोर में भू-संरक्षण कार्यों की दृष्टि से विस्तृत सर्वे कराई जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर में कई गांवों का पानी नीचे का खारा है और पीने के पानी की गंभीर समस्या है ? अगर हां, तो क्या भू-संरक्षण विभाग द्वारा ऐसे ग्रामों के स्थानीय तालाब खुदाने के कार्य हाथ में लिए जावेंगे ? अगर हां, तो कहां-कहां व कब-कब ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि कई गांवों में छोटे-छोटे खड़ीग टाइप बंधे भी बंधाए जा सकते हैं ? अगर हां, तो क्या इस बारे में विभाग द्वारा अब तक कोई विस्तृत सर्वे की गई है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्या अब विभाग द्वारा विस्तृत सर्वे कराई जावेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

Page No 48

पंचायत समिति, लाडनूं के कृषि प्रसार अधिकारी के खिलाफ शिकायतें

617. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, लाडनूं के कृषि प्रसार अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब और क्या-क्या तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों की जांच की गई थी? यदि हां, तो कब किस अधिकारी द्वारा और जांच में क्या तथ्य पाये गये? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, 2-9-70 को शिकायत प्राप्त हुई थी और इस पर जांच उप-संचालक, जोधपुर से कराई गई।

(2) जी हां, उप-निदेशक, कृषि, जोधपुर द्वारा जांच कराई गई थी और जांच रिपोर्ट में श्री बाडमेरा को निर्दोष पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

उमरेही क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

618. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शाहबाद तहसील के उमरेही क्षेत्र में पीने के पानी के कुए नहीं हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस क्षेत्र के गांवों में कुए खुदवाने की योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या राज्य सरकार ने ग्रामीण पेय-जल योजना बनाई है? यदि हां, तो उस योजना मे यह क्षेत्र आता है या नहीं?

(स्थगित किया गया)

जिला जालोर में जन-स्वास्थ्य विभाग का खण्ड ऑफिस

619. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में जन-स्वास्थ्य विभाग का खण्ड ऑफिस होने के पूरे आधार उपलब्ध हैं? अगर हां, तो उपरोक्त खण्ड दफ्तर जालोर में कब तक कायम कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सत्य है कि विभागाध्यक्ष ने जालोर में कार्य की, प्रशासन की एवं योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति की दृष्टि से खण्ड ऑफिस शीघ्र खोलने की सिफारिश सरकार से की है? अगर हां, तो उपरोक्त खण्ड अब तक क्यों नहीं खोला गया है?

(3) क्या सरकार इसी वर्ष शीघ्र ही जालोर में जन-स्वास्थ्य विभाग का खण्ड दफ्तर खोलना उपयुक्त समझेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

(श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(3) मामला सरकार के विचाराधीन है, और अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

नागौर जिले की स्वीकृत योजनाएं

620. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1971-72 म नागौर जिले की कौन कौनसी नई जल-प्रदाय योजनाएं स्वीकार करके उन पर कार्य शुरू किया जायगा जिनमें कितने 2 रुपये खर्च होंगे तथा कौन 2 से गांवों को पानी सप्लाई किया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जिले में चालू योजनाओं में से किन 2 पर कितने 2 रुपये खर्च किये जायेंगे और किन 2 योजनाओं से जल वितरण का कार्य कब कब शुरू कर दिया जायेगा?

(3) ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें इस वर्ष में कार्य होने पर भी सम्पूर्ण नहीं होगी और इन पर इस वर्ष में कितना 2 रुपया खर्च करके क्या 2 कार्य करवाये जायेंगे?

(4) उक्त जिले में ऐसी कौन 2 सी योजनाएं हैं, जिनको सव करली गई है, और योजना तैयार है लेकिन उनकी स्वीकृति अभी नहीं हुई तथा ये योजनाएं कितने 2 रुपयों की है?

उत्तर

(1) सन् 1971-72 में नागौर जिले में जो 2 जल-प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं उनकी सूची पूरे विवरण के साथ सदन की मेज पर रख दी गई है। इन योजनाओं का कार्य स्वीकृति के बाद शुरू किया जायेगा।

(2) सूची संलग्न है।

(3) यह स्वीकृत होने पर ही कहा जा सकता है।

(4) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

राज्य के नगर सुधार न्यासों द्वारा भूमि का आवंटन

621. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा अब तक कितनी भूमि एलाट की जा चुकी है और प्रत्येक नगर सुधार न्यास द्वारा कितनी कितनी एलाट की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) प्रत्येक नगर सुधार न्यास का प्रशासनिक व्यय वार्षिक कितना कितना हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें!

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(3) नगर सुधार न्यासों में नामजदगी किन व्यक्तियों की किस आधार पर की जाती है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(22-4-71)

कोटा जिले में डकैतियां व चोरियां

423. **श्री नन्दलाल** (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा जिले में सन् 1967 से मार्च, 1971 तक कुल कितनी डकैतियां व कितनी चोरियां हुई व कितना कितना माल गया तथा किस किस वारदात में गया और कहां कहां कितने कितने लोग मारे गये?

(2) उपरोक्त डकैतियों में पुलिस ने कहां कहां पर मुकाबला किया व कितना कितना माल बरामद किया?

(3) उपरोक्त डकैतियों व चोरियों में किस किस मामले में पुलिस आज तक मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में सन् 1967 से मार्च, 1971 तक कुल 59 डकैतियां व 5,026 चोरियां हुई हैं, और वारदात डकैतियों में रु० 29,43,488·42 पैसे व चोरियों में रु० 2,66,691·91 पैसे का माल गया है। एक व्यक्ति सन् 1968 में थाना छबड़ा के क्षेत्र में और एक व्यक्ति सन् 1969 में थाना कस्बा थाना के क्षेत्र में हुई डकैतियां में मारे गये हैं।

(2) उपरोक्त डकैतियों में पुलिस ने सन् 1968 में ग्राम हुड़ा, थाना शाहबाद और जंगल चारोखेड़ी थाना, कस्बा थाना, सन् 1969 में जंगल माताजी ग्राम दमरोध, सन् 1970 में ग्राम बागलदा, थाना बड़ोद, ग्राम शीशेता, थाना खातोली और ग्राम तलाब, थाना खातोली में डकैतों से मुकाबला किया है और मुकाबले में डकैतों के पास से बन्दूकें व चार राईफल काफी कारतूसों के साथ बरामद की है। डकैतियों में रु० 14,3[illegible],699.34 पै० का माल बरामद हुआ है।

(3) उपरोक्त डकैतियों व चोरियों में जिस जिस मामले में पुलिस आज तक मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई, उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(22-4-71)

पम्पिग सैटों व ट्रेक्टरों हेतु ऋण

446. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति कठूमर क्षेत्र में कितने पम्पिग सैटों व ट्रेक्टरों के लिए गत 3 वर्षों में कितने व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं?

(2) कितनी धनराशि आज तक भूमि विकास बैंक से इस क्षेत्र के किसानों में वितरित की गई?

(श्री गंगासहाय)

(3) क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्त्ताओं में कितने अनुसूचित जाति के हैं और कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में गत 3 वर्षों में पम्पिंग सैटों के लिये 434 सदस्यों को 2,89,118.95 एवं ट्रैक्टरों के लिए 18 सदस्यों को 2,97,000.00 रु० स्वीकृत किये गये हैं।

(2) भूमि विकास बैंक में इस क्षेत्र में कुल 44,68,708.95 रुपये वितरित किये हैं।

(3) क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्त्ताओं में 147 सदस्य अनुसूचित जाति एवं 41 सदस्य अनुसूचित जन-जाति के हैं—ग्रामवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(28-4-71)

गांधी शताब्दी वर्ष में तहसील किशनगंज व शाहबाद म भूमि का आवंटन

523. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी शताब्दी वर्ष 70-71 में और उसके बाद शाहबाद पंचायत समिति की तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के किस किस ग्राम में किस किस जाति के किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि किस किस तारीख को आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर मय पते के रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि आवंटित की गई भूमि पर कई व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि, हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी वर्ष 1-10-69 से 30-9-70 तक मनाया गया था उसके उपलक्ष में भूमि आवंटन की अवधि 14 नवम्बर, 70 तक बढ़ाई गई थी। गांधी शताब्दी वर्ष (1-10-69 से 14-11-70) में तहसील किशनगंज व शाहबाद में भूमि का आवंटन निम्न प्रकार हुआ है:—

नाम तहसील	भूमि आवंटित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	आवंटित भूमि क्षेत्रफल
किशनगंज	1,294	4,444
शाहबाद	1,087	4,567
योग ..	2,381	9,011

आवंटितियों की नामवार व जातिवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(28-4-71)

अन्ता-मांगरोल सड़क

525. श्री वेदीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अन्ता से मांगरोल सड़क का कितना हिस्सा ग्रेवल रोड है और कितना हिस्सा कच्चा है और इस सड़क को डामर रोड कब तक बना दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर अभी तक मरम्मत का कार्य अभी नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 18 मील कच्ची सड़क है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत, नहीं है।

(2) यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची में नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री मेघराज पंवार, सदस्य विधान सभा ने कस्बा नोहर में एक महाजन के मकान में बने पाखाने की कुई को साफ करने के सिलसिले में एक हरिजन की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम मेहरी तहसील सरदार शहर के एक किसान की हत्या कर देने व उसके परिवार के लोगों व को गवाहान को भयभीत करने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है:—

(1) ग्राम मासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू के एक व्यक्ति के यहां चोरी हो जाने व चोरी का पता पुलिस द्वारा न लगाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केसरी सिंह हाडा, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि ग्राम वासनी व कांटी में कंजरों की वारदात से जनता आतंकित हो गई है।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

जयपुर शहर में हथरोई किला स्थित मारवाड़ी कच्ची वस्ती में रहने वालों से नगर विकास न्यास के अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री हरजी राम बुरड़क,, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ! स्थिति को स्पष्ट करते हुये कल दिनांक 6 मई, 1971 को को वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन म प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दौसा में पानी के संकट को दूर किये जाने के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी एक वक्तव्य दिनांक 6-5-71 को देंगे। प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री भैरोंसिंह प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1967-68 से सम्बन्ध में) के सम्बन्ध में समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दौसा के बारे में जो वक्तव्य देने का फरमाया यहां पर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं। आज ही वक्तव्य दिला दिया जाय तो ठीक है।

शासकीय वक्तव्य (जयपुर शहर की सफाई समस्या पर वक्तव्य)

श्री अध्यक्ष : मैंने कल पर रखा है। जयपुर शहर में सफाई रखने सम्बन्धी मामले पर स्वायत्त शासन मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री विजयसिंह : ये तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर की सफाई के बारे में वक्तव्य मा० मंत्री देंगे। यह नगरपालिका की सफाई, ड्रेनेज आदि की असफलताओं के बारे में है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज आप हाऊस में वक्तव्य दे रहे हैं। यह एक पब्लिक डाक्यूमेन्ट है, सुविधा की दृष्टि से यह निवेदन करता है एक प्रतिलिपि एक्स्ट्रा हो तो दे दें क्योंकि उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती है और अध्यक्ष महोदय प्रश्न पूछने में भी सहूलियत रहेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं मा० मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा शब्दों को अलग अलग रखते हुये कहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, यह ठीक है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जयपुर नगर में सफाई बाबत जो चिन्ता व्यक्त की है वह स्वभाविक है। इसके पूर्व कि मैं यहां की व्यवस्था के बावत कोई निवेदन करूं, यह व्यक्त करना चाहूंगा कि नगर की सफाई का कार्य एवं उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगरपरिषद का है जो स्वशासी संस्थायें हैं जिनका प्रशासन जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि करते हैं फिर भी शहर की सफाई का स्तर आधुनिकतम साधनों के अनुकूल अच्छे से अच्छा हो इस हेतु समय समय पर राज्य सरकार नगरपालिका को आवश्यकतानुसार सुझाव एवं सहयोग देती रही है। जहां तक नगरपरिषद, जयपुर का प्रश्न है वह स्वयं अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण रूपेण जागरुक है और इस समस्या के समाधान हेतु सक्रिय भी है। परिषद द्वारा समय समय पर सफाई अभियान भी आयोजित किये जाते रहे हैं। गत वर्ष की दो अभियान आयोजित किये गये थे जिन पर लगभग 70,000 रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके अन्तर्गत दैनिक सफाई करवाई उसके अलावा अन्य विशेषतौर से भी सफाई करवाई। वर्तमान में भी अभी एक आयोजन चलाया जा रहा है जिसमें मकानों के बीच छोटी छोटी गन्दी गलियों की सफाई का लक्ष्य है जिनकी वर्षों से सफाई नहीं हो पाई है। अभी तक लगभग 601 छोटी गन्दी गलियों की सफाई करवाई गई है। उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में कूड़ा करकट बाहर निकाला गया है। लगभग 450 ट्रक कचरा बाहर से हटवा दिया गया है। शेष कचरा जो अभी बाहर पड़ा हुआ है उसको शीघ्रता से हटाये जाने का कार्य भी चालू है। इस अभियान में जो चालू हुआ है उसमें एक व्यवधान आ गया। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2-3 दिन की हड़ताल कर दी है और अभी तक भी परिषद के सफाई के कर्मचारियों द्वारा पूरा काम नहीं किया जा रहा है। इस कठिनाई के बावजूद नगर परिषद् भरसक प्रयत्नशील है कि इन गलियों से निकाले गये कचरे को अतिरिक्त नियुक्तियों के द्वारा एवं ट्रक वगैरह के अतिरिक्त यान्त्रिक वाहनों को लेकर उसको शीघ्र ही उठवा दिया जायगा।

नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या अभी तक निर्धारित पैटर्न से अधिक ही रही है। 1,961 की जन-गणना के अनुसार नगर परिषद् में 1,962 कर्मचारी होने चाहिए जब कि अभी तक 2,165 कर्मचारी रहे हैं।

जहां तक गटर लाईन का विवेचन है तो स्वतन्त्रता होने के बाद ही गटर लाइन पड़ी है। जब बढ़ी हुई आबादी के कारण कहीं से चौक हो जाती है तो गत सप्ताह नगर परिषद् ने निम्नलिखित गटर लाइनों की सफाई करा दी:–

जयलाल मुन्शी का रास्ता, चांदपोल दरवाजे के बाहर, कसाई मस्जिद के पास, रास्ता टिक्कीवालान, नागौरियो का चौक,

श्री भैरोंसिंह : किन का चौक ?

श्री भीखा भाई : नागौरियों का चौक, कावड़ियों का मौहल्ला, महावीर पार्क

(श्री भीखाभाई)

झालानियों का रास्ता, और मिण्डों का रास्ता।

यह जानकारी मिलते ही नगर परिषद् द्वारा गटर लाइन की सफाई कराने की व्यवस्था कर दी गई। अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज की कमी का कष्ट ही अधिक हो यह बात नहीं है बल्कि इसकी सफाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धि होना आवश्यक है। अभी तक किन्हीं क्षेत्रों में नई गटर-लाइन का काम नगर परिषद् ने हाथ में ले लिया है। कुछ उन स्थानों की सूची संलग्न है जिनमें गटर लाइन डालने का काम चालू है तो कुछ स्थानों की सूची भी संलग्न है जिनमें गटरलाइन डालने के लिए टेंडर मांगे है।

शहर में सफाई नगर परिषद द्वारा यथावत् चालू है और किसी बीमारी के फैलने की आशंका की कोई सूचना नहीं मिली है।

नगर म सफाई के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें सब छोट-बड़े वर्गों का सहयोग मिले ताकि सफाई करने वाले सफाई रखन के अपने प्रयासों की लक्ष्य प्राप्ति में सफल हों।

उपरोक्त से यह प्रदर्शित होता है कि नगर परिषद् द्वारा शहर में सफाई की व्यवस्था हेतु अपने साधनों के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है इसके उपरान्त भी में सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद् का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सफाई के संबंध में अधिक से अधिक शीघ्र कदम उठायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर शहर में अब तक सफाई की दृष्टि से आपने क्या यह अनुमान लगाया है कि कितना टोटल रिफ्यूज या नाइट साइल जयपुर शहर में होता है और उसको हटाने के लिए, कचरे को हटाने के लिये, उठाने के लिए कितनी गाड़ियों या मीन्स की आवश्यकता है...

श्री अध्यक्ष : नं० 1

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि नगर परिषद् जागरूक है, सक्रिय है। और कुछ.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जागरूक और सक्रिय का सवाल नहीं है। मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दें। जागरूक कितनी है उसका सवाल नहीं है।

श्री भीखा भाई : उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया है और उस कमेटी के अध्यक्ष श्री हनुमान सहाय हैं और उन्होंने यह सारी रिपोर्ट दी है जो कि मेरे हाथ में है। जो नगर परिषद् ने समिति की स्थापना की है उसमें ही हनुमान सहाय, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री रतीलाल, नरेन्द्र कुमार आदि हैं। इन्होंने जयपुर शहर में सफाई सुधारने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, और उसमें सारी चीजें आ गई है और उन्होंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा होगा। सारे पहलुओं को बताया गया है, और उसमें जितने वाहनों की जरूरत है वह उसमें बताई गई है। उन्होंने बताया है 47 वाहन इसमें वाहनों पर एक चेप्टर है। हरेक के लिए एक क चेप्टर है......

श्री भैरोंसिंह : आपका है कि नहीं ?

श्री भीखाभाई : है। हरेक का चेप्टर है। तो, अध्यक्ष महोदय, यह सारी रिपोर्ट इस बारे में प्रस्तुत की गई है और वे इसके अनुसार बजट बनायेंगे और वह बजट राज्य सरकार के सामने आयेगा ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा ववेश्चन है......

श्री भीखाभाई : वह मैंने बता दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय ने जयपुर शहर की सफाई समस्या के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है वह इतना निराशाजनक है कि बजाय इसके कि आशा तो उनसे यह थी कि शहर में गंदगी बढ़ रही है तो उसके समाधान के लिए और सफाई के लिए वह किस प्रकार से प्रभावी कदम उठाने को सोचते हैं और इस बारे में सरकार के निर्णयों की घोषणा करते। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहां की आबादी दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन शहर के अन्दर जो स्थिति आज है वह इतनी विचित्र है कि आज शहर के अन्दर, चार-दीवारी के भीतर के रहने वाले लोगों का बिल्कुल नारकीय जीवन है, सभ्य नागरिक का जीवन नहीं है। यह पर जिस प्रकार की गलियों की हालत है, सड़कें टूटी-फूटी है। गलियों में कीचड़ भरा पड़ा है, गलियां टूटी पड़ी है। आबादी बढ़ रहीं है कचरा बढ़ रहा है। और महीनों तक उसको उठाने वाला नहीं है। इस संबध में सर्टिफिकेट इन्होंने नगरपरिषद् को दिया है, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद इस बात के लिए है कि निर्वाचित नगरपरिषद् के जयपुर शहर की सफाई समस्या हल नहीं कर पाई है। सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी दलदल में फंसी हुई है। किस प्रकार से वहां पर रोजमर्रा पद का दुरुपयोग कर रहे हैं गाड़ियों का, वाहनों का, ट्रकों का व मशीनों का। बड़े खेद का विषय है कि राज्य सरकार 4-5 महीनों से नगरपरिषद् के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा रही है। कांग्रेस पार्टी में अन्दरूनी दलबन्दी पड़ी हुई है। उसके कारण से जयपुर शहर का सत्यानाश हो रहा है। खेद इस बात का है कि जयपुर में सफाई के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था नहीं की है। आज भीखाभाई को मालूम नहीं कि जयपुर शहर की टोटल रिक्वायरमेन्ट क्या है, कितने ट्रक्स की आवश्यकता है, कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, और आप नियमानुसार की बात बताते हैं 1,991 कर्मचारी नियमानुसार रखे जा सकते हैं और कर्मचारी 2,012 के करीब लगा रखे हैं। मैं समझता हूं कि नियमानुसार भी यदि बीच की गलियों पर एक एक आदमी का इन्तजाम कर दें और एक एक सड़क पर एक एक महतर का इन्तजाम कर दें तो नियमानुसार उसकी खानापूरी तो हो गई लेकिन वास्तविक रूप से उसकी सफाई कभी नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे वक्तव्य से मुझे बड़ी निराशा हुई कि राज्य सरकार के द्वारा जयपुर शहर की सफाई के लिए कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर शहर में गटर लाइन की व्यवस्था नहीं है। नई बस्तियां जितनी

Page No 57

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बसाई जा रही है वह उन वस्तियों में आज तक गटर लाइन नहीं डाली गई है। जयपुर शहर में चारदीवारी के अन्दर गटर लाइन की व्यवस्था है। 300 साल के पहले के बसे हुए शहर में गटर लाइन की व्यवस्था है। यहां पर वरसात के बाद घन्टे भर में पानी साफ हो जाता है लेकिन शहर के वाहर की बस्तियों में 4-4 दिन तक पानी साफ नहीं होता है। एम० एल० एज० क्वार्टर्स के यहां माननीय सदस्यों की जानकारी होगी कि एक एक सप्ताह तक पानी सूखता रहता है और कूड़ा पड़ा रहता है। आज ड्रेनेज के लिए मंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं होता है तो क्या उन्होंने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग की है, स्लम्प क्लियरेन्स के लिए मांग की है, कचरे के लिए मांग की है? ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए, गंदगी की सफाई के लिए, स्लम्प क्लियरेन्स की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अनेक प्रकार से अनुदान देती है। लेकिन मुझे खेद है कि इस बात की राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की कि अमुक धनराशि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से आई है। दो करोड़ की धनराशि केन्द्रीय सरकार ने पहले जयपुर शहर को देने का वायदा किया था डेढ़ करोड़ यू० आई० टी० को असर 75 हजार म्युनिसिपेलिटी को। उसमें राज्य सरकार के अंशदान का था। मैं कहना चाहता हूं कि दो करोड़ में से राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं लिया और न अपना अंशदान दिया। इसलिए राज्य सरकार ने घोर अपराध किया है जयपुर शहर के साथ दो करोड़ की धनराशि लेप्स हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर शहर के सम्बन्ध में कि इस आधार पर वह समस्या हल नहीं हो सकेगी। वर्तमान नगर परिषद् जो कि निर्वाचित है उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि जागरूक है। सभी चाहते हैं कि सफाई हो, लेकिन सफाई शायद नहीं होगी। बीमारी फैल रही है। मगर भीखाभाई स्वायत शासन मंत्री के इस हाउस में बैठकर वक्तव्य देने से नहीं हो सकता है, सिविल लाइन्स के बंगलों में बैठकर नहीं हो सकती। जयपुर शहर की चारदीवारी के भीतर, अध्यक्ष महोदय, गलियों में ले जाकर मंत्रियों को खड़ा किया जाय तो मालूम पड़ेगा कि जिन्दगी किस प्रकार की है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार के वक्तव्य को बड़ा ही असन्तोषजनक मानता हूं। मैं बड़े खेद के साथ सरकार से मांग करता हूं कि इन सारी समस्याओं को समझने के लिए, ड्रेनेज के लिए, गटर के लिए, और सारे शहर की सफाई के लिए और स्वच्छता के लिए एक प्रभावी कदम सरकार क्या उठाना चाहती है? इसकी कोई न कोई घोषणा आज होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार वक्तव्य दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से नहीं समझा है। आज से पहले कई बार जयपुर नगर की जनता ने इस बात की मांग की है कि नगर में सफाई व्यवस्था को ठीक किया जावे। इस समय भी सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। मजबूर होकर जिलाधीश कार्यालय पर जनता पहुंची। कार्यालय के सामने उन्होंने जयपुर शहर के कूड़े भरे हुये टोकरे रखे। उस दिन मुख्यमंत्री कक्ष में बैठक हुई। उसमें कई प्रकार के निर्णय लिये गये। वह एक तात्कालिक व्यवस्था थी। स्थायी हल क्या हो सकता है इसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिए मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था, जो व्यवस्था की गई है वह आंशिक है। कुछ अंशो में होगी। और स्थायी हल के लिए सरकार और विचार करेगी। उसके बाद सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्री महोदय ने दो कमेटियां बनाई हैं। एक में श्री रामकिशोर व्यास चेयरमेन है। दूसरी में कोई सरकारी अधिकारी थे। उस कमेटी ने सफाई के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किये हैं। मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने गलियों की सफाई करा दी है। नगर परिषद् सक्रिय है। अपने साधनों से काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में एक प्रकार की प्रब्लम नहीं है। कई प्रकार की प्राब्लम्स हैं। यह धीरे धीरे गम्भीर होती जा रही हैं। क्योंकि सरकार तत्काल उनके समाधान के लिए कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं करती है। आप को ध्यान होगा कि आदर्श नगर का रिहेबिलीटेशन के अन्तर्गत निर्माण हुआ। उस समय यह था उपाध्यक्ष महोदय, बस्ती के निर्माण के समय ही गटर लाइन डाली जाती। उसके 4 वर्ष बाद जब आदर्श नगर के निवासियों नें मांग-पत्र दियें तो मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि गटर लाइन शीघ्र ही डाली जायेगी। चाहे वह भारत सरकार वहन करे या राजस्थान सरकार वहन करे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्तव्य के बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने फिर उसकी कोई चर्चा नहीं की कि हमारा जो विवाद चल रहा था उसमें कोई निर्णय लिया गया अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, 20 वर्ष की समस्या इतनी गम्भीर हो गई है। वहां फ्लश सिस्टम नहीं है। गटर लाइन नहीं है। इस कारण सड़कों पर पानी बहता है हर साल सड़कों की मरम्मत करानी पड़ती है। मैं यह कह सकता हूं कि जितना पैसा सड़कों की मरम्मत पर लगाया गया है, उतने पैसे अगर गटर लाइन बनाने की कोशिस करते तो यह समस्या हल हो सकती थी। जयपुर की कई और बस्तियां हैं, जिनमें ड्रेनेज का किसी प्रकार का सिस्टम नहीं है। राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है। क्या गटर लाइन डालकर ड्रेनेज की व्यवस्था करना चाहती है? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या विचार है। गटर लाइन में कितना खर्चा होगा। किन किन बस्तियों में व्यवस्था होगी। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से जानकारी चाहूंगा। मैं अपनी ओर से कहता हूं, जहां तक हमारी जानकारी है, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय जयपुर शहर का निर्माण हुआ था, उस समय जयपुर शहर की आबादी कम थी। उसके बाद जयपुर की जनसंख्या काफी बढ़ी है। राजधानी होने के नाते इसकी जनसंख्या चौगुनी हो गई है। इस समय गटर लाइन की जितनी केपिसिटी होनी चाहिए वह नहीं है म्युनिसिपल कौंसिल की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। जिसमें यह कहा गया था कि 1945 से लेकर 65 तक गटर लाइनों की सफाई नहीं कराई गई है। गटर लाइन की सफाई होनी चाहिए। जब से यह बनी है, 1945 से लेकर आज 1971 तक इनकी कोई सफाई नहीं हुई है। जगह जगह इतने ब्लॉक्स हैं, चेक्स

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। जगह जगह रुकावट हो रही है। उसके थ्रू पानी जा सकता था। मैला निकल सकता था वह नहीं निकल रहा है। आज माननीय मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि यह नगर परिषद के बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह कार्य कराना चाहिए। इस काम को कांग्रेस पार्टी नहीं करा सकी है। सरकार इसको अपने हाथ में ले। हिन्दुस्तान के बड़े बड़े नगरों की सफाई के लिए आटोमेटिक मशीनरी खरीदी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गटर लाइन की सफाई के लिए कोई इक्विपमेण्ट नहीं हैं। कोई इंस्ट्रुमेन्ट नहीं हैं। यदि गलती से मेहतर गटर लाइन में प्रवेश कर गया तो वह वापिस नहीं आयेगा। पिछले सालों में 6 मेहतर मर गये हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई के सम्बन्ध में यहां अपर ड्रेनेज सिस्टम है। नालियां बनी हुई है। आप शहर में कहीं भी चले जायें। नालियां टूटी होने के कारण पानी बाहर आता है। गटर लाइन बन्द होने के कारण ओवर फ्लो करता है। बल्कि कई बार हमारे यहां गटर लाइन बन्द होने के कारण नीचे बने मकानों में पानी घुस जाता है। कई बार फायर बिग्रेड को बुलाकर गन्दे पानी से उनको बचाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, एम० आई० रोड पर नीरोज एक सुन्दर स्थान है। बहुत से वहां टूरिस्ट इकट्ठे होते हैं। अगर किसी को चाय पीनी होती है तो वह नीरोज में जाता है। वहां पर इतना पानी भर जाता है बरसात में कि इधर वाला उधर नहीं जा सकता और उधर वाला इधर नहीं आ सकता है। अगर आना होगा तो वह पान की दुकान से उधर होकर आ सकता है। आप गलियों में जायेंगे, कोई आदमी रिक्शा लेकर, मोटर साईकिल लेकर जायगा तो निश्चित रूप से वह अपने कपड़े खराब करा कर आयेगा। समस्या यह है कि नालियों को पक्का कराया जाय, लेकिन कौन करे, म्यूनिसिपेलिटी के जिस प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उस कारण म्यूनीसिपेलिटी नहीं कर सकती हूं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की यह व्यापक समस्या हो गई है, इसका म्यूनीसिपेलिटी के ऊपर बर्डेन डालें तो वह इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरे दो तीन प्रश्न हैं। एक तो गटर लाईन नहीं हैं वहां गटर लाइनें डालने के लिए सरकार क्या करना चाहती है ? दूसरे जिस जगह पर गटर लाइन पड़ी हुई है, तो उसकी सफाई के सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ? तीसरे जो नाली टूटी हुई, जो कच्ची नालियां हैं उनका पक्का निर्माण कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है? इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, एक इम्पॉर्टेन्ट पहलू है जिसे नेगलेक्ट किया गया है। आप जोहरी बाजार चले जाइये और वहां से त्रिपोलिया बाजार चले जाइये, दोनों तरफ पटरियां की तरफ आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि बीस पच्चीस गज की दूरी के ऊपर पटरियों के नीचे मोखें बने हुए हैं। जयपुर स्टेट के समय की जो बढ़िया ड्रेनेज बनी हुई है, उनके लिए लोग कहते हैं, जयपुर में चार इंच वर्षा हो जाय, तो जितनी वर्षा होगी उतनी देर तो बाहर सड़कों पर पानी नजर आयेगा लेकिन पानी बन्द होने पर एक बूंद

(श्री भैरोंसिंह)

भी सड़क पर पानी नजर नहीं आयेगा। इसका कारण साफ है, जितने मोखे थे, वह खुले हुए थे, सड़कों पर पानी पड़ा वह मोखों में होकर गटर लाइन में बह जाता था। लेकिन आज जितने मोखे, है वह सारे के सारे बन्द पड़े हुए हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि आज जौहरी बाजार जैसे बाजार के अन्दर कंकर-पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं। किसी भी बाजार में चले जाइये, वहां पर गन्दगी के ढेर पड़े हुए नजर आयेंगे। कल के रोज सदन की बैठक स्थगित हुई थी, उसके बाद मैं जा रहा था तो चौपड़ पर जो वाटर वर्क्स का मीटर लगा हुआ है, उसके ऊपर का ढक्कन अन्दर गिर गया था, उस कारण एक औरत उसमें गिर गई थी और लोग उसको निकाल रहे थे। इस केस के उपरान्त उस ढक्कन को ठीक करके उसको कवर किया गया। लेकिन जयपुर शहर में आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कोई आदमी न गाड़ी चला सकता है, न मोटर साइकिल चला सकता है, न साइकिल चला सकता है, आज कोई आदमी अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकता है। आप ताज्जुब करेंगे, आज विशेष दिन है, आज जयपुर शहर सड़ रहा है, और आज करीब पांच सौ शादियां जयपुर में होंगी। जिनके यहां शादी है वह यह एक्सपेक्ट करके चलते है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो यहां कम से कम शादी के मण्डप बने हुए हैं और जिधर से बारात आ रही है, उस जगह की तो सफाई हो जाय। लेकिन वहां भी सफाई नहीं हो पा रही है: ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बात कि जयपुर में सफाई कराने की इच्छा सरकार की है या नहीं? क्या सरकार यह चाहती है कि जयपुर की जनता गन्दगी से त्रस्त होती रहे? क्या सरकार तब तक सुनेगी नहीं जब तक जयपुर की जनता गन्दगी से पीपा भर कर, मोटर में जब मंत्री आते है, तो उनकी मोटर रोक कर, फाटक खोल कर वह पीपा भेंट न करें, गन्दगी से भरी छबड़ी भेंट न करें? मैं साफ कह कर चलता हूं, आपने जयपुर की म्यूनी-सिपेलिटी के बारे में कह दिया, उसको सर्टीफिकेट दे दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह म्यूनीसिपेलिटी के बस की बात नहीं है। न उसके द्वारा स्वीपर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और न उसके पास अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट हैं। म्यूनीसिपेलिटी महतरों को गाड़ी तक नहीं दे सकती है। आज दुनियों में यह आवाज बुलन्द की जा रही है कि मेहतर सिर के ऊपर मैला न ढोयें, लेकिन जयपुर में लाखों रुपया खर्च करने के बाद चार-पांच साल पहले व्हील बेरोज खरीदे गये थे। जिस समय उनकी खरीद की गई, उस वक्त मैंने कहा था, यह व्हील बेरोज डिफेक्टिव हैं, इनको भूल कर भी मत खरीदो लेकिन उस समय वह खरीदे गये, लेकिन आज जयपुर में वह बेकार पड़े हैं, जोधपुर में बेकार पड़े हैं, अजमेर में बकार पड़े हैं और बीकानेर में पड़े हैं इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अब सारी दुनियां टैक्निकल तरीकों के आधार कर प्रोग्रेस करती आ रही है, तो जयपुर के नागरिक यह अपेक्षा लेकर चलते हैं कि हमारे यहां महतरों को इस प्रकार के इक्यपमेन्ट मिलें जिनके आधार पर उनको सिर पर मैला ढोने की आवश्यकता नहीं हो, भले ही सरकार उनका आर्थिक

(श्री भैरोंसिंह)

विकास औरों की भांति करे या नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यह सरकार अपने को महात्मा गांधी का शिष्य मानकर चलती है, क्या मन्त्री महोदय ने राजस्थान के महतरों की बस्तियां देखी है, वहां उनकी किस प्रकार की हालत है। आज सफाई के लिये महतरों को दोष दिया जाता है कि वह काम नहीं करते हैं, लेकिन यह सरकार भी दोष मुक्त नहीं हो सकती है क्योंकि इस सरकार ने उनका पेट भरने की कोशिस नहीं की है। राणावत पे कमीशन ने जो पे स्केल्स महतरों के लिये निर्धारित किये थे, लेकिन उनको लागू करने के संबंध में जब तक महतरों ने आन्दोलन नहीं किया तब तक उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं हुए। इस सरकार की यह एक आदत बन गई है कि अगर जनता ताकतवर होगी और आन्दोलन करेगी तो सरकार से काम करा लेगा। आप माफ करें, जयपुर की जनता अब गन्दगी में नहीं रह सकती है क्योंकि गन्दगी के कारण नालियों में कीड़े कुलबुला रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि जयपुर शहर में बीमारियां फैलने वाली हैं, गैस्ट्रो-एन्टेस्टाइन की बीमारी फैलने वाली है, उसको रोकथाम करने की कोशिश कीजिये। उसको रोकने की व्यवस्था करें, लेकिन शहर की सफाई किस प्रकार हो पाये इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि अस्सी गलियों की सफाई करा दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर के अन्दर ऊपर तारत से टट्टी गिरती है, ऐसी 5047 गलियां है, आप उनमें से केवल 80 गलियां की सफाई करा कर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे है। आज इस प्रकार की स्थिति है कि जयपुर में 27266 लेट्रिन है, उनमें से 48 पर्सेन्ट ड्राई लेट्रिन हैं और 52 परसेन्ट फ्लश टाइप की हैं। जो ड्राई लेट्रिन है उनका रिफ्यूज हटाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वह सरकार आज तक नहीं कर पाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके अलावा जो बड़ी एक्यूट प्रावलम है, वह यह है कि जयपुर के आस पास पहले खाली जगह पड़ी थी तब लोग फारिग होने के लिए वहां चले जाते थे। लेकिन अब उस खाली जमीन पर लोगों का अधिकार हो गया है। उस सम्बन्ध में अभी यूनीवर्सिटी के द्वारा एक प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें बताया है कि जयपुर में 9 परसेन्ट हाउस होल्डर ऐसे हैं जिनके मकान में टट्टी नहीं हैं। जब मकान में पाखाना नहीं है तो वह सड़क की नालियों पर बैठेंगे या रास्ता पर बैठेंगे, जो आवागमन के रास्ते हैं। तो इस हिसाब से पब्लिक लेट्रिन और यूरिनल्स होने चाहिए, वह उसी मात्रा में बनाये जायं। इसके लिए दोष आप नगर पालिका को नहीं दे सकते है, क्यों कि जयपुर शहर की नगरपालिका में आठ वर्ष से आपका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उस पर सरकार का कन्ट्रोल था। अगर इस मद का मनी लेप्स हुआ था वह एडमिनिस्ट्रेटर के कारण लेप्स हुआ और जयपुर शहर में गन्दगी बढ़ी तो वह भी एडमिनिस्ट्रेटर के कारण से बढ़ी। मैं इस विषय में कांग्रेस और जनसंघ के बीच विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं सरकार को आश्वासन देना चाहता हूं, जनसंघ और कांग्रेस के विवाद को भूल कर जयपुर के नागरिक जिस समस्या में

Page No 62

(श्री भैरोंसिंह)

फंस गये है, उनको उस समस्या से कैसे निकाला जाय । इस विषय में विशेष-तौर से मेरे दल की ओर से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जयपुर नगर की इस समस्या के सम्बन्ध में कार्य हाथ में लिया जाय, हम निश्चित रूप से जयपुर के नगरपालिका के नागरिक की हैसियत से विधायक के नाते बिना राजनैतिक भेदभाव के सहयोग करने के लिए तैयार हैं । अगर आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या को लेकर आन्दोलन चलेगा । सरकार के पास ताकत है पुलिस की, वह पुलिस के द्वारा आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करेगी, लेकिन हम अपनी पूरी शक्ति के साथ सरकार को कचरे से मड कर कचरा करने की कोशिश करेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दौलतरामजी!

श्री अध्यक्ष : नेता, बी०के०डी० ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो समस्या जयपुर शहर के सम्बन्ध में है, वही राजस्थान के दूसरे सिटीज के सम्बन्ध में पुरानी समस्या है । अब जैसी मेरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अलवर, जयपुर के अलावा भी बाकी के शहरों में यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । इसका मूल कारण यह है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, एक लाख की आबादी के ज्यादा शहर हैं उनमें फ्लश सिस्टम नहीं है । इसलिए जब तक गटर लाइन नहीं डाली जायगी तब तक जो मुख्य सवाल था, सिर पर मेला ढोते हैं, वह हल नहीं हो सकता है और न ही शहर साफ रह सकते हैं । सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, सरकार शहरों को साफ रखना चाहती है, तो सरकार को निश्चित रूप से प्रोग्राम बना कर जितने शहर हैं उनमें गटर लाइन डालने की कोशिश करनी चाहिए, फ्लश सिस्टम शुरू करना चाहिए । इसके बिना सफाई शहरों में नहीं रह सकती है । कई बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बम्बई है कलकत्ता है, वहां गटर लाइन डाली हुई है । इसलिए दिल्ली, बम्बई और कलकता में यह समस्या नहीं है । लेकिन अलवर शहर है, उस शहर में हरएक मकान में जो पाखाने हैं और शहर में गलियां हैं उन सबकी राज्य की तरफ से सफाई कराई जाती है । लेकिन आज स्थिति यह है कि नालियां में टट्टियां फिरते हैं और उनकी अच्छी तरह से सफाई न होने के कारण महतरानियां क्या करती है कि यह टट्टियां साफ करती है और पाखाना और गन्दगी उस मकान से थोड़ी दूर पर डाल देती हैं । उसको शहर से दूर ले जाने का इन्तजाम नहीं है हालांकि पहले इन्तजाम था । वह सब खराब हो गया है । इसके साथ ही म्यूनीसिपेलिटी की जो पहले फाइनें-शियल स्थिति थी, वह भी खराब हो गई है । इसलिए म्युनिसिपलिटी की फाईनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए और शहर की कन्डीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार को विचार करना चाहिए । जो लोकल सेल्फ बाडीज हैं, और जो समितियां बनी हुई हैं, इनके सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर समस्या क्या है । आप अलवर में जाइये, मैं जानता हूं कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

वहां इतने मच्छर भिनभिनाया करते हैं कि कोई आदमी अच्छी तरह से सो नहीं सकता है सारी रात । यही समस्या आप अजमेर में देख लीजिये । वहां सफाई की बड़ी खराब हालत है । आज आप कहीं जायं, मोटर या गाड़ी से, तो कोई बड़ा शहर आने वाला होता, तो आपको पता चल जायगा क्योंकि बदबू आने लग जायगी । उससे समझ लेंगे कि कोई बड़ा शहर आने वाला है। आप अलवर चले जाइये, अजमेर चले जाइये, वहां बहुत बदबू फैली रहती है । जो पानी बहता है वह सड़ता रहता है, गन्दगी पड़ी रहती है । इस तरह से आज शहरों की हालत खराब हो रही है । तो शहर तो रहने लायक नहीं हो रहे हैं। गावों में इतना जरूर है कि कच्ची बस्तियां होने के कारण वहां पानी बहता है इसलिए मच्छर कम हैं । शहरों में सब जगह ऐसी हालत है । अजमेर में यही हालत है, उदयपुर की क्या हालत है, मुख्य मंत्री जानते होंगे लेकिन बड़े शहरों की यह हालत है । एक तरफ तो सरकार शहरों को ब्यूटीफाई करने के लिए लाखों रुपए की योजनायें बना रही है दूसरी तरफ गंदगी सड़ रही है, वहां बगीचा लगाने की बात करते हैं ब्यूटीफिकेशन की बात करते हैं । यहां तो इन्सान के जीने का सवाल है, इस बात पर विचार कर के मूल समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए........

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री दौलतराम सारण : मैं दो तीन बार खड़ा हुआ हूं......

श्री अध्यक्ष : आपके नेता महोदय बोले हैं ।

श्री दौलतराम सारण : मैं एक दो प्रश्न पूछता हूं, मुझे भाषण नहीं देना है ।

श्री अध्यक्ष : अवसर दिया जाएगा ।

श्री दौलतराम सारण : अच्छा नहीं होता, बारबार हम उठे बैठें और उसके बाद भी ।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के नेता......

श्री दौलतराम सारण : हमेशा होता है, आज की बात नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर परिषद् में पिछले 7 वर्षों से जब एडमिनिस्ट्रेटर कायम था तो लगातार गंदगी बढ़ती गई, ये हालात जयपुर में पैदा हुए । लेकिन पिछले चुनाव में इस स्थिति में परिवर्तन आया, चुनाव हुए और जन प्रतिनिधियों की नगरपरिषद् बनी है। स्थिति को आज तक एप्रीशिएट नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा चाहे जनसंघ दल द्वारा । आज जयपुर नगरपरिषद के सामने टूफोल्ड समस्या है । एक समस्या है जयपुर नगरपरिषद कुछ सफाई का काम करना चाहे तो जनसंघ असहयोग का वातावरण पैदा करता है । किसी से छिपा नहीं है कि नगरपरिषद के अन्दर जब कभी मीटिंग होती है तो जनसंघ का क्या रवैया रहता है। कांग्रेस की आपसी फूट की बात को लेकर सतीशचन्द्रजी ने कुछ बातें कहीं लेकिन नगरपरिषद की मीटिंग में क्या होता है ? जयपुर के लोगों से छिपा नहीं है। उन मीटिंग्स में जनसंघ सदस्य जूता निकाल लें, कार्यवाही चलने नहीं दें, प्रस्ताव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कोई पास होने नहीं दें, बजट पास होने नहीं दें, यह स्थिति है। साथ ही नगरपालिका के अन्दर जो कुछ प्रस्ताव पास किए जायें, बजट पास किया जाए तो अधिकारीगण ध्यान नहीं देते, मंत्री महोदय कार्यवाही नहीं करें, एन्करेज नहीं करें, यह भी समस्या नगरपरिषद के सामने है। अभी बजट पास हुआ। 75 हजार की सेवेज लाइन की सफाई करने की मशीन का प्रावधान रखा था, उसके लिए सेंक्शन नहीं आई, मशीन मंगाने की कार्यवाही नहीं की गई, रुकावटें पैदा की जा रही हैं मैं मान कर चलता हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, नगरपरिषद के सीमित साधन हैं, इसलिए सारी व्यवस्था सफाई की नगरपरिषद के द्वारा हो, यह असंभव है। इसलिए राज्य सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। खेदजनक स्थिति यह है कि अभी जैसे बद्रीप्रसाद जी ने कहा है कि और नगरपालिकाओं की स्थिति भी यही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार का ध्यान छोटी नगरपालिकाओं की तरफ ज्यादा जा सकता है, प्रोपोरशनेटली ज्यादा पैसा मंजूर किया जा सकता है, लेकिन जयपुर नगर की सफाई और समस्या की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री महोदय ने एक लाख के अनुदान की घोषणा नगरपरिषद के लिए की थी लेकिन आज की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये चाहिए ताकि नगरपरिषद सफाई का कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर सफलतापूर्वक चला सके और कुछ राहत चाहर दीवारी में रहने वाले लोगों को पहुंच सके जिनके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। चाहर दीवारी के बाहर जो रहते हैं, वहां पर रहना तो बड़ी बात, 5 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकते। आज की स्थिति में देखें कि किस प्रकार जयपुर नगर के लोग रहते हैं, वह स्थिति वाकई दूभर है। मैं चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी, जिन्होंने आश्वासन दिया, अपने नगर पार्षदों को इस बात के लिये समझायें कि उनको परिषद् में सहयोग का वातावरण पैदा करना चाहिए। आखिर जयपुर नगर के समस्या कोई जनसंघ की या कांग्रेस दल की समस्या नहीं है। जयपुर नगर की जन-जीवन की समस्या है, उसके निवासियों की समस्या है, जिसको हल करने का कर्त्तव्य जितना कांग्रेस पार्षदों पर है उतना ही जनसंघ पार्षदों पर है। साथ ही साथ इस बदलती हुई स्थिति में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जनता पकड़ती है कि आप नगरपरिषद् में जाकर क्या करते हैं, नगर की सफाई के लिए क्या करते हैं। वह चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह जनसंघ की ही बात नहीं है। कांग्रेस पार्षद कब तक इस बात को सहन कर सकते हैं कि जयपुर नगर की समस्या का हल नहीं होता है। समुचित व्यवस्था नहीं होती है। तो सरकार को बदलती हुई परिस्थिति को ध्यान मे रखकर इसको एप्रीशिएट करते हुए कि आज जयपुर नगर परिषद् में चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके साथ सहयोग करें, अधिक से अधिक अनुदान जयपुर नगर को दिलायें और मेजर प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेकर बड़ी राशि जयपुर नगर की सफाई की व्यवस्था के लिए खर्च की जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मैं बोलूंगा। हम जयपुर शहर में रहते हैं, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। आज जयपुर शहर की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसके अन्दर सारी बात नगरपरिषद पर थोप दी, यह संतोषजनक नहीं हो सकता। नगरपरिषद जयपुर की समस्या को हल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, समस्या का समाधान एक छोटी सी साधारण सी बात से हो सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे सिविल लाइन को छोड़कर जयपुर शहर की चहार दीवारी में चौकड़ीवाइज, गन्दे मकानों के बीच अपने बंगले ले लें और वहां रहें.........

श्री भैरोंसिंह : एक गंदगी और पैदा करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : गंदगी का मजा तो आएगा इनको। इनको पता तो लगेगा कि जनता कैसी जिन्दगी बिता रही है और इनको जनता की तकलीफों का ज्ञान हो जाएगा कि लोग इसी जन्म में नर्क भुगत रहे हैं या अगले जन्म में।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

(12.47 म० प०)

जयपुर शहर की ऐसी समस्या हो रही है कि दिन को जागना और रात को सोना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान जयपुर नगर परिषद कर देगी, यह नहीं हो सकता है। इसके लिए तो राज्य सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे और यह भी नहीं कि दो तीन साल में एक एक साल लेकर करेंगे। इससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। एक बार जितना खर्च होने वाला है इसी साल में किया जाकर पूरी सफाई का इन्तजाम हो जाए और भविष्य में गंदगी न फैले इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो सफाई हो सकती है। सफाई का भार हरेक कौम पर है, यह जाति विशेष का भार नहीं है। लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को और लोगों के विचारों को देखते हुए हम देखें तो वे इस सफाई से नफरत करते हैं। उस जमाने में सफाई का काम होता था वह जी जान से होता था। सफाई करने वाले चाहते हैं कि इस युग के साधनों से हम सफाई करें तो वह साधन सरकार को जुटाने चाहिए। वह भी महसूस करते हैं कि आज आजादी के समय भी हम मैला ढोना पड़ता है और राज्य सरकार इस बात की दुहाई देती है कि हम छूआछूत का अन्त करना चाहते हैं। अन्त करना तो दूर लेकिन उनको नारकीय जीवन से आप नहीं छुड़ा सके, करोड़ों रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को दिए हैं और राजस्थान सरकार को भी कई लाख रुपए इस बात के लिए दिए हैं कि कोई भंगी सर पर मैला न उठाए लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अन्य अधिकारी इस बात पर विचार नहीं करते कि यह बंद किया जाए। आज भी वह हरिजन सुबह 4 बजे उठता है और 9-10 बजे तक सिर पर मैला उठाता है, उसको न साबुन दिया जाता है, न वर्दी, न विशेष तनख्वाह। ऐसी हालत में उससे सबसे नीच काम लेकर उनको सबसे कम तनख्वाह देकर जनतंत्र के अंदर

(श्री लादूराम सुलानिया)

आप मनुष्य का अधिकार छीनते हैं। यह शर्म और अन्याय की बात है। उस अन्याय के भागी हैं तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर यह काम आप नहीं कर सकते हैं तो इसका एक मौका और है जो मैं निवेदन करूं कि वह समाज का कल्याण करने वाला है इसलिये समाज कल्याण विभाग को ही यह काम सौंप दिया जाय तो सेवा अच्छी तरह से हो सकती है।

श्री विजयसिंह : आपका मतलब मंत्रीजी से है ?

श्री लादूराम सुलानिया : वे खुद सेवा करते हैं ?

बनीपार्क, 'सी' स्कीम यहां पर आपने सीवेज लाइन नहीं डाली। हाउस टैक्स आप वसूल करते हैं। आदर्श नगर की क्या हालत है ? रोड्स जगह जगह से कटी हुई हैं, छोटे 2 पिट्स बने हुए हैं और सड़कों पर पानी बहता रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण लम्बा हो रहा है। छोटा कीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : छोटा कर रहा हूं।

कबीर मार्ग है बनीपार्क में। आप जाकर देखिये कि पानी भरा हुआ है। गटर लाइन तो है नहीं। लोग रहने वाले किसी प्रकार अपना साधारण काम चलाते हैं और पानी बाहर आ जाता है तो लोगों को जुर्माना भुगतना पड़ता है। आप तो आंख मींच कर बैठ गये हैं और आप कहते हैं कि नगरपालिका के भरोसे पर सौंप दिया है। 12 मील का एरिया है, छोटे 2 गांव हैं आस पास। झोटवाड़ा वगैरा हैं। उनमें इतनी गन्दगी है, आपने क्या व्यवस्था की है ? कुछ नहीं। भंगी और मेहतरों को क्यों नहीं लगाया ? लगाना नहीं चाहते या विचार नहीं किया। वहां की भी जनता ही है।

इसलिये शहरी और बाहरी समस्या को लेकर मैं निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रीजी की इसमें दिलचस्पी नहीं है इसलिये इस विभाग को उनको छोड़ देना चाहिये। स्वास्थ्य मंत्रीजी नहीं सम्हाल सकते हैं इसलिये इसको मुख्य मंत्रीजी को स्वयं को सम्हाल लेना चाहिये जिससे कि शहर और कस्बों में सफाई रहे। भंगी जाति के लोग सिर पर मैला न ढोयें। आपके मुख्य मंत्रित्व काल में सिर पर मैला ढोयें। आप पन्द्रह सोलह वर्ष से मुख्य मंत्री हैं आप इसको मिटा नहीं सके हैं। आपके नेतृत्व में, आपके काल में भंगी द्वारा सिर पर मैला ढोया जाय इसको आपको हटा देना चाहिये और आपने इसको हटा दिया तो इसका सारा श्रेय आपको मिलेगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़ियाजी ने सिर पर मैला ढोना हटा दिया। हम आपको बधाई देंगे और ऐसा नहीं होगा तो आप बधाई के पात्र नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि भंगी सिर पर मैला न ढोयें इसकी व्यवस्था करें।

श्री किशनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, देखने में जयपुर शहर बड़ा आकर्षक और सुन्दर है लेकिन यहां की सफाई की व्यवस्था तो देखिये कि गन्दगी बहुत बढ़ गयी है। कूड़े के ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। कचरे के साथ मेहतरानी

(श्री किशनलाल वर्मा)

मैले की परात को उसमें उड़ेल देती है और दिन भर वह सड़ता रहता है। गाड़ियां उठाने के लिये समय पर आती नहीं। कभी कभी तो यह देखा जाता है कि छुट्टी वगैरा हो जाने पर तो दो दो, तीन तीन दिन तक वह मैला वहां ही कचरे के साथ सड़ता रहता है और लोगों का रहना दुखद हो जाता है। इस प्रकार शहर की हालत खराब हो रही है। इन्स्पैक्टर लोग या तो घूमते नहीं। बताया यह गया है कि कई मामलों में तो जमादार और इन्सपैक्टर का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है और न ड्यूटी पर रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी की भी बड़ी लापरवाही है। उस ओर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वालजी की कोठी के रास्ते में जहां कूडा डालते हैं वही मैला डाला जाता है जिससे सड़कों पर आदमियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। गटर लाइन या तो है नहीं और है तो गटर लाइन रुक जाती हैं। सफाई न करने के कारण तो सारे रास्तों में पानी भर जाता है और वह कई दिनों तक भरा रहता है। इस प्रकार स्वास्थ्य की देख माल करने वाले लोगों में बड़ी गैर जिम्मेदारी आ गयी है। नगरपालिका में ऐसी बात होने लग गयी है कि कहने जाओ तो कोई सुनता नहीं है व कोई काम नहीं करते हैं। देखने में यह आया है कि भैंसागाड़ी वाले हैं, उनमें से किसी के पास भैंसा है तो गाड़ी नहीं और गाड़ी है तो भैंसा नहीं लेकिन बराबर हाजरी उनकी कर दी जाती है। आबादी की दृष्टि से यदि भैंसागाड़ी की संख्या कम है तो भैंसागाड़ी और बढ़ायी जाय, सफाई कर्मचारी कम हैं तो उनकी संख्या बढ़ायी जाय नहीं तो काम कैसे चलेगा। जब मेम्बर लोग वोट लेते थे तो उस वक्त बड़े बड़े वायदे करते थे लेकिन अब घूमते नहीं हैं और सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि इसका मजबूती से हल नहीं निकाला गया तो जयपुर शहर की गन्दगी को कोई मेट नहीं सकेगा।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूरामजी को कुछ कहना है।

श्री दौलतराम सारण : मैं सात बार उठ चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पिछली पंक्ति में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप किसी को भी टाइम दें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यह तरीका आपका अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तरीका अच्छा है। मैंने वादा कर लिया है।

श्री दौलतराम सारण : आपसे पहले वालों ने मुझसे वादा किया है। मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं। स्पीकर महोदय ने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर में तो वे बोल ही लेते। खैर। पहले आप बोल लीजिये।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :

(श्री दौलतराम सारण)

मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं तो दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि कूड़ा ढोने की कितनी विहिकल्स हैं और कितनों की आवश्यकता है? उनमें से कितनी बेकार पड़ी हैं और कितनी सर्विस दे रही हैं? गटर लाइन की सफाई के लिये कितनी रकम की आवश्यकता है और जो गटर लाइन नहीं है तो उसको बनाने में कितनी पूंजी की आवश्यकता है? जो नालियां हैं उनकी सफाई मरम्मत आदि के लिये कितना पैसा चाहिये और जहां नहीं हैं तो उनको बनाने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है? यह राज्य सरकार से जानना चाहता हूं। फैक्चुअल रिपोर्ट जैसी आनी चाहिये स्टेटमेंट में वह आयी नहीं। गंदगी का क्या कारण है? या तो पर्याप्त संख्या में विहिकल्स नहीं होंगी, कर्मचारी नहीं होंगे और अनुपात से गटर लाइन नहीं होंगी। या साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ गन्दगी को हटाने के लिये, कोई न कोई गन्दगी पैदा होने का कारण है। कितने साधनों और पूंजी की आवश्यकता है राज्य सरकार की दृष्टि से? यह सब बतलाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो सफाई कर्मचारी हैं जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा हैं, किन्तु उनमें से 1/4 तो ऐसे हैं जो सफाई की उस ड्यूटी पर ही नहीं लगे हुए हैं, अन्यत्र काम करते हैं।

श्री लादूराम मुलानिया : उनके घरों पर लगे हुए हैं। दूसरे काम धन्धों में लगाये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : उदाहरण के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि एम० एल०ए० क्वार्टर्स हैं। गवर्नमेन्ट होस्टल के सामने आलू फैक्ट्री है। आलू फैक्ट्री के बुर्ज के पास में 20 दिन से कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो सड़ रहा है या जानवर मरा पड़ा है, वह सड़ रहा है। मैं 15 दिन से देख रहा हूं। उसको कोई उठाने वाला नहीं है। इसी प्रकार वनस्थली मार्ग पर खुले आम हजारों आदमी टट्टी बैठते और कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। मैंने इतनी गन्दगी कभी नहीं देखी। उधर से पास ओन नहीं हो सकते है। स्टेशन रोड और मन लाइन की यह हालत है। आबादी भी है। दवाखाना भी है बोर्ड लगा हुआ है वर्कशाप भी लगा हुआ है। मुख्य सड़क की यह स्थिति है। आगे जायं तो एम० एल०ए० क्वार्टर्स हैं, उधर मंडावा हाउस के सामने नल के सामने इतना भयंकर पानी है और वह सड़ रहा है। वहां रास्ते से आदमी पास नहीं हो सकते हैं। इस तरह की गंदगी है। या तो इन सारी गंदगी का कारण यह है कि नगरपालिका की व्यवस्था में दोष है, या निरीक्षण का दोष है, या पर्याप्त सफाई कर्मचारी नहीं हैं या पर्याप्त साधन नहीं हैं, या पर्याप्त स्त्रोत नहीं हैं साधन उपलब्ध करने का, कोई न कोई इसमें कारण है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो मुद्दे यहां पर रखे हैं उन पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूराम।

श्री शम्भूराम (लालसोट) : उपाध्यक्षजी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। अब की खेती बाड़ी अच्छी हुई है। अच्छा अनाज पैदा हुआ है। माल पैदा हुआ है और आनन्द

Page No 69

(श्री शम्भू राम)

ही आनन्द है लेकिन साथ ही जो सफाई और जल व्यवस्था है उसकी ओर गवर्नमेन्ट को ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। लालसोट, दौसा होता हुआ मैं आता हूं। दौसा में यह सही बात है जल के लिये त्राहि त्राहि हो रही है। इतनी मुसीबत है दौसा में पानी की। हमारे यहां पर देखो कितनी गन्दगी है। हमारी जो खिड़की है उसको जुड़ कर रखते हैं ताकि गन्दी हवा अन्दर न आवे और पंखा चलाते हैं। यह यहां का हाल कह रहा हूं जहां कि विधायक रहते हैं। वा भाईजी की हवेली में और दूसरी जगह का तो क्या हाल होगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस की तरफ सरकार, नगरपालिका जो भी हो ध्यान दे। दो करोड़ के बजट में से कुछ पैसा इसके लिये भी रखा जाये। यह मेरा निवेदन है। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात न कह कर तथ्य ही निवेदन कर रहा हूं। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता: दो मिनिट . .

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। मंत्री महोदय।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव भी दिये हैं और कुछ प्रश्न भी रखे हैं, पूछे हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यहां की जो सफाई व्यवस्था है उसको गम्भीरता से सरकार नहीं देखती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में और सदन के बाहर समय समय पर इस बारे में बराबर चर्चा होती रही है जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है चाहे वह किसी दृष्टि से हो, राज्य के दृष्टिकोण से हो अथवा अन्य दृष्टिकोण से हो मुझे याद है मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी और जिलाधीश के कार्यालय में भी हुई थी और कुछ गधों पर कचरा भी लाया गया था। यह एक प्रकार का प्रदर्शन मात्र था। इस प्रकार यहां पर समय समय पर प्रदर्शनों के द्वारा बातें हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि माननीय सदस्य श्री भैरोंसिहजी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के मानवीय दृष्टिकोण को लेकर सफाई के बारे में काम किया जाये। यह मैं भी मानता हूं और यह श्रेयस्कर भी है। यह जनता के हित में होगा, नगरपरिषद के हित में होगा और सरकार के हित में होगा। इसलिये जहां तक उनके सुझाव का सवाल है उनको मान्यता जरूर देता हूं और स्वागत करता हूं परन्तु उनकी कथनी और करनी में भिन्नता है और, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही मुश्किल बात होगी। जहां तक माननीय सतीशचन्द्र जी ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार के पास कितना इस प्रकार का एक्सटेन्ट है सफाई के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार ने तो नहीं अपितु आज जो हमारी नगरपरिषद है उसने एक रिपोर्ट बनायी है और उसने उसमें सारी चीजों का एक अनुमान लगाया है और वह एक तरह का लेखा, ब्ल्यू प्रिन्ट बनाया है और आवश्यकता को देखते हुए सुझाव भी दिये हैं। उसमें यह बताया गया है कि 600 टन का कूड़ा कर्कट होता है, और यह जयपुर में पर डे होता है। इसके लिये उन्होंने 60 व्हीकल्स मांगे हैं और इसके लिये उन्हें 32 व्हीकल्स की और जरूरत है और जो दूसरी व्हीकल्स हैं एग्जिस्टेन्स म उसमें 28 अच्छी हैं और

(श्री भोखा भाई)

18 व्हीकल्स अभी ठीक सर्विस नहीं कर पा रही हैं और कुल मिलाकर जो व्हीकल्स की आवश्यकता है वह 60 के करीब है। यह यहां की स्थिति है और यहां की जनसंख्या को देखते हुए यह जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने अगर यह मांग मान ली और इसके लिये वह सारी धनराशि ऋण या अनुदान के रूप में दे दी तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह न्यायोचित होगा और क्या यह और नगरपरिषदों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा? मैं यह मानता हूं जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहां पर काम सफाई का किया जाना चाहिये और इस पर सरकार की ओर से चिन्तन भी किया गया है। गटर लाइन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जयपुर राज्य के वक्त में गटर लाइन बनी थी। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर फ्लश लेट्रिन बनी है और वह भी शार्ट हो गई हैं। सविस्तार आप चाहें तो इसकी सूचना मैं दे सकता हूं। शहर के भीतरी भाग में लगभग सभी स्थानों पर गटर लाइनें हैं। मुख्य सड़क पर 9 इंच और गलियों में 6 इंच की गटर लाइन है। मेन गटर लाइन 27 इन्च की है। जब कि बाहरी क्षेत्र में कोई गटर की लाइन नहीं है सिफ बनीपार्क में कलेक्टरी के पास माधोसिंह मार्ग, सी स्कीम में अशोक मार्ग, पटेल मार्ग, चितरंजन मार्ग, एम० आई० रोड, चांदपोल बाहर के क्षेत्र में जालूपुरा, खेतड़ी हाऊस, रेलवे स्टेशन, यहां पर गटर की लाइन है। शहर के अन्दर गटर की लाइन है किन्तु जो छोटी छोटी गलियां हैं और वहां मकानों के बीच में गन्दगी पड़ी है, मैला पड़ा रहता है। जिसकी सफाई की आवश्यकता है। फिर भी आम तौर से यह कहा जा सकता है कि बाहर से कोई आये तो वह यही समझेगा कि जयपुर के अन्दर सफाई है परन्तु अन्दरूनी भाग में सफाई नहीं है और इस बात से मैं इन्कार नहीं करता हूं। राज्य सरकार के सामने यह सवाल आया है। इसके लिये दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो धन का है और दूसरा गटर का। गटर लाइन की बात करें इसके लिये जो अन्डरग्राउन्ड स्कीम है उसमे करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है और दूसरी तरफ सरकार के सामने प्रश्न है कि उसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले लोगों के लिये पीने का पानी मुहैय्या करना है। तो यह प्रश्न है कि उन लोगों को सरकार पहले पीने का पानी मुहैय्या करावे या पहले गटर का निर्माण करावे और यह किया जावे तो कहां तक वाजिब होगा—यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर में फव्वारा लगा यदि वह वाजिब है तो यह भी वाजिब होगा।

श्री भीखा भाई : उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राज्य सरकार ने नहीं किया है। वह तो ट्रस्ट का काम है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहा पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा होती है, योजना पर चर्चा होती है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह आप उचित समझते है। यहां पर जो सीमावर्ती जिले हैं उनके अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था करने और जो नलकूप है उनको चलाये जाने के लिये कहा जाता

Page No 71

(श्री भीखाभाई)

है, चर्चा की जाती है । क्या राज्य सरकार इसके लिये जो धनराशि का प्रावधान किया है वह वहां खर्च की जाये । यह तो वहां की आवश्यकता है । दूर होने के कारण इसकी आवश्यकता है । उनकी दिक्कतों को देखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पेय जल की समस्या है । अगर गटर लाइन, अन्डर ग्राउन्ड लाइन का काम हो तो किया जा सकता है । मैं उनसे इत्तफाक कर सकता हूं । प्रायोरिटी के रूप में हो यह काम यह सही नहीं है । यह कहा गया कि गटर लाइन के बारे में चिन्तन नहीं किया गया है । मैं बताना चाहता हूं सन् 1964 में राज्य सरकार ने इसकी योजना बनाई थी और साढ़े तीन करोड़ जिसकी आज की लागत साढ़े चार करोड़ है उसको हम हाथ में ले लेते किन्तु उन लोगों को जो हमारे रूरल एरिया में रहते है उनको पानी से वंचित रखते, यह सम्भव नहीं था । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गटर बनाने का प्रश्न है वह बना दी और इसके साथ ही निवेदन करूं सीवर फार्म पर एक प्लान्ट बनाने की भी योजना थी । आने वाले समय में वह काम शुरू किया जा सकता है । मैं समझता हूं इसमें कोई रूपरेखा या धनराशि का सहयोग मांगेगी तो राज्य सरकार कभी इन्कार नहीं करेगी । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं अभी डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया जो आर्थिक स्त्रोत है वे कहीं डूब तो नहीं गये । आर्थिक स्त्रोत को बढ़ाने का सवाल आता है और जब हम देखते हैं और बजट पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि घाटे का बजट पेश होता है और यहां पर जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती है । नगर परिषद् के आय के अन्य क्या क्या स्त्रोत अपनाये जा सकते हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों का सहयोग हुआ और राज्य सरकार का जहां तक प्रश्न है, राज्य सरकार उदारता पूर्वक सहायता देती रही है । राज्य सरकार ने 50 लाख रुपये नालियों के लिये रखे हैं । मैं विश्वास के साथ कहता हूं गत वर्ष लगभग 32 लाख रुपये नालियों और सड़कों के लिये थे उसके अलावा पर-केपिटा अलग था । 14 लाख रुपये लोन एण्ड एडवान्सेज के लिये मेहतरों का वेतन चुकाने के लिये था । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राज्य का मानवीय दृष्टिकोण है और मानवीय दृष्टिकोण को लेकर ही चलना चाहते हैं । यह बात कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री लादूराम सुलानिया: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने कहा हमारे पास 60 व्हीकल्स सफाई का काम करते हैं । ये सब व्हीकल्स मंत्रियों के खाद डालते हैं । हरसाड़ा झोटवाड़ा, अजमेर रोड के फार्मों को चैक किया जाय, ये जो गला सड़ा कूड़ा कर्कट भरते हैं इसमें 60 व्हीकल्स का ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा ।

श्री लादूराम सुलानिया : आप इस विभाग को छोड़ दीजिये या तो आप गृह

(श्री लादूराम सुलानियां)

विभाग लीजिए या रेवन्यू विभाग लीजिये आप स्वायत शासन में काम नहीं कर सकते हैं। या तो एक समाज कल्याण मंत्री श्री जोशी जी साहब या आप है ये दोनों ही निकम्मे मंत्रियों में से है। मैं जो कहता हूं इसकी जांच करवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। अनुदानों की मांगों पर विचार। मंत्री महोदय मांग संख्या 26, 27 व मांग संख्या 40 प्रस्तुत करेंगे।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण
मांग संख्या 26, 27 व 40

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42 बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44 करोड़ 34 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कितना बोला आपने... 44 करोड़ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, चार करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक–43 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) और 44 सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयत्र पर व्यय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,81,18,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक) 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,84,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

मांग संख्या 26, 27 व 40 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26

श्री नन्दलाल बंरवा (पाटन): 1. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन में चम्बल नहर का पानी टेल तक पापड़ी, बड़ाखेड़ा, माखिदा, लवान आदि गांवों की भूमि में पानी नहीं पहुंचने से सैकड़ों बीघा की फसल सूख जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग

(श्री नन्दलाल बैरवा)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर के द्वारा सीपेज व रीसन के पानी से सैकड़ों बीघा भूमि खराब हो जाने पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन में चम्बल नहर पर उचित स्थानों पर आम रास्तों पर पुलिए नहीं बनने से ग्रामीण जनता को असुविधाओं पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की नहरें जबसे बनीं तब से आज तक उनकी सफाई आदि नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन की काप्रेन एवं पाटन ब्रांच (चम्बल नहरों) की सफाई आदि नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी म खटकड से लाखेरी तक नहर का कार्य अब तक चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 40

7. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन के ग्राम माखिदा, बड़ा खेड़ा पापड़ी, प्रतापगढ़ केवारपुरा रोटदा आदि गांवों को, जो टेल पर हैं, समय पर चम्बल नहर से सिंचाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में निकली चम्बल नहरों द्वारा टेल तक सिंचाई का पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में चम्बल नहर से खराब हुए आम रास्तों को ठीक न कराने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन से निकली चम्बल नहरों के द्वारा हुई सीपेज पर अब तक ड्रेनेज का कार्य नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि

Page No 74

(श्री नन्दलाल बैरवा)

के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में चम्बल की नहरों की सीपेज से हजारों बीघा भूमि पर पानी भरे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहरों का पानी टेल पर डालने के लिये नाला नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के कस्बा नैनवा के तलवास के तालाब का कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा में ग्राम करवर, अरनेठा, आतरदा के पास के नाले को बांधने हेतु अब तक सर्वे नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

मांग संख्या 26

15. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोंग बांध के पानी के उपयोग के लिये मसीतावाली के हेड से लिफ्ट योजना तथा सिधमुख नहर के निर्माण कार्य के चालू करने म सरकार देरी कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा-नोहर में भाखरा की नहरों में पानी की भारी कमी है, गर्मी के दिनों में तो किसानों को पीने का पानी भी पेट भर नहीं है जो पैसा नहरों को पक्का करने के लिए दिया गया है उसका बड़ा भारी गलत व भ्रष्ट रूप से उपयोग हुआ है, इन पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा की अमरसिंह-जसाना नहरों में लम्बे समय से पानी आधे से भी कम मिलता रहा है, इस कमी को सरकार आज तक दूर नहीं कर सकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

18. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के मौखे के केस लम्बे समय तक चलते रहते हैं, और किसान मारे मारे फिरते हैं। अन्त में तंग आकर उन किसानों को रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि

(श्री हंसराज आर्य)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लम्बे समय से विचाराधीन सिघमुख नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल के मसीतावअली हैड से लिफ्ट नहर निकाल कर नोहर तहसील के गांवों की भूमि को कमाण्ड करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

21. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल के निर्माण कार्य में मसाला गलत लग रहा है, नहर की चिनाई में बड़ी गड़बड़ हो रही है तथा सामान की खरीद फरोख्त में भारी गोलमाल है। लाखों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं, सामान में चोरी हो रही है, सिमेन्ट को लोग चोरी से ले जा रहे हैं, तथा इस पर देख रेख नहीं है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा की नहरों का पानी पक्षपातपूर्ण तरीके से चल रहा है, हरियाणा, पंजाब भी भाखरा की नहरों का पानी पूरा नहीं छोड़ रहे हैं, स पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों को पक्का करने के लिए जो पैसा दिया गया था उसका स ो उपयोग नहीं हो रहा है, जहां पर नहरें पक्की की जा रही हैं वे जगह जगह पर पीछे से गिरती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां जहां पर जिला गंगानगर में नहरों की सिल्ट निकाली जाती है वहां पर नहरों के बैंक्स पर मिट्टी कम डाली जाती है और खर्चा अधिक दिखाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के पानी को चलाने में पक्षपात चलता है, इस पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (सरकार कमाण्ड एरिया के गांवों में समय पर पीने का पानी सुगमता से देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

27. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 76

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(चम्बल नदी पर बनाए गये कोटा बांध से सवाई माधोपुर सब डिविजन में नहर बढ़ाई जाने की योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

28. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के सूखाला बांध की नहर को ग्राम पडाना तक न पहुंचाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खण्डार तहसील में बाओली के पास बनास नदी पर बांध न बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोपालपुरा बांध की मुख्य नहर पर बसे लगभग बारह गांवों को कमाण्ड एरिया में न लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्ध आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ढील नदी के बांध गोपालपुरा की मुख्य नहर से टेलवाले कमाण्ड में पानी की कमी की पूर्ति हेतु कोई योजना न बनाए जाने की चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंध जैतपुरा, सूरवाल एवं गोपालपुरा (जिला सवाई माधोपुर) के कमाण्ड की पिलाई में इस वर्ष हुए घोर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

33. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु-प्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर पर सीपेज व वाटर लोगिंग पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर में पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाहर सागर बांध पर फ्लाई ऐश की खरीद में अनुचित लाभ देन पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजना नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेंट्रल स्टोर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर बांध, चम्बल परियोजना, कोटा में सामान की चोरी व अनुचित कार्यों पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

37. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर पर लिफ्ट इरिगेशन पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा बांध के स्नान घाटों की कोटा नगर में दयनीय अवस्था पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल स्टोर कोटा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध शिकायतों के होने पर भी मामला पुलिस में न भेजे जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

40. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में चम्बल नदी बहुद्देशीय परियोजना में हुए गलत खर्चों पर चर्चा के लिये)

41. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा स्थित चम्बल स्टोर में हुए कथित घोटालों व माल खरीदने में की गई अनियमितताओं एवं फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा बरती जाने वाली धांधली व फैल रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

43. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहुप्रयोजन नदी योजनाओं पर होने वाले अवैधानिक खर्चे पर चर्चा के लिये)।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी):

मांग संख्या 26

44. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल राइट केनाल से सांगोद तहसील के गांवों में लिफ्ट द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भुआरसिंह)

मांग संख्या 40

46. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील रामगंज मण्डी में सर्वे हो चुकने के बाद भी हरिगढ़ योजना शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में लघु-सिंचाई साधनों का समुचित उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल बरासिया (केकड़ी) :

मांग संख्या 26

48. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट में लाखों रुपयों के घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

49. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र के नदी नालों पर रपटें (एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खादेदा के पास खारी नदी में एनीकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

51 मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहपुरा तहसील के अरवड़ की केनाल को लम्बा कर, ग्राम पिपलाज के काश्तकारों की जमीन को पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विसुन्दनी बांध को लघु-सिंचाई योजना में लेकर उस पर कार्य चालू कर राज्य सरकार न अजमेर जिले की जनता से की हुई शर्तों से मुकरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पारा बांध नं० 2 की चैन नं० 36 व 37 के बीच में एक केनाल और निकालकर ग्राम फारकिया के काश्तकारों की जमीन म पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिय)।

54. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली तहसील के मानसरोवर म एक केनाल निकाल कर ग्राम बोगला के काश्तकारों को पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 79

(श्री देवीलाल बुरासिया)

55. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ तहसील के डोराई नाले को रेल्वे सड़क के पास बांध बंधवाने के लिए सर्वे आदि कराकर बांध बांधने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार अजमेर जिले के काश्तकारों की आशाओं पर पानी फेरने के लिए डाई नदी के पानी को मोड़ कर टोरडी सागर में डालने की साजिश कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई मंत्री द्वारा केकड़ी नगर में लसाड़िया बांध को अप्रेल, 1969 में चालू करने की घोषणा करने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं करने एवं बजट में इस सम्बन्धी कोई व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अंराई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रामपाली के ग्राम रामपाली में तालाब का सर्वे भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक तालाब नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सदारी में तालाब का सर्वे हो चुका है और उसकी रकम भी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र के जितने भी सिंचाई विभाग के तालाब हैं उनमें नई केनालें निकालने एवं केनालों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

61. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदी योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42— बहुप्रयोजन नदी योजनायें आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदी योजनाओं के प्रारम्भ में जितने व्यक्ति एवं गांव प्रभावित होते हैं उन्हें पुन: बसाने को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

63. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में वर्षा के

(श्री भगवानदास शास्त्री)

समय आने वाले पानी को रोकने के हेतु तालाबों आदि के निर्माण की आवश्यकाता पर चर्चा के लिए) ।

64. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में कुएं सूख जाने से किसानों को होने वाली परेशानी को मिटाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

65. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन तटवन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को, जो सदा अकालग्रस्त रहता है, अकाल से बचाने के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सर्वे करवाकर हरी क्रान्ति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 26

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

66. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहुप्रयोजन नदी योजनाएं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार एल० एन० पी० नोन पेरिनियल को पेरिनियल करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

67. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग-भाखरा व राजस्थान कैनाल की कम्पलीटेड चेनल्स को एक चीफ इन्जीनियर के अधीन करने में असमर्थ रही, इस असफल नीति का अननुमोदन) ।

68. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार आज तक इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 40

69. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग केनाल की वींटर सप्लाई में 470 क्युसेक्स (जो इसका अधिकार है) की बढोतरी करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग केनाल व भाखरा सिस्टम की चेनलस की मरम्मत आदि की समुचित व्यवस्था करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

71. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98– बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार भाखरा चेनल्स की 62% इन्टेन्सीटी को 8% करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री केदारनाथ)

72. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार भाखरा सिस्टम में पंजाब व हरियाना प्रान्त से अपने हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98–बहुप्रोयजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग केनाल को इ डस ट्रीटी के बाद रबी फसल के दौरान 1948 से 1960 तक तो एडीशनल बेनिफिट्स प्राप्त होता रहा, उसे उपलब्ध कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

74. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग केनाल व भाकरा केनाल के अनकमाण्ड एरियाज को लोलिफ्ट द्वारा सिंचित करने की योजना बनाने एवं व्यवस्था करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार नोहर के उपजाऊ क्षेत्रों को साउथ घग्घर केनाल से सिंचित करवाने के बारे में कोई योजना बनाने में आज तक असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

76. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98–बहुप्रयोजन नदी योजनाएं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार रावी व ब्यास के वाटर अकाउन्ट्स को पंजाब सरकार से आज तक प्रि-पार्टिशन यूटिलाईजेशन के आधार पर सुलझाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

77. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98–बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शार्दूल ब्रांच, करनीसिंह ब्रांच-खारा सब ब्रांच, साउथ घग्घर ब्रांच वे अमरसिंह सब ब्रांच व मेसाना डिस्ट्रीब्यूटरी की इन्टेंसिटी 81% करवाने में आज तक असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

78. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग केनाल क्षेत्र का 58,000 एकड़ जो सिंचाई के योग्य है, पर अनकमाण्डेड से कमाण्डेड करवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 26

79. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल राणा प्रतापसागर बांध पर लगी पूंजी को भारी ब्याज दिये जाने पर भी इसका कोई रिटर्न राज्य को नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

80. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजना में की जा रही फिजूल खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

81. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-निवेशन योजनाओं में होने वाली फिजूल खर्च, धांधली, पक्षपात, अनियमितता, क्षेत्रीय भावना से जन-साधारण में होने वाले असंतोष पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजा परियोजना की लैफ्ट कैनाल का निर्माण इस प्रकार किया गया है जिससे कि माण्डल ग्राम व उसके आस-पास के ग्रामों में पानी नहीं मिले; इसमें इन ग्रामों के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार से उन ग्रामवासियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत स्थापना से होने वाले खर्च को कम किया जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर) जिले में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बरसाती पानी रोका जाकर सिचाई हो सकती है, इसकी सर्वे कराई जानी जरूरी है, राज्य सरकार की इस ओर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाणिज्यिक परियोजनाओं में होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

86. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग म व्यय की मात्रा के अनुपात में रिटर्न प्राप्त नहीं होने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई कार्यों में होने वाले अपव्यय एवं विभागीय अनियमितताओं को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर लगने वाली पूंजी का उचित रिटर्न न प्राप्त होने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99—सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर बोर्ड तथा मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य अभियन्ता

Page No 83

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

राजस्थान नहर परियोजना की स्थापना पर हो रहे भारी खर्च में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा बीकानेर व चूरू जिले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दोनों जिलों में काफी बरसाती नाले हैं जिन्हें बांधने के लिये तुरन्त सर्वे कराने की आवश्यकता है जिससे यहां की जनता को राहत मिल सके, इस पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व गंग नहर में खर्च होने वाली राशि के मुकाबले काम कुछ भी नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में जिन तालाबों से सिंचाई होती है, उनकी मरम्मत राजस्थान बनने के बाद से अब तक नहीं करवाई गई जिससे होने वाली किसानों की हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

93. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की एन० टी० ब्रांच से गांव बरवाली को एक माईनर निकालने की योजना थी, जिसका काम आज तक चालू नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की जे० एस० एन० व के० एन० एन० के पक्के मोघों को बार बार उखाड़े जाने से काश्तकारों में असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (भाखरा नहर की टेलों पर आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। एन० टी० आर० के० एन० एन०, जे० एस० एन० नहरों की टेलों पर पानी नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर क्षेत्र के ग्रामों में पेय जल संकट को दूर करने के लिये पक्की डिग्गियां नहीं बनाई जाती हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नहर की खनाड़ियां व जहाना ब्रांच में पानी 28% चलता है, इसको पूरा किया जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 84

(श्री रामचन्द्र आर्य)

98. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर कंट्रोल चेनल के पानी को लिफ्ट किया जाकर बारानी ग्रामों की जनता को सिंचाई तथा पीने का पानी दिया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42—बहुप्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाता है और राजस्थान की जनता प्यासी मरती है, इस पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहुप्रयोजन नदीयोजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर कंट्रोल चेनल से काश्तकारों को पानी नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

102. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय(राजस्थान केनाल के काश्तकारों के चकों में लगे मोघों को बार बार उखाड़ने से भंयकर अव्यवस्था से सरकार की सिंचाई सम्बन्धी नीति असफल रही, है, इस असफल नीति का अननुमोदन)।

103. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की मुख्य केनाल व शाखाओं के पास बारानी भूमि को अरहट लगा कर सिंचाई के लिये पानी दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावतसर ब्रांच से गांव टापरियों की जनता को सड़क के साथ नहर से पीने के पानी की मांग दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल कार्यालय में किसानों से अधिकारी नहीं मिलत, इस पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में भयंकर अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को दूर करने म राज्य सरकार की दुर्लक्ष्य पूर्ण नीति असफल रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में वार्ता के समय पानी की कमी को पूरा करने के लिये श्री मोतीराम की रिपोर्ट नहीं आई, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

108. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से हिस्से का पानी नाली में छोड़ने से नहर की टेलों तक पानी नहीं पहुंचता इस पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से केसर-देसर माइनर की स्कीम का कार्य चालू करने के संबंध चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से हरदासवाली माईनर को आगे बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग सं० 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से चामंया रावतसर के बीच से एक नहर और निकाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से गांव ऐटा चाम्हूसर, गुसांईसर तथा रतासर को सिंचाई व पीने का पानी दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावतसर ब्रांच से चक नम्बर 13 आर० डब्ल्यू० डी० से गांव ढढेला की जनता को पीने का पानी दिया गया है, इस खोल पर अहरट लगाने की स्कीम मंजूर करने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावत पर ब्रांच के जिरो हैड से किकरालियां माइनर को निकाला जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

115. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर रावतसर ब्रांच के चक नम्बर 13 आर० डब्ल्यू० डी० के मोघा नम्बर बी को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से खेदोसरी माइनर के निर्माण कार्य में देरी किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कनवाणी तथा रामपुरा माइनर की टलों पर रेता ज्यादा होने से पानी नहीं पहुंचाता, इन माइनरों को पहले पक्का किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

118, मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से तहसील नोहर व सूरतगढ़ के ग्रामों को लिफ्ट सिंचाई योजना से सिंचाई व पीने का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल की रावतसर ब्रांच पर गांव दासुवाली से गंड़ेली जाने वाले रास्ते पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120 मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से गांव ठुकराना को सिंचाई व पीने का पानी नहीं दिया गया है, इस पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल से सोमासर माइनर को आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की 165 आर० डी० के स्केर के पानी लिफ्ट किया, जाकर नहर को दक्षिण म निकालने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर में पानी पूरा नहीं दिया जाता, नहर की मरम्मत नहीं की जाती, इस पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल के जीवण देसर, तहसील रायसिंह नगर की भूमि को पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल की समेजा तथा लालगढ़ जाटान शाखा को बारहमासी करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिद्धमुख केनाल की योजना काफी सालों से तैयार है, इसका निर्माण कार्य पुनः चालू करवाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर केनाल की स्कीम काफी सालों से बनी हुई है, इसका निर्माण कार्य चालू कराने पर चर्चा के लिये)।

Page No 87

(श्री रामचन्द्र आर्य)

128. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० सी० पी० रावतसर ब्रांच से करवाणी हैड से लिफ्ट सिचाई योजना का काम चालू नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामपुरा माईनर के हैड में पानी पूरा नहीं चलता, इसको बड़ा करने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर ब्रांच के कनवाणी व रामपुरा माइनर को टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की रावतसर ब्रांच में मोघे नीचे लगाने से टेलों तक पानी नहीं पहुचता है, इस पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के मोघों में शाफिट लगानें से काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिलता है, इस पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की बन्दी होने से फसल कमांड के पास की बुआयी में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचलान, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल में पानी नहीं चलने से फसल कमांड के पास की बुआयी में बाधा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग के पटवारी सरकारी पड़त भूमि पर काश्त कराते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग के अधिकारी बंगलों की भूमि में फसल पैदा करवाते हैं चपरासियों तथा बेलदारों का शोषण करते है, इस सम्बन्धी राज्य सरकार की ढिलमिल नीति के कारण ही अधिकारी मनमाने ढग से पद का दुरुपयोग करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग के अधिकारी हनुमानगढ, सूरतगढ, गंगानगर, लखमाली,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रावतसर, बालड़का, संगरिया, तलवाड़ा, बघेली, मसीता वाली हैड, नोरंग देसर के सरकारी बंगलों में आज भी फसल काश्त की हुई है, इस पर चर्चा के लिये) ।

138. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर निर्माण कार्य में फिजूल खर्ची को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल का हनुमानगढ़, गंगानगर पर बांध टूट जाने से यातायात में बाधा पहुंचती है, इस पर चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर विभाग में भारी मात्रा में मशीनरी बेकार हालत में पड़ी है जिसमें करोड़ों का घाटा हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

141. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को समय पर पानी नहीं दिलाने के कारण राज्य सरकार की सिंचाई सम्बन्धी नीति असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 40

142. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा में पानी पूरा करने के लिये राजस्थान केनाल से लिंक करने का कार्य धीमी गति से चलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

143. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल को पंजाब में रूपनगर के पास तोड़ लेने से काश्तकारों की फसल बरबाद हो गई, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 26

144. श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक): मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु-प्रयोजन नदी योजनायें के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा नांगल की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 40

145. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में पानी उपलब्ध होते हुए भी सिंचाई के साधनों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दिया जाय (उपनिवेशन योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 26

147. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42-बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता के ग्राम मोलकी के पास चम्बल नहर पर जो फुट ब्रिज बना हुआ है, उसको चौड़ा बनाए जाने पर चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरी योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार व लाखों रुपयों के घोटाले आदि पर चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (चम्बल मण्डी कमेटी क्षेत्र की भूमि के प्लाट्स नगरपालिका कर्मचारियों के नाम पर भूतपूर्व प्रशासक द्वारा नियमों के विरुद्ध अलॉट करने के कारण जनता द्वारा की गई शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को दबाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

150. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल मंडी कमेटी क्षेत्र की बारां नगरपालिका एवं अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सुपुर्द नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल–मण्डी कमेटी फण्ड को बारां क्षेत्र में विकास निर्माण कार्यों हेतु नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 27

152. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजा फीडर बांध योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बिना अवाप्त किए किसानों की कृषि भूमि में से नहर निकालने, पेड़ काटने आदि पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजा फीडर बांध योजना में चल रहे लाखों रुपयों के घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहरी क्षेत्र अन्ता मांगरोल क्षेत्र के धाकड़ खेड़ी, बोरदा, उदयपुरिया, आदि ग्रामों में नहरी पानी के सीपेज व वाटर लोगिंग आदि कारणों से किसानों की हजारों एकड़ भूमि बेकार हो जाने व उनका मुआवजा नहीं देने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये) ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग संख्या 40

155. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर कोमन बैंक निर्माण कार्यों पर हुए लाखों रुपयों के खर्चे में पंजाब सरकार से आधा हिस्सा नहीं लिये जाने एवं कोई एग्रीमेन्ट सरकार द्वारा नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे (अकाल के नाम पर सिंचाई योजनाओं पर किए गए लाखों रुपयें के खर्चे में भारी भ्रष्टाचार, गबन व घोटाले हो रहे हैं, इनके सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 27

157. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभाग द्वारा व्यय किये जाने वाले धन के अनुपात पर रिटर्न नहीं मिल रहा है एवं सिंचाई दरों में असमानता है, इस सम्बन्ध म सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 40

158. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (नदी योजनाओं पर विभागीय नियंत्रण और पूंजी लागत के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 27

159. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना को पूरा कराने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 27

160. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भीलवाड़ा में विभागीय भ्रष्टाचार, अनियमितम-आवंटन एवं सिंचाई के पानी का उपयोग न करना आदि के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 27

161. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में गोकलेश्वर पर बांध बांधने पर चर्चा के लिये) ।

162. मांग संख्या 27, मुख्य शीषक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के टूटे बांधों की मरम्मत नहीं करने पर चर्चा के लिय) ।

मांग संख्या 27

162. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुजरात में बन रहे कडाणा बांध के एग्रीमेन्ट पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पिछले वर्ष लिये गये अपूर्ण सिंचाई कार्यों एवम् लिफ्ट इरिगेशन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

165. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में प्रोजेक्ट पर पिछले 10 वर्ष से प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

166. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरी क्षेत्र में समय पर पानी न देने से किसानों की समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

167. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रीजोन जिला झालावाड़ के बांध के निर्माण को बंद कर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमली बांध, जिला झालावाड़ को ऊंचा करने एवं सिंचाई के लिये पानी समय पर नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

169. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम सागर बांध, जिला झालावाड़ के निर्माण की धीमी गति एवं डूब एरिया के ग्रामों को मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारंग खेड़ा बांध, जिला झालावाड़ के निर्माण कार्य के बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बानियाखेड़ी बांध पंचायत समिति सुनेल, जिला झालावाड़ के निर्माण में धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये

मांग संख्या 27

172. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43-सिंचन,

(श्री दिग्विजयसिंह)
नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में सिंचाई के कार्यों पर विभाग द्वारा कोई धनराशि खर्च न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

174. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीसलपुर पर बनास नदी योजना को अभी तक लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकोट बांध, जिला टोंक पर जो धनराशि आवंटित की गई है वह अपर्याप्त है, उस पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारपुरा बांध, तहसील देवली, जिला टोंक के कार्य को चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गलवा बांध की टूटी नहरों व नई नहरों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित न करने पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई के अधीन टोंक जिले के कार्यों पर धनराशि न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27.

179. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की पूर्व योजना जो बाड़मेर जिले में होकर कच्छ की खाड़ी तक पहुंचाने की थी, उस योजना को क्रियान्वित करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40.

180. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूनी एवं उसकी सहायक नदियों पर बने हुये बांधों के फलस्वरूप निकटवर्ती बाड़मेर तथा जालोर जिलों के क्षेत्रों में पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27.

181. श्री कसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत

Page No 93

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुढ़ा गोकलपुरा बांध बंसोली एनीकट व बंसोली सिंचाई योजना निर्माण कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ा नगा गांव की भूमि गुढ़ा बांध की माइनर में आने पर अब तक मुआवजा न देने व लगान की वसूली के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

183. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के पहाड़ी क्षेत्र हिन्डोली तहसील में कालागाटा बांध योजना शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीचड़ी एनीकट बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (प्रति वर्ष वर्षा की कमी के बावजूद सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे 2 बांध नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में ग्राम पलका में जावला बांध कार्य मध्यावर्ती चुनाव से पूर्व शुरू करके उसे बन्द करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंसोली बांध में गाडरिया ग्राम की भूमि का सरकार द्वारा मुआवजा न देने व जमीन का लगान बराबर वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

188. बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर, योजना को पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में खडीन निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

190. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर,

(श्री विद्यासागर)

कोटड़ा, फलासिया, गोगुन्दा तथा उदयपुर जिलों के इरिगेशन सम्बन्धी मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

191. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैराठी तलाव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झाझरी का तलाव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथिया तालाव, पंचायत नया गांव, तहसील खेरवाड़ा का सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27.

194. श्री रावतराम (छापर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरु जिले में घग्घर या राजस्थान केनाल से सिंचाई हेतु पानी दिया जाय तथा सिद्ध मुख कैनाल का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाऐ, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

195 श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाबी नदी का बांध, एवं पुल बांधने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 46

196. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खोहर बरई का बांध, खापरिया का बांध तथा आनन्दपुर व बेलानी तहसील बहरोड़ के बांधों को बांधने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

197. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जावर माइन्स टीडी परियोजना निर्माण कार्य पर सीमेन्ट, पत्थर, कंकरी आदि के सम्बन्ध में सप्लायरों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार एवं विभागीय अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44– सिंचाई, नौचालन, तटबन्धन, आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टीडी बांध, जावर माइन्स योजना पर सीमेन्ट आदि कार्यों में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री देवीलाल मीणा)

मांग संख्या 40

199. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में लटी आमली तथा डाया योजना का तखमीना बनाकर स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील गिरवा पंचायत समिति के अन्तर्गत चलायी जाने वाली लघु-सिंचाई योजनाऐं अपूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा के अन्तर्गत चलायी जाने वाली लघु-सिंचाई योजनाऐं अधूरी हैं, उन्हें पूर्ण कराने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराये जान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

202. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43– सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी इमूगेशन योजना की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतपुरा, बड़गांव नदी योजना की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 27

204. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धम आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माही परियोजना, नर्मदा परियोजना एवं राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन के बारे में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

205. श्री शंकरलाल (अंतारण): मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 44–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओवरसियर्स के पद पर प्रमोशन में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

206. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन. तटबन्धन आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अधीनस्थ लघु सिंचन कार्यों की अवहेलना के बारे में नीति का अननुमोदन)।

207. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के

(श्री शंकरलाल)

अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई नहरों के पानी का दुरुपयोग रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की रायपुर तहसील में फेमिन में रहे अधूरे कार्यों को रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत चालू कर पूरे न कराने की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पाली जिले में ढारीया (खड) बांध बनाने की स्वीकृति न देने की शिकायत पर चर्चा के लिये] ।

210. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवांई नदी परियोजना के साई डाइवर्शन के काम में धीमी गति पर चर्चा के लिये) ।

211. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अनवास, देवल्या, बांदरमता आदि जल्दी बंधवाने व तालाब महताजी का खेड़ा, रानी खेड़ा आदि को पूरा करने व जेतपुरा बांध का काम जल्दी ही पूरा करने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

212. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनवास तथा बोहरी माता व देवल्या बांध बंधवाने व माताजी का खेड़ा, रानी खेड़ा के अधूरे काम को पूरा करने व कन्डयाखाल व बादर मूता का काम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

213. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र के तालाब व बांध अधूरे व बन्द पड़े हैं, इसके बारे में नीति का अनुमोदन) ।

214. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे 2 बांध व तालाबों को जो अधूरे हैं उन्हें तत्काल पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

215. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी, तहसील की सिंचाई योजना के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

216. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन

(श्री गोरधन सोनी)

नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेड़ता क्षेत्र की अधूरी रपटें एवं बांधों की मरम्मत एवं निर्माण पर चर्चा के लिये)।

217. **श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना की परवन नदी बांध योजना कोटा राज्य के समय से विचाराधीन है और राज्य सरकार ने भी इसका सर्वे कराया है, उक्त योजना के क्रियान्वन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

218. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (जसा खेड़ा के पास तालाव की सर्वे में ढिलाई की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे पड़े तालावों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

220. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विजयपुर नाले की सिचाई योजना तैयार करवा कर बसी, सोनगर, पालका, नेगाड़ियाकलां, देवाडिखुर्द व कुवातियां, साडास को पानी दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चितौड़ जिले की लघु, मध्यम व दीर्घ सिचाई योजना हेतु सर्वे डिवीजन के इंजिनीयर को शीघ्र सर्वे कराकर रिपोर्ट भिजवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दीर्घ सिचाई योजना घोसुण्डा बेड़च नदी व वागन नदी के संगम स्थल पर बनाये जाने वाले बान्ध शीघ्र बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिचाई योजना बरखेड़ा तालाब, मध्यम सिचाई योजना तहसील चित्तौड़, नीलीयादेह, (गंगरार तहसील) के मोड़या महादेव, पण्डेरिया (छोटी सादड़ी तहसील) गरदारा (तहसील भदेसर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गम्भीरी सिचाई योजना,

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत होने वाले सिंचाई क्षेत्र में समय पर पानी नहीं देने से हुए किसानों को असंतोष के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

225. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूट): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अधूरे तालाबों को पूर्ण नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

226. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों में हुए घोटालों पर चर्चा लिये)।

227. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नाथून मायादेव का नाला, भीमपुरा बांध, खजूरी में पन्डारया बांध पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील बांध बंधवाने पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जल निकास निर्माण कार्यों पर लगने वाली पूंजी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसलपुर में बनास नदी पर बांध बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

231. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में नहर लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में भूमिगत पानी की सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन तटबन्धन, आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के सिंचाई कुओं में बोरिंगों में अधिक पानी की क्षमता बनाने के लिय कम्प्रेशर मशीनें राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को उनके सिंचाई

(श्री मूलचन्द कटेवा)

के कुओं में मशीन द्वारा बोरिंग की सुविधा दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

235. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 170–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा, गोगुन्दा, कोटड़ा में चलने वाली लघु सिचाई योजनायें अधूरी हैं, उन्हें पूरा कराने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये)।

236. श्री गंगाराम राजोरिया(दौसा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन नौचालन, तटबन्धन, आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ़ में बांधों का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में बड़े छोटे बांध बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा मे फूटे पड़े बांधों का पुनः निर्माण करान हेतु चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय तहसील जमवारामग के ग्राम खड़कड़ा पालड़ी के पास बांध का निर्माण करान हेतु चर्चा के लिये)।

240. श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियां में लघु-सिचाई योजना के लिये ज्यादा पैसा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम श्यामपुरा बन्ध, तहसील चाक्सू, जिला जयपुर का कार्य शुरू न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

242. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में छोई के बरसाती पानी से हर साल गलने वाली फसल को बचाने हेतु पानी रोकने के लिए बांध बंधवाए जाने पर चर्चा के लिय)।

243. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के गांव चन्देरा को एनीकट से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में

(श्री किशनलाल वर्मा)

बन्ध माधोसागर से जाने वाली पूर्वी नहर को ...र आगे बढ़ाया जाकर गांव पाटन तक पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये) ।

245. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव डेडा दसेडो का स्वीकृत हुआ बांध तथा गांव नाहर खाहरा का तहसील सिकराय में नया बांध बंधवाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

246. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में चन्देरा बांध का सर्वे कार्य पूरा कराया जाकर बांध बंधवाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

247. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध माधोसागर की पूर्वी व पश्चिमी नहर की मरम्मत कराए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

248. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालाखों से गांव रेटा के पास तहसील सिकराय में जाने वाली नहर की दांई ओर नाला निकाला जाकर रेटा के काश्तकारों को पिलाई हेतु पानी दिए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

249. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा के पंचवारे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देने के वास्ते अधिक से अधिक ग्रामीण विद्युतिकरण किए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

250. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध जमुवा रामगढ़ का बस्सी व दौसा तहसील के गांवों में पिलाई के वास्ते जो पानी दिया जाता था उसको अब जयपुर शहर की जनता के पीने के लिये, दिये जाने पर काश्तकारों के सामने उत्पन्न हुई समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

251. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालाखों से तहसील सिकराय के गांवों में जाने वाली नहर व बन्ध माधोसागर से पूर्व की ओर व पश्चिम की ओर जाने वाली नहर से स्राव के रूप में निकलने वाले पानी की नहरों की मरम्मत कर रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में आज मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 99 पर विचार हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदय इस पर मेरे 7 कटौती के प्रस्ताव हैं । देखा जाय तो यह बहुत ही इन्नोसेन्ट विभाग

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

है जो कि राज्य के लिये और आम जनता के लिये सुखसुविधा और खाद्य उत्पादन के लिये कुछ अपना हाथ रखता है। मगर इसमें देखा क्या गया है कि इस विभाग के अन्दर भी पक्षपात नेतावाद और बनियावाद भरा हुआ है। मैं आपको और इस सदन को चन्द बूंदी जिले के जो कार्य हैं उनके विषय में निवेदन करना चाहूंगा-बूंदी जिले में बन्सोली बान्ध का कार्य सन् 1966 में शुरू हुआ वह आज भी चल रहा है। उस बान्ध में गाडरिया का गांव आया है। काश्तकारों को कोई नोटिश नहीं दिया गया और जमीन को खोदकर बान्ध बना लिया गया। मैंने सदन में अनेक बार निवेदन किया कि काश्तकारों से बदस्तूर लगान लिया जा रहा है, जमीनों का मुआवजा नहीं दिया, मकानों का कोई मुआवजा नहीं दिया और कुओं का जो मुआवजा सरकार दे रही है वह नगण्य है। कुओं का मुआवजा हजार पन्द्रह सौ दे रही है वह आज के महंगाई के जमाने में कोई मायने नहीं रखता है। मकानों का मुआवजा 500-500, 600-600 रुपया दे रहे हैं जो कोई मायने नहीं रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की बढ़ती हुई मंहगाई में सरकार को पर्याप्त मुआवजा काश्तकारों को देना चाहिये और उनको दूसरे स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें सरकार पूर्णतया असफल रह रही है। इसके अलावा काला भाटा बान्ध जिसका स्थल-निरीक्षण सन् 1966-67 में किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इसी बान्ध के लिए एक प्रार्थना-पत्र कम से कम उस क्षेत्र के 10-15 गांवों के लोगों ने मुझे दिया था। वह मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को सेक्रेटेरियट में दिया और वह माननीय सिंचाई मंत्रीजी श्री लड्ढाजी को उन्होंने दे दिया, मगर मुझे उत्तर मिलता है कि यह बान्ध लाभदायक नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बांध लाभदायक नहीं है जिसके लिए काश्तकार लोग काम कर रहे हैं। अगर वह लाभदायक नहीं था तो सरकार को चाहिए था कि उस क्षेत्र की जनता को असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स जाकर समझाते कि यह इस कारण से लाभदायक नहीं है। लाभदायक होने या नहीं होने का कारण मैं खुद सदन में बैठा हूं। यही कारण है कि इस बान्ध को नहीं बनाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि उसी क्षेत्र में मुझे 480 वोट मिले और कांग्रेस को 15 वोट मिले। आखिर जहां की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया उसके लिए भला यह काम कैसे करवा सकते हैं। मगर माननीय मंत्रीजी इस बात को नहीं भूलें कि आप मंत्री राजस्थान के हैं कांग्रेस के मंत्री नहीं हैं। कांग्रेस के मंत्री को सदन में आने का अधिकार नहीं है। आप जनता के हैं और जनता के चुने हुए हैं और जनहित से बड़ी पार्टी विशेष का हित नहीं हो सकता है। आपको सबका काम करना है जो कि देश के हित में हो, जनता के हित में हो और अपनी पार्टी को बालाए ताक रखनी है। यह बू आपसे नहीं निकल सकती है। यह आपकी जड़ों में बैठी हुई है और घुसी हुई है। यही कारण है कि इस काम को नहीं लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन

(श्री केसरीसिंह हाडा)

बीचड़ी के एनीकट के लिए है। इसके लिए मैंने काफी जोर दिया था, और सदन में इसकी कुछ चर्चा भी हुई थी दो साल पहले। यह बीचड़ी एनीकट खास तौर से बड़े सेठ साहूकारों के लिए बनाया गया है। यह सरकार समाजवादी सरकार अपने आपको कहती है, मगर मैं इसको पूंजीवादी, सेठियावादी और बड़े सेठों की हमदर्द और सेठों का पक्षपात लेने वाली सरकार कहना चाहता हूं। काश्तकार जो टेल पर बैठा हुआ है और जहां नहर का पानी नहीं पहुंचता है वहां के लिए कुछ करेंगे नहीं, उसके लिए पिकअप वेयर नहीं बनायेंगे, लेकिन कापड़िया सेठ मदनलाल साहब जो कि जोधपुर के हैं और मथुरादासजी माथुर का उनके सर पर हाथ है। जब राष्ट्रपति शासन हुआ था उस वक्त वहां जाकर हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने शरण ली थी, वहां रहे थे और उनका अगर काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे ? 5 लाख रुपये लगाकर सड़क बनाई गई और डामर रोड बनाई गई, टेलिफोन लग गया और बिजली हो गई, उनकी नहर का पटान हो गया, सब कुछ हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, मगर गरीब के लिए कुछ नहीं, काश्तकार के लिए कुछ नहीं, और उन लोगों के लिए कुछ न हो जिनके नाम से आज यहां पर मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। आप यह कहते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं पर आप जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि उल्टे बनियों और सेठों के प्रतिनिधि हैं।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने उस वक्त मुझे यह आश्वासन दिया था कि यह पिकअप वेयर जो बीचड़ी का बन रहा है इसके बाद दो पिकअप वेयर इसी नदी पर बनाये जायेंगे वह खटावदा का और जाबला का, उनके लिए अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय और न होने वाला है। वह क्षेत्र कहलाता तो कमाण्ड एरिया है लेकिन वहां तक अभी तक पानी की नहरें नहीं पहुंच पाई हैं और उनकी ऐसी दशा है मैं खुद वहां जाकर आया हूं अभी इसी अवकाश में कि लोगबाग बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि यह आजादी और यह स्वतन्त्रता तो सेठों के लिए, बड़े आदमियों के लिए आई है, हम गरीबों को पूछने वाला आज कोई नहीं है। मैंने उनसे कहा कि सरकार ठीक करेगी और इनको अनुभव होगा तो यह भी सोचेंगे मगर मुझे अफसोस है कि 5 साल म तो नहीं सोचा गया और आगे वह कुछ सोचने वाले है नहीं....

श्री अध्यक्ष : अगले महीने तक कोई नया प्रस्ताव रखा जायगा उस वक्त आप ध्यान रखें।

श्री केसरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। यह सरकार ध्यान दे तब कुछ हो सकता है। न तो यह कान से सुनती है और न मुंह से बोलती है और मरजी आय वह करते हैं। भीलवाड़े में काम करवाते ह और अपने अपने स्थानों पर काम करवाते हैं। मगर लड्ढा साहब, आप यह न भूलें कि आप सारे राजस्थान के सिंचाई मंत्री हैं और आपको सब जगहों को समान रूप से देखना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि मैं मंत्री नहीं हूं और अगर मैं मंत्री बन गया तो

(श्री केसरीसिंह हाडा)

सबसे पहले विरोधियों के यहां काम करवाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : तब तो थोड़े ही दिन रहेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी जिन्दगी थोड़ी ही अच्छी है अगर वह खुशहाली करे और उसमें दुनिया सुखी रहे तो।

एक माननीय सदस्य : और साथ में स्वाभिमान हो।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अपना स्वार्थ तो सभी जानते हैं और सभी कर सकते हैं, मगर दूसरों का डेवलपमेंट करे तो उसको मनुष्य कहते हैं, वर्ना इन्सान और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है।

श्री नन्दलाल बैरवा : अपनी जो कापरेन की हजारों बीघा जमीन है वह गरीवी भूमिहीनों को दे देते तो ठीक होता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले जिन्होंने पत्नि के नाम से फर्जी कार्यवाही करके गरीबों के नाम से जमीन ले रखी है उनकी तो कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप अपने गुरूदेव से तो कहें श्री भंवरलालजी शर्मा से जो यहां विधायक भी रह चुके हैं 62 में, जिन्होंने कोटा में दो लाख का मकान व जायदाद खरीदी है उसको गरीबों में बांट दें। हमने तो सब कुछ दे दिया, इज्जत दे दी, जायदाद दे दी, और क्या चाहिए ? जान चाहिए तो वह भी तैयार है।

एक माननीय सदस्य : इज्जत दे दी ?

श्री केशरीसिंह हाडा : इज्जत का मतलब पद दे दिया, जायदाद दे दी। उनसे कहें कि उसको तकसीम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात निवेदन करना चाहूंगा। काश्तकारों की जो जमीनें सरकार ने अवाप्त की हैं उनका मुआवजा भी अभी तक सरकार नहीं दे पाई है। बून्दी में नया गांव में और नहर कापड़िया साहब के यहां निकाली गई हैं उनसें उन जमीनों का काश्तकार अभी तक लगान दे रहे हैं और उनको न तो मुआवजा मिला है और न उनका लगान हटाया गया है। लगान के लिए कहते हैं तो सिंचाई मंत्रीजी कहते हैं कि यह राजस्व का काम है, और राजस्व वालों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि सर्वे नहीं हुआ है इसलिए लगान माफ नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों को असामन्जस्य में काश्तकार सानतुक उठा रहे हैं। बगैर काश्त किये ही उनको लगान देना पड़ रहा है। यह बहुत ही अनुचित है।

इसके अलावा मैंने कहा कि नेतावाद चल रहा है। नेतावाद किस प्रकार से है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां से सरपंच अधिक प्रभावशाली हैं वहां पर काम कराया जाता है और वह चाहे जनहित में अधिक लाभदायक हो या नहीं, जैसा कि बसोली में एनीकट बना है तो उसमें 1,69,000 रुपया खर्च हुआ, वैसे ही गुडनिया बान्ध है जो बन रहा है उस पर 1,93,000 खर्च करने की योजना

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

है, और कालाभाटा बान्ध के लिये मैंने कहा उसके लिए सरकार विचार नहीं कर रही है। मैं तो चाहूंगा कि अगर सरकार सोचे तो कम से कम मुझे साथ लेजाकर इस बात का विश्वास दिला दे कि इस बान्ध की योजना क्यों लाभदायक नहीं है, वरना यह समझूंगा कि पार्टी बाजी से काम कर रहे हैं।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव गुढा गोकुलपुरा के बान्ध के विषय में है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अब तक 1,50,000 रुपया खर्च हो चुका है। गत वर्ष इस को योजना में लिया गया जिसके अन्तर्गत 1 लाख की स्वीकृति हुई, मगर 44,373 रुपये ही खर्च हुए। यह बहुत खेद की बात है कि पूरी रकम खर्च नहीं हुई, और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब हिण्डोली तशरीफ लाये थे 12-2 को उस वक्त उन्होंने कहा कि यह काम मैं नहीं दे रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि जितने ज्यादा बान्ध इस क्षेत्र में बनें उतना ही अच्छा है।

इसके अलावा इस विभाग में भ्रष्टाचार के अनेकों मामले हैं। जिनके लिए मैं विशेष न कह कर इतना ही कहूंगा कि जो भी इन्जीनियर्स का तबादला होता है वह केवल प्रमुख और मन्त्रीयों को ही खुश करने में रहते हैं। और अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। म एक बात निवेदन करना चाहूंगा जो में पहले भी करना चाहता था, कि जो सरकारी विभाग है वह राजनीति में भाग लेते हैं। उसका हमारे पास एक प्रमाण-पत्र है। यह वन विभाग से सम्बन्धित है। मेरे पास फोटोग्राफ कापी है। जिसमें पुरानी कांग्रेस वाला चरखे वाला झण्डा लगा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : कहां का है हिण्डोली का है ?

श्री केसरीसिंह हाडा : यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार से यह सरकारी कर्मचारी उनको खुश रखना चाहते हैं। यह जहां चाहते हैं वहां एनीकट बनाते हैं। यह यस मैन के अलावा और कुछ नहीं हैं। यह इसका प्रमाण है। इसको चाहें तो मुख्यमन्त्री जी देख सकते हैं। वन मन्त्री जी देख सकते हैं। झण्डा लगा रखा है। इनके जो लोग होते हैं जिनके द्वारा ये चुनाव में सफल होते हैं। मन्त्री पद पर आने के बाद उनको उल्लू बनाते हैं। मेरे इसी क्षेत्र से साढ़े 6 हजार से अधिक वोट प्राप्त किये हैं। पाटन से जहां से नन्दलाल जी आये हैं, 10 हजार आये हैं। यह पर्सेंटेज है। यह एक मनोवृति, मैन्टेलिटी घुस गई है। इससे उनके प्रति घृणा पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी राजनीति से दूर रहें। अपना निष्पक्षता से कार्य करें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले यह चाहता हूं कि आप कितना समय देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बताइये, कितना समय लेंगे ?

श्री हंसराज आर्य : अधिक से अधिक, वह आप की कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेंगे ?

श्री हंसराज आर्य : एक घण्टा ?

श्री उपाध्यक्ष : एक घण्टा नहीं। 30 मिनट का समय।

श्री हंसराज आर्य (मादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भाग्यशाली है जिसको संसार की सबसे बड़ी राजस्थान कैनाल मिली है। यह कैनाल जहां से होकर गुजरेगी, लोगों को आबाद करेगी। जहां मीलों तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहां बाग लगेंगे। यह प्रसन्नता की बात है कि समय समय पर भारत सरकार इसके लिये पैसा देती जा रही है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि जितनी बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है उतनी ही उसकी, मैं बड़े संकोच के साथ कहूंगा कि जितनी बड़ी कैनाल है, उतनी ही मन्त्री महोदय ने उसकी उपेक्षा की है। मेरा ख्याल है कि चार साल में शायद ही इन्होंने नहर का निर्माण अपनी आंखों से देखा होगा। या वहां ये गये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप वहां गये हैं ?

श्री हंसराज आर्य : हम तो वहां रहते हैं पैदा ही हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय तक नहर का कार्यालय जयपुर में रहा है। नहरों का मुख्य कार्यक्षेत्र बीकानेर और गंगानगर में है। लेकिन चीफ इन्जीनियर जयपुर में बैठे रहते हैं। कैनाल का निर्माण गंगानगर में और बीकानेर में हो रहा है। कई बार इस सदन में इस बात पर हंगामा हुआ है। तब जाकर जयपुर से कार्यालय बीकानेर चला गया। तभी मैं कहूंगा कि जितनी बड़ी कैनाल है उतनी बड़ी देखभाल नहीं है। इसमें लाखों मन सीमेन्ट लग रहा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी बड़ी कैनाल है, उतना अच्छा मसाला उसमें नहीं लग रहा है मसाला कमजोर है। सीमेन्ट में चोरी होती है, चोरी से सीमन्ट बेचा जाता है। लाखों रुपये का सीमेन्ट बेकार मिट्टी में दब गया है। लाखों रुपये की मशीनरी बेकार पड़ी है। कितना ही सामान लोग चुरा ले जा रहे हैं। जितना सामान खरीदा गया है शायद ही किसी लिस्ट में दर्ज नहीं होगा। अगर होगा तो मिलान किया जाय तो काफी सामान मौके पर नहीं मिलेगा। या मिट्टी में दब गया होगा। या लोग ले गये होंगे यह संसार की सबसे बड़ी कैनाल है। इस पर पूरा नियन्त्रण रखा जाये। मन्त्री महोदय को अधिक समय नहीं है तो भी कुछ समय अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर मजदूरों को छोटे कर्मचारियों को काम करते हुये देख लें। जो मिट्टी में खुले आसमान के नीचे नंगे भूखे पड़े हैं। एकबार जाकर देखें तो।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिला नहरों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से सदस्यों को मालूम नहीं है लेकिन मैं भैरोंसिंह जी के बारे में कह सकता हूं कि उन्होंने नहरों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की है ? इन नहरों में गंगकेनाल, भाकरा केनाल, और राजस्थान केनाल तीनों का पानी शामिल है। पानी इनमें कभी पूरा नहीं चलता है। कभी आधा चलता है। कभी उससे भी कम चलता है। सदन के काफी सदस्य जिले की सारी भूमि को कमाण्ड एरिया मानते हैं जब कि वास्तव में ऐसी

(श्री हंसराज आर्य)

बात नहीं है। गंगानगर जिले की सारी भूमि 50,99,663 एकड़ है जिसमें से पूरा पानी चलने पर 15,00,000 एकड़ कमान्ड होती है।

इसका मतलब यह है 2.9 परसेन्ट भूमि कमाण्ड होगी, चारों नहरों का पानी लगने के बाद और 70 परसेन्ट चारों नहर मुकम्मिल होने के बाद भी अनकमाण्ड रहेगी। बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है, इसलिए वह कहते हैं कि गंगानगर का इलाका सरसब्ज है, एक एक खेत में पानी लगता है, गंगानगर का किसान खुशहाल है यह सही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, नहरों का पानी बहुत कम चल रहा है। इस सदन में पिछले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था, गंग कैनाल के पानी को पूरा करने के लिए हम पंजाब में गंग केनाल के किनारे पर पांच सौ ट्यूब वेल खुदवायेंगे और उसके पानी को गंग केनाल में डालेंगे और पानी की कमी है उसको पूर्ती करेंगे। उपाध्यक्ष जी, सरकार का यह एलान, एलान है। दूसरा बजट पास होने जा रहा है, एक साल से अधिक समय गुजर चुका है, अब भी वह कुआं वाली बात नजर से ओझल है। इस पर दुबारा चर्चा नहीं हुई है कि कुए खोदेंगे या नहीं खोदेंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार इस सदन में एलान करने से पहले बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी गम्भीरता से सोचे और सोचने के बाद में एलान करे और यदि एलान करती है तो उसे पूरा करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे, वरना एलान करने के बाद काम पूरा नहीं होता है तो इनसे जनता का विश्वास सरकार के प्रति कम होता है। उपाध्यक्ष जी, भाखरा नहर में पानी जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय मैं यहां तक कहूंगा, कि उस पानी में पक्षपात भी है। जब गंग केनाल में 60 परसेन्ट है तो भाखरा में 62 परसेन्ट। भाखरा की कितनी नहरों में सांगरिया, टी० पी०, हनुमानगढ़, सादुर्लशहर, पीली बंगा, सूरतगढ़ क्षेत्र में पानी चलता है, उस बीच में उस माइनर में सिंचाई के आंकड़े देखें जांय, तो जो सूची मुझे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने दी है, उससे मालूम होता है, कितने ही माइनर ऐसे हैं जिनमें 62 के बजाय कहीं पर 75 परसेन्ट है, कहीं 80 परसेन्ट है, कहीं 100 परसेन्ट है और कहीं 110 परसेन्ट तक पानी चलता है। दूसरी और उसी भाखरा की ब्रान्च अमरसिंह ब्रांच है। उपाध्यक्ष जी, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, वहां 62 परसेन्ट के बजाय 43 परसेन्ट, 20 परसेन्ट और 10 परसेन्ट तक पानी चलता है, लेकिन भाखरा की नोहर ब्रान्च में 62 के बजाय कहीं ऊंचे से ऊंचा एक महीने में मान कर चलें तो 43 परसेन्ट है....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जानना चाहूंगा आप सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, आपने कहा, भाखरा के अन्दर पक्षपात होता है। इसको आप विस्तार से बता सकते हैं ताकि समझ में आ सके। आप कांग्रेस दल के सदस्य हैं, आपके साथ कौनसा पक्षपात होता है।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष जी, इस मायने में पक्षपात मानता हूं भाखरा के पानी में पंजाब का जो कोटा था वह पूरा ले लेता है लेकिन राजस्थान का कोटा

Page No 107

(श्री हंसराज आर्य)
पूरा नहीं मिलता है गंग कैनाल का, भाखड़ा का, राजस्थान कैनाल का।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (ट्रेजरी बैंचेज से) डर क्यों रहे हैं?

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान कैनाल का पानी गंग कैनाल में ले रहे हैं, टी० वी० के पास भाखरा क्षेत्र में पानी ले रहे हैं, राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में ले रहे हैं, कई स्थानों पर ले रहे हैं मेरा निवेदन है वह पानी घग्घर से राजस्थान कैनाल से लिया जाता है उससे कम है और उसको पूरा कराने के लिए, हरियाणा में लोहगढ़ के पास राजस्थान कैनाल से पानी लेने के लिए, सरहिंद का पानी लेने के लिए लिंक बना रहे हैं। वह तैयार हो जायगा तो राजस्थान कैनाल में पानी सरहिंद के माध्यम से राजस्थान कैनाल का पानी भादरा आयेगा, अमरसिंह ब्रांच के बैंड्स को ऊंचा करायेंगे जिससे उधर घग्घर का पानी जो बचेगा उसे चलाने के लिए, जिससे 80, 90 परसेन्ट से 120 परसेन्ट तक पानी जा सके हमें खतरा है हम 42 परसेन्ट, 43 परसेन्ट और 45 परसेन्ट से ज्यादा करेंगे, तो नीचे वाली ऐसी माइनर हैं जिसमें 13 परसेन्ट, 11 परसेन्ट और सात परसेन्ट है। आज भी, मैं आपको बताऊं, कितने ही गांव ऐसे हैं, सिंचाई के लिए पानी की बात तो जाने दें, पीने के पानी के लिए मवेशी भटक रहे हैं, लेकिन पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, खास तौर से सिंचाई मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी, क्या आप के हृदय में दया है, क्या सरकार के पास ऐसा प्लान है कि क्या आप भादरा और नोहर को अपनी फूटी आंखों से कभी देखें। सिंचाई मंत्री जी, आपको याद है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों हैं, कैसे कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य में दया से काम आज तक नहीं हुआ है और न होगा। दया से नहीं होगा, राजनैतिक आधार पर हो रहा है और होगा।

श्री हंसराज आर्य : 1954-55 में भाखरा के अलाटमेन्ट के रूल्स गांवों पर लागू किये, किसी किसी के पास सैंकड़ों बीघा जमीन थी, जिसके पास सैंकड़ों बीघा जमीन थी, जिनके पास सैंकड़ों बीघा सैंकड़ों साल से थी, उनकी भूमि यह कह कर जमीन काट ली गई थी कि तुम्हारे पास पचास बीघा भूमि रहेगी, इसमें पानी लगेगा, यह कमाण्ड होगी और दो सौ बीघा के मुकाबले में पैदावार हो जायगी। किसानों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और पचास बीघा से अधिक भूमि छोड़ दी, वह छोड़ी हुई भूमि सरकार ने भूमिहीनों को एलॉट कर दी या नीलाम कर दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पचास बीघा भूमि कमाण्ड मान कर दी गई, उसे भी आठ दस साल के बाद में अनकमाण्ड घोषित कर दिया, और थोड़ी नहीं, 37 हजार एकड़ भूमि का दस साल के बाद अनकमाण्ड घोषित कर दिया है, और आज उनके खेतों को पानी के दर्शन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसको कमाण्ड माना जाय तो ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से जो जमीन काटी

(श्री हंसराज आर्य)
गई, वह नीलाम हो गई, लेकिन बाकी की पचास बीघा भी सुखी पड़ी हुई है। मंत्री जी, क्या आपकी योजना है, क्या आपके पास प्लान है ? इस 37 हजार एकड़ भूमि को कमाण्ड में लाने के लिए आपने इस सदन में तीन बार आश्वासन दिया है, पहली बार कहा, 37 हजार एकड में से 18 हजार एकड कमाण्ड कर देंगे, बाकी की जो बचेगी, उसको दूसरी साल में कमाण्ड कर देंगे। उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चार साल इस सदन में मुझे आवाज लगाते बीत गय लेकिन आज तक सरकार न उस भूमि को कमाण्ड नहीं किया है। नहीं किया सो तो नहीं किया, लेकिन जिस भूमि में पानी देने का दावा करते है वहां 62 परसेन्ट के बजाय 45 परसेन्ट, 35 परसेन्ट और 11 और 6 परसेन्ट पानी लग रहा है–यह कब तक अन्याय होता रहेगा। मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप या तो साफ कह दें कि हमारे पास इससे बढ़ कर पानी की एक बून्द नहीं है...

श्री रामचन्द्र आर्य : जब तक मनफुल सिंह जी बैठे रहेंगे तब तक इसी तरह से होता रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाम आया।

श्री शंकरलाल : जब तक यह रहेंगे तब तक आप बोलते जायेंगे।

श्री हंसराज आर्य : व्यास नदी पर पांग बांध बन रहा है उसमें राजस्थान को साढे चिन्यानवें करोड़ रुपया देना है और पानी का 58.5 परसेन्ट का कोटा होगा– वह पानी पूरा मिलेगा या नहीं– मुझ इसमें सन्देह है, इसलिए कि हमारी सरकार कमजोर नजर आती है, इसलिए पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है। अब पंजाब को छोड़ कर हरियाणा बीच में पड़ता है वह भी कम कर देता है, इस प्रकार कुछ हमारे पास पानी पहुंचता है। मुझे सन्देह है, हमारा कोटा 95 करोड़ 30 लाख वाला दे देंगे लेकिन पानी पूरा मिलेगा या नहीं ? इसके साथ ही मैं जानना चाहता हूं उस पानी का उपयोग कहां होगा। मेरे प्रश्न का सदन में सरकार ने उत्तर दिया था कि सन् 72 के आखिर में या 73 में पोंग बांध तैयार हो जायगा, जब पोंग बांध तैयार हो जायगा, तो जो 58.5 परसेन्ट राजस्थान का पानी कोटा है। मैं मंत्री जी, जानना चाहता हूं उस पानी का उपयोग कहां करेंगे ? गंग कैनाल की क्षमता है उससे ज्यादा पानी नहर नहीं ले सकती भाखरा की क्षमता है उससे ज्यादा पानी वह नहर नहीं ले सकती तो पानी का उपयोग कहां होगा ? सरकार ने बार बार कहा है, मुख्य मंत्री ने एलान किया है कि हम जल्दी से जल्दी भाखरा से नोहर नहर निकालना चाहते है। लेकिन प्रश्न सदन में पूछा गया तो कहते हैं, विचाराधीन है। इस प्रकार साल में भी विचार पूरा नहीं हो सकता है। 1969 में जब मुख्य मंत्री जी ने नोहर की मीटिंग में एलान किया था, नोहर फीडर का दो महीने में काम चालू करके जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं। मैंने प्रश्न किया, उसका उत्तर आया, सरकार की ओर से ऐसा कोई एलान नहीं किया, हमें उसका कोई पता नहीं। मुख्य मंत्री जी गांवों में एलान कर

(श्री हंसराज आर्य)

दें और सिंचाई विभाग से प्रश्न पूछा जाय तो वह कहते हैं, हमें पता नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, पोंग बांध में जो हमारा पानी का कोटा 58.5 परसेन्ट है, उसको कौन कौनसी नहरों में कितना कितना तकसीम करेंगे, कहां उसको उपयोग करेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, पोंग बांध तैयार हो, उसके पहलें गंग केनाल के बैंक्स को बड़ा करना चाहिए। इस पानी को लेने के लिए भाखरा की नहरों के बैंक्स को ऊंचा करना चाहिए, सिधमुख केनाल का निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए। बार बार राज्य मंत्री जी ने और मंत्री महोदय ने एलान किया कि राजस्थान केनाल से सरहिन्द फीडर की लिंक केनाल निकालेंगे, नोहर को तीन चार लाख एकड़ जमीन कमाण्ड करेंगे। मैंने एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मिला, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। गांवों में सब को कहा, जी हां, जी हां, जी हां। इस सदन में जी नहीं, जी नही, जी नही।

श्री रामचन्द्र आर्य : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य: पता नहीं, सरकार क्या कहना चाहती है क्या करना चाहती है। मेरा कहना है, पोंग बांध बनाया जायगा उससे राजस्थान केनाल बारहमासी हो जायगी। तो बाकी पानी का उपयोग कहां करेंगे ?

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जितना पानी राजस्थान कैनाल में है उस पानी का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार के पास भूमि नहीं है, न बीकानेर जिले में है न जैसलमेर में है। मैं एक साधारण किसान हूं मैंने सारे गांवों को देखा है, सरकार ने पहले एलान किया कि राजस्थान कैनाल से 60 लाख एकड़ पर सिंचाई करेंगे, फिर सरकार नीचे उतरी 50 लाख पर आई, फिर 30 लाख पर, न जाने और कितना नीचे उतरेगी। पानी तो है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए सरकार के पास भूमि नहीं है तो पोंग बांध तैयार हो उससे पहले पानी लेने के लिए सरकार भाखरा नहरों को बड़ा बनाए, सिधमुख का काम शुरू करना चाहिए।

बीकानेर लिफ्ट कैनाल के लिए सरकार ने एलान किया कि हम सितम्बर-अक्टूबर में पानी देंगे लेकिन जिस गति से लिफ्ट केनाल का कार्य चल रहा है उसको देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि सरकार सितम्बर और अक्टूबर में पानी दे सकेगी, उसका काम धीमी गति से चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट नहर की निर्माण कार्य में तेजी लायें ताकि सितम्बर-अक्टूबर में कुछ हिस्सा उस नहर का तैयार हो सके पानी को दे सकें। उसका उपयोग होता तो पानी की समस्या हल होगी। लूणकरनसर तहसील में 171 गांव हैं जिनमें से 90-95 प्रतिशत गांवों का पानी खारा है। मैंने सरकार से प्रश्न भी पूछा था कि क्या उस नहर से पीने का पानी गांवों को दिया जाएगा तो सरकार ने

(श्री हंसराज आर्य)

उत्तर दिया जिन गांवों के पास से नहर गुजरेगी वहीं के लोग पानी पी सकते हैं। वहां तो गधे भी पीयेंगे, कुत्ते भी पीयेंगे। तो इस नहर से सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है तो गांवों को पीने के पानी का हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट नहर से लूणकरनसर के खारे पानी वाले गांवों को पानी देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। भाखरा जोन में काफी गांव कमांड में ले लिया। उन गांवों को आपने पानी नहीं दिया, पानी का गांवों में प्रवेश नहीं। हम जिन नए गांवों में पानी लेंगे वह भाखरा जोन में रहे। लेकिन जिन गांवों में पानी नहीं लेंगे। उनको जाने से निकाला जाए। खुशी की बात है कि बहुत लंबे समय के बाद सरकार ने इतना काम किया है कि 30 में से 11 गांवों को कैनाल के जाने से निकालने का एलान किया है कि ऐसे गांवों को हम खातेदारी देंगे। एलान हो गया, आदेश पहुंच गए, खातेदारी कब मिलेगी, इसका आगे इंतजार करेंगे। तो 30 गांवों में से 19 ऐसे हैं जो भाखरा जोन में है लेकिन खातेदारी नहीं मिल सकी। गांव को इकाई न मानकर चकों को इकाई माना जाए। एक गांव में भूमि 20 हजार बीघा है और 40 चक हैं और एक चक तक पानी लगाते हैं तो चक को इकाई मानने से दूसरे ढंग से रखकर 19 गांवों को निकाला जाय ताकि किसानों को खातेदारी अधिकार मिल सकें लेकिन लम्बे समय से इंतजार करने पर भी 19 गांवों को भाखरा जोन से नहीं निकाला गया। मीटिंग हुई, मुख्य मंत्री बैठे, सिंचाई मंत्री बैठे, लंबे चौड़े वायदे हुए। आज भी वह 19 गांव भाखरा जोन में मौजूद हैं। 19 गांवों की भूमि कुल मिलाकर एक लाख बीघा से ज्यादा होगी लेकिन 20 हजार बीघा जमीन में पानी मिलता होगा। जो गांव अनकमांड में है, भाखरा जोन में है, पानी नहीं लगता, खातेदारी से वंचित है, भूमि काबिल काश्त है, तावान लग रहा है। ऐसे गांवों को चक इकाई मानकर जल्दी से जल्दी भाखरा जोन से निकालें ताकि किसानों को खातेदारी अधिकार मिलें और तावान माफ हो सके और किसानों को संतोष हो। यदि नहीं निकाल सकें तो एलान करें। 15-16 साल निकल गए। सिंचाई मंत्री 4-6 महीने और निकाल दें यदि एलान करदें कि जो गांव भाखरा जोन से नहीं निकाले गए उनको 4 महीने, एक साल दो साल में, हम इंतजार करेंगे, पानी दे सकेंगे। यदि नहीं दे सकेंगे तो निकाल दें। जो इतनी भूमि अनकमांड में की गई उसको आप पानी दें। यदि पानी नहीं है तो उनकी भूमि वापस करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : सदन में घोषणा की हुई है कि जिस जमीन में पानी नहीं लगेगा वह खातेदारी दी जाएगी, क्यों नहीं दे रहे हैं? यह इनकी बेईमानी है, जानबूझ कर काश्तकारों को परेशान करना चाहते हैं जबकि सदन में खड़े होकर मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी? क्यों नहीं मानते हैं। गंगानगर में काश्तकारों ने लड़ाई लड़ी तब जाकर सरकार ने एलान किया या नहीं तो ये करने वाले नहीं थे।

श्री हंसराज आर्य : सरकार ने बार बार विश्वास दिलाया कि जिन काश्तकारों

(श्री हंसराज आर्य)

की भूमि कट गई है, 50 बीघा रह गई है, उनको पानी देना संभव नहीं होगा लेकिन उनकी कटी हुई भूमि वापस देंगे। तो मने पूछा सदन में कि नीलामी क्यों हो रही है। उत्तर मिला कि जितनी भूमि कट गई है वह रिजर्व कर रखी है। मैंने एक एक चक छान रखा है, मुझ मालूम है कि कौन से स्थान हैं सारी भूमि नीलाम हो चुकी है। मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ध्यान दें। मुझे संदेह है इस बात का नहर गंगानगर में जा रही है। मेरी मान्यता है कि नहर यदि भीलवाड़ा में होती, उदयपुर में होती तो मंत्री महोदय कई बार देखते और अच्छी तरह से देखते, लेकिन दुर्भाग्य है कि……

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

(1.56 म० प०)

वह गंगानगर में है, आप वहां विराजते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपकी लापरवाही का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। पानी के अभाव में काश्तकार भटक रहा है, खेतियां जल रही हैं। उस पानी से बंगलों में खेती हो रही है। मेरे पास सूची है कि किस किस बंगले में क्या क्या जिन्स बोई हुई है। 80-80, 90-90 बीघा भूमि बंगलों में काश्त है, फसल खड़ी है, पानी लग रहा है……

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल तो मनफूल-सिंह, राज्य मंत्री, मना कर रहे थे, आज क्यों नहीं बोलते हैं? थोड़ा फटकारो।

श्री हंसराज आर्य : क्या कहूं, किससे कहूं ?

सुनायें किसे अपने गम की कहानी,
हमको अपने सता रहे हैं रोज सुबह शाम
दिन भर सितम होते हैं।

सरकार हमारी है, हम सरकार के। सरकार जिंदा रखने के लिए……

श्री रामचंद्र आर्य : आप सरकार के हैं, सरकार तो आपकी नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : पानी के स्थान पर हम खून दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि सरकार हमको जिंदा रखने के लिए पानी नहीं दे रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह भी आपको खूब शराब दे रही है, ऐसी बात नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : नहरों में मिट्टी भर जाती है। मेरे पास सूची है। कुल मिलाकर 31 लाख रुपये मंजूर हुए। आंधियां चलने के कारण मिट्टी आ गई, उसको निकलवाने के लिए जहां अधिक रेतीली जमीन है, वहां के लिए 31 लाख रुपए मंजूर किया गया लेकिन दुःख की बात है कि उस रुपये के बटवारे में भी पक्षपात हुआ। यह हो सकता है कि बिक्री अच्छी हो, भूमि में पानी कम जज्ब होता है वहां तो पानी अधिक दिया गया। नोहर मादरा की मिट्टी बिलकुल समतल है। मिट्टी आठ आठ फुट निकालने के लिये पैसा दिया गया है, कम दिया गया है। उधर की दूसरी तहसीलों में दो दो, चार चार लाख रुपया दिया गया है। नोहर और मादरा को 1.29 हजार रुपया ही दिया गया है। इससे कुछ नहीं होता है। पैसे के बंटवारे में पक्षपात हुआ है। चाहे अधिकारियों ने किया हो या मंत्रीजी ने किया हो। इससे अधिक पक्षपात क्या हो सकता है कि दनादन खर्चा किया जा रहा है

Page No 112

(श्री हंसराज आर्य)

और इस प्रकार खर्च किया जा रहा है कि उसको देखें तो पता चलेगा। सूखी हुई ईंटें लगाई जा रही है कहीं एक मसाला लगाया जा रहा है और कहीं नहीं। यदि किसान नहर के किनारे पर पैर छू ले तो वह ढह जाय। इस तरह से आगे से बनाते जा रहे हैं और पीछे से गिरती जा रही है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इसको लावारिश न मान कर इसको देखें।

नहर में मिट्टी भर जाती है उसको निकालने के लिये पैसा अधिक खर्च होता है। खर्चा तो वास्तव में कम होता है लेकिन बिल अधिक मांडते हैं। मिट्टी कब बाहर निकाली जाती है? जो मिट्टी बाहर से लायी जाती है, पुरानों को चीरा जाता है। 16 × 16 के चौके होते हैं उनको बता दिया जाता है कि ये नये खोदे हैं जब कि वे पुराने होते हैं। इस प्रकार फर्जी बिल बन जाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह नहीं बनाते तो दिल्ली में सिनेमा नहीं लगता। उसी की मेहरबानी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसका बन रहा है।

एक माननीय सदस्य : हंसराज जी आर्य का।

श्री हंसराज आर्य : न तो मेरा कोई सिनेमा है और न में इस स्थिति में हूं कि सिनेमा बना सकूं।

सभापति जी, आपको सुन कर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने और खासतौर से हमारे सिंचायी विभाग ने पंजाब के साथ घग्घर के पानी के उपयोग के बारे में पैक्ट किया है। पंजाब के अधिकारियों ने पूछा कि घग्घर का पानी लेने लिये तैयार हो? इन्होंने कहा कि हम एक बूंद पानी भी लेने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार ने ना कर दिया। अफसोस की बात तो यह है कि ना करने के बाद घग्घर के पानी को डाइवर्ट करने के लिये 5½ करोड़ का खर्चा किया गया। मंत्रीजी मैं आप से पूछता हूं कि क्या आपके सामने फैक्ट नहीं था? आपके इन्जीनियर्स ने पंजाब के इंजीनियर्स के साथ बैठ कर पैक्ट नहीं किया था? जब पैक्ट मौजूद था कि 5½ करोड़ की लागत से घग्घर की चैनल क्यों नहीं डाली। सूखी पड़ी हुई है। किसान की भूमि तो नीचे आ गयी और कैनाल सूखी पड़ी है। चंडीगढ़ के इन्जीनियर्स ने घग्घर के पानी को रोकने के लिये कहा नहीं तो आपकी कैनाल सूखी पड़ी रह जावेगी। और 5½ करोड़ रुपया खत्म हो जावेगा। लेकिन माना नहीं।

सभापतिजी, भाखरा के पानी के सम्बन्ध में हमने बार बार चर्चा की लेकिन सरकार इसको अनसूनी करती जा रही है मैं दुबारा कहूंगा कि वे स्पष्ट कहें कि वे क्या कहना चाहते हैं। सभापतिजी पिछली बार माननीय मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नोहर भाखरा में पानी की कमी को पूरा करने के लिये हरियाणा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पानी देना चाहती है। उसको हम पानी देंगे और एवज में एक हजार क्यूसेक पानी लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : वे बेच रहे हैं। आपको नहीं देंगे। हरियाणा को पानी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बेंच देंगे और बंगले में जाकर ठाट से रहेंगे और आपको वह मिलने वाला नहीं।

श्री हंसराज आर्य : सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे जो उत्तर दें इसका स्पष्टीकरण करें कि क्या हरियाणा से एक हजार क्युसेक पानी लेकर उसकी एवज में एक हजार क्युसेक पानी देने के लिये तैयार हैं। यदि हां तो यह अदला-बदली कब तक कर लेंगे ? ताकि हम लोगों को बतला सकें जो पानी के लिये तड़फड़ा रहे हैं और हम उनको विश्वास दिला सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापतिजी, "बीनणी फेरा के सुवांह पड़ी बामण केही फेरा पूरा हुआ" रावतसर का एक नया प्लान बनाया है। एक माइनर बनायेंगे बांध जिसका नाम है मुकालिया। खारे पानी वाले गांव जो मीठ पानी के लिये लालायित हैं बीस तीस मील तक मीठा पानी जिनको उपलब्ध नहीं हैं उनको मीठा पानी मिल सके इसके बारे में उत्तर देंगे।

सभापतिजी, राजस्थान केनाल में कितना रकबा आ सकता है जो कि आपका कमान्ड रकबा हो सकता है और रावतसर के आस पास के गांवों में जहां समतल भूमि है, पानी जा सकता है, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गांवों की सर्वे करवा कर जल्दी से जल्दी मीठा पानी दें। ऐसे गांव हैं कि जहां पर पन्द्रह बीस मील तक मीठा पानी नहीं है मवेशी और मनुष्यों के पीने के लिये और मवेशी पी लें तो एक घंटे में तड़प तड़प कर मर जाय। बहस का उत्तर देंगे उस वक्त उस भूमि को पानी देने के बारे में कहेंगे।

सभापतिजी, मैंने दो चार मुद्दे उठाये हैं मैं आशा करता हूं कि पंजाब के साथ भाखरा और घग्घर के पानी का पैक्ट हुआ, हरियाणा के साथ पानी के आदान-प्रदान का जो पैक्ट है, पोंग बांध का समय पर पूरा न होना। ये गम्भीर बात हैं, मंत्री महोदय इन सब का विस्तार के साथ उत्तर देंगे ताकि हमें संतोष हो और संतोषजनक बात अपने इलाके में जाकर कह सकें।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल जेलिया।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : सभापति महोदय, सिंचाई के संबंध में तहसील खंडार के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के खंडार में दो बांध हैं और राष्ट्रपति शासन के टाइम में बहुत हुए हैं। पहला बांध मानसरोवर है जिससे सिंचाई की जाती है। इस बांध से अच्छी सिंचाई होती है लेकिन जिस समय सिंचाई चालू होती है उस समय किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है। सिंचाई अधिकारी किसानों से रिश्वत का इन्तजार करते रहते हैं और जब तक उनको पैसा नहीं मिलता है वे पानी चालू नहीं करते हैं। तो सभापति महोदय, इसके लिये मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। इस बांध की पाल को कुछ ऊंचा किया जाकर और सिंचाई को बढ़ाया जाये। अगर पाल को ऊंचा किया जाता है तो और भूमि भी सिंचित हो सकती है।

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

दूसरा गिलाई सागर है । गिलाई सागर बांध टूटा हुआ है और इसमें पानी नहीं रहता है । इस बांध के बारे में पहले भी विधान सभा में प्रश्न हुआ था लेकिन आज तक इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । इस बांध से ज्यादा से ज्यादा दो सौ, ढाई सौ बीघा जमीन सिंचित हो सकती है । इसलिए इसका भी निरीक्षण किया जाकर काम पूरा करवाया जाये ।

तीसरा देवपुरा बांध है । देवपुरा बांध का कार्य 12 साल से चल रहा है और जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है । इसके लिये भी राज्य सरकार उचित ध्यान दे । इस बांध का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये ।

सभापति महोदय, तहसील खण्डार को बनास नदी ने दो भागों में बांट रखा है । अव्वल तरफ तो दो बांध पड़ते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है और वहां पर एक ही फसल होती है और वह वर्षा के ऊपर निर्भर करती है । इसके बारे में ग्राम बाजोली में सन् 42/43 में सर मिर्जा इस्माइल ने सर्वे कराया था । अगर इस बांध का सरकार निर्माण करावे तो उधर का जो हिस्सा है उसमें भी सिंचाई हो सकती है । वहां के लोगों का जन-जीवन सुरक्षित रह सकता है क्योंकि कभी वर्षा होती है और कभी वर्षा नहीं होती है । इसलिए तहसील खण्डार का जो आधा हिस्सा है वह सिंचित नहीं है । इसलिए इस बांध का कार्य करवा कर उस हिस्से को भी सिंचित किया जाये ।

सभापति महोदय, ग्राम बरामदा जो बनास नदी के किनारे पर है वहां पर करीब दस, बारह साल से सिंचाई विभाग में पांच सौ कर्मचारी हमेशा नाप तौल करते रहते हैं । पता नहीं वे किस बात का सर्वे कर रहे हैं । लाखों रुपया वेतन भत्ते के ऊपर खर्च कर दिया गया है लेकिन यह पता नहीं लगता कि वे किस बात का सर्वे कर रहे हैं । क्या सरकार इसके बारे में भी जानकारी देना चाहेगी ?

सभापति महोदय, चम्बल नदी की एक नहर तहसील खण्डार में जाती है । क्या इस चम्बल नदी की नहर को आगे बढ़ाने का विचार है ? इसके बारे में भी सरकार से जानकारी चाहता हूं ।

सभापति महोदय, ग्राम पांचावास में एक छोटासा सिंचाई का बांध है । इस बांध में कुछ ऐसे टीबे हैं कि पानी दो भागों में बंटा रहता है । बांध में पानी आता है और किसानों को नहीं मिल पाता और उनकी फसल सूख जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी भी जांच करवा कर बांध के पानी को सिंचाई के काम में लिया जाये ।

तो सभापति महोदय, इन सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ा देने से तहसील खण्डार की पब्लिक को काफी फायदा होगा । उत्पादन होगा और उनकी गरीबी दूर होगी और इससे फसल भी चौगुनी तैयार हो सकती है । इसलिए राज्य सरकार के सामने यह जो चार, पांच स्कीमें मैंने रखी हैं उसमें एक बहरामपुरा, यह हिस्सा बिलकुल ही अलग है और नदी के पेली तरफ पड़ता है । तो इस बांध को जल्दी से जल्दी दिखवा कर शुरू करवाने को कोशिश की जाये ।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में सिंचाई मंत्रीजी ने दो बांध बनाने की घोषणा

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

की थी। पहले भी मैंने प्रश्न किया था और इस बांध से सवाई माधोपुर की भूमि सिंचित हो सकती है और सवाई माधोपुर के अन्दर जो हरिजनों की बस्ती है, उस नाले से उनको हमेशा नुकसान होता है। इससे उनकी भी बचत हो सकती है। तो मंत्री महोदय इन दोनों बांधों के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। इस बांध से पानी की उपयोगिता काफी हो जायेगी और शहर के बीच होकर जो नाला निकलता है और उससे जो नुकसान होता है और हमेशा हरिजन बस्ती को नुकसान होता है वह दूर हो जायेगा। तो इसके बारे में भी राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जानकारी देने की कृपा करे।

मैंने सिंचाई विभाग के जिन बांधों के बारे में यहां पर कहा है आशा है मंत्री महोदय उनका सर्वे करा कर कार्य कराने की कृपा करेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव पचास हैं। मैं इस संबंध में, सिंचाई के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय लढ्ढा जी यहां पर बैठे हैं और हमारे कर्णधार भी बैठे हैं गंगानगर के....

एक माननीय सदस्य : कौन जसराज ?

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं, मनफूलसिंह।

भाखड़ा क्षेत्र का जो सिंचाई क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र नोहर और भादरा में, वहां की स्थिति के बारे में श्री हंसराज जी आर्य ने से पहले प्रकाश डाला है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था से काश्तकारों को बर्बाद न किया जाये। पीने का पानी तक नहीं दिया जाय और जमीन छीन ली जाये और आबियाना पूरा लिया जाये, खुशहाली टैक्स भी लिया जाये। इस प्रकार की अव्यवस्था से वहां के काश्तकारों में असंतोष की लहर भड़क रही है और आप यह समझते हैं कि गंगानगर के काश्तकारों को आप झूंठे झांसे देकर शान्त कर देंगे तो इस प्रकार से वे शान्त होने वाले नहीं हैं। जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। आप पानी नहीं पहुंचाते हैं वहां के गांवों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है। गांव फेफाना इतना बड़ा कस्बा है कि 5-6 हजार की आबादी है और वहां के तालाब के अन्दर मछलियां पड़ी हुई हैं और पीने का पानी नहीं है। वहां हाई स्कूल भी है। इस प्रकार की अव्यवस्था उस इलाके के अन्दर पीने के पानी के संबंध में है। सिंचाई तो दूर रही पीने का पानी भी आप उन लोगों को नहीं दे सके। रहा सवाल वहां के काश्तकारों के बारे में कहना चाहता हूं कि किस तरह से वे लोग जिन्दगी गुजारते हैं। यह हम जानते हैं। आपको नहीं मालूम। आप कोठियों में बैठते हैं, मौज करते हैं, ऐश करते हैं, और जनता के खजाने पर डाका डाल रहे हैं। आप चल कर देखिये वहां पर पीने का पानी तक नहीं गया है। इन गांवों के लोग भिखारी की तरह जिन्दगी गुजार रहे हैं। वहां रेतीली जमीन है और अकाल पड़ता रहता है। फिर भी आप उनसे किश्तों की वसूली कर रहे हैं। एक एक काश्तकार पर दस दस किश्तें चढ़ रही हैं, काश्तकार बर्बाद हैं। आज तक राजस्थान की सरकार ने इन काश्तकारों की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इस संबंध में मैंने कटौती प्रस्तावों में हरएक को लिखा है तो मैं यह चाहूंगा कि जितने कटौती प्रस्ताव भाखरा के संबंध में हैं एक एक पर विचार करना चाहिए क्योंकि एक एक प्रस्ताव पर बोलूं तो बहुत टाइम खर्च हो सकता है। टाइम कम है, प्रस्ताव ज्यादा हैं इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूं जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है उसकी पालना की जाय और यदि पालना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। जिस तरह अभी हंसराज जी ने कहा भादरा और नोहर में ऐसी सैकड़ों एकड़ जमीनें है तो मैं निवेदन करूंगा नोहर भादरा में 37 हजार ऐकड़ जमीन है उसको नहरी क्षेत्र से निकालकर खातेदारी दी जाय और यही विधान सभा में घोषणा की थी। अभी म राजस्थान केनाल के क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं राजस्थान केनाल क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जिनको कोलोनाइजेशन क्षेत्र में ले रखा है, सिंचाई क्षेत्र में ले रखा है वहां पीने का पानी तक नहीं मिलता है। क्या आप उन काश्तकारों को बेकार कर देना चाहते हैं। नहर की योजना नहीं बना रहे हैं, पानी देने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं, जमीन के लिए नोटिस निकालते हैं जमीन अलाट कराये और जमीन अलाटमेंट नहीं करवाई तो हम काट देंगे तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों पिछली साल विधान सभा में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। मैं कोलोनाइजेशन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपने कार्यवाही की ? उन लोगों को बाहर निकाला ? नहीं निकाला, क्या चाहते हैं आप क्या उन काश्तकारों को मार देना चाहते हैं ? एक गांव में कुछ बीघा में पानी लगता है और उस सारी जमीन को सिंचाई क्षेत्र में ले लें। क्या आप काश्तकार के लिए इतना भी नहीं सोचते हैं कि उनको पानी भी नहीं दिया और उनकी जमीन भी छीनना चाहते हैं। नोहर तहसील में रावतसर ब्रांच है वहां लिफ्ट योजना बनी थी। उस योजना के अन्दर 23 हजार ऐकड़ जमीन आई है। मैंने विधान सभा में भी प्रश्न किया था उस समय यह कहा था 23 हजार एकड़ जमीन आई है और इतने गांव हैं······

एक माननीय सदस्य : 23 हजार नहीं हैं 40 हजार हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : ··(व्यवधान)·· नहीं, 23 हजार ऐकड़ जमीन उसके अन्दर आई है और उसमें अनेक गांव आये हैं टंटेला, लालपुरा भगवाना, देवदास आदि आदि इन गांवों की जमीनें उसमें आई हैं और यहां पर पूछें तो कहें विचाराधीन है, भारत सरकार के पास स्कीम गई है। सिंचाई विभाग से लिखा पढ़ी की तो वहां से उत्तर आया हमारे पास इसके कागज नहीं हैं। आपके विभागों से यह उत्तर मिलता है कि हमारे यहां इस प्रकार के कोई कागज नहीं हैं, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इस प्रकार से लोगों को बरबाद करने की आपकी नीति है। मैं इसकी कटु आलोचना करता हूं। आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिला चूरू की लिफ्ट योजना की स्कीम के बारे में आपने कहा था लेकिन उसको भी आपने केन्सिल कर दिया जब कि राजस्थान केनाल उस ऐरिया से गुजरी है। क्या उस इलाके को आप पानी नहीं दे सकते। पानी का हिस्सा आप दे नहीं सकते और उस पानी का हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है। मैंने पिछले साल एक प्रश्न किया था लड्ढा साहब से किया था कि ठुकराना को सोमासर

(श्री रामचन्द्राचार्य)

माइनर से पानी दिया जाय लड्ढा साहब ने कहा कोई योजना नहीं है और सोमासर माइनर है उसके बारे में आगे जाने की योजना नहीं थी और नहीं है। क्या इस प्रकार की बात कहते जरा भी लज्जा नहीं आती। मुझे क्या यह नहीं बतलाया गया कि सोमासर माइनर से ठुकराना की जमीन करीब 200 एकड़ जमीन की सिचाई होगी। इसी सदन में उत्तर दिया और इसी मुंह से कहते हैं कोई योजना नहीं। एक तरफ कहते हैं सोमासर माइनर की योजना बन चुकी है और इस माइनर से ठुकराने को भी पानी दिया जायगा और दो सौ ऐकड़ की सिचाई होगी और आज उस माइनर को रोक दिया गया। आज ठुकराने गांव के लोग पानी के बिना तड़फ रहे हैं और आप कहते हैं कोई योजना नहीं है मैं गलत बात को चेलेन्ज करता हूं। मैंने पूछा था क्या यह राजस्थान की सरकार बतायेगी कि सोमासर माइनर की नहर ठुकराने के रकबे में होकर जायगी। यदि हां, तो ठुकराने की भूमि को पानी क्यों नहीं दिया जाता है। आपने जवाब दिया जी हां अब तक ठुकराना गांव में राजस्थान नहर नहीं पहुंची है दूसरे उत्तर में यह कहा गांव ठुकराने में 200 एकड़ रकवा भूमि है और जो नहर से पानी लग सकेगा राजस्थान केनाल की सोमासर माइनर को निकालने का तखमीना शुरू हो चुका है जिसका काम निकट भविष्य में होने वाला है। 200 बीघा भूमि में पानी लग सकेगा और आपने कहा कोई योजना नहीं है। इस प्रकार सदन में बैठकर गलत बात कहते हैं। लोगों को गुमराह करते हैं यहीं नहीं अनेक इस प्रकार के गलत उत्तर देते हैं आगे मैंने पूछा है क्या सरकारी बंगलों में। फसलें पैदा होती हैं आपने कहा जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। क्या आपने यह उत्तर नहीं दिया ? सन् 1969 में इसी सदन में उत्तर दिया आठ आने फसलें बोई हैं किन्तु य फसलें काश्तकार के नहीं हुई। इस सदन में बैठकर झूठी बात कही। क्या यह आपको शोभा देता है ? क्या आप गंगानगर के किसानों को बरबाद कर देना चाहते हैं ? भाखरा, राजस्थान और गंग केनाल में आज भी फसलें नहीं बोई हुई हैं और सदन में गलत बात कही जाय। इसके अलावा मैंने यह पूछा राजस्थान केनाल का पानी नाली में छोड़ा जाता है और यह सवाल आया कि राजस्थान केनाल के काश्तकारों को पानी नहीं दिया जाता है, उनकी टेलों तक पानी नहीं पहुंचता है। इनके मंत्रियों के जो रिश्तेदार उनके लिये तो पानी नालियों में छोडा जाता है। मैंने यह प्रश्न किया कि जुलाई से अक्टूबर तक चार हजार क्युसेक पानी छोड़ा हैं अलग अलग गांवों में अलग अलग जगह दिया है। मुझे लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट के मुताबिक राजस्थान केनाल का पानी नालियों में छोड़ा गया है। जहां एक तरफ रेतीली जमीन में जो पानी नहीं पी सकती है वहां लोगों को चांवल पकाने के लिये—मंत्रियों के रिश्तेदारों को चावल पकाने के लिये चार चार हजार क्यूसेक पानी नालियों में छोड़ा जाता है। इस प्रकार इस राज्य को आप कितने दिन चला सकेंगे। मैं नहीं समझता आप क्या करना चाहते हैं ? क्या वहां के लाखों भूखे, नंगे लोगों को बरबाद कर देना चाहते हैं ? क्या आपकी यही सिचाई की नीति है ? क्या आपको यही शोभा देता है कि इस प्रकार की अव्यवस्था फैलायें आये दिन मोघें सूखे पड़े रहते हैं। मुख्य नहर के मोघे द्वारा सारा पानी खींच लिया जाता है और इस तरह छोटे मोघों को पानी नहीं दिया जाता है। इस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

राज जी ने पूछा गंग केनाल की योजना बनी और भी इस राज्य सरकार ने योजनायें बनाई पहले भी और अब भी लेकिन उन योजनाओं पर आपने कभी अमल नहीं किया।

केसरदेशर केनाल की योजना किस वक्त में बनी थी लेकिन आज तक वह नहीं बनी और सारा पानी पंजाब व हरियाणा में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जो फोडर निकालनी थी उसकी कितने साल पहले योजना बनी थी। उस योजना को आज तक आपने लागू नहीं किया। तो गंग केनाल वाली एक छोटी सी माइनर निकालने से हम क्या यह समझ लें कि आप माइनर निकाल कर पानी दे देंगे। उस केनाल में रामसर माइनर और दूसरी माइनर की टलों पर आज तक पानी नहीं गया है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और लोगों से वोट बटोरने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है।

चाहिए तो यह था कि राजस्थान केनाल में लिफ्ट योजना बनाई जाकर नोहर और सूरतगढ की तहसीलों में पानी लिफ्ट से देना चाहिए था। यदि सिंचाई के लिए पानी नहीं दे सकते तो कम से कम पानी के के लिए तो पानी देना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में कोई रहम नहीं है। हंसराजजी दया की भीख मांगते हैं। तो दया से कुछ नहीं मिलता है। राजनीति में तो राजनैतिक आधार पर ही फैसले होते हैं। हमारे इलाके के प्रतिनिधि मंत्री मण्डल में बैठे हुए हैं। वे अपनी निजी स्वार्थों में डूबे हुए हैं इसलिए आज वहां की 15 लाख जनता रो रही है और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। राज्य मंत्री हैं इनके रिश्तेदार ने पंजाब में गंग केनाल को तोड़ा और आज तक उस पर कोई मुकद्दमा पेश नहीं हुआ और हजारों की तादाद में काश्तकारों की फसलें बरबाद हो गई। पंजाब में इस प्रकार से पक्की नहर नहर कैसे टूट सकती है। रूपनगर के पास में वह नहर तोड़ी गई। वह इनके रिश्तेदार थे। मैंने इसमामले को विधान सभा में उठाया था लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

इसी तरह से घग्घर कन्ट्रोल बना हुआ है उसके अन्दर कुछ न कुछ पानी चौमासे में आता है तो उसको लिफ्ट करके करके इधर को निकाल दिया जाय तो 6 मासी पानी लोगों को मिल सकता है, लेकिन उसका पानी टीबों में पड़ा रहता है और 30–30 फुट तक पानी चढ जाता है, लेकिन वह पानी काश्तकार मांगते हैं और उनके लिये मोगे मांगते हैं तो मोगों के लिए पैसा मांगते हैं। दो हजार रुपया रिश्वत दे देते हैं तो मोगा दे दिया जाता है, लेकिन पास में जमीन बारानी पड़ी हुई है। राजस्थान और गंग केनाल एरिया में जमीन बारानी पड़ी हुई है। इन्जिन से पानी लेने की मन्जूरी उनको देना चाहिए, लेकिन यह काम इनको करना नहीं है। इनको करना क्या है कि कौन से मोगे से आमदनी ज्यादा हो सकती है। सूरतगढ ब्राच में जितने मोगे लगे हुये थे उन सारे मोगों को उखाड़ा गया और उखाड़कर उनसे 3–3 हजार रुपया रुपये लिये गये और मोगे फिर लगाये गये। यह हालत इस राज्य की है।

इस प्रकार से सिंचाई विभाग में जितने घोटाले हैं और जितने झूठे बिल बनाये जाते हैं मरम्मत के नाम से और उसमें जितना पैसा उठाया जाता है उतना और किसी में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नहीं। वहां पर एक रुपये में से चार आना खर्च नहीं किया जाता है। हंसराजजी ने कहा था कि झूठे बिल बनते हैं तो मैंने आंखों से देखा है। चीफ इन्जीनियर को बुलवा लिया गांव के पास में दिखाया है कि यह देख लें कि यह खुदान के अन्दर बुईसनिया उगी हुई हैं और आपको यह बता सकता हूं कि खदान को खोलकर पैमाइश करा दी और बाद में सनियां मैंने इनको दिखा दे जो कि पहले से ही उगी थी। इससे बढ़कर और क्या बेईमानी हो सकती है। नहरों की पटरी पर ट्रैक्टर चलाये जाते हैं और उसको उलट पुलट कर, बिल बना दिये जाते हैं। वहां पर लगातार आंधी चलती है और धूल नहर में गिरती है। नहर की सफाई नहीं कराई जाती है और बिल बना दिये जाते हैं, लेकिन वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक हिस्सा बन्धा हुआ है नहीं तो कौन सा कारण है कि सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही न करे। सरकार के हाथ लम्बे होते हैं और इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले लोगों को जेलों में बिठा सकती है। लेकिन इनको चुनाव में पैसा चाहिए। अभी मध्यावधि चुनाव में 5 लाख रुपया इकट्ठा किया गया है उस इलाके के अधिकारियों से और कर्मचारियों से और वह किन किन लोगों से वसूल किया गया है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : किन्होंने वसूल किया है ? कौन से मिनिस्टर ने वसूल किया है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इनमें कम कौन सा है। सारे ही हैं। किसी का नाम क्या लूं। यह जानने की जरूरत है कि कम कौन सा है। यह पूछें कि कमती कौन करता है और ज्यादा कौन करता है ? कम और ज्यादा हो सकते हैं। किसी ने कहा है कि शेर का भाई बघेरा। कोई कम नहीं है। कोई बड़े रूप में करता है और कोई छोटे रूप में करता है और कोई जो मेरी तरह से बेवकूफ हैं वह यहां से जाकर दिल्ली में अपना सिनेमा लगाते हैं। इस तरह से मूर्खों का उदाहरण देता हूं कि इनको पैसा रखने की भी अकल नहीं है। किस तरह से इनसे ज्यादा लोगों के पास पैसा है जो कि इनके साथ में बैठने वाले हैं उनकी इनसे ज्यादा कमाई है। सारे एक जैसे ही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

50 मिनिट हैं।

श्री सभापति : ज्यादा टाइम लेने के लिए तो आप सौ प्रस्ताव रख सकते हैं। आपकी पार्टी के 25 मिनिट थे तो 20 मिनिट तो आप बोल चुके हैं। आप को मालूम ही नहीं पड़ता है कि कितनी देर तक आप बोले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, तो मैंने तो शुरू ही किया है।

मुझे चूरू के बारे में कहना है। चूरू के लिये आपने लिफ्ट योजना की स्कीम बनाई थी और अभी कुओं में पानी सिचाई के लिये बिजली से निकालते हैं तो बिजली विभाग द्वारा भी उनके साथ में ज्यादती की जा रही है तो कोई भी काश्तकार कुए बनाने की हिम्मत नहीं करता है। आज गर्मी में बिजली कोई इस्तेमाल नहीं करता है और फिजूल रहती है फिर भी लोगों से 150–200) महीना लिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था है और चूरू जिले में मनमानी कर रखी है

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बिजली वालों ने इसको समाप्त किया जाय यदि आप काश्तकारों को सिचाई के लिये सुविधा देना चाहते हैं नहीं, तो यह बिजली बोर्ड वालों ने मनमानी करने की बात कर रखी है और कच्चे धागे में एक नंगी तलवार उनकी गरदन पर लटका रखी है। आप इस ओर ध्यान दें। ध्यान आपको देना नहीं है। आप तो एक तरफ चुम्बक की शक्ति की ओर खिंचे जा रहे हैं और उसी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। न मालूम क्या करना चाहते हैं। आज 20 साल के शासन से आपका मन नहीं भरा है तो कम से कम थोड़े समय के लिये आपको इसको बन्द करना चाहिये। दुनिया करवट ले रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में यही स्थिति रही तो मुश्किल हो जायगी।

आपने पिछले दिनों में यह कहा था कि समाजवाद आयेगा तो दिल्ली में तो समाजवाद आपका पूरा हो गया, क्योंकि फर्जी कार्यवाही और केमिकल स्याही इस्तेमाल की। वह साबित कर दिया नहीं तो कोई कारण नहीं कि नई कांग्रेस को वोट नहीं मिलते। आप इस भ्रम में न रहे कि समाजवाद के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट ले लेंगे। गंगानगर के लोगों ने जो आन्दोलन किया था और आपके सामने जो बात रखी थी उन पर सही तरीके से विचार करें। जितनी घोषणाएं यहां पर की गई है उन घोषणाओं को लागू करें। आप ऐसा न करें कि घोषणा कर दी और बाद में उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वहां के काश्तकार इस बात को समझते ह। वे लोग जानते है। आज शोभारामजी ने एक बात कहीं कि जिनके पास में 25 बीघा से अधिक खातेदारी भूमि है उनको खातेदारी नहीं देंगे। तो आपने थोड़े ही दी थी खातेदारी 25 बीघे में खातेदारी देंगे तो बाकी की जो जमीन है उसको सीलिंग सीमा तक सरकारी रेट पर देंगे। तो रेट निर्धारित करने में भी बेइमानी के तरीके से आपने लोगों को बरबाद किया है। टीबी के गांवों में 280 रु० और दूसरे गांवों में 675 रु० तो ये कौनसा न्याय है तो क्या वह टीबी के परगने की जमीन खराब है और हमारे इलाके की जमीन अच्छी है?

हनुमानगढ़ तहसील में 69 बीघा जमीन सीलिंग में रखी गई है। मेरे इलाके म साढे 62 बीघा रखना चाहते हैं। हमारी जमीन आज भी। वह सारी 1000)रु० में भी बिक रही है। यह कौन सा न्याय है? अंधा बांटे सीरनी फिर फिर अपने को देय। या हो सकता है कि जो चपरासी सुखाड़िया जी ने रखा है, वह मंत्री बनने की कभी योग्यता ही नहीं रखता है। एक दूसरे की टांग खींची जाती है। राजस्थान की इतनी बड़ी कैबिनेट है, लेकिन उसमें गंगानगर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यह गंगानगर की एक एक समस्या हल करवायें तब तो समझूंगा कि आप राज्य मंत्री है। इधर उधर गांवों में जाकर असत्य बातें कह कर चले आते हैं।

श्री शंकरलाल : आप का पूरा पूरा भाषण राज्यमंत्री पर ही हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर की 15 लाख जनता को बरबाद करने वाला अगर कोई है तो यह एक राज्यमंत्री है। जैसे बावसी के हिरन के गले में रस्सी डाल कर लोग जंगल में ले जाते है तो उसको देखकर जंगल के दूसरे हिरन पास में आ जाते हैं। इसी तरह से इनको जो सुखाड़िया जी कहते हैं उसी तरह से कदम उठाते हैं।

Page No 121

(श्री रामचन्द्र आर्य)

इस हालत में गंगानगर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । इसलिए, लड्ढा साहब, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, आपको कम से कम गंगानगर के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। गंगानगर के लोगों की समस्याएं हैं । गंगकेनाल बन्द पड़ी है । राजस्थान केनाल बन्ध पड़ी है । आप उस इलाके की एक एक समस्या सुलझायें । मैं यही कहता हुआ मेरे जो कटमोशन्स हैं......

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मेरे 50 कटमोशन हैं, उन पर, एक एक पर आप विचार करेंगे ।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सभापति महोदय,.........

श्री सभापति : नाम तो नन्दलालजी का है।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री सभापति : कांग्रेस की तरफ से जो चिट्ठियां आती हैं, मुख्य सचेतक की तरफ से चिट्ठी आती है । लेकिन कोई अप्रोच करता है तो उसका नाम लिख देते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री सभापति : देवीलाल जी बहुत कम बोले हैं ।

श्री नन्दलाल बैरवा: सभापति महोदय,...

श्री सभापति : अच्छा, आप । समय का ध्यान रखें ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, सदन में सिचाई को लेकर काफी बातें रखी जा चुकी है। अभी गंगानगर को लेकर काफी बातें रखी गई हैं । सभापति महोदय, मैं भी आप की मारफत सिचाई मंत्री जी का ध्यान चम्बल की ओर दिलाना चाहता हूं । कोटा में नदी को बांधने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । कोटा जिले में और बूंदी जिले म जब तक चम्बल बांध का निर्माण नहीं हुआ था, भयंकर अकाल पड़ते रहे हैं ।

श्री केसरीसिह हाड़ा : माननीय सदस्य यह अकाल कब पड़ा है ? मेरी याद में 52 से पहले कोई अकाल नहीं पड़ा है ।

श्री नन्दलाल बैरवा : आप की जमीन में कोई अकाल नहीं पड़ा होगा ।

श्री केसरीसिह हाड़ा : मेरी जमीन से क्या मतलब ? बूंदी में 52 से पहले कभी अकाल नहीं पड़ा ।

श्री नन्दलाल बैरवा : केशोराय पाटन में 52 के बाद ऐसा अकाल पड़ा ....

श्री केसरीसिह हाड़ा: 52 के बाद का है।

श्री नन्दलाल बैरवा : सम्वत् 2008 में पड़ा है ।

एक माननीय सदस्य : बात वही है।

श्री केसरीसिह हाड़ा : जिसमें भंवरलाल जी ने लगान माफ कराने का अन्दोलन किया था, वही ?

श्री नन्दलाल बैरवा : जी हां, वही।

करोड़ों रुपये खर्च करके इस चम्बल को बांधा गया है । पं० जवाहर नेहरु ने इस चम्बल नदी के कोटा बांध का अपने

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया है। लेकिन जिस प्रकार नहर निकालने के लिए और जमीन सिंचित करने के लिए, जितना भी इसमें काम करने वाले थे, उन्होंने इतनी गलती की है किसी नहरों की क्षमता देखकर उनकी लम्बाई चौड़ाई और गहराई को मद्दे नजर नहीं रखते हुये कि कितने पानी से जमीन को सिंचित कर पायेंगे। इससे पहले, जितना कि काम होना चाहिए वह नहीं हो सका और जल्दी से नहर को चालू कर दिया गया। जिससे कि इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। मैं वह अर्ज करूंगा सभापति महोदय, 63-64 के अन्दर इस नहर में 1 लाख 56 हजार 25 क्यूसेक पानी जायेगा। इसमें 71 हजार 386 एकड़ जमीन सिंचित हुई। 70 में 1,62,714 क्यूसेक पानी आया और 1,33,055 एकड़ जमीन सिंचित हुई है।

जब कि भूमि की सिंचाई 61,649 बढ़ गई। सवाल इस बात का है, 1963–64 में जितना पानी आपने दिया, उसके बनिस्पत 1969–70 में जो पानी दिया है, जितनी जमीन की सिंचाई आप कर रहे हैं, इसका मतलब है, आप काफी पानी कम दे रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि किसान, जिसके खेत या जमीन, या गांव में से नहर निकली है, उस किसान को पानी न मिले। यह कैसे हो सकता है जब कि आप 1963–64 में जो पानी दे रहे थे, उसके मुकाबले में जितनी जमीन की पिलाई आप कर रहे हैं, उसमें नहीं के बराबर पानी आप दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, जब से सिंचाई विभाग के के द्वारा नहरों का निर्माण कराया, उस वक्त नहरों की लम्बाई थी, और जिन्हें जिस प्रकार विभाग चला रहा था, उस दिन से लेकर आज के दिन तक नहरों की सफाई या क्लोजर आदि नहीं कराया गया है। जगह जगह कई माइनर में, नहरों में, डिस्ट्रिब्यूटरीज में आपने गेज लगा रखे हैं, गेज नीचे लगा रखे हैं, जहां क्षमता है, जितनी जगह गेज सकते हैं, वहां लगा रखे हैं, लेकिन गेज के नीचे दो-दो, तीन-तीन फीट या इससे कम या ज्यादा मिट्टी भर गई है। जब पानी देते हैं तो गेज बता देते हैं। गेज उतना बतायेंगे जितना मिट्टी से ऊपर है, उससे ऊपर ही पानी चढ़ता जायगा। जब किसान अपने खेतों पर पानी मांगते हैं और वहां के किसान सरपंच को कहते हैं और सरपंच कहता है कि पानी छोड़ा जाय तो आपके इंजिनियर और असिस्टेन्ट इंजिनियर इस इस बात को कह देंगे कि हमारा गेज बराबर चलता है, उसके अनुसार देते हैं। सभापति महोदय, मैं मानता हूं, गेज बराबर चलता है, लेकिन गेज को देखते हुए, उसके नीचे मिट्टी भर जाने से पानी कम हो गया है। हम जानते हैं कि पानी कम हो गया है, लेकिन गेज बराबर है, उसकी रिपोर्ट बराबर है, लेकिन खेतों को पानी कम देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जब से चम्बल की योजना चालू की गई है, तब से लेकर आज तक नहरों की मुख्य या माइनर की, डिस्ट्रिब्यूटरी की की सफाई नहीं की गई है। मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले में तीन ब्रांच हैं, कापरन, पाटन ब्रांच और एक और ब्रांच है, इन तीनों ब्रांचों में नहरों का काम शुरू हुआ है, लेकिन आज दिन तक सफाई नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चालू वर्ष में सिंचाई विभाग ने निर्णय लिया है कि नहरों को बन्द करके सफाई करेंगे दस अप्रेल से। हमारे यहां की पंचायत समिति है, उसकी मीटिंग में

(श्री नथूलाल बरवा)

और जिला परिषद् में, यह निर्णय लिया गया कि दस अप्रैल के बजाय बीस अप्रैल से की जाय। सवाल यह है कि दस अप्रैल से नहर बन्द है। हम इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से मिलते हैं, और अभी गये सप्ताह में शनिवार, इतवार को दौरे पर था, मैंने देखा कि जिस प्रकार नहर पर काम चलना चाहिए था और चल कर मई जून में पूरा हो जाना चाहिए था, मुझे विश्वास है, डेढ़ा महीने में नहरों की सफाई करके इन नहरों को अच्छा नहीं कर सकते हैं। सवाल इस बात का है, मजदूर ज्यादा आप लगायें और बजट ज्यादा रखने की बात करें। राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से जितनी नहरों की सफाई होनी चाहिए, उतना बजट, उतना पैसा नहरों की सफाई करने के लिये आज नहीं दिया गया है। अगर वह पैसा नहीं दिया जायगा तो बीस तारीख से हमारी नहर बन्द रहेगी, तो गन्ना नहीं लग पायेगा। केशोरायपाटन में राजस्थान का सबसे बड़ा सुगर मिल है। अगर गन्ना नहीं लगाया जायगा तो सुगर मिल में किसी प्रकार गन्ना नहीं पहुंच पायगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष अगर आप नहरों का क्लोजर करना चाहते हैं, यह करने के लिए आपने निर्णय लिया है तो ज्यादा से ज्यादा जितना उसमें पैसा खर्च करना चाहते हैं, वह एक वर्ष में करके उस कार्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इस साल हजारों एकड़ जमीन में गन्ना लगाने से किसान वंचित रह जायेंगे और सुगर मिल भी गन्ने से वंचित रह जायेंगी और फिर भी वह नहर वैसे ही रहेगी जैसी गत वर्ष थी। इसलिए जितना आपका काम करना है, कितना खर्च करना है मुख्य और माइनर नहरों की सफाई करने पर वह इस वर्ष पर धूमधाम से ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके करना चाहिए।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, नहरें निकालें उससे पहले जितने भी एक गांव से दूसरे गांव तक जुड़े हुए रास्ते हैं, उनमें से जहां जहां नहरों का निकास बने, जो सिंचाई विभाग के इंजिनियर नहरें निकालें, वह देखें कि कहां एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं और क्या हैं। वैसे यह आपके सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी और इंजिनियर जानते हैं लेकिन वह पुल नहीं बना सकते हैं। इस कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जेतल गांव है, वहां अधिशासी अभियन्ता और हम लोग गये, लेकिन किसी की ताकत नहीं थी कि नहर को पार करके गांव के अन्दर जा सके। जब नहर आई है तो नहरों के अतिरिक्त जो साधन उपलब्ध करने चाहिएं वह साधन उपलब्ध नहीं कराये जाते है और जहां जहां नहरों पर ऐसे रास्ते पड़ते हैं उन पर पुलिया नहीं बनाई जाती है तो लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए इन पुलियों को बनाने के काम की ओर ध्यान देना चाहिए। आज वैसे कहा जाता है कि एस्टीमेट बना कर दिया है, लेकिन सिंचाई विभाग के पास बजट नहीं मंजूर होता है पुलिया बनाने के लिए, इस कारण गांव के लोगों को अपनी फसल तक अपने कन्धों पर ले जानी पड़ती है। इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितनी पुलियां हैं उनको पूरा कराया जाना चाहिए।

इसी प्रकार एक और मुख्य समस्या इस बात की है कि आज नहरों में कचरा भर गया है, और नहरों की परतें टूट

(श्री नन्दलाल बैरवा)

गई है। सवाल इस बात का है जगह जगह खुल गई हैं और जमीन पर पानी भर कर सीपेज होता है। इस कारण टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। यह समस्या है। ऊंचाई पर पानी पहुंच जाता है। सीपेज होता है इस कारण टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। इसके लिये कहा गया, तो सिचाई विभाग ने निर्णय लिया कि हम ड्रेनेज का काम चालू करेंगे। सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ता है कि ड्रेनेज का कार्य बूंदी जिले म जिस प्रकार से करना चाहिए था, वह बूंदी से कापरेन और पाटन ब्रांच में नहीं कराया नहीं गया है। रामप्रसाद लड्ढा, सिचाई मंत्री और वृजसुन्दर शर्मा, हेल्थ मिनिस्टर–इन दोनों को मौके पर जाकर दिखाया, जयपुर से सम्बन्धित इंजिनियर और कोटा के इंजिनियर साथ थे, ओठा से कैनाल के किनारे किनारे ले गये, वहां दोनों तरफ पानी भरा था, जैसे समुद्र नजर आता है। हजारों एकड़ में पानी भरा हुआ है। इसका श्री रामप्रसाद लड्ढा ने निरीक्षण किया था, ओठा के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, अधिकारियों और रामप्रसाद लड्ढा के आने के कारण ही पाइप लाइन लगा कर नहरों में पानी डाला जा रहा था। इससे सैकड़ों बीघा जमीन पानी में डूब जाती है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। आज चारों तरफ सैंकडों बीघा जमीन पानी में डूब रही है इसलिए ड्रेनेज का कार्य विभाग के द्वारा चालू करना चाहिए और नहरों की सफाई का कार्य भी कराना चाहिए।

तीसरी समस्या है यहां के····

(घंटी)

सभापति महोदय, मुख्य सवाल है, अगर आप इजाजत नहीं दें तो मैं बैठ जाऊं। 5 मिनट और बोलूंगा। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पाटन तहसील एक ऐसा इलाका है कि एक तरफ चंबल नदी पहुचती है दूसरी तरफ दूसरी नदी। बीच में जितने गांव पड़ते हैं विभाग ने कमांड घोषित कर रखे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जिस गांव में आज से 10 साल पहले पानी आने वाला था, 10 साल तक अगर सिचाई का पानी नहीं पहुंच पाता है तो अनकमांड एरिया कर देना चाहिए ताकि काश्तकार को जमीन सस्ती कीमत पर मिले या हरिजनों को भूमिहीनों के नाते जमीन एलाट हो सके। लेकिन जहां आने वाले 20 वर्षों में भी पानी नहीं दे सकें उसको भी आपने कमांड एरिया घोषित कर रखा है। जिस गांव में नहर का पानी जहां जा सकता है वहां नहर खुदवाई जा चुकी है लेकिन अब तक विभाग नें ध्यान नहीं दिया। जहां नहर खुदवानें पर सरकार न लाखों रुपए खर्च किए वहां पानी पहुंचाया जाए। मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी ने निरीक्षण किया है। कहीं टल है तो कहीं हेड हैं। हजारों बीघा जमीन है तो पानी जरूर देंगे लेकिन उसके बाद किसान महंगा गेहूं लाकर फसल में डालेगा, एक एक बूंद करके पानी देगा और बराबर डालता रहेगा और रबी की फसल हजारों बीघा जमीन में सूखी है। मुझे दुख है कि नहर खुदने के बाद पिलाई हो लेकिन फिर भी किसानों को पानी नहीं मिलेगा। चंबल नहर द्वारा काश्तकारों को जितना आराम हुआ है तो तकलीफ भी हुई है लेकिन तकलीफ के लिए मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं कि

(श्री नन्दलाल बैरवा)

सिंचाई विमाग के अधिकारीगण केवल कागजों की पूर्ति करते हैं और मंत्री महोदय जब जाते हैं तो अपनी प्लान को उनके सामने रखते हैं। जब लड्ढा साहब हमारे क्षेत्र में आए तो ड्रेनेज इंजनीयर ने वायदा किया था बहुत जल्दी ड्रेनेज करायेंगे, सारा कर देंगे लेकिन दुख की बात है कि है कि वहां ड्रेनेज इंजनीयर ने इजाजत नहीं दी है। 4 फुट की ड्रेनेज खुदवादी इसलिए मंत्री महोदय हम आपके सामने अपनी बात कहेंगे उसके बाद दूसरा काम नहीं करते हैं। इसमें वहां की जनता का सवाल है। आपकी थोड़ी सी सुस्ती के कारण लोगों को हजारों मन गल्ले का नुकसान हुआ है। इसके बाद जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसका हरजाना संबंधित अधिकारियों से सरकार को लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी से भारी नुकसान कराने के लिए इन लोगों को तैयार रहना होगा।

एक तरफ नदी और दूसरी तरफ चंबल नहर। दूसरे प्लान में किया गया था। चंबल नदी पर पुलियां और लाखेरी-सवाई माधोपुर को जोड़ने का प्लानिंग सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया था लेकिन उस इलाके में बराबर अकाल पड़ने के बाद भी आज तक उस नहर का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसा इलाका है जहां सैकड़ों आदमी, आज भी, मैंने उस इलाके का दौरा किया था, गांव के गांव खाली हैं, बराबर अकाल पड़ा है। जब मैंने पूछा तो पता लगा कि जितना अनाज, जितना गेहूं, बीज डाला खेत में उस बीज को पूरा नहीं कर पाते और कर्जा लेकर चुकाना पड़ता है किसान को। वह प्लान नहरें बनाने के मंजूर हैं। उस कार्य को शुरू करके उस इलाके को पानी देना चाहिए।

(घंटी)

इसी प्रकार तहसील नेंनवा ग्राम तलवास पहाड़ी इलाका के बीच में है और कई वर्ष पहले का तालाब बना हुआ है उसको गहरा करने के लिए आपके विभाग से कई बार निवेदन किया कि तालाब को गहरा करने से फायदा होगा गहरा न होने के कारण पानी सूख जाता है और पीने के पानी की समस्या रहती है। लेकिन आपके संबंधित अधिकारियों ने उस तालाब को गहरा कराने का अभी तक कोइ प्रयास नहीं किया। आज इस गांव में पानी की समस्या है। उस पंचायत म 10–12 गांव पड़े हैं और तालाब में पानी भरा रहने से कुओं का पानी ऊपर आ सकता है। इसलिए ग्राम तलवास के तालाब को गहरा करा दें ताकि पूरी पंचायत के कुएं का पानी ऊपर आएगा उससे काफी लाभ होगा।

वहां तीन गांवों में एक ऐसा नाला निकला हुआ है पहाड़ों के ऊपर से। अगर उसको बांध देते हैं तो करीब 2–3 हजार बीघा भूमि की सिंचाई उस बांध के द्वारा हो सकती है। इसलिए मैंने सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि आप इस बांध का सर्वे कराकर इसको बनवाया जाए ताकि इस इलाके में कोई नहर नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो इस बांध का सर्वे करायें ताकि इसमें कई हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकती है।

एक और मुख्य समस्या है। सिंचाई विभाग का पटवारी और राजस्व विभाग का पटवारी दो बराबर के पटवारी होते हैं। जहां नहरी एरिया में किसी ने 2–4 पानी ले लिया लेकिन पटवारी पूरी पिलाई लिखेगा,

(श्री नन्दलाल बैरवा)

4 पानी लेने के लिए भी पूरी पिलाई लिखेगा, वह घर बैठकर लिख सकता है, खेत पर बैठकर लिख सकता है तहसील में बैठकर लिख सकता है। लेकिन वह लिखने के बाद उसकी वसूली करने राजस्व विभाग का पटवारी जाएगा। काश्तकार कहेगा मेरा तो गेहूं था आपने चना कैसे लिख दिया तो राजस्व विभाग का पटवारी कहेगा, मैं यह बात नहीं जानता, पैसा नहीं देते हो तो कुर्की लाता हूं। तो सिंचाई विभाग का पटवारी लिखे और राजस्व विभाग का पटवारी वसूल करेगा तो मैं फिर सुझाव देता हूं कि जो पटवारी सिंचाई की पिलाई लिखता हो उसको यह काम करना चाहिए या सिंचाई विभाग से बदलकर राजस्व विभाग के पटवारी से पिलाई लिखने का काम कराया जाए ताकि यह समस्या पैदा न हो कि पिलाई किसने लिखी और किसने वसूल की है। सवाल इस बात का है कि किसान जितना पानी लेता है उतना ही लिखना चाहिए।

दूसरी बात किसान को पानी लेने में, नाला नहीं लगने से, जरूरत किस बात की होती है? किसान चाहता है कि मेरे खेत को पानी मिले लेकिन नहीं मिलता है तो किसी समय वह पानी लेने के लिए नहर को तोड़ देता है। चाहे आप नाला लगाकर पानी दें, कैसे भी पानी देना चाहिए, किसान को पानी मिलना चाहिये। वह नहर को काटेगा। आपका विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है कि किसान को किस प्रकार पानी देना चाहिये।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री नंदलाल बैरवा : एक अर्ज है।

श्री सभापति : नो। अंकित न किया जाय। मैं बहुत ही कम स्ट्रिक्ट होता हूं। एक मिनिट, एक मिनिट आप तीन बजे से कर रहे हैं। एक मिनिट, दो मिनिट। इस तरह 3.15 हो चुके हैं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। बिलकुल नहीं।

प्रो० केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : सभापतिजी, इर्रीगेशन पोलिसी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद हमारे सामने यह नक्शा साफ हो जाय ब्यास के ऊपर जो पोंग डेम बन रहा है उसका पानी सतलज में जाकर राजस्थान केनाल में डालेंगे, पोंग डेम बनावें उससे पहले हमारी सरकार की पोलिसी क्या होगी और जितने इन्टरस्टेट डिस्प्यूट पंजाब, हरियाणा और गुजरात के साथ हैं, उनको हमारी सरकार कहां तक निपटाने में सफल हुई है। तीसरा कितना पानी है? अन्डर ग्राउन्ड पानी से इर्रीगेशन पोटेन्शियल बना सकते हैं, उसमें से कितना टंच किया है, और कितना केनाल से हम दे सकेंगे। पहले 36 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी अब 56 लाख एकड़ पर सिंचायी होती है। केवल सिंचायी क्षेत्र से ही इर्रीगेशन की पोलिसी को सफल माने तो यह गलत है। जितने भी इन्टर स्टेट मामले हैं उनको आप नहीं सुलझा पाये हैं। पंजाब पिछले दो साल से सतलज का जो 200 क्यूसेक पानी है उसको युटिलाइज कर रहा है। वह हिस्सा हमारा है। आज तक प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन सालूशन नहीं हुआ।

सभापतिजी, हमने कई बार मांग की कि मास्टर प्लान बनाया जाय जो फ्लड, फमीन और इर्रीगेशन का हो। क्या केवल

(श्री केशरनाथ)

एक बार कहने से पूरा हो जावेगा। जितनी इसके लिये ताकत लगाना चाहिये वह नहीं लगायी गयी है। क्या तो फेज्ड प्रोग्राम होगा और किस प्रकार इसको फाइनेंलाइज कर पायेंगें यह आज तक आपने आंकड़े नहीं दिये हैं।

राजस्थान बनने के बाद इसमें शक नहीं कि माइनर, मिडिल और मेजर इर्रीगेशन के लिये अलग अलग पोलिसी का निर्माण होना चाहिय। आपकी केनाल, राजस्थान केनाल, भाखरा और गंग केनाल, और जब मैं बोल रहा हूं तो टेलीग्राम मिल रहे हैं कि गंगकेनाल से 1,100 क्यूसेक, राजस्थान केनाल से 2,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है जब कि राजस्थान केनाल से 1 लाख एकड़ सिंचाई होगी जब कि 1।। लाख एकड़ की फसल खड़ी है। गंग केनाल में 3।। लाख एकड़ फसल खड़ी है और 1,100 क्यूसेक पानी मिलता है। जब से गंग केनाल बनी है हमने कभी शोर्टेज को फेस नहीं किया। क्या पंजाब से कम आता है पानी? क्या सरकुलेशन या रेगुलेशन का झगड़ा है यह हमारी सरकार तय नहीं कर पायी है। कितना नुक्सान होगा, जो पानी व्यास से रावी और सतलज से मिलता हमारे हिस्से का पानी है जो कि पाकिस्तान जाता है क्योंकि इसके लिये हम डेम नहीं बना पाये हैं और वह तब तक यह जावेगा। इन बातों के अलावा इन्डस वाटर ट्रीटी समाप्त होने के बाद गंग केनाल की जो पोजिशन है, मैं निवेदन करूं कि जब गंग केनाल बनी तो प्रिपार्टीशन की स्टेज थी, पार्टिशन के बाद की जो स्टेज है इन्डस वाटर ट्रीटी है और उसकी समाप्ति के बाद पोंग डेम बनने की स्टेज तक वही स्थिति रहेगी, हम इसको समझें कि प्रिपार्टीशन गंग केनाल से कितना इर्रीगेशन होता था और आज हम कितना पानी सप्लाई करते हैं। इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद आप देखें तो एरिया ओफ कल्टीवेशन, क्राप पेटर्न, इनटेनसिटी इनको ध्यान में रख कर वाटर पोटेन्शियल कम्पोनेन्ट तय करेंगे तो सफल होंगे। गंग केनाल, भाखरा केनाल आपकी है। डिस्ट्रिब्यूशन आपको करना है। यह आपको सोचना पड़ेगा।

सभापतिजी, जैसा कि सब को ज्ञात है कि पिछले वर्ष गंगानगर का एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। कोलोनाइजेशन, खेती बाड़ी के अलावा एक मुख्य मांग यह भी थी कि पानी हमको कम मिलता है। इसके लिये सरकार ने एक कमेटी अपोइन्ट की और उस कमेटी को मोतीराम कमेटी कहते हैं। उसने तीन महीने में रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट आने के बाद उसको डिपार्टमेन्ट एक्जामिन कर रहा है। कब फैसला करेंगे? पानी बेकार जा रहा है। राजस्थान केनाल में कितना पोटेन्शियल क्रीयेट हुआ है? यह निवेदन करना चाहता हूं कि हेन्डरसंन कमीशन के अवार्ड के बाद गंग केनाल से रबी के लिये 1 से 15 ओक्टोबर को पानी मिलता है व्यास कम्पोनेन्ट से मिलता है। एडीशनल सप्लाई के लिये रोपड़ और रोहतक के बीच में जो सतलज केनाल में पानी आता है वह एडीशनल सप्लाई मिलती है। 1945-46 में खरीफ की फसल के समय 2,31,003 एकड़ काश्त थी। रबी फसल में 3,22,000 टोटल 5 लाख 53 हजार। रबी में 1.11 मीलियन और पार्टिशन के बाद 1.58 सतलज का पानी था उसको हम यूज करते हैं। क्राप पेटर्न बढ़ गया। 213 हाई ब्रीडिंग के तहत नेट मिलता है और प्लानिंग कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है

(श्री केदारनाथ)

सेन्ट्रल इर्रीगेशन वाटर एन्ड पावर बोर्ड ने सर्वे कराया है। 1959 में पार्टिशन के बाद खरीफ का रकवा 3,40 हजार और खरीफ का 3,92 हजार। टोटल 7,09,439। यह रकवा इतना बढ़ गया। इसके अलावा इन्डो-पाक ट्रीटी, इसमें कितना हिस्सा हमारा है यह आज फैसला करना है।

सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था कि जब इनडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेन्ट हुआ तो यह सतलज कम्पोनेन्ट का पानी पाकिस्तान को दिया। यह एडीशनल पानी हम इस्तेमाल करते रहे, उससे हमने अपने एरिया को बढाया। इन्टेन्सिटी बढी और क्राप पेटर्न बढा। हमारा दोष नहीं है। एरिया बढ़ गया एडीशनल पानी से, वह पानी आपने पाकिस्तान को दे दिया। उस ट्रीटी के बाद हमें पानी मिला नहीं। यही हमारा बेसिस है मांगने का 60-61 से 69-70 तक खरीफ 3,39 हजार और रबी का 2,95,018 मिला है। हमें पूरा पानी नहीं मिला है रबी की सप्लाई पूरी नहीं हुई है। पाकिस्तान से ट्रीटी समाप्त हो गयी, हमारे हिस्से पानी था वह काट दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति जी कि सेन्ट्रल मिनिस्टरी ऑफ इर्रीगेशन के तहत जो रिपोर्ट आई है, या पंजाब के पेटर्न को मानकर चलें, या आज के हमारे एक्सटेन्ट ऑफ कल्टीवेशन को मान कर चलें, इन्टेनसिटी ऑफ इर्रीगेशन को मान कर चलें, क्रॉप पेटर्न को देखते हुए जो हाई ईल्डींग वेराइटी को मान कर चलें 450 क्यूसेक्स जो इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद जो हमारा शेयर बनता था वह यह है इसलिये।......

श्री सभापति : 54 के कम्परीजन में 1.11 है ?

श्री केदारनाथ : यह सन् 45 और 40 में जो वाटर यूटिलाजेशन है वह 1.11 है।

श्री सभापति : अब कितना है ?

श्री केदारनाथ : 59-60 की ट्रीटी में वह 1.58 रह गया है। यह पोजीशन है। इसलिये जो रबी की क्राप म, उसके अन्दर जो एडीशनल पानी हमें मिलता था उसका खरीब की सप्लाई में कम असर रहा और रबी की सप्लाई पर असर पड़ता है और वह अब 58 प्रतिशत पानी रह गया है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, जो डिस्प्यूट है इस बात पर ही हमारा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट अवाउट वाटर अकाउन्ट और सतलज रीवर है। पंजाब दो साल से पानी ले रहा है। हमारी इर्रीगेशन मिनिस्टरी 230 क्यूसेक्स का लेविल कर रही है क्योंकि सतलज वाली कैनाल का पानी है वह 430 क्यूसेक्स है। दूसरी बात है व्यास का पानी–कितना हिस्सा मिलता है। व्यास और रावी के बीच में एक लिंक कैनाल है, जो चेनल है पंजाब उसके लास को केलकुलेट करता है. 50 और हम नहीं मानते हैं। 55 में अपना इन्डस ट्रीटी समझौता हुआ था तो वह हिस्सा हमें देना चाहिये। वह नहीं मिल रहा है। तो सभापति महोदय कितना नुक्सान हुआ है इन वीलेजेज का, पंजाब इन लोगों को 50 परसेन्ट का लासेज देता है और जो व्यास का पार्टिशन है वह हिस्सा भी ले लेता है। तो इतने पाइन्टस का डिफरेन्स है हमारा पंजाब से। आपने कोशिश की है कि एक ज्वाइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड बने। हमारे एस० ई० वहां पर रहे परन्तु जो नुक्सान हम को हो चुका है उसको आप कैसे कम्पेनसेट

(श्री केदारनाथ)

कर पायगे यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

सभापति जी, जैसे हमारे यहां गंग कैनाल की बात है उसी तरह से भाखरा की बात है। इस पानी की सप्लाई को कहां से डाइवर्ट करेंगे। जब तक कि लिंक कैनल नहीं बनती है तो मुश्किल है। कब बनेगी कब तय होगा और कब सप्लाई होगी? 80 फी सदी नुक्सान तो हो चुका है। तो हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब इसका जवाब देंगे? हमारे इलाके में जो राजस्थान कैनाल है उसके बारे में भी यहां पर कहा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल और भाखरा कैनाल में जब तक टेलस को पूरा सप्लाई आफ वाटर नहीं करते हैं काम नहीं होगा। टेलस के अन्दर रकबा आता है। लोग क्या करते हैं? जो धनी किसान हैं वे अनआथोराइज्ड तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं। अपने आउटलेट में डेमेज कर लेते हैं। जो अपर आउटलेट होते हैं उनकी डिजाइन को बदल लेते हैं। मेन्टीनेन्स अच्छा नहीं होता है और इससे किसान को पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है किन्तु उसका मेन्टीनेन्स अच्छा नहीं है इसलिये पहले तो आउटलेट को बदला जाये और जो अन-आथोराइज्ड काम करते हैं उनके लिये आप कार्यवाही करें, उसके लिये आप अपनी पालिसी को चेन्ज करें। पुलिस उनका चालान नहीं करती है। बड़े आफिसर के साथ मिल कर अनआथोराइज्ड एक्ट करते हैं ये सारी चीज बन्द होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंग और भाखरा कैनाल में कम से कम 50 हजार एकड़ ऐसी जमीन है जो रेवेन्यू रेकार्ड में कमाण्ड में है मगर इरिगेशन के पेपर्स में वह अन-कमाण्ड है। वहां पर लगातार काश्त होती है और इन्डस वाटर ट्रीटी समाप्त होने के बाद हमें सरप्लस पानी मिल गया है तो उसको भी कमाण्ड एरिया में लिया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि वहां पर कब पानी दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता है इसकी बड़ी शिकायत रहती है।

चौथी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वेस्टेज हुए हैं और जो कैनाल से वहां पर पानी आता है उसका कन्ट्रोल आप एक चीफ इन्जीनियर के हाथ में देवें। ये कुए गंगानगर और बीकानेर में हैं। मैं इसकी पालिसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता परन्तु जब तक एक यूनिफोरमिटी ऑफ कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक काम सही नहीं होगा। इसमें क्या होता है, राजस्थान कैनाल की जो चेनल्स कम्प्लीट हो गई हैं इरिगेशन के लिये उनको अलग करके गंग कैनाल के साथ आप जोड़ दीजिये ताकि जो अलग सी. ई. हो वह इनका उपयोग सही तरीके से कर सके और अपना काम अदा नहीं कर पाता है। एक बात मैं इस बारे में बराबर कहता आया हूं। हमारी जो नॉन पेरीनियल कैनाल है, वे पेरीनियल कैनाल हो जायेंगी पूरी बन जाने के बादा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके बारे में एक पोलिसी घोषित हो जाये तो हमें मालूम पड़ जायेगा कि इसके पेरीनियल स्टेज पर कितना कल्टीवेशन हो पायेगा, कितने में इरिगेशन होगी और लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का सस्पेन्स नहीं रहेगा और किसान विश्वास के साथ काश्त में लग जायेंगे।

(श्री केदारनाथ)

यही बात भाखरा, गंग और राजस्थान कैनाल के बारे में अर्ज करूंगा। सभापति महोदय, मैं यह बराबर कहता आया हूं कि गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान कैनाल जो ये तीन कैनाल हमारे यहां पर हैं उनके साथ कुछ नये आउटलेट टेम्प्ररी होने चाहिये। आखिर इसके लिये आपकी पॉलिसी क्या है। इसकी पालिसी आपके पास में नहीं है।

सभापति महोदय, ट्रान्सफर के बारे में मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं और इस बात को बड़ी गम्भीरता के साथ में लेना चाहिये। कुछ एस. ईज, ओवरसियर्स तो पांच पांच दस दस साल से वहां पर काम कर रहे हैं और कुछ का आप छः महीने में तीन तीन बार तबादला कर देते हैं। आखिर इसके लिये भी आप एक पैटर्न एक क्राइटेरिया तय कर दीजिये ताकि रोटेशन में उनका तबादला होता रहे। और इन्तजाम में भी कोई गड़बड़ी पैदा न हो। इसको किसी मंत्री के हुक्म पर न छोड़ा जाये। ट्रान्सफर्स किसी की इच्छा, अनइच्छा पर नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय हमारे यहां पर ट्यूब वेल लगाने की बात है। ट्यूबवेल में जहां पर पानी खारा है, कैनाल का पानी एक्सचेन्ज में आप देंगे। परन्तु कुछ को तो आप पानी देते हैं और कुछ को नहीं देते हैं। इस प्रकार से लाइन वाटर कैनाल में जायेगा और जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिये भी होता है। वह पानी पीने के लिये भी इस्तेमाल भी होता है। कितनी ही बार कहा गया है कि आप इसको एग्जामिन करें। एक सिस्टेमेटिक पॉलिसी आप इसके लिये तय करें कि सेलाइन वाटर के लिये आपकी पॉलिसी यह है और चाहे वह ट्यूब वेल आपका हो, हमारा हो आप सब को पानी देंगे। वरना किसी को मत दो। सभापति महोदय, तीसरी बात जिनके बाग बगीचे हैं उनको फोर टाइम्स पानी की जरूरत होती है। आम जो किसान है, मारजिनल कल्टीवेटर है उसके पास कम जमीन होती है और कम जमीन में वह बाग-बगीचे नहीं लगाता है। उनको आपने इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद जो पानी दिया, अगर आप यह पानी जो आपके रेकार्ड में कमान्ड एरिया है उनको देकर रेगुलेराइज कर देते तो कितना फायदा होता, यह आप सोच सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं उस पानी को बाग-बगीचों के लिए युटिलाइज न करें तो छोटे काश्तकारों को फायदा हो। इसके अलावा राजस्थान कैनाल, भाखरा कैनाल और गंग कैनाल से पानी देने की जो आपकी पॉलिसी है उसमें मेरा निवेदन यह है कि आखिर जो एरिया इन तीनों कैनाल्स से सर्व नहीं कर पाते हैं उसको देखिये कि कितना रकबा ऐसा है जो फर्टाइल है, काश्त के काबिल है उसको देने से आपको कितना फायदा हो सकता है। कितना तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बदले कितना आपको फायदा होगा-यह आपने कभी नहीं सोचा। लूनकरणसर में प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी नहीं दी फिर भी आपने शुरू कर दिया। उसको आप चूरू, बीकानेर और जैसलमेर तक फैलावें-यही मांग है और यह एक अच्छी चीज होगी। जहां पर गंग कैनाल का पानी नहीं पहुंच सकता है वहां लिफ्ट सिस्टम लगाने से कितना खर्चा होगा उसको देखिये और लिफ्ट सिस्टम से पानी दीजिये अगर आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलता है तो मैं समझता हूं उसमें आपको क्या एतराज है। सभापति जी, मैंने कुछ बातें आपकी मार्फत

(श्री केदारनाथ)

निवेदन की और मैं यही चाहता हूं हमारे यहां आइन्दा जैसा पी० डब्ल्यू० डी० का हाल है सारा काम कान्ट्रेक्टर्स के जरिये होता है वृक्षों का काटना, मेन्टीनेन्स आदि का सवाल है उनमें सारा का सारा काम उनकी मार्फत होता है और वे बाद में जाकर इतने हावी हो जाते हैं कि जो कुछ मैनेजमेंट से चाहे करवा सकते हैं। तो यह हाल हमारे सिंचाई विभाग में नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले पांच की अगर आप जांच करवा सकें कि कितना ठेकेदारों को पेमेन्ट हुआ है और कितना काम हुआ है तो आप पायगे कि काम कम हुआ है और पेमेन्ट ज्यादा हुआ है। आपको इसका सही अन्दाज लग जायगा। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी पॉलिसी के खिलाफ है लेकिन यह प्रथा खराब है और इसको बहुत कम स्थानों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आम जनता को ज्यादा फायदा होगा। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा, राजस्थान की इर्रिगेशन रेट्स यूनिफाइड होनी चाहिए। एक पैटर्न कायम किया जाना चाहिए। इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार भाखरा, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल के पानी को रेगुलेराइज करें और इसका बेसिस यही हो कि कितना ऐरिया कल्टीवेट होता है उस लिहाज से उस पानी का बंटवारा करें तो इसका ज्यादा फायदा होगा। आज, सभापति जी, राजस्थान केनाल में कोलोनाइजेशन नहीं है। जिन लोगों को सन् 60-61 में भूमिहीनों को जमीन अलॉट की वह जमीन उनको आज अलॉटेड नहीं है। जिनको आपने भूमिहीन के नाते जमीन काश्त करने को दी वह केवल कागजों में अलॉटेड है सारा रकवा खाली पड़ा है। पानी जाता है वह सारा बेकार जाता है। मैं तो आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं जिन्हें जमीन अलॉट की है—पानी के कारण, गरीबी के कारण या और किसी कारण से वह काश्त नहीं कर पाये तब तक कोलोनाइजेशन नहीं होगा। राजस्थान केनाल का पूरा पानी युटिलाइज नहीं कर सकती है। वहां सारी कालोनीज बसें तब तक राजस्थान केनाल का कोई फायदा नहीं होगा। वह पानी आप डाइवर्ट कीजिये। वह चेनल तैयार है। एक स्पाट पर डाइवर्ट करके चेन्ज कर सकें तब जाकर छोटे और बड़े जो इरीगेटेड ऐरियाज है उनको सही रिटर्न मिलेगी। सभापति जी आपकी मार्फत यह निवेदन करता हुआ एक कमेटी का निर्माण हो। वह कमेटी राजस्थान केनाल का जो कन्स्ट्रक्शन है उसके हालात को एग्जामिन करती रहे, टाइम टू टाइम देखभाल करती रहे, चैक करती रहे और वह इर्रीगेशन मिनिस्टर ने अनाउन्स भी किया था। अगर एक बार वह सारे मामले को एग्जामिन करें और आप पोंग डेम तक चले जांय तो मालूम होगा क्या क्या कमी है और इन कन्स्ट्रक्शन में जो पैसा हमारा लगा है वह सही युटिलाइज हो रहा है या नहीं, कितने हमारे इंजीनियर्स हैं, कितने टैक्निशियन्स हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कितने हैं इसलिये मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा युनिफाइड इर्रीगेशन रेट्स तय करें। सारी इर्रीगेशन की पालिसी और मेनेजमेन्ट के बारे में तीनों नहरों का एक चीफ इंजीनियर को दें और गंग केनाल एरिया में खरीफ की फसल का समय है उसका पानी अभी डाइवर्ट करें ताकि वे इस सीजन को ठीक तरह निकाल सके।

श्री सभापति : श्री किशन लाल।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : सभापति, तहसील सिकराय में कुछ बान्ध बनाये जायं तथा नहरों की मरम्मत कराके सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तहसील सिकराय में चान्देरा बान्ध है उस चान्देरा बान्ध के तथा पहाड़ के बीच करीब 500–700 बीघा जमीन पड़ी है। इस जमीन में पहाड़ का पानी आता है और पानी चारों तरफ से आता है। उस पानी को रोक कर एक बान्ध बनाया जा सकता है क्योंकि यह जो पानी आता है वह बहकर बाणगंगा में चला जाता है और आगे जाकर भरतपुर में चला जाता है उससे कभी कभी क्या होता है कि भरतपुर में बाढ़ आ आती है और भरतपुर की जनता को काफी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में......

श्री रामकिशन : किसने बहका दिया बाणगंगा में पानी ही नहीं है। यह तो आपके पास कोई पुरानी सूचना है। बाणगंगा में पानी नहीं है।

श्री किशनलाल वर्मा : हमारे यहां चन्देरा में जो पानी आता है वह बहकर भरतपुर में चला जाता है। ऐसा करने से एक तो यह बात होगी कि हजारों बीघा जमीन की पिलाई होगी और दूसरे इसमें चन्देरी गांव की और ब्रह्मबाद गांव की हजारों बीघा जमीन की पिलाई होगी और कुओं में पानी बढ़ेगा। काफी आराजी भूमि जो बेकार पड़ी है वह काश्त होगी और जो चन्देरा की आबादी को इस पानी से नुकसान होता है। काफी तोड़ फोड़ हो जाती है वह भी बच जायगी। इस बान्ध को बनाने के संबंध में अभी मध्यावधि चुनावों के पहले सर्वे कराया था लेकिन सर्वे पूरा नहीं कराया गया और बीच में ही काम छोड़कर आ गये...

श्री दौलतराम सारण : फिर वोट पड़ गये थे।

श्री किशनलाल वर्मा : इस काम को पूरा करवाया जाय। साथ ही इस गांव चन्देरा में जो छोई का पानी जाता है उस जगह छोटा सा बान्ध बना दिया जाय और जो वहां 200 बीघा भूमि है उसकी पिलाई के लिए दिया जाय तो उसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि इससे वहां जो भूमि बेकार पड़ी है उसका उपयोग भी हो सकेगा। साथ ही नाहरखोहरा का जो बान्ध है उसको बनाना आवश्यक है। चारों तरफ पहाड़ है उसका पानी काफी मात्रा में आता है और काफी मात्रा में उस जमीन को खराब करता हुआ निकल जाता है। इससे जमीन बहुत बेकार होती है। यदि इस पानी को रोक कर बान्ध बना दिया जाय तो हजारों बीघा बेकार पड़ी भूमि काबिल काश्त होगी। यदि इस पानी को रोककर बान्ध बना दें तो नाहर खोहरा की जमीन जो 500 बीघा है और कानेटी ग्राम की 500 बीघा और मीनपुर की 500 बीघा और टोडा की हजार बीघा जमीन इस प्रकार से 2 हजार बीघा जमीन की आसानी से पिलाई हो सकती है, और वह जमीन जो बेकार पड़ी है काबिले काश्त हो सकती है, और काबिल काश्त होने के अलावा इधर नाहर खोहरा एक बहुत बड़ा गांव है जहां कि दो हजार की आबादी है और काफी उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन वहां पानी बहुत गहरा है तो इस बन्धे के बनने के कारण पानी सतह पर आ जायेगा और कुओं में पानी ऊपर आयेगा और कुओं म पानी ऊपर आने पर हजारों मन गल्ला पैदा होगा।

(श्री किशनलाल वर्मा)

इसके साथ ही डेडा-बानेडी का बान्ध है वह पहले स्वीकृत हो गया था, लेकिन टेक्निकल एडवाइस न मिलने से बन्ध का काम रोक दिया गया था। उसके लिए मेरा निवेदन है कि उस बन्ध को बनवाया जाय।

चान्दपुर और सरूण्डला के बीच में दो नाले आते हैं और उनमें पानी काफी इकट्ठा होता है। उस पानी को रोककर बान्ध बनाया जा सकता है। उससे क्या होगा कि जो ऊबड़-खावड़ जमीन पड़ी है उसका उपयोग हो सकेगा। साथ ही रेतीली जमीन को चाही बनाया जा सकेगा, और चाही बनाने से काफी आराजी में गल्ला उत्पन्न हो सकेगा।

नादरी के पास नाहरखोरा से नाले द्वारा आने वाले पानी को रोककर बान्ध बांधा जाय तो दो हजार बीघा जमीन सिंचित होगी। इसी प्रकार घाटा मेंहदीपुर के पास काफी मात्रा में नाले में पानी आता है तो उसको रोककर एक छोटा सा बान्ध बना दिया जाय तो दो हजार बीघा जमीन की पिलाई हो सकती है।

इसके अलावा चान्देरा के पास एनीकट है उससे काफी नुकसान होता है और जमीन बेकार हो रही है तो इस कटाव को ठीक करने के लिए दोनों पालों को बराबर मिट्टी डालकर एक सी करदी जाय तो पानी का कटाव रुक जायगा और जो नुकसान हो रहा है वह ठीक हो जायगा। इसमें 14 हजार रुपये का खर्च है जो छोटा सा खर्चा है जिसमें एनीकट का काम हो जायगा जिससे चान्देरी गांव की काफी जमीन का जो नुकसान होता है वह बच जायेगा।

इसके अलावा सिकराय में क्या होता है कि सिकराया में जितनी जमीन काश्त की है और इसके अलावा पांचाली पंचायत में जितने गांव पड़ते हैं तथा उसमें ठिकरिया पंचायत है, दर्जापुर, सुरेर चान्देरा पंचायत आदि 4–5 पंचायतों के कई गांव आते हैं तो ये जितने भी गांव हैं तो इन गांवों की जो जमीन है उसकी तो सुरक्षा के लिये सिकराय के दक्षिण की तरफ से जो पानी आता है पाहड़ों का वह काफी मात्रा में बड़ी तेजी से आता है और वह पानी सारी चाही जमीन पर फैल जाता है और उससे फसल गल जाती है और हर साल गलने से काश्तकारों को नुकसान होता है और बरबादी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा काफी अर्से से सब की कार्यवाही चल रही है। कई बार सर्वे भी हो चुका है और सर्वे का जो काम है वह सन् 62 में ही समाप्त हो गया था और वह पूरा हो चुका था। और उसके बाद भी आज तक उस पानी को रोकने का कार्य नहीं कराया गया। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है और नहीं करने से हर साल काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतने महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं और आपने इसमें काफी समय भी लगाया होगा। काफी टाइम लिया है और सुझाव दे रहे हैं। अगर इसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे ?

श्री किशनलाल वर्मा : आप क्या करेंगे।

श्री विजयसिंह : हमारे पास अभियान है, हम अभियान कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे ?

Page No 134

श्री शंकरलाल: आपके पास क्या हथियार है ?

श्री विजयसिंह: हमारे पास तो आन्दोलन है। अब तो जसराजजी सीनियर हो गये आपसे। आप सीनियर आदमी होकर जूनियर आदमी से निवेदन कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। आपकी मरजी है।

श्री किशनलाल वर्मा: जितने सुझाव दिये जायेंगे उनका इम्पलीमेन्टेशन होता है ऐसी मैं आशा करता हूं।

छोंई के पानी को रोकने की बात थी जो सिकराय की जमीन पर फैलता है। सिकराय के दक्षिण पश्चिम में जो कालवाण का खाली रकवा है 400–500 बीघा इस पानी को रोकने के लिए बान्ध बनाया जाय और लिफ्ट इर्रिगेशन से गांव कालवाण को और गांव सीकरी और पालड़ी आदि में काफी पिलाई हो सकती है और जो पानी से बरबादी होती है वह रुक जायगी और पानी से जो पिलाई होगी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा एक नाला बनाया जाकर छोंई के पानी को निकाला जा सकता है। नाले के रूप में पानी निकलने से तो जो पानी से नुकसान होता है उससे बचेंगे। इसके साथ में पाचोली गांव में जो सड़क है उस पर बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है और उससे आवागमन बरसात के दिनों में बन्द हो जाता है और काफी गहरा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो एक पुल के बनाने की आवश्यकता है ताकि यह पानी निकल जावे।

इसी प्रकार से बन्ध माधोसागर से गांव बूजेट तक जो नहर आई है तो अगर उसको आगे बढ़ाकर या उससे एक टुकड़ा पाटन गांव तक आगे बढ़ाया जाय करीब दो मील नाला बनाकर तो पाटन गांव को पिलाई के लिए पानी दिया जा सकता है। अभी वहां जमीन की पिलाई के साधन नहीं हैं। वहां के लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पाटन गांव को पिलाई की सुविधा देने के लिए इस नहर को पाटन तक और बढ़ाया जाय और वहां के लोग श्रमदान करने को तैयार हैं। वहां पर काफी लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं।

श्री रामकिशन: किशनलालजी पूरे निर्वाचन क्षेत्र की कहेंगे। एक भी गांव को नहीं छोड़ेंगे। 154 के करीब गांव हैं।

श्री विजयसिंह: इम्प्लीकेन्टेशन का क्या करेंगे। सीनियर आदमी बोल रहे हैं।

श्री किशनलाल वर्मा: गांव बूजेट है उसके पास में। वहां पर पानी बेकार इकट्ठा होकर काश्तकारों की जमीनों को खराब करता है। उस पानी को रोक कर तालाब बना दिया जाय तो उस पानी से जो जमीन बेकार होती है वह नहीं होगी।

इसके साथ ही जो बन्ध माधोसागर की जो पश्चिमी नहर है जो गांव बूजेट होती हुई कलवाण होती हुई गांव गीलाड़ी, पाडली, सीकरी, धूलकोट, मानपुर, निकटपुरी तक चली जा रही है। यह नहर समाप्त हो गई है और पानी आजकल उसमें नहीं जाता है, रुक गई है। इसकी खुदाई का कुछ कार्य भी किया गया है। अकाल के तहत जो कार्य कराये गये थे उसमें भी यह कार्य हुआ था और पहले भी कराया गया था। जगह जगह से यह नहर टूट गई है। इसलिये इस नहर की मरम्मत कराई जाय और

(श्री किशनलाल वर्मा)

खुदाई कराई जाय तो इस गांव की जमीन की पिलाई के लिए काश्तकारों को पानी मिल सकता है। इसके साथ ही गीजगढ़ के पास में एक नाला जो है उसका पानी सारा जमीन में फैल जाता है जिसकी वजह से काश्तकारों को काफी नुकसान होता है। इस पर कुछ काम भी कराया गया है लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। उस काम को पूरा कराया जाय।

इस प्रकार माधोसागर से पूर्व की तरफ गांग घूमण, गढ़ी, नामनेर होती हुई जो नहर सिकराय चाली गई है वह नहर टूट गई है और पानी बेकार चला जाता है तो उस नहर की मरम्मत कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए काश्तकारों ने दरख्वास्त भी दी है। इसके बारे में कई बार मंत्री महोदय ने आदेश भी कर दिये लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नहर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ।

बन्ध कालाखो की नहर जो रेटा के पास होती हुई दुब्बी, केलाई, भोजपुरिया, गिरधरपुरा, सिकन्दरा होती हुई रायपुर तक निकल जाती है.....

श्री रामकिशन : यह बड़ी देर से अपने क्षेत्र की समस्या अर्ज कर रहे हैं लेकिन माननीय तीनों मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री आंख मूदकर बैठे हैं।

श्री विजयसिंह : दो माह पहले आ गये थे।

श्री जसराज : आपको बदलने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

श्री किशनलाल वर्मा : रेटा के पास में बन्धे कालाखो की नहर जाती है उसके बायीं तरफ रेटा गांव के काश्तकारों की काफी जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं। उन जमीनों की इस नहर से पिलाई हो सकती है। यह जरूर है कि वह जो है वह नीची है और जमीन की सतह ऊंची है। तो लिफ्ट इरिगेशन से गांव की जमीन की पिलाई की जा सकती है।

रेटा गांव के पास पुल की आवश्यकता है, क्योंकि रास्ते में पानी पड़ता है और उसके पास से नहर जाती है उससे झराव होता है। पानी भरने से काश्तकारों के घरों को नुकसान होता है और खेतों में पानी भर जाता है जिससे फसल अच्छी पैदा नहीं होती है। तो आगे जाकर मोनपुरिया गांव है वह खराब हो गया है झराव के पानी से। उसके लिए कई बार दरख्वास्तें दी गई हैं इस झराव के पानी को रोकने के लिए नहर की मरम्मत कराई जाय तो पानी की रोक हो सकती है। इसी प्रकार भोजपुरा के पास भराव के पानी को रोका जावे। भोजपुरा के काश्तकार भराव के पानी से बरबाद हो रहे हैं। वहां 60-70 बीघा जमीन है। पहले 400-500 मन अनाज पैदा होता था। इसी प्रकार चतुर्भुजसिंह भोजपुरिया ने ता० 10-5-67 को, 4-3-68 को, 5-2-69 को, 10-1-70 को 31-12-70 को दरख्वास्त दी। चैन नं० 314 के पास पानी भरने से उसकी 70 बीघा जमीन खराब हो गई है। और हो रही है। पहले 400-500 मन गल्ला पैदा होता था। अब मुश्किल से 40-50 मन गल्ला होता है। झराव के पानी को रोकने की कोशिश की जाये। दौसा तहसील के पचवारे क्षेत्र में गांव हिंगोरिया से नागला, राजवतान, मलवास, प्यारीवास, पापड़दा क्षेत्र में बिजली देकर सिंचाई के साधन बढ़ावें। इस क्षेत्र में तालाब व बांध आदि नहीं हैं।

(श्री किशनलाल वर्मा)

जमुवा रामगढ़ बन्ध में तहसील दौसा के गांवों को जो पिलाई होती थी। वह अब उस बन्ध से शहर को पानी देने से पिलाई बन्द हो गई है। अतः ट्यूब वैल द्वारा छोटे तालाब व तलाइयां बनाकर व छोटे छोटे बांध बांधकर सिचाई के लिए पानी दिया जावे।

सिचाई के कामों में पहली पंचवर्षीय योजना से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक केवल 23 लाख रु० खर्च किया गया है। जो कि कुल खर्च का 1% है। जयपुर की आबादी के लिहाज से यहां कोई बड़ा नहीं हुआ है। इस जिले की छोटी छोटी योजनाओं पर पैसा अवश्य खर्च किया जावे। दूसरी ओर नहरों की बड़ी बड़ी योजनाएं व मन्त्रियों के यहां ही बांध बन रहे हैं। कोई काम जनता की सेवा की दृष्टि से नहीं होता है। यह जनता की सरकार है। क्या कांग्रेस की सरकार है ? किन्हीं व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। यहां समानता से काम कराना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, वहां काम कराना चाहिए यदि वास्तव में समाजवाद की बात करते हैं। इसलिए मेरा खासतौर से निवेदन है कि जिस क्षेत्र में काम नहीं कराया गया है, जिस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, उसमें भी काम कराया जाये यदि यह समाजवाद की सरकार है। बस यही मुझे कहना है।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : सभापति महोदय, आज सिचाई विभाग के संबंध में चर्चा चल रही है। मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे नागौर जिले में अकाल पड़ता रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले में कोई स्कीम बनानी चाहिए जिससे वहां के रहने वाले अकाल से राहत अनुभव करें। जब वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन हम सिचाई से उत्पादन बढ़ाकर अन्न पैदा करें। यह जो राजस्थान नहर है......

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। (माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री गोरधन सोनी : नागौर जिले में अकाल बराबर आता है, इसे वहां तक बढ़ा सकते हैं। इसी तरह सभापति महोदय, ग्राम गगराना, कसोल, धनापा हैं। इन 3 जगहों पर काम अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं सिचाई मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह उनको शीघ्र ही पूरा करायें। इसी तरह से बीजासर, कालाभाटा और ढानी हैं, यह तीन रपटें हैं। यह तीन रपटें पूरी नहीं होंगी तो पानी रुकेगा नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये तीनों रपटें महत्वपूर्ण हैं। जिनसे सिचाई का काम होगा।

श्री विजयसिंह : तीन ही रपटें हैं और तीन ही मूर्तियां हैं।

श्री गोरधन सोनी : तो सिचाई के साधन बढ़ा सकते हैं। लोगों को काफी लाभ मिल सकता है। कुछ पुराने बांध हैं डावटैनी, मेड़ता के पास चाड़ा बांध है। 67 की बाढ में वह बांध टूट गये हैं। अगर इन दोनों बांधों को वापिस ठीक कर दिया

Page No 137

(श्री गोरधन सोनी)

जाता है। इनमें 8-10 लाख का खर्चा है। तो उनसे काफी भूमि सिंचित हो सकती है। ऐसे ऐसे बांध जिनमें कम खर्च की बात है लाभ अधिक है उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि गोपाला, हिंडकान्या, इनमें कई कुएं हैं। बिजली विभाग और सिंचाई विभाग का आपस में तालमेल रहना चाहिए। इनमें विद्युत का काम ढीला चल रहा है। लोगों ने अपने कुओं पर इंजन लगा रखे हैं। वर्तमान में 150—पौने दो सौ कुए होंगे। इनको अगर बिजली मिल जाये तो ज्यादा अच्छा हो। तो सिंचाई मन्त्रीजी से सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा कि विद्युत विभाग से ज्यादा ज्यादा व्यवस्था करायें। तो लोग ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय, कई जगह पक्षपात किया जाता है। हरसोड़ा ग्राम है, वह प्रधानजी का गांव है। इसलिए वहां पर बांध बनवाया गया है। 5-7 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है। उस बांध के निर्माण से फायदा कुछ हुआ नहीं। कुएं हैं नहीं। इस तरह से पैसा का दुरुपयोग होता है। उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जिन समस्याओं पर मैंने प्रकाश डाला है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई मन्त्रीजी उन पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता। श्री शंकरलालजी, आप तो रोज बोलते रहते हैं।

श्री शंकरलाल : तीन दिन से कहां बोला हूं। पाली जिले में जवाई बांध की समस्या पर बोलना है।

श्री रामकिशन : तीन दिन से विधान सभा के बाहर नहीं बोले हैं, विधान सभा में बोले हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, आजादी के बाद सबसे अधिक ध्यान हमारा इस ओर गया होता और जहां जहां नदी बहती है उनको रोक कर उस पानी से अन्न पैदा करते तो आजादी के बाद अन्नाभाव के कारण अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है, वह कभी नहीं मंगाना पड़ता। अन्न नहीं मंगाना पड़ता तो हम शक्तिशाली होते और जिस प्रकार आज पड़ौस में दस लाख आदमी मर गये हैं लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं मान्यता देने की, उसके बजाय हम यदि स्वावलम्बी अन्न में होते और अपने पड़ौसी देश को तत्काल मदद देते और उसको मान्यता दे देते। मान्यता न देने का एक कारण यह भी रहा है कि हम अन्न तक के मामले में भिखारी रहे हैं। सभापतिजी, आजादी के बाद 1967 तक मांडलगढ़ क्षेत्र में जो दस नदियां बहती हैं उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि इन नदियों को रोकना है, लेकिन 1967 के बाद वहां पर जो दस नदियां बहती हैं उस ओर ध्यान दिया और इस तरफ राज्य सरकार ने कदम बढाया, उसके लिए तो मैं बधाई दिए बिना नहीं रह सकता। जैतपुर—अनवास का काम शुरू किया है लेकिन अभी भी आठ नदी बाकी हैं। जैसा मैंने अर्ज किया, कोठारी नदी की, यह आपको पता है, सर्वे कराई है। इसका काम जल्दी शुरू हो जाय—इस ओर ध्यान दीजिए। चालीस मील में इसका पानी यों का यों चला जाता है। इसी तरह से कुछ एनीकट्स काछोला के पास हैं वह बन जाते हैं तो कुओं में सेजा बढ़ जाता।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बांदरमूदा श्यामपुरा के पास जगह है, वहां गांव हैं, वहां मेहताजी का खेड़ा, रानीखेड़ा, तालाब गत वर्ष अकाल के समय बनवाय थे, वह सिंचाई का काम दे सकते थे। खाचरोल का एनीकट बनवा दें तो उससे भी लाभ हो सकता है......

श्री शंकर लाल : मेहताजी आप ही हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांड़लगढ़ क्षेत्र सबसे अधिक अन्न दे सकता है, वहां कभी अकाल पड़ने का नाम नहीं हो सकता। जहां पर नदियों के साधन हैं वहां पर केवल आपको शक्ति लगानी है। इसलिए कृपा करके जो योजनायें चालू की हैं उनको पूरा करा दीजिये। और जो योजनायें चालू नहीं की हैं उनको तत्काल चालू करने के लिए कृपा करिये, ताकि भीलवाड़ा जिला को कभी अनाज के लिए बाहर नहीं देखना पड़े। इतनी क्षमता माण्डलगढ़ क्षेत्र की है, वहां नदियों को रोकने का काम हो जाता है तो बहुत अनाज वह देगा।

मैं निवेदन करूं कि गोवटा तालाब तेबीस वर्ष पूर्व बना था, उसमें डूब में आये गांव रामथली वगैरह को बसाने की व्यवस्था नहीं की है। अगर उनको बसा दें तो उनको सुख सुविधा रहेगी। मेरा निवेदन है कि जैतपुरा बांध में जो डूब में आने वाले हैं उनको बसाने की व्यवस्था शुरू कर दीजिए। वहां जो फारेस्ट के बीड हैं उनको जल्दी से जल्दी रेवेन्यू में लेकर उनको वहां बसायें, नहीं तो उनके सामने बड़ी मुश्किल होगी और वह दर दर के भिखारी हो जायेंगे। जिन लोगों की कुर्बानी के ऊपर बांध बनता है, उनको यदि आप नहीं बसायेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए खास तौर से इनीसियेटिव लेकर कृपा करके जल्दी से जल्दी उनको बसाने के लिए कलेक्टर महोदय को लिखियेगा।

आपसे एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। मैंने आपको धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि मांड़लगढ़ क्षेत्र में बहुत काम किया है, लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस महकमें में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है इसलिए बदनामी हुई है और वह कुल मिलाकर आपकी होती है, कहीं देखिये, चारों तरफ बदनामी है। मेवाड़ में राजसमन्द और जयसमन्द बना, आज तक उसका एक पत्थर भी नहीं हिला है, लेकिन इनमें जो इतना करोड़ रुपया खर्च हुआ, वह सबका सब खर्च होता चला गया लेकिन चर्चा दूसरी तरह की है कि सारा लोग बीच में ही पैसा खा गये, वह लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में खा गये और वह लोग सम्पन्न हो गये हैं। सभापति महोदय, बुरा न मानें, मैं कहना चाहता हूं कि सही मायने में इंजीनियर्स, असिस्टेन्ट इंजीनियर्स और ओवरसियर्स के इस साल अकाल पड़ गया है क्योंकि राजस्थान में इस साल अकाल नहीं पड़ा है। इस साल अकाल नहीं पड़ा तो इनके अकाल पड़ गया है। शेम्पेन पीते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं। आप देखिये, कितने अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने वाले हैं। उनके पास शराब पीने के लिए पैसा कहां से आता है? भ्रष्टाचार इससे पनपता है। आप हंसी म मत उड़ाइये, मैं अपना दर्द अर्ज कर रहा

Page No 139

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हूं। जो लोग अकाल राहत का पैसा आया उसमें से खा गये, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। याहूयाखां वहां खून पी रहा है बंगाल का, लेकिन जिन्होंने अकाल राहत का पैसा खाया है, उन्होंने आजादी का गला घोंटा है और खून पीया है, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर एक आध को सजा दे देंगे तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने की। मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप अधिकारी और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखिये और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाइये, इससे यह जो खराबी है यह बहुत कम होगी और बहुत बड़ा काम होगा।

अब जहां और नदियां हैं, अब जो औराई बांध है, उससे बहुत लोगों के खेतों की सिंचाई हुई है। इसके अलावा बडेच है वह जहां साधन है वहां बाधक भी है। इधर पुलिया नहीं होने से तकलीफ है। तो उधर पानी भी नहीं आ सकता है। इसलिए बडियास, अम्वा, चांदगढ, सुरास को पानी तभी मिल सकता है, जब औराई की ऊंचाई ज्यादा करें बड़ेच नदी पर पुलिया बना दें ताकि पानी इधर आ सके। बडियास, आवां और सुरास में पानी आयेगा–इससे बहुत बड़ा काम होगा। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियर्स पर कंट्रोल रखिये और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनकी खुल कर जांच कराइये, ताकि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सजा मिल सके, और आयन्दा लोग सावधान रह सकें।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय......

श्री सभापति : श्री गोयल ! आप इनके बाद। गोयल साहब का नाम पुकारा है। इनके बाद आपका।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की योजनाओं के बारे में, स्वयं सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि इन योजनाओं के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, किसी भी एक योजना में यह लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं। परन्तु खेद यह है कि मेजर योजनाओं पर भी अगर हम लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लक्ष्यों को अचीव नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को सारी योजनाओं के अनुसार उन सारी योजनाओं पर पुनः गम्भीरता से विचार करना चाहिए, कि क्या जो प्रारम्भ के अन्दर हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, वह उचित था और अगर उचित था तो कौनसी खामियां हैं कि जिनके कारण वह लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं? सभापतिजी, चम्बल नहर के बारे में अनेक बार इस प्रकार की चर्चा की जाती है कि वहां का किसान पानी का इस्तेमाल करने के लिए अभी तक आदी नहीं हुआ है, पानी काफी है लेकिन उसका उपयोग नहीं जानता। पिछली बार जब इस पर चर्चा हुई थी, मैंने निवेदन किया था और अब मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि चम्बल नहर पर जो राइट मेन केनाल है उसकी डिजाइन आपने 6,656 क्यूसेक की रखी है पर यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तथ्य है कि आज तक उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाये हैं, और अभी तक केवल राइट मेन केनाल से साढ़े तीन या अधिक से अधिक चार हजार क्यूसेक पानी निकाल पाये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से टेक्निकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से जांच कराई है कि जब राइट मेन केनाल का डिजायन 6659 क्यूसेक का है, उसके विपरीत अधिक से अधिक हम अभी तक चार हजार क्यूसेक ले पाये हैं–इसका कारण क्या है? क्या डिजाइन में कमी है, क्या योजना में कमी है, क्या राइट मेन केनाल को चौड़ा करना पड़ेगा? यह नहीं है तो क्या यह कह कर कि नहर भरी रहती है उसमें बीड़ भर जाती है इसलिए लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाते। मैं कहना चाहता हूं, एक कारण नहीं हो सकता है कि नहर में बीड़ भर जाती है बल्कि मेरी मान्यता है कि यह डिजाइन डिफेक्टिव है इस राइट मेन केनाल की डिजाइन 6656 क्यूसेक्स नहीं है और इस प्रकार से लेफ्ट मेन केनाल की जो डिजाइन है 1500 क्यूसेक्स की है लेकिन 1500 क्यूसेक्स के अगन्सट अभी भी जो हमने शिफ्ट किया है वह अधिक से अधिक 1200, 1250 क्यूसेक्स तक पहुंच पाई है। इसका गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए और अगर डिजाइन डिफेक्टिव नहीं है, मैं चाहूंगा कि डिजाइन डिफेक्टिव न हो तो किस कारण से फुल कैपसिटी पर डिजाइन के अनुसार राइट मेन केनाल और लेफ्टमेन केनाल दोनों में चम्बल का पानी नहीं जा पा रहा है। इसी कारण से जो लक्ष्य दोनों केनालस के निर्धारित किये थे, वह 8 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने के तय हुए थे। आज 7 लाख एकड़ के अगेन्सट केवल हम 43,66,372 एकड़ भूमि को सिंचित कर पाये हैं। इतना बड़ा अंतर हो सकता है और योजना पर पानी की कमी है लेकिन चंबल में पानी की कमी नहीं रही, बहुत है, बल्कि क्षमता कम होने के कारण पानी छोड़ा नहीं जाता और गेट से छोड़ा जाता है तो ऐसी हालत में आपने जो डिजाइन तय किया है उसके अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किये गय थे 7 लाख एकड़ के आज तक उसको अचीव क्यों नहीं कर पाये आज तक राइट मेन केनाल के अंदर केवल हम 2,15,446 एकड़ को पानी दे पा रहे हैं। इसी प्रकार लेफ्टमेन केनाल पर हम केवल 1,50,226 एकड़ तक पानी दे पा रहे हैं। यह लगभग आधा है। 7 लाख के अगेन्सट 3॥ लाख दे पाये हैं। इस पर गंभीरता से राज्य सरकार को विचार करना चाहिये।

जहां तक नहरों की सफाई का सवाल है, गत वर्ष नहरों को सफाई कराई गई थी उसका प्रावधान भी रखा था। उसमें कुछ इन्वेस्ट भी किया गया लेकिन नहरों को सफाई को लेकर मजदूरों की पेमेंट को लेकर जिस प्रकार की गड़बड़ियां कीं, झूठे मस्टर रोल्स बनाए गए, फर्जी पेमेंट्स किये गये, उनकी जांच अभी तक विचाराधीन है। मैं पूछना चाहता हूं जो नहरों की सफाई को लेकर मजदूरों की पेमेंट के सवाल को लेकर जांच करवाई थी उसके अंदर कौन अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सवाल और है। जो राइट मेन केनाल है इसको भागीदारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मध्य प्रदेश से होती है। आज तक आप अपने राजस्थान के किसान को राइट मेन केनाल पर रहने वाले राजस्थान के किसान को खेती को प्यासा रखा और उसके मूल्य पर मध्य प्रदेश के किसान को पानी दें, कहां का यह न्याय है ? पानी का कन्ट्रोल आपके हाथ में है। राजस्थान केनाल पर आपकी विवशतायें है। कन्ट्रोल पंजाब के हाथ में है, लेकिन चंबल केनाल पर कंट्रोल आपका है, राज्य सरकार का है और उसके बाद भी आपको चिंता हुई कि मध्य प्रदेश को पानी पहुंचाया जाए उसके बाद कोटा जिले को देते हैं। आपके आंकड़े समझ में नहीं आते। जितने क्यूसेक्स राइट मेन केनाल पर दिये जायं उसका 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश को देंगे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि हम मध्यप्रदेश सरकार से लड़कर उसको मनवायें जितना पानी राइट मेन केनाल पर डिस्चार्ज होगा केवल हम उसका 50 प्रतिशत देंगे। आप उनके सामने दब जाते हैं। खर्च के हम भागीदार। आज तक इस प्रकार का अनुभव है। जितनी योजनायें बनीं चम्बल पर, आधा भाग मध्य प्रदेश को और आधा राजस्थान को लेकिन सरकारी कर्मचारी को फेसेलिटीज दी जायगी। मध्य प्रदेश में अलग सुविधायें। राजस्थान के कर्मचारी इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते। आप राइट और लेफ्ट मेन केनाल दोनों के क्यूसेक्स को जोड़कर आधा करके जो मध्य प्रदेश को देते हो, यह आपका निर्णय गलत है। आप मध्य प्रदेश को बाध्य करें कि जितना राइट मेन केनाल का वाटर डिस्चार्ज होता है, उसका आधा देगें लेकिन मध्य प्रदेश को आप मनवायेंगे, ऐसा नहीं लगता है।

दूसरा प्रश्न है लिफ्ट केनाल। उसके अनुसार एक लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने का आपका लक्ष्य है और खर्चा केवल 2 करोड़ रुपए है। उसके बाद आज इस केनाल से राइट और लेफ्ट से एक लाख एकड़ भूमि को सिंचित कर सकते हैं। आपकी और योजनायें हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए खर्च करके आप एक लाख एकड़ भूमि को सिंचित कर सकते हो। मेरी समझ में नहीं आता राज्य सरकार क्यों हिचकिचाती है। आपको याद होगा राइट मेन केनाल पर सांगोद तहसील का एरिया आता है। उसके लगभग 10-12 गांव हैं। आपने सुना होगा रीफाइनेन्स निगम ने इस तहसील के लिए दो करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। एक करोड़ बिजली के लिए और एक करोड़ कुओं के लिए, वह लोन देंगे। हर व्यक्ति को 10 हजार रु० दिए जायेंगे। ये 10 गांव जो कालीसिंद के पास में हैं अगर उनके अंदर केवल 10 लाख रु० खर्च करने के बाद आप 12 हजार बीघा जमीन को सिंचित कर सकते हैं उसके अगेन्सट कारपोरेशन उनको एडवांस करने वाली है। ड्युप्लीकेशन होगा क्योंकि लेफ्ट केनाल को हाथ में लेकर केवल 10 लाख रुपया खर्च करके राज्य सरकार इसको सिंचित करे। जहां तक लेफ्ट मेन केनाल का सवाल है, आज राज्य सरकार के सामने ऐसी कौनसी दिक्कत है ? पानी आपके पास है, पानी डिस्चार्ज कर सकते हैं लेकिन जितने क्यूसेक्स डिजाइन के हिसाब से दिए जाने चाहिए, वह नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं बून्दी ब्रांच का एक्सटेन्शन करते हैं ? अगर ऐसा करते हैं, नई नहर खुदवाते हैं, तो जितनी क्षमता का केनाल है, पूरे का पूरा यूटीलाइजेशन उस एरिया के अन्दर हो सकता है।

Page No 142

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके बाद मंत्री महोदय का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नहर के कारण इस इलाके को जो दिक्कतें पैदा हुई हैं वह है खास तौर से सीपेज और वाटर लोगिंग। सरकारी आंकड़े हैं। आज उस नहर के साथ साथ जो वहां मिट्टी है उसके कारण सीपेज और वाटर लोगिंग भयंकर रूप से हो गया है। आप आश्चर्य करेंगें कि आज उस क्षेत्र में जीरो से 5 फीट जिसको आ। डेमेज्ड एरिया कहते हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, वाटर लोगिंग के कारण, आज राइट मेन केनाल के अंदर 29 हजार एकड़ भूमि बेकार हो चुकी है लेफ्ट केनाल में 25।। हजार एकड़ बेकार हो चुकी है। इसके अलावा जीरो से 10 फीट जिसको प्रोटेक्टेड एरिया कहते है, जहां वाटर लोगिंग एरिया बढ़ती जा रही है और किसी दिन वह खराब होगी। वह एरिया 22:52 साल का एरिया बिल्कुल बेकार हो चुका है या सम्भावना है कि बहुत जल्दी यहां वाटर लोगिंग की समस्या खड़ी हो जायेगी। यह सही है कि कुछ समय से ब्रांच डाली है लेकिन नये बजट में आपने नये ब्रांच सिस्टम डालने के लिए कोई प्रावधान मेरी जानकारी के अनुसार नहीं रखा। परिणाम क्या होगा? जितनी उवरा भूमि है बंजर हो जायेगी वाटर लोगिंग के कारण। इसलिए सरकार को अपनी लेविल पर और केन्द्रीय सरकार के लेविल पर वाटर लोगिंग की समस्या का शीघ्र से शीघ्र हो इसका प्रयास करना चाहिये। जहां एक ओर नहरों की समस्या वहां पर चल रही है मंत्री महोदय अपनी लेविल पर विचार करेंगे।

दूसरा प्रशन, आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार और उनके नुमाइंदें जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर व्हीलबरोज का सवाल आ जाए, जिससे हरिजन लोग अपने सर पर मैला न रखें, आज सिचाई विभाग राख के अंदर पैसे खा जाता है। जो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके थर्मल प्लांट से राख निकलता है। हमारे एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन्स ने निर्णय लिया कि इस राख को किसी मात्रा में सीमेंट की जगह सबस्टीट्यूट किया जा सकता है। और इस आधार पर यह तय हुआ कि राख जिसे फ्लाई एश कहते हैं, यह पर्चेज की जाये। दो रुपया मैट्रिक टन पर बेची जाती है। राज्य सरकार नारा देती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, योजनाओं को हाथ में लेकर सरकार चलाना चाहती है। दो हजार मैट्रिक टन राख सप्लाई करनी थी। कौनसी मजबूरी थी कि सरकार ने अपने तौर पर खरीद कर कोटा डेम पर नहीं पहुंचाई। राज्य सरकार को कुछ लोगों को फेवर करना था। सभापति महोदय, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का दिल्ली में एक लियोजां ऑफिसर बैठा हुआ है। उसकी मार्फत पर्चेज की। दो रुपया प्रति मैट्रिक टन पर मिलने वाली फ्लाई एश को कोटा डेम पर पहुंचाई खुद ने खरीद कर। 13 लाख 73 हजार की पर्चेज होती है। प्रारम्भ में सरकार को मालूम था कि हमें 13 लाख 73 हजार की राख दो रुपया मैट्रिक टन से ली जानी है। सरकार ने अपने माध्यम से वह नहीं ली। टेन्डर इन्वाइट किये। फाइनल टेन्डर हुआ 8.155 का। टेन्डर इन्वाइट हुए और लोगों ने रेट्स कोट किये। मिनिमम रेट है उसमें केवल 74.60 प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से कोट की गयी न्यू ट्रेड्स की। कम्परेटिव स्टेटमेंट बन गया।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मेन्युपुलेशन किया गया कि किस प्रकार टेन्डर को रिजेक्ट किया जाय। आप आश्चर्य करेंगे कि कम्पेरेटिव टेन्डर बनाया। राज्य सरकार को क्या उस बात का ज्ञान नहीं था कि गवर्नमेन्ट को सप्लाई करने से पर्चेज करने वाले को इन्टरस्टेट और सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेज एक्स्ट्रा नहीं दिये इसलिये रिजेक्ट कर दिया। दुबारा इन्वाइट किया। उसके अन्दर भी कई पार्टीज ने कोट की। लोएस्ट टेन्डर को रिजेक्ट कर दिया। चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने और दूसरे अधिकारियों ने निर्णय लिया और यह स्पष्ट कहा गया कि चीफ इन्जीनियर चाहें तो लोएस्ट व्यक्ति का टेन्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहाना लिया और उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। देहली कोल एण्ड टिम्बर ट्रेडर्स ने 79.00 का पेश किया। शिकायत आपके पास आयी। आपने जानकारी की। पहला टेन्डर रिजेक्ट किया उसमें मेन्युपुलेशन हुआ, एडीशन और ऑल्ट्रेशन हुए। किसी अधिकारी और आदमी के खिलाफ कार्यवाही की? क्योंकि देहली कोल एण्ड टिम्बर ट्रेडर्स को फेवर करना था। यह कोई पार्टि नहीं है यह कोई फर्म नहीं, किन्तु राजस्थान सरकार का दिल्ली में बैठा हुआ सिंचाई विभाग का जो लियोजां ऑफिसर है श्री पी० के० शर्मा उसके लड़के प्रेम कुमार की कम्पनी है। उसको फेवर करने के लिये पहला टेन्डर रिजेक्ट किया, सेकिन्ड टेन्डर में लोएस्ट टेन्डर को रिजेक्ट किया गया और प्रेमकुमार को 89. 96 में एक्सेप्ट कर लिया। प्रेम कुमार नाबालिग है श्री पी० के० शर्मा का लड़का है और नाबालिग है। उसके टेन्डर को आपने एक्सेप्ट किया। जिसने पहला टेन्डर रिजेक्ट किया उन दोषी आदमियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की? सेकिन्ड टेन्डर का भी अलग सवाल है। आप यह बताईये कि क्या मि० पी० के० शर्मा जो दिल्ली में आपके लियाजां अफसर हैं, राजस्थान सरकार से परमीशन ली कि वह अपने नाबालिग लड़के के नाम पर टेन्डर लेना चाहते हैं? परमीशन नहीं ली तो क्या वह जुर्म का भागीदार नहीं है कि उसने नियमों का उलंघन किया है। कन्ट्रोल बोर्ड में इसकी शिकायत की लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया। इस कारण से सरकार को लाखों रुपया का नुक्सान हुआ। और इन्क्वायरी कोई नहीं हुई। आज स्थिति क्या है? आज भी आप जांच कराइये। प्रेम कुमार नहीं, श्री पी० के० शर्मा ने प्रेम कुमार के सिग्नेचर बना कर पेमेन्ट लिया है। फर्जी प्रेम कुमार बन कर पेमेन्ट लिया। क्या आप जांच करायेंगे? राज्य सरकार को मालूम है कि टेक्सेज नहीं लगेंगे। राज्य सरकार इसको परचेज करने वाली है फर्जी केल्कुलेशन करके प्रेम कुमार के नाम से माल खरीदा जाय, राजस्थान सेल्स टैक्स 6 परसेन्ट और इन्टर स्टेट टेक्स 2 परसेन्ट मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि क्या जानकारी की गयी? नहीं की गई तो क्या इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं? श्री पी० के० शर्मा के लड़के प्रेम कुमार हैं और उसके नाम से पेमेन्ट उठाया गया है।

श्री शंकरलाल: इसकी जांच तो होनी चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसकी जांच नहीं होगी। आप ताज्जुब करेंगे कि श्री पी०

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के० शर्मा का क्या काम है कि राजस्थान के मंत्री की राजस्थान हाउस के पोर्च में कार खड़ी हो जाय तो गुलाम की तरह वहां खड़े हो जावेंगे ।

श्री शंकरलाल : कार्यवाही तो करनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कह रहा हूं कि विभाग के अफसर का लड़का उस विभाग में काम करता हो बिना परमिशन के तो आप क्या कहेंगे ?

श्री शंकरलाल : नियमों के खिलाफ है तो कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: लेकिन नहीं करेंगे ।

श्री सभापति : मंत्री का नाम बताइये तो कमिटमेन्ट करें ।

जल्दी समाप्त करें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जल्दी ही कर रहा हूं । इसके अन्दर यह तय हुआ था ।

श्री सभापति : समय बहुत हो गया । अब समाप्त करें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, इस टेन्डर के अन्दर यह शर्त थी जितने भी रनिंग बिल हैं उनका 10 परसेन्ट राज्य सरकार के पास में जमा रहेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दस परसेन्ट के आधार पर हर रनिंग बिल से आपने वसूली की है । आज तक जितनी भी फ्लाई एश सप्लाई की गई है वह समय पर नहीं की गई है और फ्लाई एश समय पर सप्लाई न होने के कारण राज्य सरकार को एक्स्ट्रा रूप से सीमेन्ट का उपयोग करना पड़ा है । क्या इस पर आपने पेनल्टी इम्पोज की है ? नहीं की है । माल सप्लाई न करें और किसी वजह से अकाउन्ट्स आफिसर ने आब्जेक्शन कर दिया तो फाइल पर लिख देते हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जाय । 10 परसेन्ट रनिंग बिल में से काटने का तय है, किन्तु वह भी डिडक्शन नहीं किया जाता है । जितना भी माल सप्लाई किया जाता है वह भी गीला सप्लाई किया जाता है और कोई डिडक्शन नहीं होता है और बाकायदा श्री शर्मा को पेमेन्ट होता जा रहा है ।

अब मैं इसके बाद एक केस के बारे में और कहना चाहता हूं (घंटी)

श्री सभापति : अब काफी है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा डेम, जिसको जवाहर सागर डेम कहते हैं एक कापर डेम का ठेका हिन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था । हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को कापर डेम बनाने का ठेका दिया गया । सभापति महोदय, इस कापर डेम का ठेका 14 लाख का था । उस पर इस कापर डेम बनाने की जिम्मेदारी थी । इस कापर डेम बनाने के साथ दूसरी अंसेसरीज भी लगी हुई थी और लाखों रुपयों का इनवेस्टमेन्ट वहां पर था । कापर डेम इसलिये बनाया जाता है वहां पर यदि पानी अचानक आ जावे तो वह बहकर निकल जावे । कापर डेम में पानी का फ्लो दूसरी तरफ निकल जावे, इसलिये बनाया जाता है ताकि नुकसान न हो । यह कापर डेम बनाने का ठेका हिन्द

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। यह कापर डेम 69 के अन्दर बाढ के कारण 11, 12 सितम्बर के बीच में टूट गया और इस कापर डेम के टूट जाने से सीमको की मशीनरी जो लाखों रुपयों की वहां पर लगी हुई थी वह टूट गई, बह गई। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इस हिन्द कन्स्टेक्शन कम्पनी से किसी प्रकार का कम्पेनसेशन आपने वसूल किया है? कम्पेनसेशन वसूल करना तो दूर रहा, जिस हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की यह जिम्मेदारी थी वह कम्पनी राजस्थान सरकार से क्लेम मांग रही है 26 लाख रुपयों का। वह तो कम्पेनसेशन मांग रही है और इस अलावा वह सीमको जिसके पाइप मुड़ गये थे, टूट गये थे और बह गये थे वह भी राजस्थान सरकार से क्लेम इतने ही रुपयों का मांग रही है। और राजस्थान सरकार ने इनसे एग्रीमेन्ट आज तक पूरा नहीं किया है। चाहे प्रताप सागर डेम हो, चाहे जवाहर सागर हो, उनका अन्तिम समय तक एग्रीमेन्ट फाइनल नहीं लिया गया है और पार्टी के साइन नहीं हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से क्या हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी और राजस्थान सरकार के बीच में एग्रीमेन्ट फाइनल हो गया था? क्या उस पर सिगनेचर हो गये थे? आज स्थिति यह है कि इतना बड़ा विभाग है जहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, ठेकेदारों के साथ इतने बड़े बड़े एग्रीमेन्ट किये जाते हैं वहां पर कोई लीगल एडवाइजर नहीं है। जब कोई सवाल आती है, तो आप वह केस लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर कर देते हैं और उसमें सालों लग जाते हैं। क्यों नहीं आप इस विभाग के अन्दर लीगल एडवाइजर अपाइन्ट करते हैं? यह अपोइन्टमेन्ट क्यों करेंगे? क्यों नहीं रखते हैं? आप रखना भी चाहेंगे तो कौन आयेगा। आपने क्या ग्रेड रखी है? कोई सीनियर एडवोकेट इस ग्रेड में नहीं आना चाहेगा। ग्रेड है आपकी 170-10-290-10-300 यह क्या पे स्केल है? कोई एल० डी० सी० या यू० डी० सी० रखना चाहते हैं क्या? या किसी शरणार्थी को पालना चाहते हैं? कौन इस ग्रेड पर आयेगा? मैं जानना चाहूंगा कि इतना अनुभव होने के बाद भी इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर लीगल एडवाइजर क्यों नहीं है? यही कारण है हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो कि जिम्मेदार है कापर डेम को सुरक्षित रखने के लिये और जिसके टूटने से लाखों रुपयों का नुकसान राजस्थान सरकार का हुआ, सीमको का हुआ है, वह हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, वह सारी जिम्मेदारी थी उस कम्पनी की जिसने कि उसका निर्माण किया। उससे राजस्थान सरकार को क्लेम लेना चाहिये था परन्तु यह राजस्थान सरकार उससे क्लेम ले नहीं सकती और उसी कम्पनी ने आज राजस्थान सरकार से क्लेम मांगा है, क्लेम प्रस्तुत किया है और आपने उसके क्लेम को चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को रेफर कर दिया। और वह बोर्ड क्या करेगा? वह आरबीट्रेशन के तहत चला जायेगा। और आरबीट्रेशन में क्या होगा? माडर्न कन्स्ट्रक्शन का केस आप जानते हैं। क्या हुआ? चार करोड़ में माडर्न कन्स्ट्रक्शन को ठेका दिया गया था और रिवाईज करके वह 5 करोड़ का होगा और अब करीब डेढ़ करोड़ की क्लेम और किया

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

है । जहां तक मेरी जानकारी है इस डेढ करोड़ में से 80/90 हजार का पेमेन्ट राजस्थान की यह सरकार कर चुकी है । यह हाल है राजस्थान सरकार का । मैं आपको, मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स चाहे वह राणा प्रताप सागर हो, चाहे जवाहर सागर हो, इनका जो काम आरम्भ किया गया उनका भी कोई एग्रीमेन्ट आज तक नहीं किया है । क्या राजस्थान सरकार इसकी जांच करवायेगी ? इसी लेकूना के कारण क्लेम प्रस्तुत किये गये हैं और जिन क्लेम्स का भुगतान सरकार को मजबूर होकर करना पड़ा है या और राजनैतिक कारणों से करना पड़ा है । तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? किसने यह लेकूना एग्रीमेन्ट में रखा है ? आज तक इसकी आपने जांच नहीं करवाई है । मैं आपको माध्यम से यह कहना चाहूंगा, सभापतिजी कि राजस्थान का घाटे का जो बजट बनता है और राजस्थान सरकार जो दिवालिया है, वह अपनी जेब से नहीं बल्कि वह राजस्थान की जनता के पैसा का दिवाला कर रही है । इस दिवालिया होने के पीछे ये स्केन्डल्स हैं, ये घोटाले हैं और आपकी गलती के कारण यह घाटा हो रहा है । क्या राजस्थान सरकार इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करेगी और जिम्मेदारी कायम करेगी किसी की और जिम्मेदारी कायम नहीं करती है तो मैं समझूंगा कि जरूर दाल में काला है । यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री सुआलाल चौधरी......

(अनुपस्थित)

श्री डूंगाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद बोहरा आपका पत्र मिला है......

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय,

श्री सभापति : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, राजस्थान जैसे राज्य......

श्री रामचन्द्र आर्य : 15 मिनिट मेरा है और 15 मिनिट पार्टी का ।

श्री सभापति : आपने 15 मिनिट ले लिये हैं । अब समय नहीं है ।

श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, राजस्थान जैसे राज्य की प्रकृति को देखते हुए यहां सिंचाई के साधन राज्य की उन्नति के लिये और हरित क्रान्ति के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । राज्य के स्तर पर जो हमारी सब से बड़ी योजना है और जिसको हम राष्ट्रीय योजना भी कहते हैं, वह राजस्थान नहर है । उसकी जो प्रगति है, वैसे आज दिन तक उस पर 65 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है । इस वर्ष भी 7 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है । यह भी बताया गया है कि आने वाले तीन सालों के अन्दर इस पर

(श्री शंकरलाल)

करीब 25 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । सभापति महोदय, जिस गति से यह कार्य किया जा रहा है उससे यह कार्य जल्दी नहीं हो पायेगा । वैसे इसकी जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी करने के लिये विशेष धनराशि का प्रावधान करने के लिये समय समय पर राज्य सरकार ने भारत सरकार को निवेदन किया है । लेकिन में इस बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार भी अपनी योजना के सम्बन्ध में पुर्नविचार कर रही है और भारत सरकार के जो योजना मंत्री श्री सुब्रामन्हयम् हैं उन्होंने घोषणा की है कि वे इस योजना के ऊपर पुर्नविचार करेंगे । इस सम्बन्ध में म राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी ओर से भी पूरजोर शब्दों में साफ तथ्यों के साथ अपने राज्य की इस एक मात्र योजना के लिये मांग रखी जानी चाहिये, ताकि यह राजस्थान नहर योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो सके और जिससे बरोजगारी की समस्या भी यह हो सके और राजस्थान के अन्दर इसके द्वारा हरित क्रान्ति भी लाई जा सके। दूसरे, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूं किसी राज्य के अन्दर जितने कम खर्च से हम सिचाई के साधनों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे साधनों को अवश्य टटोलना चाहिए। सभापति महोदय, म उन प्रस्तावों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां गरीब लोग रहते हैं, उन गरीबों के पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं है, जहां लघु सिचाई योजना है और कम पैसे खर्च करके उस क्षेत्र को खुशहाल बनाया जा सकता है, बरोजगारी मिटाई जा सकती है। सभापति महोदय में उदाहरण के तोर पर पाली, रामपुर और रावतदेसर की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा, जहां पर छोटी छोटी जमीन की योजनाओं की रपटें हैं। कुछ तो रपटें अंग्रेजी राज्य के समय की हैं जो टूटी फूटी अवस्था में है कुछ इसी राज्य की हैं। उन रपटों को बान्धा जाय तो मैं समझता हूं बहुत कम खर्च के अन्दर उस इलाके में सिचाई के साधन हो सकते हैं और वह इलाका सरसब्ज बन सकता है। एक रपट की तरफ, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा और सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। पाली से जवाई तक रूरल वर्क्स प्रोग्राम लिये गये हैं। उस रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर, ग्रामीण वर्क्स प्रोग्राम सिचाई के अन्दर, प्राथमिकता दी जायगी। इस मद से 33.10 लाख पाली जिले के अन्दर अधूरे कामों के लिये दिया गया है, लेकिन, सभापति महोदय, जनवरी से आज मई का माह चल रहा है और बरसात आने वाली है मुझे 33.10 लाख रुपये में से उस इलाके के अन्दर कोई रुपया खर्च होता नजर नहीं आया। सुना है 1-2 जगह काम चल रहा है लेकिन जो छोटी योजनायें फेमीन म बनी ह और जो वर्षा ऋतु से पहले जो रपटें बन चुकी हैं वे भी बकार हो जायगी। इसलिए मैं पूरी सूची में न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से जो भी छोटी रिपटें और एनीकट्स जो फेमीन में बनी हैं, चाहे पहले बनी हैं उन छोटी रपटों को वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करा सकते हैं और कम पैसे में करा सकते हैं जिससे छोटे छोटे काश्तकार की भलाई होगी

(श्री शंकरलाल)

दूसरे पाली जिले में जवाई बान्ध होने से और रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है? जवाई बान्ध सरकार की बड़ी योजना है, लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, इस जवाई बान्ध का जितना पाली जिले को मिलता है वह आवश्यकतानुसार नहीं मिलता है और वह पानी जोधपुर ले जाया जाता है। हम यह नहीं कहते कि जोधपुर को पीने के लिये पानी नहीं दिया जाय लेकिन सभापति महोदय जोधपुर में रामपुर की जल योजना बन गई और उनके लिए पीने का श्रोत बन चुका है तो जोधपुर के बाग-बगीचों के लिए पानी जवाई बान्ध से न दिया जाय। यह जवाई का बान्ध जोधपुर से करीब 90 मील की दूरी पर है। और इस 90 मील की दूरी से पानी ले जाकर, बहुत सारा पानी तो सीपेज होता है और बहुत कम मात्रा में पानी जोधपुर पहुंचता है। मैं समझता हूं राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। जोधपुर में जिस प्रकार रामपुर की योजना बनी है वहीं से कोई स्त्रोत निकल जाय और पाली की जवाई बान्ध का पानी न दिया जाय तो काफी कमान्ड एरिया की मांग है, उसके अनुसार वहां के लोगों को पानी मिले और सिंचाई के साधन मिले। सभापति महोदय; मैं यह निवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध में यह कह दिया कि राज्य सरकार शाही से डाइवर्शन करके और जवाई से पानी लेकर कमाण्ड ऐरिया को दिया जायगा। सभापति महोदय, ऐसी घोषणा करने के बाद आज दो साल हो गये लेकिन वह काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कोई प्रोग्राम दिखाई नहीं पड़ता है और ऐसा लगता है राज्य सरकार की घोषणा मात्र है। सभापति महोदय, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, पाली तहसील के बहुत से गांव जो जवाई के आस पास आते हैं जेतपुरा, खवाड आदि के लोगों द्वारा इस प्रकार के पीने के पानी के लिये मांग की जाती हैं तो आश्चर्य है उनको पीने के लिये पानी नहीं मिलता है और वह इसलिये नहीं मिलता है कि पीने के पानी की, जोधपुर के लिये जरूरत है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन अब हल निकाला जा सकता है और जवाई के पानी का ज्यादा उपयोग हो, जोधपुर जाने में वेस्ट न हो तो क्यों नहीं राज्य सरकार इस योजना को हाथ में लेती है और पाली जिले में इसका उपयोग किया जाय।

दूसरे सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के अन्दर जो डिस्ट्रिब्यूशन की राज्य सरकार की नीति है-बान्ध का पानी किस प्रकार वितरित किया जाय, यह नीति अभी तक स्पष्ट नहीं है। कैसे, सरकार की कुछ नीति साल भर ऐसी रही है कि छोटे काश्तकारों को पानी पहले से ज्यादा मिला है; लेकिन इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आज भी जवाई बांध में शिकायत रहती है किन्तु आज भी गिरि बान्ध के लिये काश्तकार की शिकायत रहती है कि पानी का जो डिस्ट्रिब्यूशन है वह ठीक नहीं है। क्या राज्य सरकार ने इस पानी के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कोई निश्चित घोषणा, कोई निश्चित नियम बनाये हैं? कई जगह कमेटी की बात करते हैं और कहते हैं कि कमेटी में सरपंचों और,

Page No 149

(श्री शंकरलाल):

एम०एल०एज० को लेते हैं, लेकिन मुझे अनुभव है और मेरे क्षेत्र के अन्दर गिरि का बान्ध पड़ता है पानी की कमेटी होती है, लेकिन मुझे कभी इत्तिला नहीं मिलती है और न गांव के प्रतिनिधियों को मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कमेटी के मेम्बर्स डाक बंगले में दो तीन दिन ठहर कर वहीं बैठे 2 फैसला कर देते हैं!

सभापति महोदय, समाजवादी नीति को अपनाने के लिये पानी का डिस्ट्रिब्यूट इस प्रकार करें जिससे ज्यादा उत्पादन हो। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वे नीचे के अधिकारियों से मिलकर आस पास अपनी जमीन के लिये पानी ले लेते हैं इससे, सभापति महोदय, छोटे काश्तकारों में रोष पैदा होता है। रामपुर का बान्ध बनाने के बाद जैतारण, आगेवा, बेन्डिश चावला वहां के लोगों की शिकायत है-बान्ध बनने से इन गांवों का पानी सूख गया और पानी मिलता है जिसको, रामपुरा के आस पास रहने वाले लोगों को। रामपुरा के भूतपूर्व जागीदारों को और वहां के पीपलिया क्षेत्र के बहुत बड़े सेठ हैं उनको पानी मिलता है। छोटे काश्तकारों को पानी नहीं मिलता और उस समय कह दिया हम छोटी नहर निकाल रहे हैं उससे छोटे काश्तकार को पानी देंगे लेकिन, सभापति महोदय, अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। क्या राज्य सरकार विचार कर सकती है कि रामपुरा को थोड़ा ऊंचा लेकर जिनके कुऐं सूख गये हैं वहां तक नहर को ले जाई जा सकती है। इसकी जांच करा कर वहां तक पानी को पहुंचाया जाना चाहिये। जिससे किसानों में और आम जनता में राज्य सरकार के प्रति कुछ भावना पैदा हो कि सिचाई के जरिये छोटे छोटे काश्तकारों को फायदा देना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सेठों को नहीं।

दूसरे राज्य सरकार ने घोषणा की कि सिंचाई के जो साधन हैं बड़े बड़े तालाब, बान्ध, कुऐं जो खुद की सिंचाई से अलावा दूसरों को पानी दिया जाता है और आधे हिस्से लटाई ली जाती है उसके शोषण के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि तालाब और बान्ध को व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं मानी जायगी लेकिन राज्य सरकार कानन नहीं ला रही है। क्यों नहीं ला रही है? वह पानी उन काश्तकारों को जितना मिलना चाहिये उतना दिया जाय। आज निमाज में जो बान्ध है वहां पीने के पानी की समस्या है, लेकिन चानोद में भी यही समस्या है पीने के लिये पानी नहीं लेकिन बड़े काश्तकार अपने खेतों म और बाग-बगीचों में पानी देंगे। उस सारे पानी को खेती म लगा देंग लेकिन लोगों को पीने के लिये पानी मुहैया नहीं करेंगे क्योंकि वह व्यक्तिगत सम्पति में आये है। यह पाली जिले में ही नहीं बल्कि उदयपुर और अन्य जगहों की भी यही हालत है। आज एक किसान एक कुयें से दूसरे किसान से बांटा लें उसको बर्दाश्त करें आखिर यह जागीरदारी क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं? आज किसान का आम शोषण होता है तो क्यों नहीं आप प्राइवेट प्रापर्टी के जरिये रिज्यूम करते हैं और क्यों नहीं सिंचाई के साधनों को बढ़ाते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ ऐसी स्कीम 3-4 साल पहले सर्वे हुई थी और सर्वे होती रहती है, लेकिन

(शंकरलाल)

उसका नतीजा कुछ नहीं मिलता है। सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं ढानिया बान्ध एक दफा प्लान म आ गया कि इतने लाख रुपये खर्च होंगे और फिर मौका देखकर कहा इसका रि-सर्वे किया जाय। मंत्री महोदय ने कहा अगले वर्ष प्रयास करके ले लेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार सर्वे के लिये स्कीम जाती है। एक बार कहा बनेगा दुबारा कह दिया नहीं बनेगा लेकिन बार बार सर्वे का बहाना लेना, मैं समझता हूं, उपयुक्त नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर मैं यह निवेदन नहीं करूं तो मैं समझता हूं कि अपने कर्तव्य के बारे में सही नहीं होऊंगा। वह यह है कि पाली जिले के अन्दर फेमीन के अन्तर्गत जो काम हुए हैं सिचाई विभाग के मारफत तो उसके लिए कुछ करप्शन की शिकायतें तो सामने आई हैं और उन शिकायतों के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी के द्वारा कितनी जांच हुई और उसकी क्या रिपोर्ट आई है मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे। लेकिन यह खुले आम जनता में चर्चा है कि हजारों बोरी सीमेन्ट के लिए बताया गया है कि पाली बान्ध में लगा है, लेकिन वह वास्तव में नहीं लगा है और व्यापारी की तारीख भी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। पाली के कलेक्टर ने इस बात को पकड़ा और पकड़कर उसकी जांच हुई और अभी तक उस जांच का क्या नतीजा निकाला वह हम जानना चाहेंगे अभी तक भी यह बात है कि वहां के अधिकारियों और वहां के लोगों में इस प्रकार का काम चल रहा है कि आम लोगों की धारणा है कि सिचाई विभाग म पाली जिले के अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कुछ लोगों में यह हवा हुई है, चाहे वे प्रतिनिधि हों चाहे गैर प्रतिनिधि हों। मैं समझता हूं कि उसको ठीक करना चाहिए मैं व्यक्तिगत नाम लेकर विवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दें और आपके अधिकारी हैं विभाग के, वे चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, उनको ठीक करने का काम कर।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना हूं कि रायपुर तहसील में 15 हजार की एक योजना बनी और बहुत अच्छी योजना बनाई, लेकिन एक दूसरे आदमी ने जो कि खान का मालिक बताता है उसने हाई कोर्ट में रिट कर दी। वह योजना जिस जमीन पर हो रही थी वह जमीन न तो माइन्स की है और न सरकार की, बल्कि एक काश्तकार है भीमा देवा उसकी खातेदारी की जमीन है उसके ऊपर वह बन रही है। वह कहता है कि मेरी जमीन पर बना लो, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पैरवी हाई कोर्ट में अच्छी तरह से नहीं हो रही है। आसपास के गांवों में इससे कितना फायदा होगा, लेकिन उसकी पैरवी करने वाला हाई कोर्ट में कोई नहीं है और वह योजना ठप्प पड़ी हुई है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पैरवी के लिए इन्तजाम करे।

मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों के अन्दर कम से कम यह

(श्री शंकरलाल)
धारणा होनी चाहिए कि हमारे प्रोमोशन्स के अन्दर और हमारे ट्रान्सफर्स के अन्दर कोई पक्षपात नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओवरसियर्स के जो प्रोमोशन्स होते हैं उनके बारे में एक उदाहरण जैतारण का देना चाहता हूं क्योंकि जैतारण पंचायत समिति में एक केस आया था तो मुझे मालूम हुआ। वहां पर एक सर्वेयर था जिसका प्रोमोशन हो गया और उसके बाद में उसको वापिस सर्वेयर के पद पर लगा दिया और उनके जूनियर्स को चान्स दे दिया जैसे यादव वगैरह हैं। उसके पूरे केस को मैंने स्टडी किया है और चीफ इन्जीनियर ने उस पर रिपोर्ट की है कि यादव का जिस प्रकार का केस है उसी प्रकार का 5 दूसरे आदमियों का केस है, लेकिन उनको प्रोमोशन नहीं दिया गया और उनके जूनियर्स का प्रोमोशन्स हो गया। इसी प्रकार से बड़े पदों की बात है और जो छोटे से छोटे कर्मचारी हैं और नीचे के स्तर पर काम करने वाले हैं-सर्वेयर्स और ओवरसियर्स तो उनके प्रोमोशन्स के अन्दर किसी प्रकार का मैं समझता हूं पक्षपात नहीं होना चाहिए। गांव के आम स्तर पर वे लोग काम करने वाले हैं और नीचे से स्कीम बना कर भेजते हैं। इसलिए उनकी तरफ भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम है उसको करें, पाली जिले में तो इसमें आप सफल हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, समय बढ़ा दिया जाय ताकि मांगे पारित हो जायं।

श्री सभापति : कितनी देर के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मांगें पारित हों तब तक।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, सभा पांच बजे तक तो माननीय सदस्य बोल लें और उसके बाद में रिप्लाई हो जाय।

श्री देवीदत्त गाड़ीया (बांरा) : सभापति महोदय, इस प्रकार से जो मंत्री महोदय ने टाइम के बारे में कहा है तो यह समय अपर्याप्त रहेगा और यह महत्वपूर्ण मांग है। इस संबंध में मेरा एक निवेदन है कि जब कभी, मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया था कि विभागों के बारे में जब कभी भी हम काल अटेन्शन या स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो माननीय अध्यक्षजी ने हमेशा यह व्यवस्था दी है कि मांगों पर आपको बोलने का अवसर मिलेगा। जब यह व्यवस्था दे देते हैं तो हम सन्तोष कर लेते हैं चाहे कितना ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो। आज सिंचाई विभाग पर मेरा स्थगन प्रस्ताव और काल अटेन्शन मोशन था और वह कई दिनों से चला आ रहा है और माननीय मंत्रीजी भी इस बात को जानते हैं......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप कह दें कि कितनी देर तक का टाइम चाहिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज समय नहीं मिला है न तो स्थगन-प्रस्ताव आया है और न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है तो फिर मैं समझता कि कौनसा हथियार है हमारे पास कि जिसके जरिये से हम जनता की समस्या को सदन के सामने रखें। इस प्रकार से हरेक चीज की अवहेलना की

Page No 152

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गई तो सभी सदस्यों में असन्तोष पैदा होगा और हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उन पर घोर कुठाराघात होगा । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से माननीय मंत्रीजी सवा पांच बजे तक करना चाहते हैं वह उचित नहीं होगा । इसलिए जब तक मांग पारित न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय और जिसके कटौती प्रस्ताव हैं उनको समय दिया जाय ।

श्री सभापति : इससे तो समय नहीं दिया जा सकता है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में और स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मांगों के समय उनको उठाया जा सकता है तो इसका अर्थ यह है कि दल के लिए निर्धारित समय में ही उनको उठाया जा सकता है उसके अलावा नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या हुआ काल अटेन्शन और स्थगन-प्रस्ताव अलग से रहे और उसकी विशेषता है ।

श्री सभापति : फिर वह तो मुश्किल हो जायगा ।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, बजाय सवा पांच बजे के 6 बजे तक का टाइम निश्चत कर दें और गवर्नमेंट रिप्लाई 6 बजे हो जायगा तो एक घन्टे का समय मिल जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : 6 बजे तक बोलने दिया जाय और 6 बजे के बाद में रिप्लाई हो जाय ।

श्री सभापति : मांग पारित होने तक का समय बढ़ा दिया जाता है ।

श्री लाडूराम सुलानियां (फागी) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में दिन भर से माननीय सदस्यों की चर्चाएं सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार ने इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठने के अलावा कुछ नहीं किया । यह सरकार का तो कार्यक्रम था और आज तक खर्चा किया है, और उसका काम जो दिखावे में आया है उसमें बड़ा अन्तर पाया जाता है । राज्य सरकार की यह नीति रही है कि हर वर्ष करोड़ों रुपयों का बजट पास करवाने के बाद उसमें जो खर्चा करते हैं उसमें जिस प्रकार के घोटाले हैं अनियमितताएं बरती जाती हैं । वह बड़ी ऐसी घटना है कि जनता की गाढ़ी कमाई का धन इस जनतन्त्र में इस ओर लगाया जाता है तो उसका दुरुपयोग होता है । तो इसकी सारी जिम्मेवारी विभाग के मंत्री के ऊपर है और उनके अलावा मंत्रीमण्डल के मुखिया या मालिक जिनको कहना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय हैं उनके उपर भी जिम्मेवारी है । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी विभाग के मंत्रीयों को इस बारे में और ताड़ना दें तो वे मुख्य मंत्री नहीं रह सकते । इसी बात को सोचकर मुख्य मंत्री महोदय अपनी आंख बंदकर बैठ ही जाते हैं । इसके पश्चात् विभाग के मंत्री ही रहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, विभाग के मंत्रियों के उपर जिस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और जिस प्रकार के घोटाले उनके सामने रखे जाते हैं तो उनका कोई उत्तर भी नहीं दे पाते हैं और केवल यह कह कर कि बात गलत है टाल देते हैं । और जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है वह सारी बातें आपके सामने रखते हैं तो उनको ठीक करना

(श्री लादूराम कुलानिया)

चाहिए और उसमें जो खामियां बताई जाती हैं, तो उनको साफ करें वर्ना वे इस बात के लिए दोषी हैं इससे बच नहीं सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में एक-दो मुद्दे बताऊंगा, और वह यह है कि हमारी तहसील चाकसू में एक नदी आ गई है जिसका राजस्थान सरकार ने तीन दफा सर्वे करवाया है। उसमें इतना पानी है कि अगर नलकूप बनाकर सिंचाई के साधन लगाये जायें तो हजारों एकड़ भूमि उससे सिंचित हो सकती है। उसका पानी इतना मीठा है, और उस भूमि को मानता है और उस भूमि में फसलें उपजाता है और अच्छी पैदावार करता है। जो नदी है उसके अन्दर 20-25 फुट की गहराई तक रुका पानी है। उसको सर्वे हुए पांच साल हो गये, लेकिन आज तक राजस्थान सरकार ने कई दफे आश्वासन दिया और आश्वाशन दिया कि इस साल योजना में ली जायगी और इस साल कर दी जायगी, लेकिन, सभापति महोदय, उस पर आज तक कुछ नहीं किया गया। वह झामता ग्राम के पास होकर जाती है और नदी की बहुत अच्छी स्कीम है इससे राज्य सरकार की अच्छी आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा चाकसू तहसील के अन्दर ही दो बांध हैं। श्यावपुरा और खेजड़ा। माननीय सभापति जी हर साल वादविवाद करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ होता नहीं है। इस साल भी योजना बन गई है। इसमें ढील का कारण क्या है? राज्य सरकार केवल जनता को धोखा देती है। हम लोग जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भी धोखा देती है। बरसात के थोड़े दिन रह गये हैं। वह इस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। हम जब कहते हैं तो कहते हैं कि जल्दी ही पूरा किया जायेगा। लेकिन उतनी जल्दी पूरा नहीं किया जाता है। जितनी जल्दी वह पूरा किया जाये, वह हमारा फायदा होगा व राज्य सरकार का फायदा होगा। राज्य सरकार की आय बढ़ेगी। उसमें जो उपज होगी, राजस्थान की भुखमरी की जो समस्या है, वह भी हल होगी। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो मैं यह मानकर चलूंगा कि ये विभाग के मंत्री हैं। वे सतर्क रहेंगे। फागी तहसील में किशनपुरा बांध है। पिछले साल 5 हजार रुपये की मिट्टी डलवाने का तय हुआ था। उसमें एक हजार रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। फर्जी मस्टर रोल बनाकर विभाग के अधिकारी रुपया हड़प गये। विभाग के अधिकारियों को कहा तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। सारी शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अखबारों में भी यह छपा है। यह सारी मंत्री कि गलती है। किसी प्रकार की वह कार्यवाही ही नहीं करते हैं। इसी प्रकार से कई घोटाले हैं। मैं निवेदन करना चहूंगा कि जब सिंचाई को लेकर हम चलेंगे तभी काश्तकारों का फायदा हो सकता है। तहसील फागी में एक और बांध है, गोकुलपुरा। वह बहुत बड़ा बांध है। एक हजार एकड़ सिंचाई उससे होती थी। उसका एक नाका टूट जाने के कारण अब उसमें पानी नहीं ठहरता है। आज तक सरकार का इसकी ओर ध्यान नहीं गया है। सरकार का 50 हजार रुपया खर्च हो सकता है। उसमें लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है। इसमें कई गांव ऐसे हैं जिनमें इसका पानी जा सकता है। मोहनपुरा, सांवलिया और चामलिया आदि

(श्री लादूराम सुलानियां)

गांवों में अच्छी पिलाई हो सकती है। इसके अलावा और छोटे छोटे गांव हैं जिनमें कि सिचाई का अच्छा साधन हो सकता है। छोटी सिचाई के लिए जैसे कि हमारे यहां मोहनपुरा बांध है। उसकी सिचाई रुक गई है। उन पर ध्यान दिया जाये। उनका सर्वे करायें, उनकी लागत और आय को देखें तो बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आपकी देखने की ताकत नहीं है। विभाग पर छोड़ देते हैं। आपको और कोई रास्ता नहीं मिलता है। अभी अभी करोड़ों रुपयों की बात आपके सामने रखी है। आप कहेंगे कि हमारी योजना बन गई है। वह मामूली सम्पत्ति है, उससे काम चलने वाला नहीं है। इस साल 7-8 करोड़ रुपया सिचाई पर खर्च करने वाले हैं। पर जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि लाखों रुपयों का इनमें घोटाला है। इसकी आप जांच करायें ताकि दोषी लोगों को दण्ड मिल सके और इस रुपये का सही उपयोग हो सके।

मैं जब विधान सभा से जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। जब यहां कुछ होता नहीं है तो लोग यही कहते हैं कि इसमें मन्त्री भी हिस्सेदार ह। ऑफिसर अकेले थोड़े ही खाते हैं। मिनिस्टरों का भी हिस्सा होता है।

श्री जगन्नाथ : मन्त्रियों का हिस्सा नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया (इधर उधर देखते हुये) : यह कौन कह रहा है।

श्री जगन्नाथ : मैं कह रहा हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपको भी जानता हूं। आप सुनिये।

श्री जगन्नाथ : आप सुनिये।

श्री लादूराम सुलानिया : यह जो कुछ कहता हूं बिल्कुल ठीक कहता हूं। आप क्या बोलते हैं ?

श्री जगन्नाथ : हां बोलता हूं। मंत्रियों का हिस्सा नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : कांग्रेस के लोगों ने भी आरोप लगाये हैं। ये सारे के सारे लोग उनके तबके के हैं। ये कांग्रेस के लोग जितने बैठे हैं × × ×

श्री नन्दलाल : जो उनको बोलना है, वह बोलें लेकिन सभापति महोदय, सारे कांग्रेस मेम्बर्स को कहते हैं यह गलत है।

श्री नाथूलाल : सभापति महोदय, यह आरोप लगाया गया है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : आपको जो भ्रम हो गया है, उसको निकालने की कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : आप भाषण दीजिये।

एक माननीय सदस्य : इस कथन को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर काश्त होती है....

श्री नत्थीलाल : सभापति महोदय, आरोप लगाया गया है।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री सभापति : एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री नन्दलाल : सभापति महोदय, सभी मेम्बर्स पर आरोप लगाया गया है।

श्री नत्थीलाल : सभी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री किशनलाल वर्मा : लादूराम सुलानिया को माफी मांगनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ : या तो नाम बताओ। नहीं तो अपने मुखारविन्द से वापिस लो।

श्री लादूराम सुलानिया : जिस प्रकार से एक घर का हैड कमाता है और उस घर के सारे लोगों को उससे रोटी रोजी मिलती है। मैं पूछता हूं, उसी प्रकार राजस्थान सरकार भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट हैं तो जो चिपके हुए हैं और मंत्री बनने को बैठे हुए हैं, तो जो सदन में मैं आरोप लगाता हूं....।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : झूठ है।

श्री देवेन्द्र कुमार : झूठ है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : इस प्रकार के शब्द वापिस लेने चाहिए।

(शोरगुल—अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! श्री जगन्नाथ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

आप कोई वेग एलीगेशन न लगायें। सारी पार्टी के ऊपर, सारे विधायकों पर जनरल एलीगेशन न लगायें। कोई व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप हों तो आप सप्रमाण लगा सकते हैं, अन्यथा सारी पार्टी के लिए कह देना, सारे कांग्रेसी विधायकों के लिए कह देना उचित नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने यह आरोप एम० एल० एज० पर नहीं लगाया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : ये शब्द प्रोसीडिंग्स में से निकालने चाहिए, ये शब्द वापिस लेने चाहिए।

(शोरगुल—अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : सब पर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री लादूराम सुलानिया : उनको कहना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं तो जांच नहीं होती है.....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर !

श्री किशनलाल वर्मा : कांग्रेसी विधायकों के लिए नहीं कह सकते हैं।

श्री सभापति : कांग्रेस के सारे विधायकों के सम्बन्ध में जिन शब्दों का उपयोग किया है, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

Page No 156

श्री लादूराम सुलानिया : ये शब्द नहीं कहे हैं, यह भ्रम है ।

(शोरगुल—अश्रव्य)

सरकार पर आरोप हैं, सरकार के साथ रहने वाले लोग हैं, वे भ्रष्ट हैं यह कहा था । यह सही है, वे उसका साथ देते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं । अगर साथ नहीं दें तो ऐसे लोग ही मंत्री नहीं बन सकते और न भ्रष्टाचार ही हो सकता है । यह मेरा आरोप था और है ।

मैं सिंचाई के बारे में माननीय सभापति महोदय, कह रहा था, इस प्रकार धन खर्च करने के बाद भी जो उपजाऊ भूमि है उसको पानी नहीं देते और उपजाऊ भूमि में उपज नहीं करा सकते हैं, उपजाऊ भूमि में पानी देकर उपज बढ़ाना इस विभाग की जिम्मेदारी है । इस विभाग के जो लोग हैं उनको इतना धन घर में बटोरने के लिए नहीं देते है, इनके ऊपर इस काम का बर्डन है और इन्हें यह काफी जिम्मेदारी से निभाना चाहिये । अगर इस प्रकार का रवैय्या रहा तो मैं यह कहना चाहूंगा, राज्य सरकार पर करोड़ों रुपयों का कर्ज चढ़ जाने के पश्चात् भी राजस्थान में उपज में बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी । अगर यह स्थिति रही तो उपज में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं । इसलिए मंत्रीयों को अपने रवैय्ये में परिवर्तन करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा । अगर इस प्रकार इस विभाग को चलाते हैं तो राजस्थान की जनता आपको बधाई दे सकती है । अन्यथा अगर यही रवैय्या रहा, जिस प्रकार के रवैय्या के लिए लोगों ने कहा है, और उसकी जांच नहीं हुई तो राजस्थान की जनता बधाई नहीं दे सकती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री नाथूराम ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मेरे कटौती के तीन प्रस्ताव हैं । उनमें से सबसे पहला प्रस्ताव कडाना बांध के बारें में है । गत वर्ष मेरे प्रस्ताव और प्रश्नों पर इस हाउस में कई बार चर्चा हुई, और सदन के माननीय सदस्यों ने उस चर्चा में पूर्ण सहयोग दिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया में जो गरीब आदिवासी हजारों लाखों की तादाद में हैं उनकी ओर से मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

कई बार चर्चा होने के बाद में राजस्थान सरकार की तरफ से इस क्षेत्र की सर्वे हुई, उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ और सर्वे से मालूम हुआ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कडाना बांध से प्रभावित क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन डूब में आने वाली थी, दो सौ गांवों की हजारों एकड़ जमीन डूब में आ रही थी । उस क्षेत्र का सिंचाई मंत्रीजी ने और मुख्य मन्त्रीजी ने दौरा किया । वहां जब उन्होंने देखा कि दो सौ गांवों की हजारों एकड़ जमीन डूब में आ रही है तो राजस्थान सरकार ने 419 एफ० आर० एल० से कम करके 410 किया, नौ फीट ऊंचाई कम करने का निर्णय लिया और राजस्थान सरकार......

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है या राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों ने मिलकर लिया है ?

श्री नाथूराम : एग्रीमेंट में संशोधन नहीं हुआ है, मैं इसलिए मानूंगा कि राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार

(श्री नाथूराम)

की राय से निर्णय नहीं हुआ है । एग्रीमेंट में संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है, राजस्थान सरकार सरकार की ओर से 410 की रेडियो से घोषणा भी कर दी है, लेकिन, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह रेडियो से घोषणा की है, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के समक्ष 410 की जो बात हुई, उसके अनुसार एग्रीमेन्ट में संशोधन नहीं हुआ है । इस सदन में सिंचाई मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि नवम्बर या दिसम्बर में केन्द्रीय सिंचाई मंत्रीजी के समक्ष गुजरात और राजस्थान के दोनों मुख्य मंत्रियों की बैठक होगी और 410 का एग्रीमेन्ट में संशोधन हो जायगा–वह बैठक हुई या नहीं, एग्रीमेंट में संशोधन हुआ या नहीं ? यह मैं पूछना चाहता हूं। आपने यह रेडियो से घोषणा की थी । इसके अलावा आपकी सर्वे से मालूम हुआ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में दो सौ गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, वहां के लोग इस 410 की ऊंचाई से प्रभावित हो रहे हैं, उनको मुआवजा देने और भूमि देने का तमाम रिकार्ड तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक एग्रीमेन्ट में संशोधन नहीं कराया है, इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो 410 की ऊंचाई का निर्णय लिया है इसके हिसाब से एग्रीमेन्ट में संशोधन होना चाहिए और इस प्रभावित क्षेत्र के अन्दर जिन गरीब किसानों को मुआवजे में भूमि देने का निर्णय लिया है, वह भूमि देने की व्यवस्था कर देनी चाहिए और मुआवजा भी दे देना चाहिए। सभापति महोदय, छः महीने से लोगों की मांग है, कडाना बांध से जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें नदी नाले हैं जो इसमें आ रहे हैं, उसमें अणास नदी ऐसी बहती है बांसवाड़ा जिले में उस, नदी में इतना वाटर है कि उसमें बारह महीनें पानी भरा रहेगा और इससे बांसवाड़ा के लोग डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर नहीं आ सकेंगे, भूलिया क्षेत्र बागीडोरा से बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वर्टार पर नहीं आ सकेंगे, इसलिए अणास पर चान्दरवाड़ा-अरथूना के बीच पुल बनाकर सुविधा प्रदान करायें । यह मांग की है और इस सम्बन्ध में कई दरखास्तें पी० डब्ल्यू०डी० मंत्रीजी को मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी को दी है, ऐसी दरखास्तों की कापियां मेरे पास हैं । उन लोगों की मांग है कि जो कडाना का पानी अणास नदी में भरा रहेगा, इसलिए चान्दरवाड़ा और अरथूना के बीच में गुजरात सरकार से मुआवजा लेकर पुल बनाना चाहिए, नहीं तो आवागमन के रास्ते बन्द हो जायेंगे और लोगों को बड़ी परेशानी होगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि गुजरात सरकार से मुआवजा शीघ्र लेना चाहिए और अणास नदी पर पुल बनाना चाहिए । इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रभावित किसान हैं, उनका रिकार्ड तैयार है, लेकिन न तो उनको भूमि दी गई है और न मुआवजा दिया गया है। केवल लोगों को कहा है कि भूमि मिल जायगी, जिनकी पांच बीघा भूमि इसमें गई है उनको पन्द्रह बीघा भूमि मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, हर तरह का मुआवजा मिलेगा कई धार्मिक स्थान भी डूब में आ रहे हैं । मेरा निवेदन है कि 410 भी रखी जायगी तो भी चालीस हजार एकड़ जमीन इसमें डूब आयेगी । आज लोगों को संतोष है कि 419 के बजाय 410 हो जाती है, उसके

(श्री नाथूराम)

बाद में पूरा मुआवजा मिल जायगा और उनको बसाने की व्यवस्था हो जायगी। मेरा निवेदन है कि इनको जल्दी बसाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, न कि केवल उनको रिकार्ड में आप बसाते रहें। सभापति महोदय, पिछले समय सिचाई मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था, उसके ऊपर जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है, माही प्रोजेक्ट, बजाजसागर बांध के बारे में। इसका 9 मई, 70 को भारत के वित्त-मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने शिलान्यास किया था। इस पर दो करोड़ रुपया खर्च हुआ है, केवल सड़कें बनाने में और बंगले बनाने में, मेन डेम के नाम से कोई खर्च नहीं हुआ है। आज लाखों रुपये खर्च होते हैं, स्टाफ के वेतन पर खर्च होते हैं, पेट्रोल में खर्च होते हैं। इसमें हर तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले सत्र में मेरे प्रश्न पर इस हाउस में पौन घण्टे चर्चा हुई थी, और यह आरोप लगाया था। उनके ऊपर सरकार की तरफ कोई जांच नहीं हुई है। वहां पर हजारों रुपये की सीमेन्ट का दुरुपयोग किया गया है। मैंने सुना है, लाखों रुपये की सीमेन्ट खरीदी है, वह कहां खर्च हो रही है, क्योंकि मेन डेम के अन्दर तो वह नहीं लगी है क्योंकि इसकी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति नहीं हुई है। मैं निवेदन करता हूं कि आप ग्यारह साल से प्लानिंग कमीशन से मंजूरी नहीं ले सके हैं और दो करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं, जबकि दो तीन करोड़ में यह सिंचाई का बांध बन सकता था। इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से ढील रही है। मैं आपको निवेदन करता हूं, माही पर स्टाफ में जो खर्च हो रहा है, वह एक तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, हर साल सरकार पन्द्रह बीस लाख रुपया खर्च करती है तो न मालूम फोर्थ फाइव ईअर प्लान में कितना खर्च करेगी। यह मालूम नहीं हो रहा है। लाखों रुपये की सीमेन्ट वगैरह से बंगले बनाये हैं और वहां पर काफी माल पड़ा हुआ है उसका उपयोग नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में माही प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से आग्रह करके प्लानिंग कमीशन से मंजूरी लेनी चाहिए। अगर मंजूरी नहीं लेंगे तो यह बांध बनने वाला नहीं है। कड़ाना से पहले माही की योजना थी, उसमें पहले यह था कि बिजली का बांध बनेगा, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है और उसमें से बिजली का प्रावधान हटा दिया है। गुजरात को जो अपनी कार्यवाही करनी थी वह कर रहे हैं इसलिए आपके द्वारा निवेदन है कि जहां 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और मेन डेम की नाममात्र की भी शुरुआत नहीं हुई है और प्लानिंग कमीशन से मंजूरी नहीं हुई है इसलिए योजना आयोग से मजूरी जल्दी लें, मेन डेम का काम शुरू करना चाहिए और बजाजसागर डेम बनाया जाए। इससे 75 हजार एकड़ में सिंचाई होगी क्योंकि यह एक पिछड़ा पहाड़ी इलाका है इसलिए इसको जल्दी बनाना चाहिए।

इसी तरह से बांसवाड़ा जिले में जो बड़े बड़े तालाब दुष्काल के समय बनाने हेतु हाथ में लिए गए थे वे अधूरे पड़े हैं। बजट से मालूम होता है कि बांसवाडा में जो प्रावधान रखा गया है वह बहुत कम है। एक तरफ

(श्री नाथूराम)

तो सरकार का यह नारा है कि पिछड़े हुए इलाकों को जल्दी से जल्दी तरक्की करनी चाहिए, आदिवासियों को उठाना चाहिए। बांसवाड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, कोई नया काम वहां नहीं लिया है। स्वतंत्रता से पहले लोगों ने श्रमदान से जो पुराने तालाव बांधे हैं। उदाहरण के लिए गढ़ी तहसील में करीब 100 तालाव जो लिए है वह अधूरे पड़े हैं। अगर तालाव बने हैं तो नहर नहीं निकली है। तो बजट में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए रकम रखी है वह कम है।

सूखे क्षेत्र के लिए भारत सरकार से ही जरूर पैसा मिलेगा लेकिन वह स्कीम लंबी है, अभी तक पैसा भी नहीं मिला है और दो करोड़ से तालाव नहीं होने वाले हैं। कोई 10-20 लाख का एक 2 तालाव है। भारत सरकार से जो पैसा मिलने वाला है उससे अधूरे तालाब पूरे नहीं होंगे। इसलिए पिछले दुष्काल के समय जो छोटे छोटे तालाव लिए है, वजट से रकम लेकर जल्दी पूरे कराने चाहिए नहीं तो जो रुपया खर्च हुआ है वह तालाव भी अधूरे रहेंगे। लोगों की मांग है कि हम नहीं कहते कि बड़ी बड़ी योजनाओं से हमें फायदा पहुंचाया जाए लेकिन जो छोटे छोटे काम दुष्काल में लिए हैं उनको पूरा करना चाहिए ताकि कृषि उत्पादन में फायदा हो सके।

मैं सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किशनलाल रावत, एग्जीक्यूटिव इन्जीनीयर जो सिंचाई विभाग में बांसवाड़ा में थे उन पर मैंने सदन में आरोप लगाए थे कि हजारों रुपये के सीमेंट का दुरुपयोग किया नाजायज फायदा उठाया। सिंचाई मंत्री व अकाल राहत मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी के द्वारा इसकी जांच करायेंगे और गल्ती साबित होने पर सजा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी जांच कराई ? उसका क्या परिणाम रहा ? उत्तर देते समय जरूर बतायें। आप स्वयं भ्रष्टाचार बढ़वा रहे हैं। सही बात सदन में लाते हैं तो आपके द्वारा जांच नहीं होती है तो उसका बुरा असर होगा। इस इन्जीनीयर को माही ट्रांसफर कर दिया तो वहां भी वही दशा होगी जैसे अकाल के समय घोटाला किया। तो मैंने जो रावत के खिलाफ आरोप लगाए थे उसके लिए कमेटी विठाकर आपके द्वारा जांच कराई जाए और जो गलतियां साबित होती हैं उनके लिए सख्त सजा देनी चाहिए।

(श्री पूनमचन्द, उपाध्यक्ष पदासीन)

(5.24 म० प०)

जो माही में रावत एग्जीक्यूटिव इंजीनीयर को लगाया है उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजें, बांसवाड़ा में इस इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं है। पिछले समय जिसने नाजायज फायदा उठाया है जरूर वहां भी उठाएगा। पिछड़े हुए इलाकों को उठाने के लिए आप रकम जरूर खर्च करते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग होता है और वह जब आपके सामने लाते हैं तो उसकी सही जांच होनी चाहिए।

हमारा यह जो पिछड़ा हुआ इलाका है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वहां आपने सिंचाई के काम आरंभ नहीं किए हैं

(श्री नाथूराम)

जब कि इंजीनीयर से बात करते हैं तो कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं मिला है । वर्षा ऋतु निकट है और मंजूरी भेज दी तो वर्षा ऋतु में काम नहीं होने वाला है इसलिए बांसवाड़ा जिले में जो अधूरे तालाब पड़े हैं, जल्दी से जल्दी रकम भेजकर उनको पूरा करायें ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): मैं झालावाड़ जिले में जो सिंचाई योजनायें इस समय चल रही हैं और बंद पड़ी हैं । उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं भीमसागर डेम झालावाड़ में सबसे बड़ी योजना है जो अभी चालू है । 20 साल से वैसे ही विचाराधीन थी और गत वर्ष सरकार द्वारा इसको बनाने का निर्णय लिया गया और इस पर थोड़ा रुपया खर्च किया गया वैसे मंजूरी 10 लाख रुपए की थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 3 लाख का खर्च किया गया । वह भी सड़कों, बंगलों और नहरों की सफाई में । बांध नहीं बना है और नहर पहले ही बनाई गई है और सफाई के नाम पर 3 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं । मेन डेम पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है । वैसे इस बांध से 25-30-40 हजार बीघा जमीन पर सिंचाई होगी । सबसे बड़ा बांध है । यह 18 लाख रुपए की योजना थी मगर राजनैतिक पक्षपात ही के कारण अब तक पड़ी है, रही निर्णय नहीं लिया गया और समय पर काम नहीं हुआ । इसको बदलते बदलते 78 लाख की योजना बन गई है । ऐसा लगता है कि 20 साल में भी इस गति से बांध नहीं बना सकेंगे । 3 लाख खर्च हुआ किन्तु मेन डेम पर नहीं हुआ । इस समय भी उस पर कोई ज्यादा रुपया नहीं रखा गया । इस तरह से अगर बांध बना तो 20 साल में भी पूरा नहीं होगा । जो योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई है, उसका सही उपयोग नहीं हो सकेगा । पैसा वैसे ही फालतू कार्यों में खर्च होता रहेगा ।

15 गांव डूब में आते हैं—उसमें असनावर कस्बा भी है । लगभग 3 साल से हम कहते आए हैं कि मंत्री महोदय बतायें कि इन गांवों का पुनर्वास कैसे होगा, मुआवजा कब दिया जायगा और उनके लिये अकलेरा तहसील में करीब 5—7 हजार बीघा जमीन जो अब तक रिजर्व थी उसको भी लोगों में बांटना शुरू किया है तो वह लोग कैसे बसेंगे, इस बारे में उत्तर में बतायें ।

ऐसी योजनायें जिनसे काफी लाभ हो सकता है, रिटर्न मिल सकता है और कम रुपया खर्च हो सकता है, उन योजनाओं को हाथ में लेना चाहिए, उनके फैसले लटका दिये जाते हैं । खेड़ी बांध पंचायत समिति पिड़ावा में तीन वर्ष पहले बनाया गया था कि उसमें 70 हजार रुपया लगा दिए हैं । आज तक उस पर एक बीघे की भी सिंचाई नहीं हुई न अभी तक पानी है । केवल उप-मंत्री श्री कन्हैया लाल के कुएं को पानी दिलाने के लिए यह योजना स्वीकार की गई और 6 महिनों म तीन बार टूट चुका है जिसमें 20 हजार रुपए लगे हैं तो इस तरह एक लाख रुपए लगे हैं । पानी नहीं, सिंचाई नहीं हुई, न पंचायत समिति से प्लान बनकर आया था, केवल उनके कहने

(श्री रामसिंह बोहरा)

से बांध बनाया गया। इस प्रकार रुपए का दुरुपयोग होता रहता है और जिन योजनाओं से फायदा है उन पर पैसा नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार सारन खेड़ी बांध है। 25 लाख की योजना है। गत वर्ष मंजूर हुई। मध्यावधि चुनावों में मंत्री महोदय दौरे पर पधारे। गांव वालों ने कहा कि जमीनें डूब में आती है सरपंच और दो चार कांग्रेस के लोगों की। उन्होंने कहा कि यह बांध बनायेंगे तब हम वोट नहीं देंगे। इसलिये इसको बन्द कर दिया। योजना में रकम स्वीकृत है।

इसी प्रकार ग्राम रीजोन बांध तहसील झालरापाटन दो साल से मंजूर शुदा रकम पड़ी हुई है। उसका भी काम राजनैतिक दृष्टि से बन्द कर दिया। यहां भी सरपंच की जमीन डूब में आती है।

वीमली बांध झालरापाटन स्टेट के टाइम से बना हुआ था। लगभग एक हजार बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। काफी निवेदन किया। इसको ऊंचा करना है पंचायत समिति ने सिफारिश की लेकिन फिर भी वहां पर कुछ काम नहीं किया गया। नहरों को पक्का करेंगे यह कह कर मिट्टी डाल दी गई लेकिन काम नहीं हुआ है। लोगों के फायदे के कामों पर तो पैसा नहीं लगाया जाता है और दीगर कामों पर फालतु पैसा खर्च कर दिया जाता है और योजना का कोई फायदा नहीं होता है।

मारंग खेड़ी बांध दस बारह गांव की सिंचाई होगी। दस बारह आदमियों के खेत इसमें डूबते हैं इसलिये इसको बन्द कर दिया। 25 लाख की योजना है और गतवर्ष रकम भी मंजूर की गयी। काम शुरू हुआ था लेकिन मध्यावधि चुनाव में उसको बन्द कर दिया। रोझोन, सारणखेड़ी बांध का कार्य शुरू करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भीम सागर योजना है यह बड़ी योजना है और झालावाड़ जिले के अन्दर उत्पादन बढ़ाने का है तो इसको जल्दी जल्दी शुरू किया जाय तो अच्छा होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे निवेदन है.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं 6 बजे तक बोलने का समय निर्धारित किया है और उसके बाद रिप्लाई शुरू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडर प्लीज। आपके दल ने पूरा समय ले लिया है। अब संभव नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा काल अटन्शन नोटिस और स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर माननीय सदस्य मैंने आपको निवेदन कर दिया है।

श्री कल्याण मल।

श्री कल्याण मल (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचायी की मांग सदन में पेश हुई है और सिंचायी में आज तक जो काम किये गये हैं उसको देखते हुए मुझे बड़ी खुशी है और

(श्री कल्याण मल)

माननीय सिंचाई मंत्रीजी को और उनके विभाग के इंजीनियरों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद इस बात का दे रहा हूं कि राजस्थान से काफी पानी बेकार दूसरी जगह जाता था और उसका उपयोग राजस्थान में कोई नहीं होता था, किन्तु आज बूंद बूंद पानी को राजस्थान में रख कर गरीब किसानों को, जहां कहीं सिंचाई के साधन नहीं थे उनके लिये बांध बांध कर उस पानी का उपयोग किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले यह चर्चा हो रही थी और सिंचाई मंत्री महोदय के ऊपर कई आक्षेप लगाये जा रहे थे। यह बात यदि इस सदन के सब ही माननीय सदस्य अपने दिल से पूछें तो सही कि ये इतने कमजोर दिल के हैं कि कहीं भ्रष्टाचार की ओर जाने के बजाय जिस जिले से मंत्री हैं उसमें काम करते हुए भी डरते हैं। भीलवाड़ा जिले के आंकड़े देखें तो सब जिलों से कम बांध बनवाये गये हैं और कम पैसे खर्च किये गये। ऐसे एक ईमानदार मंत्री के ऊपर यह आक्षेप लगाये जाएं मैं इसको उचित नहीं मानता हूं।

मैं यह भी निवेदन करूं कि जिस आदमी ने अपना सारा समय...

श्री जुझारसिंह : आप अपनी बात कह दो।

श्री कल्याण मल : मेरी बात भी कहूंगा और जो बात है सच्ची वह भी कहूंगा।

......रात दिन काम करके ये काम किये हैं। आज ये इस हालत में हैं कि इनके घर का खर्चा भी नहीं चल सकता।

श्री जुझारसिंह : आप चला दें।

श्री कल्याण मल : मैं क्या चला दूं। मेरी हालत भी वैसी ही है। आप लोगों की बात हम तो सुनते हैं और मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो आप चर्चा करना शुरू कर देते हैं।

माननीय मेहता साहब भी यह कह रहे थे कि काम कम हुआ है। जालुपुरा..

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने कब कहा कि काम कम हुआ है ? मैंने तो धन्यवाद दिया है। 15 वर्ष में जो काम शुरू नहीं हुआ वहीं इन्होंने कराया है।

श्री कल्याण मल : आपकी तहसील में एक ही बांध ऐसा है कि जहाजपुर जिले में ऐसा बांध बंध जाय तो बस क्या चाहिए।

जहाजपुर में बिजूणा और खेरोदा बांधों के लिये चालू साल कोई पैसे नहीं रखे गये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके लिये पैसे रखे जांय और छोटे 2 बांध हैं उनको इसी वर्ष पूरे कराये जांय। भामा देह की नाल, सरसिमा का एक बांध है उसको भी योजना में लें।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पांच कटौती प्रस्ताव

(श्री देवीलाल मीणा)

हैं जिनमें से पहले 28 व 29 नम्बर पर कटौती प्रस्ताव हैं टिडी योजना पर जो कार्य किया जाता है उसमें सीमेन्ट, पत्थर आदि कई बातों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी होती है उसके लिये कहना चाहूंगा। मैंने मजदूरों द्वारा एक प्रर्थना-पत्र जिलाधीश को दिलाया है उसमें यह लिखा है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर हिंगोरानी और ओवरसीयर ने सीमेन्ट उदयपुर में सीमेन्ट एजेन्सी के वहां पहुंचायी है। कलेक्टर ने जांच कर डिपार्टमेन्टल कार्यवाही कराने को लिखा था।

लेकिन मेरे यह सुनने में आया है कि केवल ओवरसीयर पर आरोप साबित किया जा रहा है और जो असली असिस्टेन्ट इन्जीनियर हिंगोरानी था उसको बरी करने की तैयारी कर ली गई है। इस तरह से मालूम हुआ है यह इन्जीनियर हिंगोरानी मोटर साईकिल लेकर ट्रक के आगे आगे चलता था और सीमेन्ट की बोरी ले जाता था। उस आदमी को आप बरी कर देते हैं और एक ओवरसीयर पर दण्ड देते हैं जब कि इसमें असिस्टेन्ट इन्जीनियर का हाथ मूल था। सीमेन्ट ले जाने में उसका ही हाथ था और वह उदयपुर एजेन्सी से उदरत लाने का बहाना था। इनको उदयपुर से सिमेन्ट लाने की क्या जरूरत थी। यह फर्जी कार्यवाही हो रही है और उसके कागजात फाड़ डाले गये हैं। पत्थर और रेती के जो ट्रक चलते थे उन ट्रकों की ट्रिपे डबल लगाई गई है और किसी किसी ट्रक की तो 12/12 ट्रीपें होती थी। यह कैसे हो जाता है। इसी तरह से पत्थरों में घोटाला किया गया ठेकेदार के साथ मिल कर घोटाला किया है एक सरदार ठेकेदार था उसने घोटाला किया। ठेकेदार और असिसटेन्ट इन्जीनियर हिंगोरानी ने मिलकर यह सारा घोटाला किया है। विभाग ने इसकी जांच की और विभागीय इन्क्वायरी में इन्जीनियर को छोड़ दिया गया। मैंने सुना है कि इस कार्यवाही के लिये जो अकाउन्टेंट गया था वह सिन्धी था और असिस्टेन्ट इन्जीनियर भी सिन्धी था उसने उसको रिपोर्ट से निकाल दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन्जीनियर के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय। उसने हजारों बोरा सीमेन्ट की गड़बड़ की है। इसी की जांच होनी चाहिये और कार्यवाही की जावे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति गिरवा और सराड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत लघु सिचाई योजनायें है और रिलीफ के द्वारा य शुरू की गई थी वे योजनाएं आज अधूरी पड़ी है और उनके द्वारा सिचाई होने जैसे भूमि है लेकिन वे योजनाएं अधूरी पड़ी है और राज्य सरकार इसके लिये कोई रकम नहीं दे रही है। पंचायत समिति के पास एक पैसा नहीं है। रिलीफ के द्वारा पंचायत समितियों के अन्दर लघु सिचाई की जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराने के लिये राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। वह आदीवासी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहां पर छोटी छोटी योजनाएं नहीं बनेगी तब तक कुओं और छोटी जमीन पर सिचाई के साधन नही होंगे, यह मेरा निवेदन है। सराड़ा पंचायत समिति, गिरवा पंचायत समिति और उदयपुर जिले की जो पंचायत समितियां हैं वहां की लघु सिचाई योजनाओं

(श्री देवीलाल मीणा)

पर रकम देनी चाहिये। इन पंचायत समितियों के पास कोई बजट नहीं है कि वे इन योजनाओं को पूरा कर सकें। दूसरी अड़चन यह आती है कि जिन योजनाओं का 40 हजार से ऊपर का ऐस्टीमेट बनता है उसकी टक्नीकल मन्जूरी लेनी पड़ती है। इसमें दिक्कत आती है। 40 हजार की स्कीम पंचायत समिति नहीं कर सकती है। वह 25 हजार तक ही कर सकती है। जो छोटे तालाब हैं उनको भी बनाया जाये तो वे भी 50-60 हजार से कम में नहीं बनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टुकड़े 2 में 25-25 हजार रुपये सेंक्शन किये जाकर पंचायत समितियों को यह काम पूरा करना चाहिये और पंचायत समिति को इस मामले में टेक्नीकल सेक्शन देनी चाहिये।

चौथा मेरा कटमोशन है नदी आमी बांध का। इसका सर्वे हो चुका है और तालाब का तखमीना तैयार किया जा रहा है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। यह तखमीना तैयार होकर राज्य सरकार के सामने जल्दी से जल्दी पेश होने चाहिये। इससे काफी गांवों की जमीन सींचित हो सकती है। इस इलाके में कोई तालाब नहीं है। इसके बनने से सारे गांवों में सिंचाई हो सकती है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन है कि इस तालाब की जल्दी से जल्दी कार्यवाही कम्पलीट करा कर इसको इसी साल करने की स्वीकृति देनी चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया। समय 5 से 7 मिनिट। इससे ज्यादा नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर चम्बल नहर क्षेत्र के अन्दर करीब 54,100 एकड़ क्षेत्र में वाटर लॉगिंग क्षेत्र बढ़ा है, और इसी प्रकार करीब 3 लाख 38 हजार एकड़ क्षेत्र के अन्दर सीपेज का क्षेत्र बढ़ा है और इसके कारण किसानों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि समझ में नहीं आता कि उस इलाके के किसान किस प्रकार से खेती कर सकेंगे। मैं यह समझ नहीं पाता और इसलिये माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब एक ओर वाटर लॉगिंग की समस्या है दूसरी ओर सीपेज की समस्या है और इसके कारण से किसान आज खेती करने से महरूम रहता है और दूसरी ओर यह राज्य सरकार बेटरमेन्ट लेवी की बात करती है और इसी प्रकार उस इलाके के अन्दर किसानों की जमीन बेकार हो गई है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह बेटरमेन्ट लेवी किस कानून के तहत आप लेना चाहते हैं। यदि इस प्रकार ये यह ली गई तो किसानों के साथ यह बड़ा अन्याय होगा। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय इस वाटर लॉगिंग के कारण मांगरोल तहसील के इलाके के अधिकांश गांवों के यातायात का रास्ता खराब हो गया है। चाहे जो भी गांव हो उस गांव में यातायात के साधन नहीं हैं और किसान अपने खेतों पर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस समय केनाल अन्ता क्षेत्र से होकर गई थी तो गांव के लोगों ने अन्ता के गांव मोलकी के पास एक ब्रिज बनाने की मांग की थी। उस क्षेत्र के गांवों के किसानों ने यह मांग की थी कि हमारे खेत यहां से एक, दो मील की दूरी पर हैं और हमें अपना माल लाना

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और ले जाना पड़ता है । इस फ्रुट ब्रिज की वजह से चार पांच गांवों के किसानों को चार, पांच मील के बजाय दस, बारह मील का चक्कर काटना पड़ता है और वह रास्ता भी कच्चा है और नहर की सीपेज होने के कारण रास्ता भी ठीक नहीं है । यह गांव वालों की लम्बे अर्से से मांग है और जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान सरकार ने इस ब्रिज को चौड़ा करने के लिये एस्टीमेट बनाया था और इसको 22 अप्रेल की चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग म जो दिल्ली में डा० के० एल० राव की अध्यक्षता में हुई थी और उसके अन्दर मध्य प्रदेश के चीफ इन्जीनियर आये और वहां के मिनिस्टर भी आय होंगे, हमारे राजस्थान के चीफ इन्जीनियर और सिचाई मंत्रीजी गये थ । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ वहां ब्रिज बनाने का ? मेरी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय कि मध्यप्रदेश सरकार न उससे साफ इन्कार कर दिया कि इस प्रकार से ब्रिज को चौड़ा बनान के लिये हम आधा हिस्सा नहीं देंगे । यह सत्य है और राजस्थान सरकार की यह सबसे बड़ी कमजोरी है चाहे वह मध्यप्रदेश की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो वह उससे दबती है. और मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि मध्यप्रदेश सरकार आधा पैसा नहीं देती है तो यह क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वह, ब्रिज को चौड़ा बनावे । इसके कारण किसानों को कितनी तकलीफ है । यह एस्टीमेट 50 हजार रुपयों का है । इसी प्रकार से कोटा का ब्रिज है । उसके लिए भी यदि मध्यप्रदेश सरकार पैसा नहीं देती है तो क्या सरकार इसके लिये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चम्बल प्रोजेक्ट के बनाने के अन्दर जो विभागीय काम करवाया गया है वह मेरी जानकारी में है । करीब 9-10 ठेकेदारों से इसमें काम करवाया गया है । आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान ऐसा प्रान्त है जहां कि इस चम्बल प्रोजेक्ट के अन्दर एक ठेकेदार ने अपना फाइनल बिल बना कर ले लिया और उसके बाद उसी ठेकेदार ने राजस्थान सरकार से 15 लाख का क्लेम कर लिया । यह मेरी जानकारी में है और इस राजस्थान सरकार ने उस फाइनल बिल के बाद उसका करीब 40/45 हजार का पेमेन्ट ले लिया है । वह स्वीस फर्म है और मैं यह पूछना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : आपके कटौती के प्रस्ताव में इसका जिक्र है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : हां सहाब ।

हां जी । यह परियोजना पर चल रहा है । गबन और घोटाले हुए हैं । एक उदाहरण देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सन्तार-सिन्धी फर्म है जो राणा प्रताप सागर बान्ध पर काम कर रही है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं फाइनल बिल बन गया तो फिर आपन किस प्रकार 90 लाख की स्वीकृति दे दी और जिसमें से अभी तक 39-40 लाख का पेमेन्ट कर दिया । इस फर्म ने सन् 1966-67 में काम किया । हमारी केन्द्रीय सरकार ने अवमूल्यन किया और अवमूल्यन के अन्तर्गत इस फर्म ने 66-67 म करी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लाख रुपये का क्लेम किया और वह पेमेन्ट इस राजस्थान की सरकार ने किया। हमारा यह एग्रीमेन्ट था कि वह फर्म प्रति वर्ष करीब-करीब 20-25 लाख डालर और अपने देश का रुपया स्विटजरलेन्ड को भेज सकेगी। उसने 1966-67 में एक पैसा भी नहीं भेजा जबकि हमारा एग्रीमेन्ट था प्रति वर्ष भेजने का क्या इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं है ? क्यों नहीं आपने उस फर्म से जवाब तलब किया। 66-67 में रुपये का अवमूल्यन हो गया। उसने इसकी अवहेलना की है इसलिए उस कम्पनसेसन को पूरा करने के लिये क्लेम बनाया और राजस्थान की सरकार ने भुगतान किया। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी आपने किस कानून के तहत यह पेमेन्ट किया। उपाध्यक्ष महोदय आज तक इस ठेकेदारी प्रथा के अन्दर यदि कोई ठेकेदार काम देर से करता है तो राज्य सरकार को कहने का अधिकार है, लेकिन यह उल्टा मामला हुआ है। काम साल भर देरी से किया और देरी से किये गये काम पर सरकार ने 30 लाख के क्लेम का भुगतान किया। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं आपने किस कानून के तहत इस फर्म को पेमेन्ट कर दिया। काम देरी से खतम हुआ और उस इंजीनीयर ने यह चाल लगा दी कि हमको किसी ने मदद नहीं दी इसलिए देरी से हुआ है। काम देरी से समाप्त होने पर पेनेल्टी लगनी चाहिए लेकिन इस सरकार ने 30-35 लाख रुपये का पेमेन्ट कर दिया। इतना ही नहीं इस सदन को सुनकर ताज्जब होगा हमारा कोई एग्रीमेन्ट नहीं था जी० सी० आई० सीट्स देने का। डेरे तम्बू लगाकर नाली दार चद्दर की मांग की। इस ठेकेदार ने कहा नालीदार चद्दर नहीं है सीमेन्ट की दे सकते हैं। जब फर्म से इस प्रकार का सरकार से एग्रीमेन्ट हो गया फिर भी इस सरकार ने करीब 20-25 हजार रुपये की चद्दरें दिलाई। जब खतम हो गया काम और जब इसके कन्ट्रोल रेट से देनें की बात आई तो कहा गया अब बाजार भाव के बीच अन्तर है और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय जो सीट्स टूट गई उसका क्लेम भी कर दिया और इस ठेकेदार ने करीब 15 हजार रुपया सरकार से वसूल किया। हमारा इस फर्म के साथ क्या ऐग्रीमेन्ट था कि बान्ध बनाने के लिए जो भी आयातित मशीन होगी और केन्द्र की सरकार और राज्य सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी और सैल्स टैक्स बनेगा उसका यह विभाग कम्पनसेशन देगा। यह ऐग्रीमेन्ट उस फर्म के साथ था लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं जब मशीन के अलावा इन कर्मचारियों ने अपने निजी घरेलू सामान का भी डनलप की कुर्सियां, फर्नीचर दवाइयां आदि को भी इस क्लेम के अन्दर शामिल कर दिया इनके अन्दर जो सेल्स टैक्स लगा और एक्साइज ड्यूटी लगी उसका कम्पनसेसन दिया मैं मा० मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उसका कम्पनसेसन किस कानून के तहत किया। लेकिन मा० उपाध्यक्ष महोदय इस फर्म के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने नाजायज फायदा उठाया। इसमें मैं नहीं समझता केन्द्र की सरकार के सिचाई मंत्री श्री के० एल० राव का भी हाथ हो....

श्री उपाध्यक्ष : आॅडर प्लीज। उनके सम्बन्ध म यहां कुछ नहीं कहेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जहां इस प्रकार उक्त फर्म को. . . .

श्री उपाध्यक्ष : मा० सदस्य । आप उनके बारे में यहां चर्चा नहीं करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया :. . .तो उपाध्यक्ष महोदय जो इस फर्म को पैमेन्ट किया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात में कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक कम्पनी से लोहे की प्लेट्स वगैरह बनान का एग्रीमेंट किया था । उसने टाइम निकलने के बाद भी प्लेट्स नहीं बनाई । उस एग्रीमेंट में यह कहीं नहीं था कि लोहे का सामान सरकार देगी-हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था लेकिन इस कम्पनी ने यह कह कर कि प्लेट्स नहीं है. . . .

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो मिनट में बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में कोई एतराज नहीं है लेकिन एक के बाद एक लिये जांय तो उचित नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को समाप्त करके बैठता हूं । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार लाचारी प्रकट करके सरकार को मना लिया और सरकार ने उसे इम्पोर्ट लाइसेन्स दे दिया और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय साल दो साल जब प्लेट्स नहीं आई तो उसके बाद इस कम्पनी ने यह क्लेम किया क्योंकि यह सामान दो साल बाद आया है, मजदूरी ज्यादा बढ़ गई रा मेटेरियल की कीमत ज्यादा बढ़ गई इस आधार पर क्लेम खड़ा करके उसने करीब 7 लाख का बिल और वसूल कर लिया । मैं मा० मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जब हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था । रा मेटेरियल हम देंगे उसके अन्दर कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं था इम्पोर्ट लाइसेन्स देकर राज्य के कोष को घाटा पहुंचाया और अगर योजना को सफल बनाने के लिये दे भी दिया तो आपने किस कानून के तहत दे दिया । अन्त में चम्बल मण्डी कमेटी जो राज्य सरकार ने समाप्त की है आज तक उस इलाके में नहर का पानी नहीं जाता है । मैं मा० मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । उसको आप चम्बल कमान्ड एरिया से क्यों नहीं निकालते हैं । उसके ऊपर सरचार्ज बढ़ाते हैं । चम्बल मण्डी कमेटी समाप्त हो गई किन्तु आज भी अन्ता क्षत्र, बारां क्षेत्र में जो जमीनें हैं और जो खासकर इस क्षेत्र में आती हैं मैं मा० मंत्री से जानना चाहूंगा जिस क्षेत्र से नहर जाती है उस क्षेत्र में भी आप इर्रीगेशन के लिये पानी नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं चम्बल कमान्ड ऐरिया रखने से क्या फायदा है और इस सरकार पर किसी प्रकार का विश्वास करके नहीं चला जा सकता है । मैं आशा करता हूं सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीनिवास शारदा ।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : मा० उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद इसके कि समय का अभाव है । फिर भी मैं मेरे कट मोशन के संदर्भ में कुछ सुझाव एवं अभावों की ओर मा० सिंचाई मंत्री जी

(श्री श्रीनिवास शारदा)

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5-7 वर्षों में राजस्थान में सिंचाई सुविधायें काफी बढ़ीं और उपलब्ध की गई तथापि एक बात की ओर मैं अपने विचार व्यक्त किये चाहता हूं वह यह है कि सिंचाई सुविधायें बढ़ीं लेकिन सिंचाई के साधन जुटाने में जो दुविधायें उपलब्ध हुई उनके निराकरण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा एक खास बात यह है कि कुछ योजनायें हमारी सफल रही हैं और कुछ योजनायें विफल रही हैं। एक उदाहरण के रूप में यह निवेदन किये चाहता हूं कि सन् 56-57 में अलवर्ट, सरेली, मेजा और गंभीरी इन चार बान्धों का कार्य एक साथ प्रारम्भ किया गया। इन चारों योजनाओं में जहां तक मेरी मान्यता है या मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं यह व्यक्त किये चाहता हूं अलबर्ट की योजना विफल रही, सरेड़ी की योजना विफल रही। केवल दो ऐसी योजनायें हैं जिनके बारें में कह सकते ह कि कुछ लक्ष्य हमने इन दो योजनाओं में मेजा बान्ध जो चित्तौड़ में है और गंभीरी जो भीलवाड़ा जिलें में है- इनके द्वारा कुछ लक्ष्य उपलब्ध किय हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और विचारणीय है कि इन प्रस्तावित योजनाओं के लिये जितनी धनराशि प्रस्तावित थी, आया उससे अधिक तो हमें नहीं पे करनी पड़ी और यदि अधिक व्यय करना पड़ा तो उसके कारणों में जाना होगा, अन्यथा मैं ऐसा मानकर चलता हूं जो मुनाफे का परसन्टेज प्रस्तावित है या निर्धारित है उससे हम पीछे हटते हैं और उसका परिणाम आगे और पीछे जाकर, कुल मिलाकर यह होगा कि हमें सिंचाई को या तो दरें बढ़ानी पड़ेगी या कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी या योजनायें घाटे की रहेगी। मसलन गम्भीरी का एक बान्ध है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया चाहता हूं। जिस साल हमारी योजना बनी तो इस बान्ध की कुल लागत 42 लाख कूंती थी जिसके अगेन्स्ट 29 हजार एकड़ जमीन सिंचाई के योग्य प्रदर्शित की गई। 15 वर्ष बीत जाने के बाद आज मैं समझता हूं कि इस बांध पर एक करोड़ से ज्यादा रकम चार्ज हो रही है और 10 हजार एकड़ को हम सिंचित कर पाये हैं, अर्थात आज उन इंजीनियर्स को या आज उस इंजीनियर को दाद दें कि आखिर क्या योजना बनी, और क्या उसका परिणाम हुआ और क्या मुनाफा इससे होना चाहिये था और क्यों उतना मुनाफा नहीं हुआ? इसके अलावा यदि उस बान्ध पर 1 करोड़ रुपया आज की तारीख में चार्ज होता है तो आज भी मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उस बान्ध के पानी का पूरा उपयोग तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि 40 लाख रुपया इसमें और व्यय न किया जाय। रबी की फसल में इस बान्ध से अभी भी 3-4 पानी से ज्यादा वाटरिंग नहीं होता है जब आज के दिन कल्याण सोना और हाइब्रिड के जो सीड्स हैं उनका कल्टीवेशन किया जाय तो निश्चित ही 7-8 और कहीं पर 10 वाटरिंग की आवश्यकता होती हैं। किसान से वाटरिंग चार्जेज पूरे लिये जाते है और वाटरिंग कम किया जाता है। उसका परिणाम कुल मिलाकर यह होता है कि फसल पूरे एक रुपया और सतरह आना बैठनी चाहिए

(श्री श्रीनिवास शारदा)

उसके बजाय किसान की फसल 10 आना बैठती है तो नेशन को भी नुकसान और जो क्षमता बान्ध की है उसका उपयोग नहीं और उस बान्ध से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाता है। आज जितनी भी नहरें बनी है तो बान्ध का आधे से ज्यादा पानी उन नहरों में लीकेज होता है वेसटेज होता है और सिपेज के जरिये से जाता है, और नहरें सारी की सारी कच्ची हैं। उसका परिणाम यह होता है कि किसानों के खेत खराब होते हैं, और जिनकी जमीनें नहर के आस-पड़ोस में आती है, और एसी फसलें जिनमें पानी की आवश्यकता नहीं होती उन खेतों में पानी भरा रहता है जब कि नहरें चलती हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि खेतों के अन्दर नुकसान होता है तो बजाय इसके कि पैदावार बढ़ें और नहरों के जरिये फायदा पहुंचे तो कहीं कहीं नुकसान का आभास होता है, और उस नुकसान का अगर हिसाब लगाया जाय तो वह हजारों और लाखों की तादाद पर जा बैठता है।

तो मैं संकेत यह किया चाहता था कि आखिर आपकी योजनाओं में क्या ऐसे लेकुनाज हैं कि जिनके आधार पर सही, सीधी और सच्ची योजनाएं नहीं बन पातीं और प्रस्तावित धनराशि में उसका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। आखिर इस स्थिति की ओर भी हमको देखना पड़ेगा।

इसके अलावा कई जगहों पर पानी के बढ़ जाने की वजह से लोगों के आवागमन के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं उनके लिए सड़कें बनानी होती है। वह सड़क उस बान्ध के इस पार से उस पार लोगों को जाने के लिए उपलब्ध नहीं होते है और कई जगहों पर पुलियाएं और कलवर्ट्स वगैरह की आवश्कता है, कैनाल सारी खराब है तो आज के दिन यह स्थिति है कि चाहे इस ओर सुविधाएं मुहैया की हैं, लेकिन हम अपने संतोष के लिए तो कह सकते हैं कि सुविधाएं मुहैया की हैं, लेकिन लोगों को सन्तोष नहीं है, क्योंकि दुविधाएं उनके सामने नई उत्पन्न हो गई हैं और उन दुविधाओं का निराकरण थोड़ा बहुत आवश्यक है।

एक ऊंचे का तालाब नीम्बाहेड़ा तहसील में है। मेरा अर्ज करना यह है कि इसका सारा पानी वैसे ही चला जाता है। इसको पक्का बनाने की बात पिछले दो वर्षों से चल रही है। मेरे ख्याल से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सारे तलाव का पानी वैसे ही चला जा रहा है और लोग लाभान्वित नहीं होते हैं। रबी में एक दो पानी वह दे दें तो गनीमत है, अन्यथा सारी फसल को पानी देने की क्षमता उसकी आज तक नहीं बन पाई है।

एक पंडेरिया तालाब की योजना आज से 4-5 वर्ष पहले से चल रही है, और इस योजना के अन्दर जहां तक मेरा अनुभव है, और पास-पड़ोस के लोगों का कहना है कि किसी आदमी की कोई जमीन उसके सबमरजेन्स में नहीं आती है, और काफी अदिवासी क्षेत्र के लोगों को इस बांध के निर्माण से राहत मिलेगी। वह योजना घाटे में है। सुना है इस साल एक लाख का प्रावधान किया गया है, लेकिन 1 लाख रुपये का प्रावधान मैं समझता हूं नगण्य सा है। एक लाख रुपये से क्या हो पायगा? मैं समझता हूं खड्डे भी नहीं खुद पायेंगे।

इसी तरह से गडवारा बांध की योजना है। उस योजना पर कई वर्षों से विचार

(श्री श्रीनिवास शारदा)

चलता आ रहा है, लेकिन उसको मूर्तरूप अभी तक नहीं दिया गया है।

इसी तरह से बाजरी, बाड़ी और प्रतापगढ़ के बरडिया बांध के लिए पिछले साल 3 लाख का प्रावधान किया गया था लेकिन वह पैसा विभाग के लोगों ने सरेन्डर ही किया होगा। उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। पहले बरडिया का कुछ काम हुआ था। उसके बाद में वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है बांध। कुल मिलाकर 10-12 लाख की स्कीम थी और हजारों बीघा जमीन उससे ईरिगेट करने की सुना है।

एक हमारे उस इलाके में पारसोली का तालाब है बड़ी सादड़ी के इलाके में। उसकी एक समस्या है। उस बांध में आज से 10 साल पहले कुछ कृषकों की जमीन डूब में आई थी। ज्यादा जमीन जागीरदार, बड़ी सादड़ी की थी जो कि कुछ वर्ष पूर्व डूब में आ गई थी। किसान जागीरदार के साथ लगे रहे और उन्होंने उनको मुआवजा नहीं लेने दिया इसकी पृष्ठ भूमि यह थी कि किसान अगर मुआवजा ले लेते तो एक केस बन जाता और जागीरदार जो कि ज्यादा मुआवजा लेना चाहता था इसलिए यह उन कृषकों को अपने साथ लगाये रहा। उसके बाद में शायद कृषक काफी थक गये हों या एसेसमेंट के बारे में जमीन किस किस्म की है वह रिपोर्ट आ गई और उसके अनुसार मुआवजा दिया जायगा तो पिछले 5-7 वर्षों में इन 30-32 आदिवासी गरीब लोगों ने जिन लोगों की जमीन उस बांध में आई है इन्होंने जल्दी की कि हमें मुआवजा दे दिया जाय। तो कलेक्टर ने एस० डी० ओ० को मुकर्रर किया, और एस० डी० ओ० ने इतनी बड़ी महरबानी की एक पत्थर से उसने दो चिड़िएं मारने की कोशिश की कि इन लोगों को इस कदर से कम्पेन्सेट कर दिया कि जागीरदार को ह्यूज मुआवजे की रकम मिल जाये और एक लम्बी-चौड़ी रकम उसकी हो जाय। नतीजा यह हुआ कि डिपार्टमेंट के लोगों ने अपील कर दी क्यों कि वे वेशी मुआवजा जमीन का नहीं देना चाहते थे। तो प्रश्न यह है कि जब ये लोग पहले नेगोसियेशन्स से वाजिब मुआवजा लेना चाहते थे तो आखिर जिस गरीब आदमी को जमीन के बदले में जमीन न दें तो जमीन का ठीक मुआवजा लेने का विचार किया नेगोसियेशन्स के जरिये तो मुआवजा लेने नहीं दिया, फिर लिटीगेशन में डालने की कोशिस करें कि जिससे करीब 30-32 गरीब आदमियों को अपने मुकद्दमें की पैरवी करनी पड़ेगी तो मैं समझता हूं कि वे इतना ही मुआवजा लेकर जायेंगे कि जितनी उनके वकील को अपने मुकद्दमें की पैरवी के लिए फीस देना होगी। आखिर मानवीय दृष्टिकोण से भी ऐसी समस्याओं का समाधान यथासमय करना बड़ा आवश्यक होता है।

तो केवल इन्हीं बातों के लिए निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त किया चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक नहीं कहना है। जो माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा सिंचाई के सम्बन्ध में कि किस प्रकार का भेदभाव है। पहला तो यह कि 186 में से 117 लघु सिंचाई की योजनाएं उदयपुर डिवीजन में हैं। दूसरे 69 बाकी रहीं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री दिग्विजयसिंह)

बड़ी विचित्र बात तो यह है कि हर मामले के अन्दर उदयपुर डिवीजन को विशषता दी जाती है। अकाल पड़ता है तो, पिछड़ा-पन होता है तो उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा उसमें जरूर होता है।

श्री देवीलाल : वहां आपन देखा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बाधा नहीं पहुंचायें।

श्री दिग्विजयसिंह : जो माननीय सदस्य हैं, वह जानते हैं।

श्री नत्थीलाल : हजारों आदमी ऐसे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कहने दीजिये।

श्री देवीलाल : गला काटने की कोशिश करते ह।

श्री दिग्विजयसिंह : आपको मेरे गले की जरुरत हो तो मैं अपना गला दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ था उस सम्बन्ध म मैंने निवेदन किया था। उसमें यह कहा गया था कि जहां जल प्रदाय योजना सम्बन्धित नहीं है। पिछड़े इलाके और अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति वाले इलाकों से कुछ नहीं लेगें। अनुसूचित जाति और जनजाति होने के कारण रियायत कर दी है। तो म उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह निर्धारण करते हैं तो उसका कोई आधार होना चाहिए। उसी आधार से सवाई–माधोपुर, कोटा, टोंक ये शिडयूल्ड कास्ट कान्सटीटुयेन्सी है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से देते हैं। तो जब आप उदयपुर एरिया को देते हैं तो आप इस एरिया को क्यों भूल जाते हैं इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं हमारे एरिया के इलाके भी बहुत पिछड़े हुये हैं। और सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही महत्व-पूर्ण हैं। मैं अपने टोंक जिले का निवेदन करूं कि हमारे यहां छोटे छोट नाले ह। जिनको माइनर योजना में ले लें तो बहुत उपयुक्त हो सकता है। जितना छोटी छोटी योजनाओं में ले सकते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा है। बड़े प्रोजेक्ट लेकर चलते है तो वह 4 साल में जाकर पूरे होते हैं। माइनर इरीगेशन वर्क पर ध्यान दें। और अधिक से अधिक सर्वे कराकर ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपन जिले के बारे में निवेदन करूंगा कि हमारे जो एक्स० ई० एन० हैं वह अजमेर डिवीजन के हैं। जो आप की यूनिट बनी हुई है। सवाई माधोपुर और टोंक के लिए एक एक्स ई० एन०कायम कर दें तो दोनों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। क्यों कि कई मामलों में सवाई माधोपुर और टोंक का आपस में सम्बन्ध काफी रहता है। तो एक कर दें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उपयोगी भी रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो और कटौती प्रस्ताव हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बीसलपुर बनास प्रोजेक्ट है। वह 2/4 में प्रोजेक्ट होता है। यदि राज्य सरकार नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया से फण्ड मांगती है या ले लेती है तो उससे 3 डिस्ट्रिक्ट कवर हाते हैं। यह जो ड्रिंकिग वाटर प्राब्लम है, यह भी पूरी होती है। आप इसको इरीगेशन प्रोजेक्ट में शामिल कर लें। इसको

(श्री दिग्विजयसिंह)

इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवायें। इसके लिए आप पैसा उपलब्ध करके आप प्रोजेक्ट को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामकिशन : एक्स० ई० एन० का दफ्तर उनियारा में ही होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग पर लगभग 50 माननीय सदस्य बोले। लगभग 252 कटमोशन विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किये हैं 10 माननीय सदस्यों ने राजस्थान में कृषि भूमि को सिंचाई के लिये पानी मिले, ठीक तरह से मिले, अधिक अधिक से उत्पादन हो, इसके विषय में चिन्तित हैं। कई माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं कि कितनी भूमि है कितनी भूमि पर सिंचाई होती है, कितना खर्च होता है, और किस तरह से बाकी बची हुई भूमि को पानी मिल सकता है। चाहे वह पानी अण्डर ग्राउण्ड वाटर रिसोर्सेज से हो। कितनी जमीन सिंचित हो सकती है। क्योंकि राजस्थान का सारा जनजीवन पानी और कृषि उत्पादन पर निर्भर है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह बात कही कि कम से कम राजस्थान में यह तो मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे पास सरफेस पर कितना पानी है और नीचे कितना पानी है। कैसे हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं ? बाकी के लिए क्या योजनाएं है। इससे पहले कि मैं दूसरे विषय में जाऊं मैं इसके बारे में यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, कुछ समय पहले हमने सदन में कहा था कि हमने एक मास्टर प्लान सिंचाई विभाग के लिए तैयार किया है। उससे यह भी पता चलेगा कि राजस्थान में वाटर पोटेन्शियल कितना है। ताकि मास्टर प्लान के मुताबिक आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर काम हाथ में ले सकें। जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में अभी वाटर पोटेन्शियल कितना है, जिसका कि हमने समावेश कर लिया है। जो कि जमीन पर उपलब्ध पानी है वह 268.4 टी० एम० सी० एफ० टी० पानी है। और जहां कि अभी 21 लाख, 22 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है, इसमें जो चम्बल का पानी है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर पर पानी बांधा गया है वह शामिल नहीं है, क्यों कि वह पानी ऊपर से आता है। इसी तरह से राजस्थान में इस समय 2,733 प्राजेक्ट्स के जरिये 268.4 थाउजेण्ड मिलियन क्यूबिक फीट पानी रोक लिया गया है, 195 योजनायें ऐसी हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, अथवा जिन पर कार्य चालू है। इससे 65.5 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी का इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे साढ़े पांच लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। 297 योजनायें हैं जो मोटे तौर पर नक्शे में मार्क की गई हैं, उनका सर्वेक्षण बाकी है, उनसे 25.9 थाउजेण्ड मिलियन क्यूबिक फीट पानी का इस्तेमाल हो सकेगा, और दो लाख से ऊपर भूमि सिंचित हो सकेगी। इस तरह से 360 थाउजेण्ड मिलियन क्यूबिक फीट पानी का इस्तेमाल करने के लिए योजनायें पूरी हो चुकी हैं या

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बनाई जाने को है, इनका पानी इस्तेमाल होने से 30 लाख एकड़ भूमि पर पिलाई हो सकेगी। बहुत सा बाहर से पानी आने वाला है, चाहे गंग केनाल हो, चाहे भाखरा का हो चाहे राजस्थान केनाल का हो, चाहे चम्बल का हो, चाहे गुड़गांव का हो वह इसमें शामिल नहीं है। इससे 360 टी० एम०, सी० एफ० टी० पानी और 30 लाख एकड़ जमीन की पिलाई का प्लान हारनेस हो सकता है। जो टोटल वाटर पोटेंशियल राजस्थान का बनने वाला है, वह 648 टी०एम०, सी० एफ० टी० है। इस 648 टी०एम०सी० एफ० टी० में से 360 टी० एम०, सी० एफ० टी० का इस्तेमाल किया जा सका है, 288 टी०एम० सी० एफ० टी० पानी ऐसा है जो कन्वेन्शनल मैथड से, फ्लो ईरिगेशन, नहरों के जरिये सिचाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका है, क्योंकि साइट्स नहीं हैं, डिफीकल्ट साइट्स हैं या जमीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वेरियस स्कीम है लिफ्ट ईरिगेशन स्कीम से पानी उपलब्ध कराने के लिए योजनायें बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार टोटल वाटर पोटेंशियल 648 टी० एम.सी, एफ. टी. है। यह पानी सरफेस का है। इसी तरह से पानी का अन्डर ग्राउन्टर वाटर पोटेंशियल है, उसकी भी जानकारी मैं सदन में देना चाहता हूं। अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल राजस्थान में 388 टी० एम०सी०है, इस 388टी० एम० सी० में से 120 टी. एम. सी. पानी यूटिलाइज हो चुका है, कुओं के जरिये, ट्यूब वैल्स के जरिये और388टी. एम. सी. में 120 टी. एम. सी. जाने के बाद जो पानी बचता है, अन्डर ग्राउन्ड वाटर, उसके लिए कहा जाता है, यह वाटर पोटेंशियल अभी है जमीन के अन्दर, इसको आगे चल कर काम में लिया जा सकता है। तो यह अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल और सरफेस वाटर पोटेंशियल की स्थिति राजस्थान की यह है। अब वाटर पोटेंशियल से कितना फायदा हो सकता है, यदि हम जो सारा वाटर पोटेंशियल है, और जो हमारे कन्वेन्शल मैथड हैं उनसे 360 से पिलाई कर सकें और 288 की अनकन्वेशनल मैथड से सारा का सारा इस्तेमाल कर सकें तो बीस लाख एकड़ सिचाई हो सकती है। इस प्रकार पचास लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की पिलाई नहीं हो सकती। अन्डर ग्राउन्ड वाटर इस्तेमाल किया हुआ है उससे तीस लाख एकड़ की पिलाई होती है, बाकी बचा हुआ है उससे पचास साठ लाख की और हो सकती है, तो दोनों को मिला कर सवा करोड़, डेढ़ करोड़ की सिचाई अन्डर ग्राउन्ड वाटर और सरफेस वाटर से हो सकती है, जब कि सारे का सारा पानी, अन्डर ग्राउन्ड का और सरफेस का इस्तेमाल कर लिया जाय। इससे जाहिर होगा, जो 8 करोड़ 11 लाख का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से साढे छः करोड़ भूमि कल्चरेबल भूमि है, पौने चार करोड़ जमीन पर खेती होती है आज। तो इस तरीके से नदी, नाले और नहरें है, उनसे और जो पानी बाहर से आता है उससे, कुओं से, कुल मिलाकर राजस्थान में 16 परसन्ट तक की सिचाई के साधन दे पाये हैं, कुओं और नहरों, और बाहर का पानी मिला कर, जब कि हिन्दुस्तान का एवरेज 27 पर्सेन्ट है, वैसे हिन्दुस्तान के और इलाकों में हमसे प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जमीन कल्चरेबल है, वह 14.2 है, और पानी का 1.32 हमारे पास रेनफाल है इस तरह से पानी की कमी, कम बरसात का होना, और जमीन का ज्यादा होना, और सरफेस वाटर का कम होना, अन्डर ग्राउन्ड वाटर का कम होना, यह सब प्रमाणित करता है, राजस्थान अपने पानी से चाहे कि राजस्थान के अन्दर जो कृषि की समस्या है, सिचाई की सविधा देने की समस्या है वह हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान ने कई योजनाओं में हिस्सेदार बन कर इस समस्या को भी हल करना चाहा है। उसके विषय में विस्तृत विवरण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन गंग केनाल पहले से बनी हुई है. भाखरा की आपके देखते देखते आजादी के बाद योजना बनी है, राजस्थान केनाल बनन जा रही है। यहां राजस्थान केनाल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राजस्थान केनाल जिसको देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट मानते हैं कि डिफेन्स की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है, यह भी मानते हैं कि अनाज की कमी को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक धन मिले, इसको नेशनल प्रोजेक्ट माना जाए. बियोण्ड प्लान सीलिंग अधिक से अधिक रुपये मिले, इस बात की कोशिश करते रहे थे। वह कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई, लेकिन पहली बार मध्यावधि चुनाव के बाद जो नई सरकार बनी, उसने अपनी पहली मीटिंग में पहला निर्णय लिया राजस्थान केनाल प्राजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पार्टेन्स के रूप में रिकग्नाइज किया गया और इस प्रोजेक्ट को नेशनल इम्पार्टेन्स का रिकग्नाइज करने की वजह से कुछ सहूलियत पैदा हुई है। सहूलियत पैदा होने का प्रामण यह है कि उस डिवीजन में तीन करोड़ रुपया इस साल एडीशनल ग्रान्ट बियॉण्ड प्लान सीलिंग राजस्थान केनाल के काम की गति को बढ़ाने के लिए उस प्रस्ताव से मंजूर किया है। नेशनल इम्पार्टेन्स का प्रोजेक्ट मानने के साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह भी माना है, कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय, और सेकिण्ड स्टेज जो अब तक रुकी हुई थी, उस सेकिण्ड स्टेज को जल्दी शुरू किया जाय। इस बात की स्वीकृति प्रदान की, यह ही भी कहा, यह फर्स्ट स्टज 122 मील तक है, जिसकी लागत 120 करोड़ के लगभग है, यह फोर्थ फाइव ईअर प्लान के एण्ड में यह फर्स्ट स्टज हर तरह से मुकम्मिल हो जानी चाहिए, और सैकिन्ड स्टेज पर काफी काम हो जाना चाहिए, इस तरह से चालीस करोड़ रुपया जो राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए फोर्थ फाइव ईयर प्लान में रखा था ओवर एण्ड अबाउ इस फर्स्ट स्टेज को कम्प्लीट करने के लिए, उसके साथ साथ लगभग सात-आठ करोड़ का काम सैकिन्ड स्टेज का हो जाय। तो मेरा निवेदन है कि चालीस करोड़ के बजाय 57 करोड़ रुपया हमको फोर्थ फाइव यिअर प्लान में राजस्थान केनाल पर मिलेंगे, जिससे प्रोजक्ट की पहली स्टेज को फोर्थ फाइव यिअर प्लान में मुकम्मिल कर देंगे, और साथ ही सैकिण्ड स्टेज के लिए प्रेलिमिनिरी वर्क काफी सीमा तक कर देंगे, जिससे आग गति पकड़ ले और सैकिण्ड स्टेज का काम समाप्त जल्दी हो सके क्योंकि माननीय सदस्य जानते ह 1973-74 में पोंग डेम का निर्माण कार्य समाप्त हो जायगा, और समाप्त होने की वजह से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर होता है, पानी हमको और आवश्यकतानुसार मिलता है, तो अगर हमरी नहर जल्दी नहीं बनती है पहले, इसका विकास नहीं होता है तो बांध के पानी का इस्तेमाल करने में बाधायें उपस्थित हो सकती हैं। इस दृष्टि से इस काम में जितनी जल्दी ला सकें और जितनी जल्दी लाने का प्रयत्न कर सकते हैं उसको हम कर रहे हैं।

यह इस राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में निवेदन किया। यहां पर कई सवाल राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न तरीके से उठाये। यह भी कहा, राजस्थान केनाल में कैसे पानी इस्तेमाल होगा, पोंग डेम नहीं बांधा है, रावी पर बनने वाला बांध नहीं बना है, उससे अब जितना पानी आयेगा, उसका कैसे इस्तेमाल होगा। कोई लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए कहते हैं, छोटी छोटी योजनायें, जो लिफ्ट से उठा कर पानी काम में लाया जा सकता है और जमीन को पानी दिया जा सकता है—उसके लिए कहते हैं, कुछ अनकमाण्ड जमीन को कमाण्ड बनाने के लिए कहते हैं, कुछ माननीय सदस्यों ने भाखरा के अधिक पानी, गंग केनाल के अधिक पानी के लिए कहा, कुछ माननीय सदस्यों ने कई माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूट्रीज को बढाने के लिए अथवा उनका साईज बढ़ाने के लिए कहा। इस तरह से कई प्रकार, के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आये। मैं सबके विस्तृत विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात अवश्य है, जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तस्वीर बन जानी चाहिए कि गंग केनाल को किस हद तक विस्तार करना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, सिचाई की सुविधा देना चाहते हैं, भाखरा से किस प्रकार देना चाहते हैं, इन सब बातों पर विचार करते समय मेरे विभाग में एक विचार यह भी आता है कि प्रोजेक्ट के जरिये और कई बार बयान दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि यह नहर जैसलमेर तक जायगी, रामगढ़ तक जायगी, कई जगह पीने का पानी नहीं है वह भी सुविधा होगी, बीकानेर के इलाके में भी जाएगी, लूणकरनसर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जिसको हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं ताकि सदियों से खारा और कड़वा पानी की उनको तकलीफ रही है वह दूर हो सके। इसलिए इन सब बातों को सोचते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और जब यह ध्यान रखते हैं तो हम आपनी सीमा से इतना बाहर नहीं जा सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारी कमिटमेंट्स जसलमेर और बीकानेर में की हुई हैं, किसी हद तक पूरी नहीं कर सकते। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारी इच्छा है कि इस पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, भाखरा से पानी मिल जाने की वजह से कई योजनायें बनी और पानी खराब न जाये तो इसमें जो पानी हमें मिलने वाला है 15 मिलियन एकड़ फीट उसमें से 8 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान का हिस्सा है। पोंग डेम में हमारा 52.6 प्रतिशत हिस्सा था जो दूसरे यूनिट नं० 2 व्यास में बिजली में हिस्सा था, पानी में नहीं था, लेकिन अब उसमें भी 15 प्रतिशत हमारा हिस्सा मान लिया गया है। तो इस तरह से 15 प्रतिशत हिस्सा उसमें जो 1973, 1974 या 1975 में बांध बन जाते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो भाखरा से पानी मिल जाने की वजह से भाखरा सिस्टम को और ज्यादा ठीक तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं, और जो कई माननीय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सदस्य कहते हैं और एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि भाखरा और गंग केनाल की इन्टेन्सिटी बराबर कर दी जाए। इसमें अधिक शिकायत है पानी की। उसका एक उपाय यह है कि 15 प्रतिशत व्यास नं.2 से हिस्सा आएगा। 0.5 भाखरा से दे देते हैं तो भाखरा सिस्टम में जो अभी कमी है न केवल उसकी पूर्ति होगी वल्कि इन्टेन्सिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नोहर से व भादरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और खासतौर से भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अमरसिंह और जैसारन ब्रांच में 62 के बजाय 43 प्रतिशत इन्टेंसिटी कर दें तो जितनी प्रोजक्टर में इन्टेंसिटी देते हैं कहीं 32 और 34 है, मैं मानता हूं ये दोनों सिस्टम्स टेल्स पर होने की वजह से पानी देर से पहुंचता है। कभी हरियाणा से झगड़ा होता है तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, यहां पर सवाल उठता था कि कैसे कमी की जाय। एक्सपर्ट्स से ओपीनियन लेकर हमने सोचा हरियाणा सरकार से बात की जाए और यदि हम उनका फतेहाबाद से दोनों सिस्टम्स के लिए पानी दे दें और हम उनसे दूसरी जगह उतना ही पानी ले लें तो इस तरह से सिस्टम्स जिनकी इन्टेंसिटी कम है, वह भी पूर्ति की जा सके और साथ ही साथ असंतोष को दूर किया जा सके। इस बात को हाल ही में किसाऊ डेम की मीटिंग थी, मैं देहरादून गया था, वहां के मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उनकी राय थी कि जल्दी ही दोनों तरफ से इस बारे म योजना करके जोइंट कॉन्फरेंस करके जल्दी ही निर्णय ले लिया जाए ताकि दोनों पक्षों को अपनी अपनी आवश्यकता पूर्ति में उचित मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए हम चल रहे हैं और स्कीम बनाकर मीटिंग करके उस पर निर्णय लिया जा सके तो भाखरा की इन्टेंसिटी भी बढ़े और कमी की पूर्ति हो और पानी का इस्तेमाल बाद में हो सके, इस दृष्टि से भाखरा के बारे में सोचना है।

गंग कनाल के बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 50 हजार या कितने हजार एकड़ गंग केनाल और भाखरा में जो पहले कमांडेड लैंड थी बाद में अनकमांडेड हो गई इसलिए उसको कमांड में ले लिया जाए, समेजा को पेरीनियल बनाया जाए, लालगढ़ को पेरीनियल बनाया जाय और कुछ जगह सतलज के रीजनरेशन के झगड़े को तय किया जाय, वाटर लासेज को वे कितना मानते हैं और हम कितना मानते हैं। सड़कों की वजह से पानी कम मिलता है, इत्यादि बातें कहीं। वास्तव में ये सुझाव ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पेरीनियल बनाने के बारे में कह सकता हूं कि अभी पानी की कमी है। पानी की कमी की बात करता हूं तब रबी की करता हूं क्योंकि खरीफ के लिए वर्षा का पानी काफी आता है। उस समय जो भी सिस्टम जितना भी पानी चाहे दिया जा सकता है लेकिन रबी के अंदर उतना पानी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए इनको अभी पेरीनियल कर देना और साथ साथ अनकमांडेड को कमांड कर देना न्यायोचित नहीं होगा और हम संतोष देने के बजाय असंतोष पैदा कर देंगे—जब तक हमारे पास में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा पौंग डैम के निर्माण के बाद पेरीनियल बनाया जा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सकता है, अन्कमांडेड एरियाज कमांड में ली जा सकती हैं और हम स्वयं भी गंग कैनाल सिस्टम को अच्छा बनाने की दृष्टि से नान-पेरीनियल में परिवर्तित करने की दृष्टि से कुछ एरिया राजस्थान कैनाल में मिलाना, कुछ एरियाज को और पानी गंग कैनाल से देकर सिस्टम को ठीक इन्टेंसिटी से चला सकें, उस तरह से करना हम चाहते हैं। इस कारण हमने सोचा है कि पाइंट 4 से पाइंट 5 मिलियन एकड़ फीट रावी और ब्यास से गंग कैनाल सिस्टम को दें, कुछ एरियाज राजस्थान कैनाल को दें, कुछ गंग कैनाल का काम सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इसके लिए यही कहा जा सकता है कि पोंग डेम का निर्माण समाप्त हो जाए तो सारी योजनायें सफलतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से चल सकती हैं। इसलिए उस समय तक हमें इंतजार करना होगा।

रीजनरेशन पाइंट पर जो हमारा और पंजाब का झगड़ा है 200 क्यूसेक्स का, भारत सरकार ने 40 क्यूसेक्स का अवार्ड अपने पक्ष में दिया है, उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लिखापढ़ी जारी है, कान्फरेंस हुई है और भी मिलने वाले हैं। तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं लेकिन कई बार इन्टरेस्टेड मेंटर्स ऐसे होते हैं कि लाख कोशिश करो और भारत सरकार के डाइरेक्शन्स के बावजूद भी कई बार समय पर हल नहीं हो सकता लेकिन हम इस बारे में जागरूक हैं। जैसे हरियाणा में हमें कम पानी मिला तो वाटर अकाऊंट कन्ट्रोलर आफिस से पता लग गया कि कम पानी है। हमने लिखापढ़ी की, बातचीत की, डिस्कशन किया, अल्टी-मेटली उस पानी की पूर्ति उन्हें करनी पड़ी और हो रही है। तो एक तरफ हम इस चीज को कर रहे हैं दूसरी तरफ आपको मालूम होगा और सदन में माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो लिंक चैनल्स हैं राजस्थान कैनाल से सरहिंद फीडर को जोड़ने वाली जिसकी लागत 6-7 लाख रुपया है, इस दृष्टि से हमें पानी की सुविधा मिल सके, हमने काम शुरू किया काम पूरा हो चुका है, 10 तारीख से क्लोजर होगा और जो हैड है उस पर लिंक करने का काम पूरा हो जाएगा। इससे हमारे हिस्से के पानी के इस्तेमाल करने की सुविधा होती है और जहां पानी पहुंचाया जाता है वहां पहुंचाने में इससे मदद मिल सकती है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इस सिंचायी के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से कई माइनर के लिये कहा, ककरालिया बना दी जाय, रामपुरा को एक्स्टेन्ड कर दी जाय। इनों को बनाने से अधिक जमीन सिंचित होती है और उनका आधार ही जमीन सिंचित करने का है। हमने यह फैसला किया है कि ककरालया माइनर की मंजूरी देकर जल्दी ही इसको शुरू करेंगे। 38 लाख रुपया इसमें लगेगा और रामपुरा के एक्स्टेन्शन में दो लाख रुपया लगेगा। इन दोनों कामों को इसी साल हाथ में लेंगे जिससे वहां के लोगों की जमीन की सिंचायी हो सके।

माननीय सदस्य जो कि नोहर से आते हैं, वोट लेने की तरकीब कहते हैं लेकिन मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वोट लेने की दृष्टि से नहीं किन्तु किसानों की सहूलियत की दृष्टि से यह देखा जाता है कि काम सिंचायी के हाथ में लिये जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : योजना बनी पड़ी है। कागजों में योजना बनाने से क्या फायदा है? ककरालिया माइनर हैड से निकाली जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बहस के दौरान एक बात कही थी पार्टिशन से पहिले और पोस्ट के बाद और 1960 की इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद कितनी भूमि सिंचित हुई। उनकी जानकारी के लिय निवेदन करना चाहता हूं कि उनको गलत फहमी हुई हो और उस कारण हम बहुत कुछ नीचे पहुंच गये हों। आंकड़े उनके पास हैं। उसी के अनुसार में उनको बताना चाहूंगा कि प्रिपार्टिशन ऑन एवरेज ऑफ एन्युअल पैरिनियल इरिगेशन 5 लाख एकड़ और अवेलेबिलिटि ऑफ वाटर युटिलाईजेज 1.11 मिलीयन एकड़, पोस्ट-पार्टिशन ऑन एन एवरेज ऑफ एन्युअल इरिगेशन 7 लाख के करीब पहुंच रहा है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर युटिलाइजेशन 1.62 मिलियन एकड़ पानी इस्तेमाल होता था।

श्री केदारनाथ : पोस्ट-ट्रीटी पीरियड में 7 लाख 40 हजार एकड़ पैरिनियल इरिगेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर युटिलाइजेशन 1.58 मीलियन एकड़ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो आप से ज्यादा कह दिया है। पोस्ट ट्रीटी पीरियड का युटिलाइजेशन बताना चाहता हूं। एक साल का जो एक्चुअल है 70-71 में 1.447 मिलियन एकड़ का है 52 से 0.005 तक। मतलब आलमोस्ट दी सेम। जो पानी जब कि कोई ट्रीटी नहीं थी तो 1.5 मिलता था और 70.71 में 1.447 मिलता है जब कि ट्रीटी है। ज्यादा नहीं मिलता है। राजस्थान कैनाल से पूर्ति कर रहे हैं। 1.447 मिलता है। हम तो कोशिश यह कर रहे हैं कि राजस्थान की आवश्यकता की पूर्ति करें और उनको कमान्ड में आने वाले काश्तकार हैं उनको बिना हार्म किये जितना पानी उपलब्ध है उसके फालतु जाने के बजाय वह गंग केनाल और भाखरा में जाय, फालतु नहीं जाने देना चाहते।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मिनिट तो सुने। पहले तो नाली में 4 हजार क्यूसेक पानी छोड़ते थे, रेतीले इलाके में........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑडर। बीच म बाधा न डालें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जबाव के बाद कोई चीज रह जाय तो आप सवाल पूछेंगे तो मैं बराबर उनका जबाब दूंगा।

मैंने यह कहा है कि अधिक से अधिक पानी अधिक से अधिक भूमि में लगे और लाभ मिले। माननीय सदस्य कहते हैं कि चार हजार क्यूसेक पानी नाली में छोड़ देते हैं। मानसरोवर से पहले उतना पानी आता था कि उससे जो खेत हैं उनमें पानी की पिलाई पर है, उससे ज्यादा आता है। एक रास्ता तो यह है कि वहां से न लें। दूसरा रास्ता यह है कि वहां से लें और डिप्रेशन में छोड़े, फालतू जमीन में छोड़े जिससे पानी पहुंच कर जमीन लेटल हो। या नहीं छोड़े जो पाकिस्तान जाय या और वहीं जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मार्च में पानी छोड़ते हैं।

Page No 179

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । थोड़ा धीरज तो रखिये । पहले आप इनको सुन लीजिये ।

यह क्या बात हुई कि आपका जिक्र आया और बहस शुरू कर देते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : फसलें जल गयीं और मार्च में जाकर छोड़ा पहले क्यों नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में वह कह सकते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, इस दृष्टि से घग्घर का पानी छोड़ते हैं बाढ का, पिलाई मिले, फालतु न जाय । 33 डिप्रेशन्स बनाये ह, इसीलिये बनाये हैं कि नाली में छोड़ें । डिप्रेशन में 10 हजार एकड़ जमीन के बेड में कल्टीवेशन हुआ है, उससे सिंचाई हुई है, खेतों में पिलायी हो रही है तो वहां बेड में पिलाई हो रही है । मानसून में काम करते हैं तो न मिनिस्टर के चांवल का सवाल है, 1 लाख एकड़ में जाता है, मिनिस्टर और उनके रिश्तेदार की एक जगह होगी दो जगह होगी । इतना लांछन लगाना उपयुक्त नहीं है । यह मैंने मुख्तसर में निवेदन किया है ।

नौहर फीडर ओर मियावली के लिये भी कहा । माननीय सदस्य ने जो कट मोशन्स दिये हैं उनकी तामील की जाय तो दस करोड़ के प्रस्ताव तो केवल माननीय सदस्य के हो जावेंगे और प्रस्ताव रखा है वह 15 करोड़ के हैं । राजस्थान प्रान्त बहुत बड़ा प्रान्त हैं । माननीय सदस्यों के भो तो प्रस्ताव हैं । सब ही जगह काम करना, फन्ड्स की कमी है ।

श्री उपाध्यक्ष : इससे तो उनको मिनिस्टर बनाना सस्ता होगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नौहर फीडर की योजना सी० पी० डब्ल्यू० डी० के पास विचाराधीन है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पचास प्रस्तावों में से दस ही मंजूर कर लें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंजाब सरकार ने इस विषय की चर्चा को उठा दिया है । जो हमें मंजूर नहीं है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है और मामला तय नहीं हुआ है । डा० के० एल० राव को बुलायेंगे तो डिस्प्युटेड मुद्दों को तय किया जा सकता है ।

मैंने मुख्तसर में राजस्थान केनाल, गंग केनाल और उससे एलाईड मुद्दों पर प्रकाश डालने की कोशिश की । हो सकता है कुछ मुद्दे रह गये हों माननीय सदस्य जानकारी चाहेंगे जो कि आवश्यक होगी तो मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा ।

चम्बल के प्रोजेक्ट और बून्दी एक्स्टेन्शन बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और श्री नन्दलालजी बरवा ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किय । वास्तव में चम्बल कमान्ड में अपने तौर की समस्याएं हैं । सीपेज, वाटर लॉगिंग, लिफ्ट इरिगेशन रिवाइन क्लीयरेन्स, ये समस्यायें हैं । धारा के रुख में डिफ़ेक्ट होने की वजह से यह प्रोबलेम और भी गम्भीर बन गई है । माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक इसमें सिंचाई बढ़ाने का सवाल है, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसका

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

5 लाख 70 हजार तो कमान्ड है और 3॥ लाख एकड़ से सिंचाई होती है।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा खरीफ इन्टन्सिटी 21 परसेन्ट और रबी की 55 परसेन्ट है। रबी का तो 55 परसेन्ट के बजाय 57 परसेन्ट तक चला गया है। वहां तो कोई झगड़ा नहीं है। 5 परसेन्ट से 21 परसेन्ट तक इन्टेन्सीटी है वह अब 5, 6, 7 तक रह गई है। उस क्षेत्र में काफी पानी बरसता है इसलिए खरीफ में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके दिमाग में जो शंकाएं है, वह मेरे ध्यान में है। पहले मैं कह दूं उसके बाद म आप कहें।

तो एक तो यह कारण है। दूसरा कारण यह है कि अभी तक सात लाख एकड़ जमीन को जो कमाण्ड है पानी नहीं दे पाये हैं। इसका मेन कारण यह है 5 लाख 70 हजार के अलावा जितनी जमीन चाहिए वह एक तो बूंदी एक्स्टेन्शन ब्रांच में है और एक रैवीन क्लीयेरन्स और एक लिफ्ट इर्रीगेशन, इसमें 3 करोड़ का तो बूंदी एक्स्टन्शन ब्रांच की स्कीम है, 3 करोड़ की ही लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम है और क्लीयरेन्स आफ रेवीन्स पर काफी कीमत, व 9 करोड़ रुपयों की आती है। वाटर लौगिंग, सीपेज और दूसरी जो अलाइड प्राबलम्स है उनको हल करने के लिए कुल 20 करोड़ रुपया हो तब जाकर के इस सारी की सारी स्कीम को पूरा किया जा सकता है। मैं भी मानता हूं कि इन समस्याओं को हल करने में विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। इसका एक कारण तो फण्ड्स की कमी है और दूसरा प्लान सीलिंग से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यह समस्या है। इन समस्याओं को धनाभाव के कारण हल नहीं कर पाये है। परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं करता हूं वहां कोई समस्या नहीं है फिर भी हमने वहां पर कुछ काम करने की कोशिश की है। कुछ ड्रेनेज का काम किया है। एक माननीय सदस्य से कहा है कि इस साल इसके लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि इस वर्ष के लिये साढ़े चार लाख का प्राविजन किया गया है इस काम के महत्व और गरिमा को देखते हुए। लेकिन इसमें कुछ कर रहे हैं। अधिक धन मिले इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं। जो राईट मेन केलान है, उसके अन्दर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय ली है और उसी के मुताबिक काम काज किया जा रहा है और यह काम काज करने बाद 5500 क्यूसेक्स पानी चलाया जाता है। अब कुछ काम काज क्लोजर के वक्त नहीं कर सकें हैं। यह कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पूरी मात्रा में पानी निकाल सकें। मेरा लेमेन की हैसियत से यह ध्यान था कि इसकी केपेसिटी कम है और पानी कम आता है। परन्तु एक्सपर्ट के डिसीजन के बाद उन्होंने यह बताया है कि इसको चौड़ा करने, राफ फोटिंग, लेवलिंग करने के बाद इसकी पूरी केपिसिटी हो जायेगी और इस साल हम इसको पूरा कर देंगे और वास्तव में अब भी कमी रहती है तो उस पर विचार करेंगे।

बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने यह कहा है कि लिफ्ट मेन केनाल में पानी नहीं आता है, टेल पर पानी नहीं पहुंचता है और जितनी केपिसिटी है उतना पानी नहीं जाता है। यह सही है। लेफ्ट मेन केनाल का क्लोजर कर के उसका क्लीयरन्स, राक फोटिंग, बैंक्स ठीक करना और छोटे मोटे सीपेज को ठीक करना और लेवलिंग का काम करना, यह हमने प्रारम्भ कर दिया है और जितना भी काम क्लोजर पीरियड में हो सकता है उसको करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले सालों में सिंचाई के विषय में राहत मिले।

पुलियाओं के विषय में बात बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है। उनकी जानकारी के लिये पुलियाओं के बारे में कहना चाहता हूं। बामोरीकलां पर पुल बनाने का काम जल्दी शुरू करवा दिया जायेगा और माताजीकलां पुल का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है और इसकी मन्जूरी होने पर इस पर भी काम शुरु करवा दिया जायेगा। मांगरोल में काम चालू है और बोरडा का कन्स्ट्रक्शन इस साल समाप्त कर दिया जायगा। धाकरखेडी का कम्पलीट कर लिया है इस तरह या तो काम हो चुका है और काम करना बाकी है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और उसे भी जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मोलककी ब्रिज के बारे में आपने नहीं कहा है। 22 तारीख को चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं। जो गीता नगर या गीता भवन है, उसको कनेक्ट करने के लिये पुलिया के लिये जरुर बोर्ड में एक प्रस्ताव रखा गया था हमारी तरफ से। उस पर मध्यप्रदेश की तरफ से ऐतराज किया गया है। इस मामले को फिर टेक अप कर रहे है और अगर मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि इस बात से एग्री हुए तो ठीक है वरना उस पुलिया का काम दूसरे तरीके से चाहे राज्य सरकार की ओर से, चाहे यू०आई०टी० की ओर से, चाहे म्युनिसिपेलिटी की ओर से, जिस तरह से भी होगा इस असुविधा को दूर करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मोलक के बारे में कह दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरा कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैंने कुछ मामलों के बारे में अभी बताया है। जंयल कलवर्ट के बारे में मन्जूरी दे दी है और काम बराबर कर दिया है। दूसरी स्कीम जो लेफ्ट मेन केनाल की है उसको भी हाथ म लिया हुआ है और उसको भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से चम्बल एक समस्याओं से भरी हुई योजना है उसको हल करने के लिये जितना कर सकेंगे, कोशिश करेंगे।

यहां पर कई स्थानों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी बात रखी कि राजस्थान केनाल नागौर आनी चाहिये।

Page No 182

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस सम्बन्ध म पहले भी कई बार यहां चर्चा हो चुकी है। नागौर तक इस नहर का लाना एक कास्टली स्कीम होने की वजह से नही किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर के इलाकों के अन्दर पहले ले जाने का ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये जो कमेटी आफ डाइरेक्शन थी उसने भी इस स्कीम को नामन्जूर कर दिया है क्योंकि लिफ्ट इर्रीगेशन से यह सम्भव नही है। इसके कई कामों के बारे में जिक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिला ड्राय अफेक्टेट एरिया है और रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर वहां पर काम किये जाने वाले हैं। यह जिला रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तंगत लिया जा चुका है और उस प्रोग्राम के तहत जो आवश्यक कार्य हैं उसके लिये कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह से बांसवाड़ा के माननीय सदस्य ने और कामों के बारे में यहां पर कहा है। वे काम वहां पर रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत वहां पर शुरु करवा दिये गये या शुरू किये जाने वाले हैं। जहां पर भी रूरल वर्क्स प्रोग्राम चल रहा है वहां पर ज्यादात्तर जो काम अधरे हैं, फेमीन के अन्दर जिन्हें शुरू कराया गया था या दूसरी तरह से कराया गया था, वह चाहे पाली हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे नागौर हो, चाहे जालोर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, और जैसलमेर हो, इन दस जगहों पर रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत इन कार्यों को लिया जा रहा है इसके साथ ही साथ जो धनराशि प्लान के अन्तर्गत इन हिस्सों के लिये रखी गई है, उससे बाकी जो काम रह गये हैं उनको पूरा किया जा सकेगा।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो और दूसरे माननीय सदस्यों ने, एक जो सिकराय से आने वाले हैं उन्होंने अपने यहां की कुछ समस्याओं के बारे में बताया उनकी जानकारी के निवेदन करूंगा कि उस ट्रैक्स की मरम्मत के लिये आदेश दे दिये गये हैं और सीलिंग और दूसरा काम भी जल्दी ही शुरू करवा देंगे। इसी तरह से छोटे मोटे कामों के लिये यहां पर ध्यान आकर्षित किया गया है। उनको हम एक्जामिन करवा कर उसमें जहां भी आवश्यक होगा उन पर कार्यवाही की जायेगी। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खैरना, बीजेठा के बारे में यहां पर कहा है। यह जो सारे काम हैं उनको इस साल की योजना में रख लिया है। इसलिये उन पर इसी साल काम शुरू हो जायगा। मा० सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करता हूं कि कई बार भरतपुर जिले के पानी के बारे में चर्चायें होती रहती है। 62-63 में एक बार विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के दरमियान जिसमें यू०पी० राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली इनके बीच में मीटिंगें हुई थीं साहू जैन के बारें में लेकिन उसका परिणाम नहीं निकला। मैं सदन की जानकारी के लिय निवेदन करना चाहता हूं अभी दो तीन दिन पहले देहरादून में एक इर्रिगेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी। इस मिटिंग की डा० के० एल० राव जो सेन्ट्रल के इर्रिगेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बुलाई थी। साहू जैन की जो साइट है वहां गये थे और बातचीत हुई। सिद्धान्त यह बात मान ली गई है कि

Page No 183

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

शाहू जैन पानी लेन का हकदार होगा। उसका फैसला लेने के लिये किस स्टेट को कितना पानी मिले और कितनी बिजली मिले इसका शेयरिंग आफ बेनिफिटर्स का निर्णय करने से पहले एक एक्सपर्ट की कमेटी बनी है जिसमें हर स्टेट के चीफ इंजिनियर और हर स्टेट के चेयरमैन आर० एस० ई० बी० होंगे। दो महीने शेयरिंग आफ कास्ट के बारे में मोटे रूप से चर्चा करके मिनिस्टर्स की मिटिंग में रखेंगे ताकि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मिलकर पूरी योजना बनायें यह योजना करीब 120 करोड़ रुपये की होगी और करीब डेढ़ लाख मिलियन एकड़ फिट पानी की क्षमता होगी। इस योजना की जानकारी में आपको देता हूं। हमनें इस योजना में पार्टिसिपेन्ट इसलिये होना चाहा कि आज भरतपुर गुड़गांव केनाल में 500 क्यूसेक फुट पानी पेरेनियल है और भरतपुर फीडर में 300 क्यू० पानी नान-पेरेनियल है। इसकी जानकारी के लिये अधिक से अधिक हिस्सा हो सके और अधिक पानी आ सके इस दृष्टि से प्रयत्न किया जा रहा है। चूंकि इसकी मीटिंग अभी हुई थी इसलिये मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन किया है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक बात लघु सिंचाई योजना के लिये ....

श्री नाथूराम : कडाणा बान्ध के लिए क्या कहना है आपको ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कडाणा बान्ध के सम्बन्ध में कि संशोधित मुआवजा नहीं हुआ है, उसको जल्दी किया जाय। यही न ? यहां पहले भी चिन्ता व्यक्त की गई थी और सदन के माननीय सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि एफ० आर० एल० को नीचा किया जाय ताकि जितने लोगों को बचा सकें, अच्छी भूमि और मकानों को बचा सकें उसकी कोशिश करें और इस केस में काफी मिटिंगों के बाद यह तय पाया गुजरात को पानी की कमी भी न हो और एफ० आर० एल० भी नीचा हो जाय। हमने इस बात को कनविन्स कर दिया है कि गुजरात को निर्धारित पानी की कमी नहीं होगी और एफ० आर० एल० नीचे भी हो सकता है। इस पर दोनों तरफ के जो ऑफिसर्स हैं उनके दस्तखत हो चुके हैं। प्रिन्सिपल मान लिया गया लेकिन जो लिखित में एग्रीमेन्ट होना चाहिए वह नहीं हो सका है और इस बीच में कई राजनैतिक उथल-पुथल हो गई। अभी हाल में हमारे मुख्य मंत्री जी ने उनको एक चिट्ठी भी लिखी है और उनकी भी चिट्ठी आई है। सेन्ट्रल के इरींगेशन मिनिस्टर श्री के० एल० राव को भी चिट्ठी लिखी है। अभी अहमदाबाद में मीटिंग बुलाने को थे लेकिन राजनैतिक परिस्थितियां बदल गईं और इसलिये वह मीटिंग नहीं हो सकी। अब जल्दी ही मीटिंग बुलाकर संशोधित मुआवजे के बारे में फाइनल करेंगे ताकि आगे हमारा प्रोजेक्ट ठीक चल सके......

श्री नाथूराम : 410 का रहेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, 410 को रखने की ही बात है।

श्री नाथूराम : माही प्रोजेक्ट और बजाज सागर का......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

यह इसीसे जुड़ा हुआ प्रश्न है बजाज-सागर का। ये दोनों प्रश्न एक ही है। साथ ही डिसाइड होने का है। इसलिये जल्दी मीटिंग करके दोनों प्रश्नों को एक साथ तय करने का प्रयत्न करेंगे। झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भीम सागर बांध में काम तेजी से करने के लिए कहा। दरअसल हम भी चाहते हैं और गये साल भी तेजी लाना चाहते थे लेकिन उतनी तेजी नहीं आ सकी लेकिन अब इस साल अधिक तेजी से काम करेंगे। इसके लिये 10 लाख रुपये भी बजट में रखा है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि इस काम को तेजी से करेंगे। इसके साथ छोटे-मोटे......

श्री मनोहरसिंह मेहता : सारणखेड़ी के बारे में......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सब बता दूंगा, आप तसल्ली रखें। हर बांध के लिये क्या स्थिति इस समय है और कौनसा बांध रुका हुआ पड़ा और कौनसे बांध पर काम चल रहा है—किसका काम चालू, किसका नहीं, इस तरह हरएक बांध की हिस्ट्री की जानकारी होना इस समय सम्भव नहीं है। अगर किसी का जवाब नहीं दिया गया है तो जानकारी करके जो आवश्यक कार्यवाही होगी करूंगा। यहां जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन सवाल उठाये इर्रीगेशन सिस्टम में जो टैन्क्स है, वे व्यक्तिगत प्रापर्टी नहीं होनी चाहिये क्योंकि वे मनमानी पिलाई की दर वसूल करते हैं और एक बिचौलिया के रूप में आते हैं और साथ ही साथ छोटे लोगों को सिंचाई में अधिक बेनिफिट्स मिले, इसका प्रयत्न करना चाहिए। आपको मालूम होगा जैसा मैंने सदन में भी कहा। हम राजस्थान में ऐसा सिस्टम इवोल्व करना चाहते हैं जिससे छोटे लोगों को छोटी होल्डिंग्स वालों को पूरे ऐरिया में पानी मिले किसी तरह का डिडक्शन नहीं हो। जो बड़े बड़े होल्डिंग वाले हैं उसके मुकाबले न रहे। छोटे वालों को पूरा मिल जाय। अगर कम रहता है तो बड़ों का कम हो जाय। इस दृष्टि से कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। जवाई बांध के बारे में कहा गया—जवाई से जोधपुर को पानी दिया जाता है। पांच बीघा का पहले कोई रूल नहीं था 2500 में से 5 बीघा में पानी मिलता था। इस नये रूल्स की वजह से, पहलें 500 मिलता था उसमें 2504 था और 10 बीघा 1180 क्षेत्र में मिलता था अब 6590 है। इस तरह से जो छोटे काश्तकार उनको ज्यादा पानी मिल जायगा और बड़ों को जितना था उतना ही रह गया। कुछ कमी हुई लेकिन इन लोगों को ज्यादा पानी मिल जायगा जिससे छोटी होल्डिंग में इतना पैदा कर लें कि उसका और उसके परिवार का गुजर बसरारा चल जाय। यह सिस्टम और जगह लागू करना चाहते हैं कई जगह आदेश दिये हैं लेकिन अभी पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जागीरदारों के टैंक वगैरह से पानी की सप्लाई होना जिसकी वास्तविकता और जस्टिफिकेशन को तो मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इसके बारें में राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसका निर्णय लेने पर आगे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है इसलिये राज्य सरकार जल्दी निर्णय ले उसके बारे में प्रयत्न होंगे, मैं करने की कोशिश करूंगा।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक सवाल......

श्री शंकरलाल (जतारण) : साही डाइवर्शन का बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, उसका। एक सवाल जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने यह उठाया कि जवाई बांध इरिगेशन प्रोजेक्ट है उससे काफी पानी जोधपुर को चला जाता है और रामपुर की स्कीम हो जाने के बाद वह बन्द हो जाना चाहिए। हमेशा जितना जाता है उससे इस साल कम दिया है, एक हजार क्यूसेक्स की बचत की है तब जाकर जवाई बांध बनने के बाद सबसे ज्यादा इरिगेशन 30, 35 हजार एकड़ में इस साल हुई है जब कि वह ओवरफ्लो नहीं हुआ था और फसल पिछले सालों में जब कि वह पूरा भरा रहता था इतनी नहीं हुई जितनी कि इस साल हुई। इसका मूल कारण यह है कि पानी ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूट किया गया और साथ ही साथ वेस्ट नहीं हुआ, और रामपुर की स्कीम बनने के बाद भी जोधपुर को पानी नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है। पीने के पानी का सवाल है उसकी आवश्यकता होगी तो देना पड़ेगा। पहले इस बात का प्रयत्न किया जाय कि वह योजना पूरी हो जाय। अगर पूरी नहीं होगी तो देना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि सुस्ती बहुत है तो सुस्ती तो फण्ड की उपलब्धि पर निर्भर करती है। 40-50 लाख से ज्यादा का एक साल में हम प्रावधान नहीं कर सकते और प्रावधान की वजह से पूरा होने में देर जरूर लग रही है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह जल्दी ही पूरा होगा। उसके पूरा हो जाने के बाद जोधपुर में पीने के पानी की समस्या को भी राहत मिलेगी और जवाई क्षेत्र के किसानों को भी राहत मिलेगी। यही साही डाइवर्सन स्कीम के बारे में कहना है। अधिक समय की वजह से कास्ट आफ मेटेरियल, कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन और दूसरी चीजों के भाव बढ़ जाने की वजह से जो स्कीम थी उसमें एस्टीमेट से ज्यादा खर्चा हुआ है और जब तक वह पूरी होगी तब तक और भी ज्यादा खर्चा होगा। इस वजह से जैसा की प्लानिंग के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि प्लानिंग समय पर नहीं होता है और काम समय पर नहीं होता है तो उसके भी कई कारण हैं, उन कारणों में एक यह भी है कि पैसा कम मिलता है तो कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन, लेवर आदि बढ़ जाती है तो कास्ट बढ़ती ही रहती है।

यहां पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने फ्लाई एश के कान्ट्रेक्ट का जिक्र किया है तो मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय वित्त मंत्रीजी से शायद इसका सवाल पूछा गया था उस वक्त उन्होंने इस सम्बन्ध में जवाब दिया था, और पहले भी जवाब दिया था और अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वह ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं है जानकारी, लेकिन इसके अनुसार मुझे बताया गया है कि यह बात सही है कि जो सेकण्ड टाइम टेन्डर हुआ तो लोएस्ट किसी और आदमी का था, लेकिन जो चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ......।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पहले जो टेन्डर इन्वाइट किये गये थे वे कैंसिल क्यों हुए और फिर सेकण्ड टेन्डर वाले को कैसे......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहला टेन्डर क्यों कैंसिल हुआ इसकी डिटेल्ड जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन स्टोर्स परचेज कमेटी.........

श्री कृष्ण कुमार गोयल : स्टोर्स परचेज कमेटी इज आलवेज कन्ट्रोल्ड बाई दी सेक्रेटरी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेकन्ड टेन्डर के समय जब स्टोर्स परचेज कमेटी बैठी तो उन्होंने पर्सनली लोएस्ट टेन्डर वाले को बुलाया तो वह न तो उपस्थित हुआ जैसी कि मुझे जानकारी दी गई उसके अनुसार हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मंत्री महोदय, इसलिए लोएस्ट को एक्सेप्ट नहीं कि इस सारे रीजन में मि० पी० के० शर्मा इज इन पिक्चर। कान्ट्रेक्ट जो कुछ हुआ है वह पी० के० शर्मा का लड़का प्रेम कुमार है उसके साथ हुआ है उसके नाम से हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मेरी जानकारी में है कि पी० के० शर्मा के लड़के ने लिया है लेकिन लड़का जैसा कि आप कहते हैं माइनर है यह बात गलत है......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उस समय था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 65 में उसकी शादी हो चुकि है और जैसा कि मुझे बताया गया है आज उसके दो लड़के भी हैं। हो सकता है कि यह गलत हो और यह 68 का वाका है। लेकिन उसकी शादी 65 में हुई और अब उसके दो लड़के हैं जैसा कि वे बताते हैं तो उस समय वह माइनर तो नहीं था। यह बात तो सही है कि उसके लड़के ने यह डील किया है। जो नाम फर्म का बताया गया है उसका प्रोप्राइटर और काम करने वाला वह आदमी है जो कि पी० के० शर्मा का लड़का है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लड़का है तो परमीशन गवर्नमेन्ट की होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेजर है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी खुद केबिनेट के रूल्स हैं कि परमीशन लेनी पड़ती है।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में नहीं है......

श्री भैरोंसिंह : आपने जानकारी कर ली होती। उसके लड़के कितने हुए यह बाकी की जानकारी तो आपको है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जितनी जानकारी कर सका......

श्री भैरोंसिंह : इस आफिसर को जिसने आपको जानकारी दी है उसको उसकी शादी की डेट तो मालूम है और उसके कितने

(श्री भेरोंसिंह)

बच्चे हैं यह भी जानकारी है, लेकिन उनको यह घोटाला कब हुआ इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। मैं जानकारी कर लूंगा डिटेल में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सिमको के बारे में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सिमको के बारे में ज्ञात कर ली और एक्सपर्ट्स की ओपीनियन ले ली और ला डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया और फाइनेन्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट आफ इंडिया ने डिवेल्यूएशन के सारे क्वश्चन की जांच करके उन्होंने जैसी राय दी उसके मुताबिक चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने यह कार्यवाही की है। राजस्थान के किसी मिनिस्टर और राजस्थान के किसी आफिसर के हाथ की चीज नहीं है, और उसके हिसाब से यह डिवेल्यूएशन वाला पेमेन्ट जो है वह चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने किया है। इकोनामिक मिनिस्ट्री जिसको फाइनेन्स मिनिस्ट्री कहते हैं और ला मिनिस्ट्री की राय से यह किया गया है और इसकी बोर्ड द्वारा जानकारी दी गई है और इसमें कोई अवैधानिकता नजर नहीं आती है। इसलिए यह मैंने सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दिया है।

अन्त में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मांग को पारित किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो हिन्द कनस्ट्रक्शन ने कापर डेम का कनस्ट्रक्शन किया था उसको कितना कम्पेन्सेशन दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो अचानक पूछ लिया प्रश्न आपने और मेरे पास सारे डिटेल की सूचना होना सम्भव नहीं है अभी तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

लेकिन एक बात, अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य देवीदत्त जी गाड़िया ने एक स्थानगन प्रस्ताव...

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, इस संबंध में बिल का उत्तर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्षजी : आपका नाम आते ही आप उठ जाते हैं। आप किसी को बोलने दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ......मुझे यह कागज भेजा गया कि आप चाहें तो इस पर भी रोशनी डाल सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि इसमें जिला जयपुर में बान्ध के लिए बिना एक्वायर किये हजारों बीघा जमीन उपयोग में लाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में विचार करने के लिए कहा, तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो प्रेलीमिनेरी कार्यवाही चल रही है और लैंड एक्वीजिसन और लैंड के कम्पेन्सेशन और जमीन के बदले जमीन और जब तक जमीन के बदले जमीन न दी जाय तो कम्पेन्शन न दे दें तब तक उनकी जमीन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर नहरें नहीं खोद रहे हैं, जब तक कि वे पूर्व स्वीकृति इसके लिए न दे दें। इसलिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो पायेगी कि जिससे जिनकी जमीन जा रही है वह लोग परेशान हों। इसके डूब में जाने का सवाल नहीं है, क्यों कि बान्ध के निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है और पानी 3-4 वर्षों में जाकर रुकेगा इसलिए हम जागरूक हैं कि लोगों को परेशानी न हो और समय से पूर्व सब चीज करेंगे।

श्री बालसिंह सोढा: उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा...

श्री देवीदत्त गाड़िया: यह बांध जब बन जायगा तब कितने गांव डूब में आयेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: पूरा गांव कोई नहीं आयेगा। पार्शियेली दो गांव आयेंगे।

श्री देवेन्द्र कुमार: पंचायत समितियों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या सोचती है? बड़ी बड़ी योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन रूरल एरियाज के लिए ऐसी योजनाएं हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने दोनों तरह के सवाल उठाये थे - आमला, लटावा और टांडी। सीमेंट का जहां तक सवाल है, तो इसको इन्क्वायरी की गई थी, तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर और ओवरसियर की गलती पाई गई। उनको सस्पेंड किया है और उनकी कार्यवाही की सारी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट के पास आ रही है, तो उसको एग्जामिन करके जिसके खिलाफ जो आवश्यक होगा वह करेंगे। माननीय सदस्य को शंका है कि किसी ने असिस्टेंट इन्जीनियर को बचाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दोष दोनों का बताया है।

दूसरे, कुछ छोटे बान्धों के बारे में कहा गया, तो कुछ बान्धों की तो सर्वे हो रही है और कुछ का काम इस साल हाथ में ले रहे हैं, लेकिन कठिनाई इस बात की है कि जो तालाब पंचायत समितियों के हैं और छोटे हैं उनके ऊपर सिंचाई विभाग काम नहीं कर सकता है और खर्च नहीं कर सकता है। इसलिए उनको लेने में सिंचाई विभाग असमर्थ है। बाकी के कामों में जो कुछ हो सकेगा उसकी कोशिश करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: बड़गांव-जैतपुरा स्कीम के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न उठाया ही नहीं आपने।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: मेरा कटमोशन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बड़गांव को इस साल ले रहे हैं और चालू रहेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने एक बात कही तो इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मेजा बान्ध का यह मातृकुण्डिया के स्थान पर बनास नदी पर बन रहा है तो इसमें आपने सर्वे करवाया है कि नहीं और इसके द्वारा जो नहरें

Page No 189

(श्री देवीदत्त गाड़िया) .....

...वाड़ा के अन्दर मेजा बान्ध तक ... जाना दिखा रहे हैं तो इस बांध ... उदयपुर और चित्तौड़ के क्षेत्र को ...ों से पानी मिलेगा या नहीं तो फिर ... नहरों को आपने खेतों में खोदा या ... ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, किसी ... जमीन पर नहीं खोदा है । अन-... युपाइड गवर्नमेन्ट लैण्ड पर यह हो रहा ... ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कई किसान ... पास आये हैं । उन्होंने कहा है कि ...री भूमि को एक्वायर नहीं किया ... नहरें खोदते जा रहे हैं । अदालतों ...ाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है । ...ेसा कहते हैं । तो आप इस मामले ... जांच करवायें और जब तक उनकी ... एक्वायर नहीं होती है तब तक ...ी के खेत में से नहरें नहीं खोदी ...... :

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही, माननीय ...य । आपने कह दी बात अपनी ।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं दिया जाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सद... इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि ...लपुर-बनास योजना है, वह जल्दी ... हो । जैसा कि आप जानते हैं, ...ुर की वाटर सप्लाई स्कीम भी उससे ...न्धित है । वैसे यह स्कीम वाटर ... डिपार्टमेन्ट की है । एग्जीक्यूट ...गेशन डिपार्टमेन्ट कर रहा है । यह प्रयत्न है कि जून से पहले 2 शुरू कर दी जाये । बीसलपुर योजना 50 करोड़ रुपये की योजना है । जो कि 60 हजार क्यूसेक पानी रोकेगी । जिससे जयपुर को पीने के पानी की सुविधा होगी ।

(कुछ व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप किस प्रश्न का उत्तर ले रहे थे, माननीय गाड़िया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने यह पूछा था कि बीसलपुर बांध-भूमि पर जो पेड़ कट रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will look into it.

श्री देवीदत्त गाड़िया : और जो पंजाब वाला है उसके सम्बन्ध में...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उनका बनवाया हुआ है । अपने काम आ रहा है ।

श्री देवीदत्त गाँड़िया : राजस्थान सरकार से लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री केदारनाथ : जो ड्रेनेज एक्ट है, उसमें और फिजिकल एप्रोच में बड़ा फर्क है । पाकिस्तान को पानी की सप्लाई बन्द होने के बाद जो एडीशनल वाटर मिलना चाहिए और रावी और व्यास के वाटर अकाउन्ट्स के बारे में, इसी प्रकार पंजाब के एक्सेस वाटर के बारे में क्या किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने 3 मुद्दे उठाये हैं। गंग केनाल, राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल की कम्प्लीटेड चेनल्स एक ही यूनिट में है। दूसरा जो ड्रेनेज ...क्ट के बारे में है कि उसमें समानता लाई जाये। ये दोनों ही प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। जो भी आवश्यक आदेश होंगे, दिय जावेंगे। तीसरा जो रीजेनरेशन का एडवान्टेज हमको मिलना चाहिए। पंजाब, जो पहले डिनाई करता था। अब गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने यह फैसला किया है 40 क्यूसेक मिलेगा। 40 क्यूसेक हमको एडीशनल मिलना चाहिए। पंजाब ने अभी वह देना शुरू नहीं किया है। जैसा कि हमने फेज प्लान किया था। यह जो हमारा हिस्सा है, उसके लिए हम उनको लिख रहे हैं। अभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं ... प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न हमारा यह है कि ... र के बारे में जो ठुकराना गांव के रकबे में समाप्त होनी चाहिये, उसको बीच में रख दिया गया है। इस पर राजस्थान सरकार का क्या विचार है। दूसरा जो राजस्थान केनाल की लिफ्ट इरिगेशन योजना बनाई गई थी उसके बारे में 67 में प्रश्न पूछा था तो यह उत्तर दिया गया था कि यह योजना विचाराधीन है। तो जिस योजना से 40 हजार बीघे में पानी लगाया जा सकता है, उस योजना को कब तक कर दिया जाएगा। तीसरा बरसात के मौसम में पानी निकालने के लिए ...क मोघा और निकालना चाहिए। या डबल लगा कर पानी मिलना चाहिए जिससे कि जमीन को पानी मिल सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य, जहां तक ठुकराना विलेज की बात है, वहां की जमीन को हमने केनाल से पानी दिया है। लेकिन जिस जगह यह पानी ले जाना चाहते हैं, उधर वह पानी जा नहीं सकता है। इसलिए गांव के अन्दर तक पानी ले जा सकना सम्भव नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल रावतसर के पास लिफ्ट इरिगेशन के बारे में किया। असल में राजस्थान सरकार के पास नोहर फीडर योजना से 1 लाख 70 हजार जमीन को सिंचित करने के लिए साढ़े 4-5 करोड़ की योजना विचाराधीन है। वह सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के पास विचाराधीन है। निर्णय होने पर उस योजना को हाथ में लिया जायगा। उसकी स्वीकृति होने पर धन की उपलब्धि होनी चाहिये। वह हाथ में ले ली जाएगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके आगे टीबे हैं। आप कम से कम मौका तो देखो। ऐसा कस्बा नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और दिखवा लेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : और जो मैंने मोगे को साकफिट करने की बात कही है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खरीफ में होता है। रबी में पानी कम होता है। बाकी अधिक आता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बरसात के मौसम में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक एक मोगे का मैं क्या जवाब दे सकता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मोगे में यह होता है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब मोगों को असेम्बली में कहां से निकालूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर कैसे पानी देंगे आप ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने आर० एम० सी० के बारे म बताया कि उसकी केपेसिटी 5,500 क्यूसेक है ......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी ज्यादा थी। पानी डिस्चार्ज नहीं करता था, वह 5,500 क्यूसेक डिस्चार्ज कर दिया है इस साल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 5,500 क्यूसेक में से कितना पानी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं ? एक सवाल। दूसरा सवाल है, आपने खरीफ फसल के बारे में बताया था, बीस पर्सेन्ट यूटिलाइज नहीं हो पाता है वाटर खरीफ के अन्दर में जानकारी जानना चाहूंगा, धीरे धीरे पानी की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है प डिग्री क्राप बढ़ती जा रही है, लेकिन वह इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि पानी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की सूचना कि पानी यूटिलिटी नहीं हो पाती–यह गलत है। लेकिन पेडिग्री नहीं लगा सकते हैं......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मानसून के अन्दर वरसात अच्छी होती है......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पेडिग्री के लिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेडिग्री के लिए पानी की रुकावट नहीं है। हम। एन्करेज कर रहे हैं। पर्चे छपवा कर बांट हैं। आपने सवाल पूछा था, 5,500 डिस्चार्ज हुआ है, उसमें से कितना, उसमें से कितना आपके दिमाग में एक शंका है। राइटमैन केनाल में ही मध्य प्रदेश और राजस्थान पार्टनर है, पार्टनर है, चम्बल के पूरे पानी में चम्बल का पूरा पानी, गांधी सागर का पूरा पानी–राणा प्रताप सागर का पूरा पानी जो कोटा बैराज का आता है उस टोटल वाटर, राइट एण्ड लेफ्ट का टोटल पानी पचास पर्सेन्ट हैं, पचास, पर्सेन्ट मध्यप्रदेश का और पचास पर्सेन्ट राजस्थान का। हम हमारा 50 पर्सेन्ट लेफ्ट मेन केनाल और राइट मैन कैनाल के जरिये लेते है, राइट मैन कैनाल से हमारा 20 पर्सेन्ट जाता है और 20 पर्सेन्ट लेफ्ट मैन केनाल से, लगभग है, कुछ ज्यादा कम हो सकता है। राइट मैन कैनाल की मेन्टेनेंस कोस्ट सारी है वह 75 पर्सेन्ट मध्य प्रदेश और 25 पर्सेन्ट हमारा। पानी का वहां बराबर बटबारा हो - यह जरूरी नहीं है। यह दूसरी बात है कि कैपेसिटी के मुताबिक पूरा पानी जाय। यह क्वेश्चन नहीं है, इट विल अगेन डिपेण्ड अपयॉन इन्डेण्ट। कि मध्य प्रदेश में कितने पानी की जरूरत है, राजस्थान को कितने की है। जो पांच हजार की नहर है, उसमें दो हजार क्यूसेक ढाई हजार क्यूसेक–जितना इन्डेन्ट देते हैं, उतना।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरी एक तो रिक्वेस्ट है......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री हंसराज आर्य : पिछली विधान सभा में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री हंसराज आर्य : पंजाब में गंग केनाल में पांच सौ नल कूप खुदवा कर पानी बढ़ाया जायगा, उसका क्या हुआ ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका ट्यूब वैल आर्गेनाइजेशन से सम्बन्ध है, सिंचाई विभाग से नहीं है, इसलिए मैं प्रमाणिक तरीके से बात नहीं कह सकता हूं ।

श्री हंसराज आर्य : फिर ऐलान किस तरह से किया गया कि गंग केनाल में पूरा पानी करने के लिए पंजाब में पांच सौ नल कूप गंग केनाल के किनारे किनारे खुदवा कर किया जायगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है । वैसे माननीय सदस्य को जानकारी है कि पंजाब सरकार ने मना कर दिया है, हम नहीं खोदने देंगे ।

श्री हंसराज आर्य : मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंजाब के अन्दर वहां कुए खोदने थे और पानी वहां डालना था, पंजाब सरकार ने मना कर दिया ।

श्री हंसराज आर्य : (श्री मनोहर सिंह मेहता के खड़े होने पर) एक मिनिट ? नौहर भादरा में जो भाखरा का पानी था वह पानी नहीं लग रहा था, इसलिए 11 गांव तो निकाल दिये गये, 19 गांव ऐसे हैं अभी जिनमें पानी नहीं लगता है तो उनको कब निकाल दिया जायगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो तरह के गांव हैं: एक गांव हैं, जिन गांवों में टोटल पानी नहीं लगता है, वह 11 गांव निकाल दिये हैं, 19 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी लगता है, और पाटली नहीं लगता है। इनका कलक्टर और इरिगेशन के इंजिनियर दोनों मिल कर स्टेटमेंट बना रहे हैं, कौनसी चकों में पानी लगता है, कौनसी चकों में नहीं । वह स्टेटमेंट पूरा होने के बाद जिन चकों में पानी नहीं लगता है उनको बाहर निकाल दिया जायगा और जिनमें पानी लगता है उनको रखा जायगा।

श्री हंसराज आर्य : (श्री मनोहर सिंह मेहता के खड़े होने पर) एक मिनिट, मोती राम कमीशन की जो रिपोर्ट अलमारी में बन्द है उसका ताला कब तोड़ कर सदन की मेज पर उसे रखने का विचार है ।

एक माननीय सदस्य : आप तोड़ दीजिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सदन की मेज पर वैसे ही रखी जा सकती है, ताला तोड़ने की क्या बात है ।

श्री केदारनाथ : इम्प्लीमेंट कब करेंगे ।

श्री हंसराज आर्य : झिक झिक करते हैं, रख क्यों नहीं देते हैं ।

एक प्रश्न और है, गंग कैनाल में पानी न मिलने के लिए पंजाब से ... किया गया है, 1969 के बाद में राजस्थान सरकार को पानी नहीं मिलेगा । ... का जो निकाला गया है उसको क्या ... जायगा ? पंजाब का जून में बन्द ... जायगा, फिर चनल में क्या छोड़ा जा... सुना है, पंजाब चंडीगढ़ के पास

Page No 193

(श्री हंसराज आर्य) बन्द कर रहा है, तो हमारी नहर का क्या होगा।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अभी तो जिस भाखरा नांगल को एग्रीमेंट हुआ था, जो हिस्सा उस वक्त कभी कभी घग्घर में पानी आने से सिंचित होता था, मानसून के अन्दर, वह परेनियल नहीं था और रेगुलर नहीं था, तो उस वक्त जो भाखरा नांगल का एग्रीमेन्ट हुआ, पंजाब सरकार और राजस्थान के बीच में तो उसमें चूंकि यह एरिया अब भाखरा प्रोजेक्ट से सिंचित हो जायगा, इसमें राजस्थान घग्घर के पानी को इस पानी को सिंचित करने के लिए आयन्दा नहीं लेगा – इस प्रकार का एग्रीमेंट के अन्दर क्लाज है, लेकिन उसके बाद में सारा कन्डक्ट, सारी कार्यवाही, सारी स्कीम और प्रोजेक्ट ऐसा रहा है कि उनका पानी आता है तो उनको खर्च देना पड़ता है। अभी हमने घग्घर की डाइवर्शन स्कीम बनाई तो 60 और 40 का रेश्यो रहा। जो कमेटी बनी और उसके द्वारा जो जांच पड़ताल हुई, तो सारा पानी होता है, उसकी पूरी कोस्ट मांगने के लिए क्लेम किया जायगा और पानी की कोस्ट पंजाब सरकार को देनी चाहिए, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर तक सुनने के बाद जो मन पर असर हुआ, थोड़ा सा वह निवेदन करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपको अपने डिपार्टमेंट की इतनी वास्ट स्टडी है, इसलिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह अपने डिपार्टमेंट की आपको वास्ट स्टडी है, एक एक चीज का आपको ध्यान है, इसी तरह से कृपा करके जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं उनका ध्यान रखिये। इससे आपके काम में से खुशबू निकलेगी। यह रिक्वेस्ट मैंने की है।

अब छोटा सा :...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई बात पूछें तो बतला दूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे मन पर जो असर हुआ, वह मुझे कहना था। मदेरणा साहब जो बात कहते हैं उससे मालूम होता है उनकी पंचायत की पूरी स्टडी है, और इन्होंने कहा, उसका मेरे मन पर असर हुआ इसलिए कहा।

दूसरी बात कहना चाहता हूं, कोठारी नदी, बोरीमाता का बांध किस स्टेज पर है– यह फर्माया नहीं। दूसरा यह है कि पंचायत समिति के तालाब हैं वह पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके इरिगेशन विभाग को को सौंप दिये हैं, उन जगहों पर काम शुरू कब करा देंगे ? बोरीमाता का खेडा, रानीवाड़ा यह छोटे छोटे तालाब हैं, यह पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करके सौंप दिये हैं, तो इनको ले लेंगे या नहीं ? इससे ज्यादा भूमि की पिलाई हो सकती है। बोरीमाता के बांध के सिलसिले में क्या निर्णय लिया है, कृपा करके यह फर्मा दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके बाद ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसके बाद नहीं पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री वृद्धिचन्द्र जैन के खड़े होने पर) आपका सिंचाई से क्या लेना देना है ?

श्री रामकिशन : आज तो अकाल के बारे में, बाजरे के बारे में पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अकाल ही पर्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लूनी नदी पर पाली जिले मे बांध बांधा जा रहा था और उसके कारण बाड़मेर जिले और जालोर......

श्री उपाध्यक्ष : नया प्रश्न है, आज चर्चा में नहीं आया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने प्रस्ताव रखा है, कट मोशन।

श्री उपाध्यक्ष : अन्य तरीके से बाद में रखिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कट मोशन मैंने रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा में नहीं आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लिखित में जवाब भेज दिया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे प्रश्न का जवाब बख्शा दें।

श्री उपाध्यक्ष : जुझारसिंह, संक्षेप में।

श्री जुझारसिंह : दो प्रश्न मेरे हैं, जो चर्चा में आ चुके हैं इसलिए पूछ रहा हूं। मैं लिफ्ट इरिगेशन के बारे में जानकारी चाहता हूं। फन्ड अवेलेबल नहीं हैं तो आप एक लाख एकड़ की लिफ्ट इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। सांगोद का एरिया जिसके बारे में पूछा है, उसकी एक यूनिट है, उसमें दस लाख रुपये का खर्च है उसको करके बारह हजार बीघा को इरिगेट करने की कोशिश करेंगे ? एक प्रश्न दूसरा प्रश्न है, क्या किसी तरह की योजना राणा प्रताप सागर से कोई कैनाल कुडाल चेचट एरिया में देने का प्रावधान है इस तरह की कोई योजना है आपके पास

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाड़ा।

श्री केसरीसिंह : इसका जवाब आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं जानना चाहता हूं कि गुढा कैनाल का पानी जो टेल पर नहीं पहुंचता है, दो एनीकट्स के लिए आपने फरमाया था, उसके लिए सरकार ने विचार किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उससे बहुत फायदा हो जाएगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : दूसरा बंसोली बांध और गुढा कैनाल में जो जमीन आई है, उन मकानों और कुओं का मुआवजा कब तक देंगे ?

तीसरी बात जो मकान और कुओं का मुआवजा सरकार दे रही है, बहुत कम है, उनको भी सरकार ठीक मात्रा में मुआवजा दिलायेगी या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कोठारी, बोरी माता के बारे में कहा, उसका सर्वे और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है...

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने जो आपकी प्रशंसा की, उसका जवाब तो दीजिए...

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रशंसा का क्या सवाल है। वाकई मंत्रीजी की वास्ट स्टडी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस काम को सरकार आवश्यक समझती है लेकिन इन्वेस्टीगेशन और सर्वे पूरा नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। दूसरा पंचायत समितियों के तालाबों के बारे में कहा, तो यह पंचायत समितियों को देखना है। कोई पंचायत समिति या जिला परिषद्, जिसका प्रस्ताव पास करता है, पास करे और सिंचाई विभाग अगर उचित समझे और उसमें संशोधन करने से सिंचाई बढ़ सकती है और लोगों को फायदा हो सकता है तो इंडिविजुअल केसेज की मेरिट्स पर सिंचाई विभाग देख सकता है।

सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में कहा। वैसे भी जिस लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम की माननीय सदस्य बात करते हैं, वह हमारी काम्प्रीहेन्सिव लिफ्ट इर्रिगेशन है जो 5 करोड़ की है, यह उसका एक भाग है लेकिन उस मद को योजना आयोग और सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने स्वीकार नहीं किया। हम नहीं कर सकते क्योंकि फंड्स नहीं हैं। ए० आर० सी० और आर० एफ० सी० से फंड्स लेकर इस काम में सहायता मिल सकती है तो जरूर इस प्रश्न को एग्जामिन करेंगे।

श्री जुझारसिंह , कुंडल एरिया का?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुंडल एरिया का राणा प्रताप सागर लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में, उस क्षेत्र में लिफ्ट इर्रिगेशन के जरिए पानी दिया जा सकता है या नहीं, इसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे होने पर ही सही रूप से कहा जा सकता है कि उसके क्या परिणाम होंगे। हाड़ा साहब ने एनीकट्स के बारे में कहा। तो माननीय सदस्य जानते हैं। मैंने निवेदन किया है, उसका सर्वे कराकर रिपोर्ट मंगवाई है और एस्टीमेट्स आने पर उनमें से एक को पहले शुरू करेंगे। जहां तक मुआवजे का प्रश्न है, मार्केट रेट्स पर मुआवजा देते हैं और मार्केट रेट पर 10 प्रतिशत और लगा कर देते हैं। मार्केट रेट साबित करना आपका काम है। आप अगर मार्केट रेट अधिक साबित कर सकते हैं तो अधिक मिल सकता है। लेकिन यह क्वासी जुडिसियल फंक्शन है। हम जज से कैसे कहें? मार्केट रेट से 10 प्रतिशत अधिक कम्पलसरी एक्वीजिशन की हालत में देने का कायदा है। मार्केट रेट साबित करें ज्यादा ले लें, मुझे एतराज नहीं है। हम लिबरल हैं, लेकिन जज से नहीं कह सकते कि ऐसा करें वैसा करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आवंटित सुधार जमीन से लगान नहीं लेने...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं लेना चाहिए। अगर लिया है तो रिफंड देना चाहिए। एक एक केस की जानकारी मुझे नहीं है, सिद्धांततः आपका सही है मैं उसको मानता हूं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसको बंद करायेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां करायेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न यह है कि भाखरा क्षेत्र में बारानी गांव हैं उनके लिए

(श्री रामचन्द्र आर्य)

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विचार कर रहे हैं कि एक कमेटी है, लेकिन राजस्थान कैनाल से जिन गांवों को पानी नहीं लगता है, कालोनाइजेशन एरिया में सिंचाई क्षेत्र में ला रखा है, उनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी गांवों का गजट नोटीफिकेशन हो गया है और फिर जांच करके बतायें कि कौनसे गांव और रह गए ।

श्री केदारनाथ : मोतीराम कमेटी का इम्पलीमेंटेशन कब करगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विचार कर रहे हैं, कैबिनट मीटिंग हुई नहीं, फैसला हुआ नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,43,40,000) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), मुख्य शीर्षक 44-सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) मुख्य शीर्षक 44–सिंचन (संयुक्त) स्थापना, तथा औजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,81,18,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40–मुख्य शीर्षक 98–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत, मुख्य शीर्षक 99–सिंचन, नौचालन तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (वाणिज्यिक), मुख्य शीर्षक 100–सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकस निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,84,32,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बजकर 46 मिनिट पर गरुवार, दिनांक 6 मई, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 628 की सूची)

सूची नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों की

1. श्री नानू पुत्र दीना गूजर	28′–6″ × 4′–10″	भूमि आम रास्ता
	57′–9″ × 28′–9″	भूमि आम रास्ता
2. श्री यासीन पुत्र दीना गूजर	(1) 39′ × 4′–	भूमि रास्ता
	(2) 48′–6″ × 6′–6″	" "
	(3) 27′–6″	" "
3. श्री रुस्तम पुत्र दीना गूजर	28′ × 4′–10″	आम रास्ता
4. श्री शेरा पुत्र पुरुषोत्तम गूजर	रास्ते की भूमि पर बाड़ा बनाया है।	

Page No 198

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 630 की सूची)

परिशिष्ट—'क'

क्र०सं०	नाम ग्राम सेवा स० स०	नाम सचिव	शिकायत कब प्राप्त हुई
1.	टोहिला ग्राम सेवा	श्री जोधराज जैन	1-11-66
2.	मांगरोली ,,	रामसिंह	15-5-68
3.	गगवाना ,,	देवीसरण मुद्गल	13-11-68
		रूपनारायण	10-4-68
4.	बछामदी ,,	बाबूलाल	17-4-64
5.	मंडरपुर को० क्र०	दीपचन्द शर्मा	5-6-61
6.	पक्का बाग ग्राम सेवा	तेजसिंह	12-3-65
7.	डिडवारी ,,	भगवानसिंह	11-6-65
8.	सेवर ग्राम सेवा	करनसिंह	16-10-62
9.	मंडरपुर एग्री० को० क्र०	पदमचन्द जैन	31-5-67
10.	नगला कवल ,,	दाताराम	30-10-68
11.	कूरवारा ग्राम सेवा	खेमसिंह	7-7-70
12.	सतपुरा ,,	जगदीश प्रसाद	9-9-70
13.	नगला आरामसिंह ग्राम सेवा	दुर्गाप्रशाद	4-4-64
14.	सोलपुर पीली बहुधन्धी	बालकिशन	31-11-66
15.	पिपरोली ग्राम सेवा	गोरधनसिंह	2-7-68
16.	घघदाडी बहुधन्धी	दुर्गाप्रसाद	1-5-67
17.	तेस्की ग्राम सेवा	बृजलाल एवं मम्मूखां	8-4-70
18.	खोह ग्राम सेवा	बाबूलाल	5-2-70
19.	पास्ता ग्राम सेवा	नत्थीलाल	4-11-69
20.	घमारी ,,	रामसिंह	6-4-70
21.	घडीटोडा ग्राम सेवा	बाबूलाल	2-2-70
		तेजसिंह	1-1-71
22.	इकलेटा ,,	बीघाराम	10-7-70
23.	सिनसिनी ,,	लछमनसिंह	10-7-70
24.	पीपला जाटवान	मगनूलाल	3-1-71
25.	सहदपुरा ग्राम सेवा	सूआसिंह	2-7-70
26.	बिलसमा ,,	कोरनसिंह	17-12-68
27.	सोमली ग्राम सेवा	नेमीचन्द	10-1-68
28.	घोलेट ग्राम सेवा	मूलचन्द	28-6-68

Page No 199

परिशिष्ट—'ख'

क्रमांक	नाम समिति		नाम निलम्बित सचिव	जिस सचिव ने चार्ज सम्भाला है
1.	गगवाना ग्राम सेवा-सहकारी समिति लि०		श्री देवीशरण मुद्‌गल	श्री रूप नारायण
2.	पीपला ,,	,,	श्री रूप नारायण श्री भजन लाल	नहीं श्री खेम सिंह
3.	तेस्की ,,	,,	श्री बृजलाल सैनी	श्री जगदीश प्रसाद
4.	सहदपुरा ,,	,,	सूबासिंह	श्री डोरीलाल
5.	मिलसवा ग्राम ,,	,,	फोरनसिंह	नहीं
6.	सोमली ,,	,,	नेमी चन्द	नहीं
7.	वोलेट ,,	,,	मूल चन्द	श्री कन्हैयालाल
8.	बदनगढ़ (ग्राम) सेवा सहकारी स० लि०		श्री लछमनसिंह	श्री शिवचरण

परिशिष्ट—'ग'

भरतपुर यूनिट की उन ग्रामसेवा सहकारी समितियों की सूची जिनके व्यवस्थापकों द्वारा गबन किया गया और उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही जारी है ।

क्र०सं०	नाम ग्रामसेवा समिति	नाम सचिव	दिनांक नियुक्ति	जिसके द्वारा नियुक्ति की गई		क्या सचिव के विरुद्ध गबन की शिकायत है ।	यदि शिकायत है तो गबन की राशि			शिकायत कब और कैसे प्राप्त हुई	
				बैंक	समिति		दिनांक गबन	राशि किस बात की	गबन की राशि	कब	कैसे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	टोहिला ग्रामसेवा	जोधराज	—	—	हां	हां	10-9-66	वसूली	621.50	1-11-66	आडिट
2	गांगारोली ,,	रामसिंह	—	—	हां	हां	13-1-69	,,	913.80	15-5-68	,,
3	गंगवाना ,,	देवीसरण	13-2-68	हां	—	हां	9-10-67	,,	7,483.34	13-11-68	,,
4	बछामदी ,,	बाबूलाल	—	—	हां	हां	17-1-64	,,	527.50	17-4-68	,,
5	गगवाना ,,	रूपनारायण	19-2-68	हां	हां	हां	6-2-60	,,	1,093.12	10-4-68	,,
6	मंडरपुर को० क०	दीपचन्द	—	—	हां	हां	5-3-60	,,	7.78	5-6-61	,,
7	पक्कावांन ग्रामसेवा	तेंजसिंह	—	—	हां	हां	10-1-65	तहसील	183.00	12-3-61	,,
8	डिढवारी ,,	भगवानसिंह	—	—	हां	हां	10-2-65	वसूली	20.31	11-5-65	,,
9	सेवर ,,	करणसिंह	—	—	हां	हां	16-10-62	,,	31,281.90	16-10-62	,,
10	मंडरपुर को० क्रो०	पदमचन्द	—	—	हां	हां	30-4-67	,,	117.27	31-5-67	,,
11	नगला ,,	दाताराम	13-2-68	हां	—	हां	26-8-67	,,	200.00	30-10-68	,,
12	कूरवारा ग्रामसेवा	खेमसिंह	2-2-68	हां	—	हां	6-4-70	,,	1,050.00	7-7-70	जांच

13	सतपुरा ,,	जगदीशप्रसाद	13-2-68	हां	—	हां	9-4-70	,,	3,433.45	9-9-70	आडिट
14	नगला आरामपुरा	दुर्गाप्रसाद	—	—	हां	हां	1-3-64	,,	196.63	4-4-64	,,
15	सौलपुर पीली बहु०	बालकिशन	2-2-68	हां	—	हां	13-9-66	,,	380.00	31-11-66	,,
16	पिपराली ग्रामसेवा	गोरधनसिंह	—	—	हां	हां	1-6-68	,,	672.27	2-7-68	,,
17	घघवाड़ो ,,	दुर्गाप्रसाद	—	—	हां	हां	1-4-67	,,	1,920.00	1-5-67	,,
18	तेरकी ,,	बृजलाल सैनी	17-12-68	हां	हां	हां	6-4-70	,,	45,436.90	8-4-70	जांच
19	खोह ,,	बाबूलाल	13-2-68	हां	—	हां	4-1-70	,,	1,209.00	5-2-70	,,
20	मास्ता ,,	नत्थीलाल	9-1-68	हां	ना	हां	2-8-69	वसूली	200.00	4-11-69	निरीक्षण
21	घमारी ,,	रामसिंह	—	—	हां	हां	1-1-70	,,	2355.61	6-4-70	,,
22	घडीटोडा ,,	बाबूलाल	13-2-68	हां	—	हां	1-1-70	,,	50.00	2-2-70	,,
23	रुफेरा ,,	बीधाराम	13-2-68	हां	—	हां	9-6-70	,,	77.50	10-7-70	,,
24	सिनसिनि ,,	लछमणसिंह	13-2-68	हां	—	हां	6-4-70	,,	1,200.00	10-7-70	,,
25	घडीटोडा ,,	तेजाराम	13-2-68	हां	—	हां	12-1-69	,,	6921.68	1-1-71	जांच
26	पीपला ,,	भजनलाल	13-2-68	हां	ना	हां	2-12-70	,,	6,099.72	3-1-71	जांच
	धौलपुर यूनिट										
27	सहदपुरा ग्रामसेवा	सुआसिंह	2-7-70	बैंक द्वारा	—	हां	—	ऋण वितरण में हेरफेर करके	2599.00	10-12-70	निलम्बित किया गया, जांच जारी है।
28	मिलसमां ,,	फोरनसिंह	17-12-68	,,	—	हां	—	वसूली से	8000.00	10-12-70	,,
29	सोमली ,,	नेमीचन्द	10-1-68	,,	—	हां	1-8-67	,,	319.00	9-3-70	,,
30	वोलेट ,,	मूलचन्द	28-6-68	,,	—	हां	—	रोकड़ में हेर फेर	जांच के बाद मालूम होगा	27-2-71	बहाल कर दिया गया है

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 635 की सूची)

Ref:—RKH/01.

N-131-Greater Kailash.
New Delhi-48.
2nd September, 1969.

The Hon'ble Minister of Tourism,
Government of Rajasthan, Jaipur.

Sir,

We take this opportunity and thank you very much for the kind courtesy and co-operation extended to us when we had the pleasure of calling on you during our last visit to Jaipur.

As desired by you we are pleased to enclose a detailed project report along with necessary drawings, plans etc. and we would request you to please give us your assistance in securing a plot of land measuring approximately 10 acres on Sawai Mansingh High Way at concessional rates from the Government.

We have initiated talks with foreign collaborators and we are very hopeful of having this collaboration with a leading International chain which would result in valuable foreign exchange earning for the Government of Rajasthan.

We are definite with your valuable assistance and support, we will be in a position to put a modern and exclusive hotel at Jaipur.

We have filed an application with the Registrar of Companies to form a Company under the name and style of R. K. Hotel's Private Limited.

We hope to have your favourable reply at an early date.

Thanking you.

Yours faithfully.

Sd/- V. R. Colly.

Encls:—as above.

cc.—The Secretary,
Department of Tourism, Government of Rajasthan, Jaipur.

cc.—The Director of Tourism,
Government of Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 641 की सूची)

सूची तारांकित प्रश्न सं० 44 सा० नि० म०

नाम सड़क	मील जिन पर कार्य कराया गया है	नाम ठेकेदार	रेट
कनवास घुलेट खानपुर	मील 0/6 से 2	श्री सुखलाल ठेकेदार	पुराने बी०एस०आर० 28% ऊपर।
,,	मील 3 से 4	,,	पुराने बी०एस०आर० 59% ऊंचा।
कनवास आवा देवली से मिलाने वाली कैथून घापा हेड़ा रोड	मील 4 से 5	श्री गुरबक्स सिंह	पुराने बी० एस० आर० से 30·50% ऊपर।
सुकेत रामगंज मण्डी कुदलिया नाला	मील 48/4	श्री मुलकराजसिंह	पुराने बी० एस० आर० 30·50% ऊंचा ।

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 642 की सूची)

अभियोग संख्या 3 दिनांक 20-2-71 धारा 407, 302, 380 भा० द० सं०, थाना किशनगंज, जिला कोटा की तफतीश में सी० ओ० द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति तफतीश हेतु बुलाए गये हैं :—

ता० 15-3-71:

(1) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र रघुवीरसिंह, पी० एम० अमरेसा, मास्टर सेकण्डरी स्कूल, किशनगंज

ता० 18-3-71:

(1) श्री बजरंग पुत्र मुखा, निवासी भूपालपुरा
(2) श्री राजाराम पुत्र हरबक्स, निवासी धूलीभरा

ता० 19-3-71:

(1) श्री रामनारायण पुत्र गोपीलाल, निवासी छीपाबड़ौद
(2) श्री नन्द किशोर पुत्र गोपीलाल, निवासी नालाखेड़ी
(3) श्री रमेश पुत्र सूरजमल, निवासी गुमानपुरा
(4) श्री कन्हैया लाल वकील, निवासी छबड़ा

ता० 20-3-71:

(1) श्री माधोलाल पुत्र प्यारेनाथ, निवासी नाचौडा

ता० 21-3-71:

(1) श्री भोतपाल पुत्र भेरुलाल, निवासी हनुमतखेड़ा

ता० 22-3-71:

(1) श्री हसरफ अली पुत्र रहमान खां, सा० भंवरगढ़

ता० 23-3-71:

(1) श्री मांगीलाल पुत्र माधो, निवासी किशनगंज

ता० 24-3-71:

(1) श्री नन्द किशोर पुत्र केशरी लाल, मास्टर अकलेरा,
(2) श्री कन्हैयालाल, पुत्र बजरंगलाल, निवासी किशनगंज
(3) श्री दुलीचन्द पुत्र श्रीलाल, निवासी किशनगंज
(4) श्री भंवर लाल पुत्र सुखाजी, निवासी किशनगंज
(5) श्री सवदर अली पुत्र असरफ अली, निवासी किशनगंज
(6) श्री जीवनलाल पुत्र रमणिक लाल, निवासी किशनगंज
(7) श्री प्रभूलाल पुत्र भैरूलाल तमोली, निवासी किशनगंज
(8) श्री गौरी शंकर पुत्र रामकिशन महाजन, निवासी किशनगंज
(9) मुसम्मात गंगाबाई पत्नि भैरूसिंह, निवासी गाडीपटा
(10) श्री भैरू सिंह, निवासी गाडी पट्टा
(11) श्री गुलाब, निवासी गाडी पट्टा
(12) श्री टुन्डा, निवासी गाडी पट्टा
(13) श्री मांगीलाल पुत्र गोपाल, निवासी राडेक थाना बडोदा
(14) श्री भैरुलाल पुत्र सवदुलाल, निवासी बडोदा
(15) श्री शम्भूदयाल पुत्र गोपाल, निवासी बडोदा
(16) श्री रामनाथ पुत्र श्योलाल तेली, सा० बगलदा
(17) श्री रमेशचन्द्र मेहर, सा० मंडोला

ता० 25-3-71:

(1) श्री बजरंगलाल पुत्र सुखदेव तेली, नि० रामगढ़
(2) श्री रामकरण तेली, नि० रामगढ
(3) श्री माधोलाल पुत्र रामसुख तेली, नि० रामगढ
(4) श्री प्रताप पुत्र किशनसिंह, नि० गाडी पट्टा
(5) श्री श्रीकल्याण सिंह, नि० गाडी पट्टा
(6) श्री छटनसिंह, नि० गाडी पट्टा
(7) श्री गुलाब, नि० गाडी पट्टा

ता० 26-3-71:

(1) श्री अम्बालाल धाकड, नि० किशनगंज
(2) श्री नथूलाल पुत्र माधोलाल, नि० किशनगंज
(3) श्री ओमप्रकाश पुत्र केदारनाथ, नि० किशनगंज
(4) श्री रामप्रसाद, नि० किशनगंज
(5) श्री नट्टी बाई, नि० किशनगंज
(6) श्री जगन्नाथ चमार, नि० किशनगंज

(7) श्री बदरीया चमार, नि० किशनगंज
(8) श्री जगन्नाथ वरागी, नि० बडगांव
(9) श्री चुन्नीलाल, नि० बडगांव
(10) श्री अनारसिंह पुत्र रामलाल, नि० असवा

ता० 27-3-71 :

(1) श्री रामचरण नाकेदार, नि० किशनगंज
(2) श्री माधोलाल रामसुख तेली, नि० रामगढ
(3) श्री प्रभुलाल पुत्र भैरूलाल, नि० किशनगंज
(4) श्री नन्दकिशोर मास्टर, नि० किशनगंज
(5) श्री कोडीलाल पुत्र सुखदेव, नि० रामगढ
(6) श्री बजरंगा तेली पुत्र सुखदेव, नि० रामगढ
(7) श्री अमरलाल धाकड, नि० किशनगंज
(8) श्री श्रीलाल पुत्र जांधा चमार, नि० किशनगंज
(9) श्री नगजी मेहर कुलीजा
(10) श्री राजाराम पुत्र हरबक्स मेहर, नि० कुलीजा
(11) श्री प्रभु पुत्र नकजी मेहर, गरडा
(12) श्री रामचन्द्र पुत्र किशनलाल, सा० मंडोरा
(13) श्री रामचन्द्र पुत्र रणजीत, रयोधन थाना बडोरा
(14) श्री बजरंग पुत्र निहालचन्द, नि० किशनगंज

तारीख 28-3-71 :

(1) श्री मुसम्मात सुन्दर बेवा धुलीलाल, नि० किशनगंज
(2) श्री चन्दालाल धाकड, नि० किशनगंज
(3) श्री मोतीलाल पुत्र डालू, नि० किशनगंज
(4) श्री रतनलाल पुत्र धाकडलाल, नि० किशनगंज
(5) श्री दोलिमा पुत्र मंगलिया चमार, नि० किशनगंज
(6) श्री देवीलाल पुत्र रामचन्द्र, नि० किशनगंज
(7) श्री प्रभुलाल पुत्र मांगीलाल, नि० किशनगंज
(8) श्री जमुनालाल पुत्र नारायण नामक, नि० हमलावदा
(9) श्री गोविन्दा पुत्र गिरधारी चमार, नि० किशनगंज
(10) श्री नाथूलाल पुत्र ग्यासीलाल, सा० किशनगंज
(11) श्री श्रीलाल पुत्र हीरालाल तेली, सा० कोयला
(12) श्री किशोर पुत्र धुलीलाल तेली, सा० कोयला
(13) श्री श्रीलाल पुत्र फतेलाल तेली, सा० देवली जोधा हाल बोरा
(14) मु० नर्बदा पत्नि श्रीलाल, सा० किशनगंज

Page No 207

तारीख 29-3-71 :

(1) श्री श्यामसिंह पुत्र संग्रामसिंह मास्टर, नि० बासंतनी
(2) श्री बालाबक्स पुत्र रामगोपाल धाकड़, नि० किशनगंज
(3) श्री रतनलाल धाकड़, नि० किशनगंज

तारीख 30-3-71 :

(1) श्री जगनाथ पुत्र चन्दाजी, सा० लाखेरी

तारीख 31-3-71 :

(1) श्री कमलप्रसाद पुत्र घासीलाल, नि० किशनगंज
(2) श्री मदनलाल पुत्र रामचन्द्र, नि० किशनगंज
(3) श्री भवानी शंकर पुत्र रामचन्द्र, नि० किशनगंज

तारीख 1-4-71 :

(1) श्रीमती सुखा पत्नि सूरजमल, नि० पिपलखेड़ी

तारीख 2-4-71 :

(1) श्री रामनाथ पुत्र केदारनाथ, सा० ठिकरिया
(2) श्री मांगीलाल पुत्र गंगानाथ, सा० चिमा
(3) श्री कालूनाथ, सा० आमने

तारीख 8-4-71 :

(1) श्री गोपाल पुत्र मोती, सा० पिपलखेड़ी
(2) श्री बलका पुत्र गेंडाराम, सा० पिपलखेड़ी

तारीख 9-4-71 :

(1) श्री भवानी शंकर महाजन, नि० किशनगंज
(2) श्रीमती नकटी, किशनगंज
(3) श्री रामरतन पुत्र गजानन्द, नि० किशनगंज
(4) श्री कजोड़ पुत्र देवलाल, सा० सोडाना
(5) श्रीमती घीसी बाई, सा० किशनगंज
(6) श्री रामकरण जाट नि० किशनगंज
(7) श्री हीरासिंह पुत्र संग्रामसिंह, नि० मीसाई
(8) श्रीलाल पुत्र मोती, सा० मीसाई
(9) श्री गोपाल पुत्र नारायण, सा० झालापुरा

तारीख 9-4-71 :

(10) श्री भेरूलाल पुत्र श्रवणलाल, सा० शीशवाली
(11) श्री सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र रघुवीरसिंह, सा० किशनगंज
(12) श्री रामचन्द्र पुत्र रणजीत, सा० रतोधन
(13) श्री दूलीचन्द पुत्र श्रीलाल, नि० किशनगंज
(14) श्री रहमण पुत्र मांगेकाजी, नि० कल्याणपुरा

तारीख 10-4-71 :

(1) श्री श्यामसिंह पुत्र संग्रामसिंह, सा० किशनगंज
(2) श्री रामनिवास एक्स हैड कानि०, नि० किशनगंज
(3) श्री बाबू पुत्र दौलतराम, नि० किशनगंज
(4) श्री मीमा पुत्र केवलदास कोली, नि० किशनगंज
(5) श्री सूवा पुत्र गोपीचन्द, नि० किशनगंज

तारीख 11-4-71 :

(1) श्री गोपाल पुत्र मोतीलाल, नि० पिपलखेड़ी
(2) श्री मंजा मीणा, सा० पिपलखेडी
(3) श्री बल्या बणजारा, सा० पिपलखेडी
(4) श्री रतला नाथ पुत्र मांगीनाथ, सा० पिपलखेड़ी
(5) श्री रामनारायण पुत्र गोरधन, सा० पिपलखेड़ी
(6) श्री मोतीलाल पुत्र मोरधन माली, नि० किशनगंज
(7) श्री रामनारायण कान०, चौकी कडेया हाट
(8) श्री रघुनाथ पुत्र अमरचन्द, सा० शेरपुर, जिला गुना
(9) श्री कंवरलाल पुत्र खुमानसिंह, सा० शेरपुर
(10) श्री सुगन पुत्र भूरसी, सा० मिसनवाड़ा
(11) श्री भवानी दास पुत्र हेमराज, नि० दवाली
(12) श्री छेमनदास पुत्र हेमराज, नि० दवाली
(13) श्री गजानन्द पुत्र धन्नालाल, नि० गदासी
(14) श्री चतुर्भुज पुत्र रामलाल, नि० दवाली

परिशिष्ट 6

(ता० प्र० सं० 643 की सूची)

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

क्रमांक 15860 दिनांक 24-6-69

मंत्री,

रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल समिति,

आदर्शनगर, जयपुर-4

विषय:—रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल के लिए भूमि आवंटन।

सन्दर्भ:—आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-5-69

———

महोदय,

जनता कालोनी योजना के अन्तर्गत रवीन्द्रनाथ टैगोर स्कूल को 8433 वर्ग गज रवीन्द्र टैगोर स्कूल के भवन निर्माणार्थ दिये जाने का निश्चय नगर विकास न्यास द्वारा किया गया है। न्यास के निर्देशानुसार यह भूमि अनिर्धारित दर से आये मूल्य अर्थात् 3/- रु० प्रति व० ग० आवंटित की गई के साथही 2.50 प्रतिशत प्रति वग गज प्रति वर्ष शहरी जमा बन्दी देय होगी।

यह आवंटन विद्यालय को निम्नलिखित शर्तों पर आवांटित किया गया है :-

1. आवंटित भूमि केवल शैक्षणिक कार्यों के उपयोग में ही लाई जावेगी।

2. यदि यह भूमि अन्य किसी उपयोग में लाई गई तो न्यास बिना कोई मुआवजा दिये ही इसे निर्मित भवन सहित वापिस ले लेगा।

3. उक्त भू-खण्ड पर 6 माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर लिया जावेगा तथा दो वर्ष के अन्दर 2 निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो जायेगा। निर्माण कार्य न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार होगा।

अतएव उक्त भूमि को सारी नजराने की राशि एक मुश्त में इस पत्र की प्राप्ति के बाद एक माह में जमा करायें।

Page No 210

देय धनराशि का विवरण :

1. भू-खण्ड का मूल्य नजराना 8,433-33 वर्ग गज		रु० पैसे
का दर 3/- प्रति वर्ग गज	...	25,299.99
2. साईट प्लान का मूल्य	...	5.50
3. साईट प्लान की डुप्लीकेट कापी का मूल्य		2.50
4. शहरी जमा बन्दी की दर 2½ प्रति वर्ष		पजेशन जारी होने की तिथि से
		25,307.49

ह० राधेकान्त शर्मा,
सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।

प्रतिलिपि:—

1. लेखा शाखा, नगर विकास न्यास, जयपुर।
2. ओवरसीयर, हल्का साईट प्लान की प्रतिलिपियां 10 रोज के भीतर तैयार करने के सम्बन्ध में।

ह० राधेकान्त शर्मा,
सचिव,
नगर विकास न्यास, जयपुर।

परिशिष्ट 7

(ता० प्र० सं० 644 की सूची)

– सूची –

क्र० सं०	नाम	जिलाधीश कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पहुंचने की तारीख	राशि की मांग
1	2	3	4
(1)	श्री उसमान पुत्र महमदबक्ष	14-5-66	3,000) रु०
(2)	श्री अल्लाबेली पुत्र महमदबक्ष	"	4,000) रु०
(3)	श्री गुलेसर पुत्र लालमोहमद	"	2,000) रु०
(4)	श्री रहीमबक्ष पुत्र हुसैनबक्ष	13-5-66	2,000) रु०
(5)	श्री गुलाब पुत्र रजाक	4-8-67	2,000) रु०
(6)	श्री गीसू पुत्र अलामजी	"	2,000) रु०
(7)	श्री अब्दुल गनी पुत्र रहीम बक्ष	23-8-67	2,000) रु०
(8)	श्री फकीर मोहम्मद पुत्र हुसेनबक्ष	"	3,000) रु०
(9)	श्री बजीर मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद	24-8-67	2,000) रु०

परिशिष्ट 8

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बाली तहसील में अकालराहत कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

647. **पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाली तहसील में कौन कौनसी सड़के अकालराहत कार्यों के अन्तगत सार्वजनक निर्माण विभाग द्वारा 1967 के पश्चात् हाथ में ली गई थीं ? जिनमें से कौन कौनसी सड़कें प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत थीं ?

(2) प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों म से कौन कौन सी सड़कें अपूर्ण है और उन्हे पूर्ण करवाने हेतु क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है–सादड़ी-पिण्डवाड़ा सड़क प्लान में स्वीकृत है ।

(2) सादड़ी से पिण्डवाड़ा ग्रेवल रोड़ पर कार्य चालू है ।

सूची तारांकित प्रश्न संख्या 175/सा०नि०मं०

बाली तहसील में 1967 के पश्चात् राहत कार्यों में स्वीकृत सड़कों की सूची:–

नाम रोड़

ग्रेवल रोड़ :

1. बाली से पिंड़वाड़ा
2. बाली से खुडाला
3. सादड़ी-पिंडवाडा–अपूर्ण
4. रानी से मुंडारा
5. सेमल से फालना
6. बीजापुर से गोरीया
7. अपरभीमाना से लोवर भीमाना
8. काकड़ा से बेरा
9. नाना से मुण्डेरा

बी० टी० रोड्स:

10. बाली से फालना स्टेशन
11. फालना से स्टेशन सादड़ी

मेटल्ड रोड़ :

12. साण्डेराव से तख्त गढ

जिला चित्तोड़गढ़ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का ट्रांसफर

629. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चितौड़गढ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि चितौड़गढ जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट का 1970-71 में ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो फिर किस कारण से कैंसिल किया गया ?

(2) क्या यह सत्य है कि शीतकालीन अधिवेशन के समय चितौड़गढ़ जिले के समस्त एम० एल० एज० का डेपूटेशन मुख्य मंत्रीजी से मिलकर उनके समक्ष ट्रांसफर कर देने की कोई मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(3) क्या उसमें डिप्टी मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने इस कार्यवाही की पहल की थी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सत्य है कि चितौड़गढ़ के पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट का स्थानान्तरण आदेश माह अक्टूबर, 1970 में दिया गया था परन्तु प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए उन आदेशों को निरस्त किया गया ।

(2) जी नहीं । समस्त एम० एल० एज० ने उक्त पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये नहीं कहा था ।

(3) ी नहीं ।

राजस्थान में सक्रिय पाक जासूस व तस्करी गिरोह

650. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान में काफी तादाद में पाकिस्तान के जासुस व तस्करी करने वाले गिरोह पनप रहे हैं ? यदि हां, तो इन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कितने जासूस व तस्कर पकड़े गये है ? कितने फरार हैं ? नामों सहित थाने वाइज सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

यह सत्य नहीं है कि पाक जासूसी गिरोह पनप रहे हैं । परन्तु इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध गुप्तचर विभाग सतर्क है और सन् 1965 से 1970 तक 17 जासूस गिरोह पकड़े गये हैं जिनमें से तीन व्यक्ति फरार है । मुल्जिमान के नाम आदि बताना जनहित में नहीं है ।

भीमनी ग्राम में अलाट की गई भूमि

651. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीमनी ग्राम, तहसील पंचपहाड़, जिला झालावाड़ में 11 व्यक्तियों को सन् 66 में जो अनुसूचित जाति के थे भूमि एलॉट हुई थी जिन्हें पट्टे समय पर दे दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों को जो भूमि एलॉट हुई उसे वहीं झोंपड़ियां बनाकर जमीन को जोता और फसलें बोई परन्तु श्री हरि सिंह सरपंच, गुराडिया कलां, तहसील पंचपहाड़ ने सब झोंपड़ियों में आग लगा दी और इन व्यक्तियों को भगा दिया और जमीन पर कब्जा कर फसल काटली और अभी भी इन्हीं (सरपंच) के कब्जे में जमीन है ?

(3) क्या इसकी रिपोर्ट जिलाधीश झालावाड़ व पुलिस में की गई परन्तु कोई केस नहीं बनाया और नहीं उपरोक्त व्यक्तियों की जमीन वापिस दिलवाई गई ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ग्राम सालरिया में ग्राम भीमनी के 10 व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट को सन् 66

(राजस्व मंत्री)

में भूमि का आवंटन तहसील पचपहाड़ द्वारा किया गया था । इनमें से 6 व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये । 4 व्यक्तियों ने दखल नहीं दिया इसलिये पट्टे भी जारी नहीं हुए ।

(2) झोंपड़ियां वहीं बनाकर फसल बोने एवं हरीसिंह सरपंच द्वारा झोंपड़ियों में आग लगाने एवं एलाटी को भगाने बाबत तहसील की फायल में रेकार्ड नहीं है ।

(3) प्रार्थीयान द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत दरख्वास्त जिलाधीश को भेजी गई जिस पर उन्होंने अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, झालावाड को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट भेजने को लिखा अभी पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं आई है ।

तहसील डूंगरगढ़ के ग्रामों में पीने के पानी का अभाव

652. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ तहसील के तौलियासर, जैतासर और घौलिया गांवों में पीने के पानी का भारी अभाव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत 24 वर्ष से खोदते खोदते तौलियासर ग्राम के भैरुंजी के मन्दिर के पास वाले कुए में लगभग पांच सौ फुट गहराई पर भारी मात्रा में मीठा पानी निकला है परन्तु गहराई अधिक होने के कारण पानी खींच कर निकालना मुश्किल हो रहा है ।

(3) क्या राज्य सरकार इस कुए में मशीन लगाकर जल-प्रदाय योजना बनाकर इन गांवों के पीने के पानी की समस्या सुलझायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? इन गांवों की आबादी और पशु संख्या क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां

(3) जी हां । जलप्रदाय योजना के लिए विस्तृत सर्वे का कार्य किया जा रहा है । इन गांवों की सन् 1961 की जनगणना के अनुसार आबादी निम्न प्रकार है:—

गांव	आबादी
तौलियासर	1,100
जैतासर	621
घौलिया	239
योग..	1,960

इन गांवों में पशु संख्या का विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

गैर सरकारी व्यक्तियों को दिये गये सरकारी भवन

653. **श्री भवणलाल** (हिन्डोन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री अवणलाल)

की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कुछ सरकारी अधिकारी सरकारी नौकरियों से दूसरे विभागों में डेपूटेशन पर जाने के वाद भी सरकारी भवन खाली नहीं कर गये हैं और अभी भी उन्हीं के नियन्त्रण में हैं ? यदि हां, तो किस किस क्लास के भवन किस किस अधिकारी के पास कब कब से है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि वे सरकारी भवन जो नियमित सरकारी नौकरियों में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये है कुछ गैर सरकारी लोगों को भी दिये हुये है ? यदि हां, तो किस किस क्लास के भवन किस किस गैर सरकारी व्यक्ति को, कब कब से और कितने किराये पर दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में काश्त योग्य भूमि का आवंटन

654. **श्री केसरीसिंह हाडा** : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्दर वर्ष 1967-70 में भूमिहीन किसानों 2,26,000 बीघा काश्त योग्य भूति आंवटित की गई है ?

(2) क्या यह भूमि आरजी तौर पर एक साल की काश्त के लिये आवंटित की गई है ?

(4) क्या गत वर्ष उपनिवेशन विभाग द्वारा 42,000 बीघा केवल तीन वर्षों के लिये आवंटित की गई थी ?

(4) कुल भूमि जो आवंटित की गई वह क्या अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को ही की गई है या समस्त भूमिहीनों को ?

उत्तर

(1) जी नहीं 1967-70 तक भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों को निम्न प्रकार हुआ:—

वर्ष	आवंटित भूमि बीघों में
1967-68	1,61,875
1968-69	1,16,097
1969-70	2,63,435

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) भूमि का यह आवंटन समस्त वर्ग के भूमिहीन किसानों को किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के भूमिहीन किसान भी शामिल है। सितम्बर, 70 से उपलब्ध भूमि (एक साल के लिये) केवल अनसूचित जाति व जन-जाति को आवंटित की गई है।

प्रश्नकर्ता ने 1966-70 में यह बताया है कि भूमिहीन किसानों को 2,26,000 बीघा काश्तयोग्य भूमि आवंटित की गई है। वास्तव में 1966-70 में कुल 5,41,407 बीघा भूमिहीन किसानों को आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

सन्	आवंटित भूमि बीघों में
1967-68	1,61,875
1968-69	1,16,097
1969-70	2,63,435

1970-71 में कुल 3,26,492 बीघा भूमि अस्थाई आवंटित की गयी है। आरजी काश्त शर्तें, 1955 की शर्त सं० 8 में 26 सितम्बर, 1970 को संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एक साल के लिए भू आवंटित केवल अनुसूचित जाति व जन-जाति को ही करने का प्रावधान रखा है। सितम्बर, 70 के बाद में इन्हें जो भूमि आवंटित की गई है तथा जो आंकड़े सन् 1969-70 के बताय ह उनम इनके आंकड़े भी शामिल हैं। 1970-71 में कुल आरजी काश्त के लिये 1,54,776 बीघा कमांड व 1,81,716 बीघा अनकमांड अलॉट की गयी थी इसमें से केवल हरिजनों को 61,753 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। सन् 1970-71 में तहसीलवार निम्न प्रकार से भूमि उपलब्ध है:

नाम तहसील	कमांड (बीघों में)	अनकमांड (बीघों में)	मीजान (बीघों में)
1. हनुमानगढ़	465	718	1,183
2. नोरंगदेसर	980	933	1,918
3. रावतसर	1,399	15,155	16,554
4. सूरतगढ़ नं० 1	1,325	65,975	67,300
5. सूरतगढ़ नं० 2	4,185	2,74,657	2,78,842
6. सूरतगढ़ नं० 3	4,923	64,567	69,490
7. अनूपगढ़	13,167	223	13,390
8. विजयनगर	12,128	8,944	21,132
9. रायसिंहनगर	1,059	46,580	47,639
10. छत्रगढ़ नं० 1	88,360	2,53,392	3,41,952
11. छत्रगढ़ नं० 2	25,938	4,15,184	4,41,122
12. घड़साना	6,400	1,28,042	1,34,442
13. बीकानेर	—	5,47,445	5,47,445
14. पूगल	8,010	9,06,052	9,14.062
15. लूनकरणसर	—	59,286	59,286
योग ...	1,68,399	24,17,353	25,85,782

स्थगित प्रश्न

(22-4-71)

गम्भीरी परियोजना एवं ओराई क्षेत्र में भूमि का आवंटन

422. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) चित्तौड़ जिले के गम्भीरी परियोजना व औराई क्षेत्र में किस किस व्यक्ति को, कब कब, कितनी कितनी भूमि का किस किस अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है ? आवंटितों की एक तालिका मय नाम व पूर्ण पते सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कृपया यह भी बतायें कि इसमें सरकारी कर्मचारी कौन कौनसे हैं और किस किस पद पर हैं ?

(ख) उपरोक्त आवंटितों में इस आवंटन से पूर्व कहां कहां, कितनी कितनी भूमि काश्त में थी ? कृपया आवंटन हेतु प्रस्तुत विवरण में दिये गये विवरण के अनुसार तालिका प्रस्तुत करें।

(ग) इस परियोजना क्षेत्र में कितना और किस किस प्रकार का आरक्षण किया गया था और उसके अनुसार कितना आवंटन हुआ है ?

(घ) इस आवंटन के लिये आवेदन-पत्र कब और किस दिन तक मांगे गये ? कितने आवेदन-पत्र आये और कितनों को भूमि का आवंटन किया गया ?

(ङ) जिन व्यक्तियों के भूमि के आवंटन के पत्र खारिज किये गये उनमें भीलवाड़ा जिले की किस किस तहसील के कितने कितने हैं ?

(च) कितने व्यक्तियों को आवंटित एरिया अधिकार मिल गया, और कितने को नहीं ?

उत्तर

(क) तालिका सदनकी मेज पर रखदी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी तालिका के कॉलम 11 व 12 में सूचना दे दी गई है।

(ग) गंभीरी परियोजना क्षेत्र में 3,551) बीघा 11 बिस्वा भूमि अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों तथा पंचायतों के आवंटन के लिये आरक्षित की गई थी इसमें से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1,105) बीघा व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को 438) 2तथा पंचायत को 65 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन की गई।

ओराई परियोजना क्षेत्र में आवंटन के पूर्व निजी भूमि का प्रस्ताव नहीं किया गया था लेकिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 842), बीघा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को 278 बीघा एवं पंचायत तथा पंचायत समितियों को 107) बीघा भूमि आवंटन की गई।

(घ) स आवंटन के लिये आवेदन-पत्र विज्ञप्ति दिनांक 31-5-68 तथा 12-8-68 के द्वारा क्रमशः दिनांक 20-6-68 तथा 11-9-68 तक मांगे गये। कुल आवेदन-पत्र 3,471 आये जिनमें से 2,838 को भूमि का आवंटन किया गया।

(ङ) भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के 29 आवेदन-पत्र हैं।

(च) 1,313 व्यक्तियों को जमीन पर कब्जे दे दिये गये हैं तथा 1,025 को कब्जे नहीं दिये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

Page No 218

परिशिष्ट 9

(ता० प्र० सं० 633 की सूची)

सूची ग्रामवार तहसील बानसूर जहां कि तहसीलदार साहब ने पिछली साल सिवाय चक जमीन पर नाजायज बस्ती को रेगुलराईज किये और उन्हें हकूक खातेदारी की तथा खातेदारी के इन्तकाल मन्जूर किये।

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
1.	सूडली	28.	खाटोणी
2.	रामपुर	29.	खटोणी
3.	सानपुरी	30.	खटोणी
4.	रामपुर	31.	खटोणी
5.	रामपुर	32.	रामपुर
6.	रामपुर	33.	हाजीपुर
7.	रामपुर	34.	मीरापुर
8.	रामपुर	35.	मीरापुर
9.	नाथूसर	36.	मीरापुर
10.	छीरपुर	37.	मीरापुर
11.	छीरपुर	38.	मडोगा बसई
12.	वासण	39.	बाबरिया
13.	बांनसूर	40.	बाबरिया
14.	बाढ भावासिंह	41.	बाबरिया
15.	डगुवास	42.	नाथूसर
16.	नाथूसर	43.	नाथसर
17.	हाजीपुर	44.	छीटपुर
18.	छीड	45.	रामपुर
19.	छीड	46.	रामपुर
20.	छीड	47.	नाथूसर
21.	छीड	48.	कल्यानगर
22.	हाजीपुर	49.	बानसूर
23.	हाजीपुर	50.	मुगलहपुरा
24.	हाजीपुर	51.	बुटेरी
25.	मंडिया बसई	52.	रामपुर
26.	खाटोणी	53.	मुन्दपुरा
27.	खटोणी	54.	मुगरनपुर

परिशिष्ट 10

(ता० प्र० सं० 636 की सूची)

सूची 'क'

स्पेशल फंड फोर रिकन्सट्रक्शन रिहेबिलिटेशन फंड में वर्षवार निम्न प्रकार राशियां प्राप्त हुई:—

वर्ष	रकम जो प्राप्त हुई
	रु०
1967	35,04,100.00
1968	4,44,600.00
1969	4,44,600.00
1970	1,15,000.00
योग ..	45,08,300.00

निम्न राशियां निम्न वर्षों में सचिव, जिला सैनिक, नाविक एवं वैमानिक मण्डलों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को भुगतान किया गया:—

वर्ष	रकम
1969	6,683.33
1970	2,69,515.48
1971	74,790.00
योग ..	3,49,980.81

सूची 'ख'

स्पेशल फण्ड फोर रिहेबिलीटेशन ऑफ एक्स सोल्जर्स से वितरण की गई छात्रवृत्ति के छात्रों की सूची:— परिशिष्ट—क

छात्र का नाम	शिक्षण संस्था का नाम	वर्ष	कक्षा	राशि का भुगतान	विशेष विवरण
1. राकेशकुमार पुत्र ले० नायक कलीराम गुप्ता	मालविया इंजीनियरिंग कॉलिज, जयपुर	1969-70	प्रथम वर्ष बी० ई०	रु० 1,250.00	
उपरोक्त	उपरोक्त	1970-71	द्वितीय वर्ष बी०ई०	रु० 1,125.00	
2. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र के० मोतीसिंह	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1970-71	अन्तिम वर्ष एम०बी०बी०एस०	रु० 1,125.00	
3. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र ना० सु० गोविन्दसिंह	सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	1970-71	6 सेमस्टर ,,	रु० 1,447.00	
4. श्री सम्पतसिंह माई जयसिंह	सरदार मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	1970-71	9 सेमस्टर ,,	रु० 957.74	
5. श्री बजरंग सिंह पुत्र ह० कल्याणसिंह	पोलीटेक्निक कॉलेज, बीकानेर	1968-69 1969-70	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	रु० 333.33 रु० 1,100.00	
		1970-71	तृतीय वर्ष	रु० 900.00	
6. श्री हरीसिंह पुत्र ह० हनुमानाराम	इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर	1970-71	अन्तिम वर्ष बी० ई०	रु० 750.00	
			योग..	रु० 8,988.81	

परिशिष्ट 11

(ता० प्र० सं० 639 की सूची)

List of State Tubewells operated by this Department in Jalore District.

S. No.	Name and location of tubewell	Expenditure of construction and operation of tubewells	Area irrigated in acre	Distance from the Road
1.	Keshwana	Rs. 83,741.00	80	½ K. m.
2.	Tilora	Rs. 1,21,233.00	40	3 K. m.
3.	Un	Rs. 83,560.00	40	3 K. m.
4.	Degaw	Rs. 77,518.00	28	6 K. m.
5.	Kura	Rs. 1,49,463.00	16	On the road side
6.	Mithri	Rs. 83,757.00	15	9 K. m.
7.	Megalwa	Rs. 1,16,029.00	10	6 K. m.
8.	Golia	Rs. 98,381.00	5	1½ K. m.
9.	Sarau	Rs. 1,18,141.00	..	On the road side
0.	Dadae	Rs. 1,32,748.00	..	3 K. m.
11.	Surana	Rs. 1,08,413.00	..	½ K. m.
12.	Elana	Rs. 79,437.00	..	On the road sido
13.	Bajora	Rs. 1,14,934.00	..	¼ K. m.

परिशिष्ट 12

(अता० प्र० सं० 405 की सूची)

क्र० सं०	योजना का नाम	व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	संख्या	क्षेत्रफल	दर	आवेदन-पत्र की तिथि	आवन्टन की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मोती डूंगरी योजना	श्रीमती कान्ता खतूरिया	श्री मोजराज	ए-1	667.88	6/-	4-9-55	6-11-69	आवन्टन निरस्त कर दिया है व अन्य जगह आवंटन की कार्यवाही चल रही है।
2	,, ,,	श्री एच० के० व्यास	श्री मगराज	ए-2	666.66	6/-	7-2-70	7-2-70	
3	,, ,,	श्री राजकुमार भाटिया	श्री अमरनाथ	ए-3	666.66	6/-	25-8-56	7-2-70	
4	,, ,,	श्री कपूर चन्द्र कुलिश	..	ए-4	824.16	6/-	...	27-12-69	मुआवजे के प्राप्त आवन्टन किया गया एवं विनिमय में क्रम 37 पर दिया।
5	,, ,,	श्री चुन्नीलाल गुप्ता	श्री राजेन्द्रकुमार	ए-7	666.66	6/-	23-7-55	16-1-71	आवन्टन निरस्त कर दिया है। व अन्य जगह के आवन्टन की कार्यवाही चल रही है।

6	मोती डूंगरी योजना (विस्तार)	श्री हेरेन्द्रसिंह	श्री ईश्वरी सिंह	ए— 8	1212.38	6/-	18-11-58	8-1-71	
7		श्री सरदारमल सांघी	श्री जोरमल	एसबी 1	1093.86	6/-	25-5-55	21-8-69	
8	,, ,,	श्री मुकट बिहारी माथुर	श्री चमनलाल	एसबी 2	995.97	6/-	20-4-58	28-8-69	
9	,, ,,	श्री यूसफ	श्री रतना	एलपी 3	957.98	6/-	22-12-58	28-8-69	
10	,, ,,	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव	श्री रंगीलाल	एसपी 4	977.88	6/-	17-2-56	28-8-69	
11	,, ,,	श्रीमती मुनिबाई	श्री गोविन्दराम	एसपी 5	996.88	6/-	27-1-59	29-9-69	
12	,, ,,	श्री तुलसीराम	श्री धमतराम	एसपी 5	995.07	6/-	14-2-58	24-12-69	
13	,, ,,	श्री उदयसिंह	श्री महाराजा किशनसिंह	एसपी 7	558.40	6/-	3-1-67	28-9-69	
14	,, ,,	श्री गोविन्दराम	श्री गंगाबक्ष	एसपी 8	300.40	2.25	17-8-53	27-12-69	
15	,, ,,	श्री दुर्गाप्रसाद पारीक	श्री रामलाल	एसपी 9	300.00	6/-	8-2-59	नागरी व भाषा में विनिमय में किया।	
16	,, ,,	श्री रामजीलाल गुप्ता	श्री भंवरलाल	एसपी 10	300.00	3/-	18-12-59	3-1-70	
17	,, ,,	श्रीमती चन्द्रवती देवी	..	एसपी 11	300.00	3/-	1950	5-1-70	
18	,, ,,	श्री हरिशंकर	श्री भूराराम	एसपी 12	300.00	3/-	18-12-69	24-1-70	
19	,, ,,	श्री मनोहरलाल जैन	..	एसपी 13	300.00	4/-	21-1-61	26-3-70	
20	,, ,,	श्री यू०एस०मेनन	श्री मंगल	एसपी 14	300.00	6/-	1-3-54	6-6-70	
21	,, ,,	श्री महेन्द्र जैन	श्री अमरचन्द्र	एसपी 15	386 00	4/-	25-11-56	26-2-70	
22	बापूनगर योजना (प्राकृतिक चिकित्सालय के पीछे)	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	..	एच 1		4/-	19-1-70	25-8-70	गांधी शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष में आवंटन किया गया।
23	,, ,,	श्री कृष्णकान्त व्यास	श्री रामकिशोर व्यास	एस 2	अनु० 1000 व.ग.	6/-	17-2-58	10-8-70	प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया गया। विनिमय क्र 36 पर किया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	मोती डूंगरी योजना	श्री जयनारायण	श्री रामदेव	एस 3	अनु. 1,000 व० ग०	4/-	16-2-70	28-3-70	गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आवंटित किया गया।
25	,, ,,	श्री जमनालाल बैरवा	श्री नानगराम	एस 4	,,	6/-	21-2-70	28-8-70	गांधी शताब्दी वर्षके उपलक्ष में आवंटित किया गया।
26	डी० पी० कॉलोनी	श्री देवीदास	श्री चन्द्रमल	148	355 5	1/-	20-10-69	12-12-69	
27	,, ,,	श्री रिड़मल	श्री हीतचन्द	149	194.44	1/-	26-10-69	12-12-69	
28	,, ,,	श्री टेकचन्द	श्री केदारमल	150	194.44	1/-	29-11-69	12-12-69	
29	,, ,,	श्री रूपचन्द	श्री लखनमल	151	194.44	1/-	26-10-69	12-12-69	
30	,, ,,	श्री मेवाराम	श्री लाभचन्द	152	222.22	1/-	26-10-69	12-12-69	
31	,, ,,	श्री कितमल	श्री फर्मदास	153	194 44	1/-	25-11-69	12-12-69	
32	,, ,,	श्री आसनदास	..	154	194.44	1/-	28-11-69	9-3-70	
33	,, ,,	श्री ठाकुरदास	श्री जमलदास	155	194.44	1/-	27-11-69	12 12-69	
34	,, ,,	श्री मेघराज	श्री लदूवाराम	156	194 44	1/-	12-1-70	7-8-70	
35	,, ,,	श्री रुवीराम	श्री पेमनदास	148	205 5	1/-	12-5-69	20-12-69	
36	बनी पार्क योजना	श्री किशनकान्त व्यास	श्री रामकिशोर व्यास	एसपी 9	731.42	6/-	17-2-58	30-3-71	
37	,, ,,	श्री कपूरचन्द कुलिश	...	डी-216ए	1033.33	6/-		2-11-70	मुआवजा में दिया गया।
38	,, ,,	श्री जमरुद्दीन	—	एसपी 1	518.22	5/- पर एकड़	..	26-2-71	
39	,, ,,	श्री भोपालसिंह	..	एसपी 1	944.4	6/-	1957	6-6-70	विनिमय किया।

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० संख्या 601 की सूची)

जिलेवार, पंचायत समितिवार तथा नगरपालिकावार अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या जिन्हें वर्ष 1970-71 में मकान बनाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।

क्रमांक	नाम जिला	नाम पं० सं०	परिवार संख्या	नाम नगरपालिका	परिवार संख्या	जिलेवार संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिरोही			शिवगंज	15	16
2.	सवाईमाधोपुर			गंगापुर सिटी	11	11
3.	बूंदी			नैनवा	4	4
4.	अलवर	नीमराणा	3	खैरथल	12	
		उमरेन	5	राजगढ़	3	26
		मंडावर	2			
		कोटकासिम	1			
5.	चूरू			चूरू		8
6.	गंगानगर			सूरतगढ़	1	11
				नोहर	10	
7.	पाली			पाली	29	39
				सोजत	10	
8.	डूंगरपुर	आसपुर	2			4
		सागवाड़ा	2			
9.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	10	कुशलगढ़	1	
		सुजानगढ़	2			
		गढ़ी	14			30
		बांसवाड़ा	5			
10.	भीलवाड़ा	हुरडा	6	जहाजपुर	11	
		कोटड़ी	6	भीलवाड़ा	11	
		आसींद	13			63
		सुवाला	21			
		मांडल	15			

Page No 226

1	2	3	4	5	6	7
11.	झुंझुनू			झुंझुनू	5	
				मुकन्दगढ़	5	14
				नवलगढ़	4	
12.	चित्तौड़गढ़	राशमी	11	..		11
13.	भरतपुर	सेवर	1	नदबई	4	
		नगर	12	भरतपुर	1	40
		रूपवास	22			
14.	सीकर	पींग	12	फतेहपुर	1	
		लक्ष्मणगढ़	1	सीकर	2	18
		दांतारामगढ़	2			
15.	नागौर	..		नागौर	18	18
16.	उदयपुर	रेलमगरा	20	राजसमन्द	1	
		मावली	10	नाथद्वारा	12	53
		भिण्डर	10			
17.	जयपुर	सांगानेर	16	बांदीकुई	13	
		आमेर	5	चौमू	1	
		फागी	3	फुलेरा	5	66
		झोटवाड़ा	6	जयपुर	14	
				सांगरलक	1	
				दौसा	2	
18.	कोटा	अटरू	14	कोटा	1	28
		बारां	13			
19.	अजमेर	पीसांगन	5	किशनगढ़	1	
		श्रीनगर	1	अजमेर	1	20
		भिनाय	10			
		मसदा	2			

परिशिष्ट 14

(अ० प्र० संख्या 609 की सूची)

ऑडिट आक्षेप-पत्र

दी जयपुर स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स एम्पलाईज कोआपरेटिव सोसायटी लि०, जयपुर

ऑडिट अवधि:— 30-6-67
नाम निरीक्षक ऑडिट :—श्री शंकरसिंह

1. समिति में पंजिबद्ध उपनियमों की प्रति एवं सहकारी नियमों की प्रति प्राप्त नहीं है।
2. समिति द्वारा वर्ष 64-65 एवं 65-66 के ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं की गई है, शीघ्र ही आक्षेप पूर्ति की जाकर पूर्ति रिपोर्ट भेजी जावे ।
3. सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है (ऑडिट नोट क्रम संख्या 10 देखें) ।
4. समिति हिस्सा रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं है। समिति द्वारा जो हिस्सा रजिस्टर चालू किया हुआ है वह हिस्सा रजिस्टर का मतलब हल नहीं करता है। (ऑडिट नोट क्रम संख्या 11 देखें) ।
5. समिति के सेल्समेन एवं केशियर की जमानतें नहीं ले रखी है, शीघ्र ही आवश्यक जमानतें ली जानी चाहिये ।
6. दिनांक 18-5-67 की प्रबन्धकारिणी की सभा में कोरम 3 का रहा, इस सभा में प्रबन्धकारिणी के 3 सदस्यों का चुनाव किया गया है, जो अवैधानिक है ।
7. रोकड़ बाकी सही नहीं निकाली जाती है (ऑडिट नोट क्रम संख्या 12 देखें) ।
8. दिनांक 4-9-66 के 496-41 एवं 4-9-66 को 489-94 क्रमशः श्री भगवान सहाय एवं श्री रामशरण जी के पास चोरी हो गये जिसकी कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है और न कोई जांच ही की गई। बिना जांच आदि के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री महेन्द्र कुमार ने यह राशि, उचन्त खाता नं० 3 में डलवादी थी। विशेष बात यह है कि चोरी 4-9-66 को हुई एवं उचन्त खाते में 8-9-66 को डाली गई। 4 दिन तक इस सम्बन्ध में व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित व्यक्ति चुप्पी साधे रहे (ऑडिट नोट क्रम संख्या 12 में देखें) ।
9. सदस्यों को ऋण वितरण में काफी अनियमितताए बरती गई है (ऑडिट नोट क्रम संख्या 14 देखें) ।
10. समिति द्वारा पोद्दार मिल्स के श्रमिकों एवं कर्मचारियों को भी ऋण दिया जाता है, जो समिति उपनियमों के विरुद्ध है ।
11. आटे की चक्की से आटा पिसाई से प्राप्त आय को समिति में उसी दिन या अगले दिन जमा न कराई जाकर, कई 2 दिन बाद जमा कराई जाती है ।

Page No 228

1-7-66 से 23-9-66 तक का चक्की का रजिस्टर समिति में प्राप्त नहीं हुआ। रजिस्टर में जगह 2 काटा-पीटी एवं पुनः लेखन है जिस पर हस्ताक्षर तक नहीं है। 2-10 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूल किये जाने चाहिये। (ऑडिट नोट क्रम संख्या 17 देखें)।

12. केन्टीन में काफी अनियमितताएं है। केन्टीन इसी कारण हानि पर कार्य कर रही है इसमें सुधार किये जावें अन्यथा केंटीन बन्द कर दी जानी चाहिये (ऑडिट नोट क्रम संख्या 19 देखें)।

13. मैदा एवं सूजी की रकम की वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोंसे को जानी चाहिये, (ऑडिट नोट क्रम संख्या 20 देखें)।

14. समिति में टेलीफोन है जिस पर हुये व्यय का सुचारू रूप से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। टेलीफोन के सम्बन्ध में पूर्ण रिकार्ड रखा जाना चाहिये, ताकि इस पर हुये व्यय का औचित्य प्रमाणित हो सके और टेलीफोन का दुरुपयोग भी नहीं हो सके।

15. उधारी माल पर ब्याज लिया जाना चाहिये।

16. स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पड़े हुये हैं, पूर्ण किये जावें।

17. डेड स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पड़ा है।

18. सुरक्षित कोष का विनियोजन समिति से बाहर किसी अन्य वित्तीय संस्था म किया जाना चाहिये।

19. अन्य लेनदारी में से बटटा खाता राशि उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल की जो (ऑडिट नोट क्रम संख्या 29 देखें)।

20. सदस्यों की ओर बकाया ऋण में से बटटा खाता ऋण तत्कालीन व्यवस्थापक व उत्तरदायी संचालकों से वसूल किया जाना चाहिये (ऑडिट नोट क्रम संख्या 20 देखें)।

21. होटल का स्टाक 30-6-67 को 2,298.87 पैसे होना चाहिये जो कि 2,995.06 पैसे दिखलाया है। इसमें 696.19 पैसे उधारी बकाया है। आसूमल केन्टीन इन्चार्ज इसके लिये उत्तरदायी है।

22. संचालक मण्डल द्वारा समिति के कारोबार में विशेष रुचि नहीं ली गई है संचालक महोदय समय 2 पर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर रोकड़, रोकड़ बही स्टाक का परीक्षण करते रहें तो समिति के वैतनिक कार्यकर्ताओं पर उचित नियन्त्रण रह सकेगा।

हस्ताक्षर,
शंकरसिंह, निरीक्षक
(ऑडिट)।

परिशिष्ट 15

(अ० प्र० सं० 613 की सूची)

Gravel Roads.

Serial No.	Name of Road	Total Length	Work done		Work not done		Remarks (Amt. Required to complete the work).
			P. W.	Gravelling	P. W.	Gravelling	
1.	G/R. Sanchore Bhawtra upto Ridhka.	53	53	45	..	8	2,00,000/-
2.	Chitalwana to Defence Road.	21	21	21	Consolidation of Dhandla Stone and Patri Works to be done.		25,000/-
3.	Karda to Jhali via Pawana.	35	32	25	3	10	2,00,000/-
4.	Sewada via Tetrol Guda Hemawas Thali.	23	23	12	..	11	2,20,000/-
5.	Chitalwana to Hotigaon.	12	12	12	Some C. D. Works are to be constructed.		1,50,000/-

Metal Roads

Serial Number	Name of Road	Length in Km.	Work done (In Km.)							Work not done (In Km.)								Remarks.
			E. W.	Gravelling	Soling at site	Ballast at site	Grit at site	Consolidation	B. T.	E. W.	Gravelling	Soling at site	Ballast at site	Grit at site	Consolidation	B. T.	Amount required to complete (In Lac)	
1.	M/R. & B/T. Shankor Gundew khara ..	14	14	14	14	14	8	8	3	..	..	..	..	6	6	11	6.7	
2.	M/R. A mli to Arnai via Dawal; Dedwa, Jakhal. Haryali & Chonra ..	28	28	4	8	14	..	..	..	..	24	20	14	28	28	28	1.5	
3.	M/R. Koora Karwar Karda	16	16	16	16	16	..	..	..	..	..	..	..	16	16	16	2.25	

परिशिष्ट 16

(अ. प्र. सं. 617 की सूची)

जांच रिपोर्ट बाबत शिकायत करने गलत कारनामा श्री ओम प्रकाश बाड़मेरा कृषिप्रसार अधिकारी, लाडनूं जिला नागौर ।

श्री हरजीराम बुरडक, एम० एल०ए० के पत्र दिनांक 2-9-70 में श्री ओ० पी० बाड़मेरा के खिलाफ निम्नलिखित अभियोग लगाये गये हैं :—

(1) श्री बाड़मेरा का लाडनूं से तबादला होने के कारण उन्हें दिनांक 26-3-70 को रिलीव कर दिया गया था परन्तु श्री बाड़मेरा जयपुर जाकर बैठ गये और दिनांक 9-4-70 को पंचायत समिति, लाडनूं के हाजरी रजिस्टर में अपने आप ही अपना नाम लिख कर हाजरी भर दी और दौरा भी दिखा दिया । दौरा का फर्जी प्रोग्राम भी बनाकर लगा दिया गया जबकि उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21-4-70 को निरस्त हुए । श्री बुरडक ने जांच करने के पहले हाजरी रजिस्टर व डिस्पेच रजिस्टर सीज करने की सलाह दी है ।

उपरोक्त आरोपों की जांच 12-11-70 को बमुकाम लाडनूं की गई । श्री बाड़मेरा के बयान कलमबन्द किये गये जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । श्री बाड़मेरा का यात्रा बिल माह मार्च, 70 दिनांक 7-3-70 से 2-4-70 रु० 255.50 जिसका यात्रा भत्ता बिल दिनांक 13-8-70 को स्केल नम्बर 212 से पास किया गया, देखने से जाहिर होता है कि श्री बाड़मेरा दिनांक 26-3-70 को सुबह 11 बजे लाडनूं से जयपुर के लिये रवाना हो गये जिसके वे वहां से वापिस दिनांक 2-4-70 को 3.30 पी० एम० को लौटे हैं । इस यात्रा की स्वीकृति जिलाधीश नागौर के पत्र संख्या 3343 दिनांक 6-3-70 द्वारा दी जा चुकी है । उनको लाडनूं पंचायत समिति से 26-3-70 के दोपहर बाद से कार्यभार से मुक्त करने का आदेश संख्या 8488-8498, दिनांक 26-3-70 को विकास अधिकारी ने जारी किया । डिस्पेच रजिस्टर देखने से मालूम होता है कि दिनांक 26-3-70 को ये पत्र उस दिन के आखीर में डिस्पेच हुए हैं याने नम्बर 8499 दिनांक 27-3-70 को शुरु हुआ । इससे यह प्रकट होता है कि श्री बाड़मेरा के रिलीविंग आॅर्डर उस दिन दोपहर बाद ही जारी किये गये है जबकि श्री बाड़मेरा जयपुर के लिये रवाना हो चुके थे । डिस्पेच रजिस्टर में पत्र संख्या 8491 श्री बाड़मेरा के नाम की प्रति थी किसी को नहीं दिया गया था । इससे वह साबित होता है कि उपरोक्त रिलिविंग आदेश बाड़मेरा को नहीं मिले ।

श्री बाड़मेरा के स्थानान्तरण आदेश कृषि निदेशक, राजस्थान, जयपुर द्वारा उनके आदेश संख्या 3348-49 दिनांक 31-3-70 द्वारा एबिहेन्स में रख दिये गये थे उक्त आदेश श्री बाड़मेरा को जयपुर में दिनांक 31-3-70 को ही मिल गया था और विकास अधिकारी जी को 4-4-70 को प्राप्त हुआ था ।

विकास अधिकारीजी द्वारा अपना आदेश संख्या 8488-98, दिनांक 26-3-70 रद्द करने का आदेश 208 दिनांक 21-4-70 को जारी किया था जो एक फोरमल आदेश था उपस्थिति पंजिका देखनें से प्रतीत होता है कि :-

(1) माह फरवरी, 70 में श्री बाड़मेरा का नाम सं० नं० 2 पर है ।

(2) माह मार्च, 70 में श्री बाड़मेरा का नाम दिनांक 1 से 26 तक नं० 2 पर है । बाद में दिनांक 27 से 31 तक का सं० नं० 20/1/1/ 22 पर है।

(3) माह अप्रेल, 70 में श्री बाड़मेरा का नाम 19/1/20 पर दर्ज है जो कि उसी आदमी द्वारा लिखा गया है जिसने कि सब नाम लिखे हैं ।

(4) माह मई, 70 श्री बाड़मेरा का नाम सं० नं० 2 पर है ।

इसके अलावा श्री सूरज प्रकाश शिक्षा प्रसार अधिकारी जिन्होंने कि दिनांक 25-2-70 को जोइन किया था उनका नाम माह मार्च, 70 में श्री बाड़मेरा के नाम के बाद याने 20/1/1/1/23 पर दर्ज है और अप्रेल, 70 में भी उनका नाम श्री बाड़मेरा के नाम के नीचे याने 19/1/1/21 पर दर्ज है । मई, 70 में उनका नाम सं० नं० 4 पर दर्ज है ।

इससे यह साफ हो जाता है कि श्री बाड़मेरा ने हाजरी रजिस्टर में अपना नाम अपने हाथ से नहीं लिखा था । जबकि उनके नाम के नीचे भी एक नाम और दर्ज किया हुआ हैं ।

प्रधानजी, पंचायत समिति, लाडनूं ने भी जाहिर किया कि श्री बाड़मेरा दिनांक 26-3-70 को उनके आदेश से लघु सिंचाई योजना व व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम इत्यादि संबंध में गये थे और दिनांक 2-4-70 को लौटे थे । उक्त समय की यात्रा भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री भटनागर द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और यात्रा व्यय भी भुगतान भी किया जा चुका है ।

ऐसी हालत में श्री बाड़मेरा का कोई दोष नहीं पाया गया है ।

हस्ताक्षर

उप-निदेशक, कृषि विभाग, जोधपुर ।

Page No 233

बयान श्री ओम प्रकाश वाड़मेरा, कृषि प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागोर

मैं इस पंचायत समिति में दिनांक 8-9-66 से कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूं। मेरे स्थानान्तिर के आदेश कृषि निदेशक नम्बर 2962–88 दिनांक 17-1-70 माह जनवरी, 70 के आखीर सप्ताह में आफिस में आये थे और मुझे 2-2-70 को प्राप्त हो गये थे, मगर मुझे माह मार्च, 70 से 25-3-70 तक कार्यभार से मुक्त नहीं किया था क्योंकि मैं लघु सिंचाई योजना इत्यादि बनाने में व्यस्त था। प्रधान जो माह मार्च में जयपुर गये थे तब मुझे कह कर गये थे दिनांक 26-3-70 को सब रेकार्ड लेकर जयपुर पहुंच जाना और यही आदेश विकास अधिकारी जी को देकर गये थे। मगर दिनांक 26-3-70 को जब म सुबह दफ्तर पहुंचा और जयपुर जाने की तैयारी करने लगा तो विकास अधिकारी ने आदेश दिया कि आप अपना चार्ज श्री जगन्नाथजी, कनिष्ट लिपिक को दे दें। तो मैंने कहा कि आज मैं जयपुर जा रहा हूं और वापिस आकर चार्ज दे दूंगा तो विकास अधिकारीजी ने मुझे जयपुर जाने की इजाजत दे दी। मैं दिनांक 26-3-70 को 11 बजे सुबह .... से जयपुर के लिए रवाना हो गया। मैं जयपुर से दिनांक 2-4-70 को लौटा। इस बीच मेरे स्थानान्तरण आदेश रद्द होने के आदेश संख्या 3348–59 दिनांक 31-3-70 को मुझे जयपुर में ही मिल गया था। यहां आने पर मालूम हुआ कि मुझे दिनांक 26-3-70 के दोपहर बाद कार्य भार से मुक्त करने के आदेश विकास अधिकारीजी ने मेरे जयपुर रवाना होने बाद निकाल दिये थे। मेरा नाम हाजरी रजिस्टर में माह अप्रेल में नहीं लिखा गया था। फिर प्रधानजी के आदेश से मेरा नाम सबसे पीछे लिखा गया और माह मार्च का वेतन भी दिया गया। मेरा जयपुर जाने व माह मार्च, 70 का पूरा टूर प्रोग्राम विकास अधिकारी ने एप्रूव किया था और बाद में जिलाधीश महोदय से स्वीकृति भी मांगी थी। विकास अधिकारी जो श्री भटनागर मुझ से कुछ न मालूम कारणों से नाराज थे जिस कारण से उन्होंने मुझे अक्टूबर, 69 से यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान भी नहीं किया था। जो बाद में 10/69 से 7/70 तक के दिनांक 13-8-70 को पास किये। मुझे कार्यभार से मुक्त करने का आदेश संख्या 8488–98 दिनांक 26-3-70 कभी नहीं मिला। इति दिनांक 12-11-70।

हस्ताक्षर ओम प्रकाश वाड़मेरा।

———

परिशिष्ट 17

(अ० प्र० सं० 620 की सूची)

प्रश्न नं० 1 और 4 की सूची:—

योजना का नाम		अनुमानित राशि
क्षेत्रीय योजनाएं:—		
1. लाम्पोसाई:—		4,50,000
(1) लाम्पोसाई (2) वसरियाट (3) जैसास (4) रलियावता	सम्मिलित ग्राम	
2. रैव:—		3,00,000
(1) मोरोलाई (2) सिस्सना (3) लाछा की ढाणी (4) ब्राह्मणों की ढाणी (5) गोरी की ढाणी (6) इन्टडी (7) विजान्डा (8) कमोडिया की ढाणी	सम्मिलित ग्राम	
3. कात्यासनी:—		21,20,000
(1) कात्यासनी (2) श्यामपुरा (3) पांचडोली (4) चवडिया (5) चुन्दिया (6) सियास (7) मूरियासनी (8) उचेढा (9) खाखडकी (10) हिरण खुडी (11) बड़गांव	सम्मिलित ग्राम	

4. गागुडा:— 7,00,000

(1) गागुडा
(2) सिरोदना
(3) ओलावण
(4) दधवाडा } सम्मिलित ग्राम
(5) सिवला
(6) दइबाली
(7) नोखा चान्दावता

5. मारवाड़ छापरी :— 16,00,000

(1) मारवाड़ छापरी
(2) बासनी नाटे
(3) डाया
(4) सिराला
(5) बारोडा } सम्मिलित ग्राम
(6) मूनास
(7) डोवरानी
(8) दासापी
(9) खेड़ूली

6. जोगीमगर :— 9,50,000

(1) जोगीमगरा
(2) माकियावास
(3) रेलचान्दावता } सम्मिलित ग्राम
(4) लाम्बा
(5) शिव

7. सेवार जिप्सम क्षेत्र :— 11,00,000

(1) सेवार
(2) पड़ियारा
(3) रांतगा
(4) गोट } सम्मिलित ग्राम
(5) माताजी का मन्दिर और जिप्सम खानें
(6) मांगोड
(7) दुर्गास्तन

8. बालसमन्द :— 3,20,000

(1) बालसमन्द
(2) छापरा } सम्मिलित ग्राम
(3) जाफरिया

Page No 236

9. बासनी:— 3,00,000

(1) बासनी
(2) बडगांव
(3) कुमारी

} सम्मिलित ग्राम

10. दौलतपुरा:— 13,06,000

(1) काल्या बासनी
(2) माला बासनी
(3) सेवा
(4) सुपाका
(5) थान
(6) देवस्थी
(7) आचिया बासनी
(8) आसाकी ढाणी
(9) चांद बासनी
(10) पाटन
(11) माहम
(12) कलबानी
(13) गिरधारीपुरा

} सम्मिलित ग्राम

11. सागाबास 33,000

12. कापरिया की ढाणी राजोडा 95,000

13. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं:—

ग्राम	अनुमानित राशि
रियाबाडी	2,07,000
हरसोलाव	1,30,060
सोमना	78,000
बाजोला	2,09,000

प्रश्न 2 की सूची

निम्नलिखित जलप्रदाय योजनाएं जिन पर कार्य पहिले से ही चालू है, इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण किया जाकर जल वितरण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है:–

योजना का नाम	इस वर्ष होने वाला अनुमानित व्यय
मूंडवा	50,000 रुपये
बांका पट्टी क्षेत्रीय योजना	10,00,000 रुपये
सांसर	5,000 रुपये
कसूम्बी	60,000 रुपये
मडू	60,000 रुपये
बनयाल	38,000 रुपये
डेगाना क्षेत्रीय योजना	70,000 रुपये
घोलेराव क्षेत्रीय योजना	31,000 रुपये

निम्नलिखित जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है:—

नाम योजना	इस वर्ष होने वाला अनुमानित व्यय
मीठड़ी	50,000 रुपये
निम्बी जोधा संशोधित जलप्रदाय योजना	1,00,000 रुपये

इन योजनाओं का कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर वर्ष 1972-73 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

Page No 238

परिशिष्ट 18

(अ० प्र० सं० 423 की सूची)

मुलजिमान जो अब तक पकड़े जा सके सन् 1967 से 31 मार्च, 1971 तक जिला कोटा

क्र०सं०	इल्जाम नम्बर	जुर्म दफा	नाम थाना	नाम मुलजिमान मुक० में मतलूम है	मुल० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4	5	6
1.	44167	380 आई०पी०सी०	कोतवाली	1. जमाल पुत्र रहमतुल्ला मुसल०, सा० कोटा	512 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही
				2. मुन्ना उर्फ मोहम्मद	"
				3. रघुरेन्द्र पंजाबी सुनार	"
2.	"	394 "	"	1. रामसिंह पुत्र बहादुर सिंह, राजपूत, कोटा	" "
3.	"	379 "	"	मुरादखां पुत्र सनारखां मुसल०, कोटा।	" "
4.	7167	399।402 "	खातोली	उम्मेद पुत्र हाजी फकीर सा० सवाई माधोपुर।	"
				2. रामकुमार पुत्र गंगाधर मीना की बड़ी खाटान सवाई माधोपुर।	"
5.	2167	457।380 "	इरनदास	प्रभू पुत्र केसरा मील, सा० कोटा	"
6.	"	454।380 "	"	सुरेश पुत्र लीलाधर	"
7.	"	" "	"	लालचन्द उर्फ ललित पुत्र रूपचन्द, सा० पाटन सौल, कोटा।	"
8.	"	380 "	"	सूरजमल पुत्र प्रह्लाद दर्जी, बारां सा० कोटा	
9.	28170	392।365 "	खातोली	श्री करणसिंह	" यह डकैत सोम० करण का गिरोह जो थाना खातौली का बतलाया।

Page No 239

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	28/70	302/865	आई०पी०सी०	खातोली	लायकराम	512	सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही
11.	,,	,,	,,	,,	बाबूसिंह	,,	,,
12.	,,	,,	,,	,,	बापू	,,	शाहबाद, मांगरोल की वारदात, डकैती, कत्ल, अपहरण में मतलूम
13.	,,	,,	,,	,,	धनराज	,,	
14.	,,	,,	,,	,,	ठाकुर	,,	
15.	,,	,,	,,	,,	देवीसिंह	,,	
16.	,,	,,	,,	,,	रूपा	,,	
17.	,,	,,	,,	,,	महेन्द्रसिंह	,,	

Page No 240

परिशिष्ट 19

(अ० प्र० सं० 446 की सूची)

अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, अलवर

क्र. सं.	नाम	अनुसूचित जाति संख्या जिनमें ऋण वितरण किया	अनुसूचित जनजाति जिनमें ऋण वितरण किया	योग
1.	कठूमर	3	..	
2.	सालवाड़ी	1	..	
3.	दुघेरा	2	..	
4.	हूरूबा	3	..	
5.	नाटोजा	2	..	
6.	रूपवास ठेकड़ी	—	2	
7.	रेटा	2	..	
8.	तसई	2	..	
9.	डयोठाना	3	..	
10.	सामोली	—	..	
11.	कालवाड़ी	2	..	
12.	सोस	2	..	
13.	बडोका	—	..	
14.	बडका	—	..	
15.	रानोता	—	..	
16.	नागलटप्पा	—	1	
17.	रोठी	—	..	
18.	जहाडु	—	..	
19.	मावर	—	..	
20.	साहाडी	—	..	
21.	इसरोता	2	..	
22.	रोनीजाथा	—	2	
23.	मसारी	1	..	
24.	मारू	—	1	
25.	इसरोती	1	..	
26.	समोची	8	..	
27.	सोखरा	4	..	
28.	रेला	3	..	
29.	दोतिया	2	..	
30.	मेसकाबास	—	2	
31.	सहाडी	1	..	
32.	रोनीजाथन	—	2	
		43	10	

43 अनुसूचित अनुसूचित जन-जाति 10 एवं अन्य 203 हैं ।

अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, अलवर

योजनान्तर्गत ग्राम वार सदस्यों की सूची :—

क्रमांक - ग्राम		अनुसूचित जाति सदस्य संख्या जिनमें ऋण वितरण किया	अनुसूचित जन-जाति सदस्य संख्या जिनमें ऋण वितरण किया—
1.	अलवा	4	5
2.	डोरोली	2	1
3.	खोखर	—	1
4.	मन्नाकाबास	—	1
5.	तसई	5	—
6.	तिगरिया	1	—
7.	कारोली	1	—
8.	बामनपुरा	1	1
9.	पावटा	—	1
10.	खे ली रेल	—	1
11.	बड़की	4	—
12.	गड्लावता	4	—
13.	रोनोजस्थान	2	14
14.	समूची	10	—
15.	रायपुरा	—	5
16.	सालवाडी	5	—
17.	मदीरा	5	—
18.	सोख	16	—
19.	बराडा	2	—
20.	असारी	3	—
21.	घोबडी	1	—
22.	नूरपुर	1	—
23.	धारू	5	—
24.	रामपुर	1	—
25.	रानोता	1	—
26.	कठमर	2	—
27.	माबर	1	—
28.	अडोली	1	2
29.	बमनपुर	1	—
30.	सामोली	1	—
31.	घोसराना	2	1
32.	मनोखर	2	—
33.	बैरवा	2	—
34.	बहरामपुर	5	—
35.	दारोदा	2	—
36.	बहरामपुर	4	—
37.	गहलावता	2	—
		98	31

नोट—कुल 554 सदस्यों को ऋण वितरण किया गया जिसमें से अनुसूचित जाति के 98 व जनजाति के 31 व कुल 129 सदस्य एवं शेष 425 अन्य जातियों के हैं।

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 5 मई, 1971

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
2		8	म	में
9		2	तो बतादें तो जानकारी	तो बतादें जानकारी
13		4	श्री दिग्विजय सिंह	श्री दिग्विजयसिंह
13	अन्तिम से	6	क्रता	क्रेता
15		2	को	की
23	अन्तिम से	1	सा	पैसा
24	,,	5	एटन्शन	अटेन्शन
25		13	मने	मैंने
30		16	दुंगलिश	इंगलिश
32		1	आदिश	आदर्श
36		16	न्टीनेन्स	मेन्टीनेन्स
38		20	उपजब्ध	उपलब्ध
45		13	केदार	ठेकेदार
58	अन्तिम से	5	कया	क्या
59	शीर्षक	—	अनु० स० के	अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
60	,,	1	छीपाववडोद	छीपाबड़ोद
61		11	घोड़	बांड
63		2	जान	जाने
69		5	कप	कूप
72		6	दरवाज	दरवाजे
84		13	बनाने	बताने
85	अन्तिम से	3	रिपोट	रिपोर्ट
39	,,	2	स	इस
98		2	सव	सर्वे
)4		5	लोगों व को गवाहान को	लोगों को व गवाहान को
)7	अन्तिम से	14	की	भी
2		2	के	—
3	अन्तिम से	10	असर	और

स्तम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
115		2	मत्रों	मंत्री
115		18	प्राब्लम्म	प्राब्लम्स
115	अन्तिम से	14	उपाध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष महोदय
126	,,	15	एग्रीशियेट	एप्रीशियेट
136	,,	3	खे ी	खेती
137		1	जसा	जैसा
141		2	ब ा ने	बनाने
151		7	शीर्घक	शीर्षक
164		14	ि टर्न	रिटर्न
177	अन्तिम से	9	ऑट	अलॉट
177	,,	4	अंतति	अंतर्गत
178		8	आने	जाने
201	अन्तिम से	1	क्षे	क्षेत्र
203		11	सरकार कहना	सरकार से कहना
206	अन्तिम से	13	साननुक	नुकसान
225	शीर्ष		(श्री रामचन्द्र आ)	(श्री रामचन्द्र आर्य)
293		12	करता	करना
298		13	कानन	कानून
299	शीर्ष		(शंकरलाल)	(श्री शंकरलाल)
302		9	श्री देवीदत्त गाडीया	श्री देवीदत्त गाडिया
318		18	(श्री पूनमचन्द, उपाध्यक्ष पदासीन)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)
321	शीर्ष		(श्री रामसिंह बोहरा)	(श्री रामप्रसाद बोहरा)
324	अन्तिम से	2	श्री देवीलाल मोणा	श्री देवीलाल मीणा
330	,, से	1	करी	कई
332		14	फम	फर्म
337		12	खत	खेत
346		9	कन्वेन्शल	कन्वेन्शनल
354	अन्तिम से	16	ोनों	दोनों
355		18	युटिलाईजेज	यूटिलाइजेशन
374		16	श्री उपाध्यक्षजी	श्री उपाध्यक्ष
379	अन्तिम से	16	श्री रामचन आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य